FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 23/4/2002

(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा.. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 12, बुधवार, 5 दिसम्बर, 2001/14 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224	1–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 240	27–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 2411 से 2553 और 2555 से 2635	51–356
सभा पटल पर रखे गए पत्र	356–373
राज्य सभा से संदेश	373–374
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	374
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन	374
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	375
मणिपुर बजट, 2001-2002	375
इजराइल द्वारा फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के मुख्यालय पर बमबारी के बारे में	375
कोयला कर्मकारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में	383–392
देश में आयुध कारखानों में विस्फोट की बढ़ती घटनाओं के बारे में	392–394
उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन न किये जाने के बारे में	395–397
नियम 377 के अधीन मामले	412–420
(एक) महर्षि दयानन्द सरस्वती के जन्म और मृत्यु स्थलों पर भव्य स्मारकों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	412
(दो) मौर्य एक्सप्रेस को नरकटियागंज होकर सप्ताह में तीन बार चलाए जाने और चौरा-चोरी एक्सप्रैस को बिहार में रक्सौल तक चलाए जाने की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	413

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए इस योजना में संसद सदस्यों को संबद्ध किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 413

(चार) रायपुर-दुर्ग-नागपुर होकर बिलासपुर और इन्दौर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

डा. चरण दास महन्त 414

(पांच) केरल में त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.एस. शिवकुमार 415

(छह) देश में विशेष रूप से केरल के किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के उदारीकृत आयात की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन 415

(सात) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन 416

(आठ) खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 416

(नौ) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजन्ता और एलौरा गुफाओं के संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकान्त खैरे 417

(दस) उड़ीसा में "रेंगाली राइट केनाल" परियोजना के अंतिम चरण के निर्माण के लिए निवेश करने हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं को आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 417

(ग्यारह) नासिक जिले में सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 418

(बारह) मध्य प्रदेश में तिलवाड़ा और जबलपुर-सिवनी क्षेत्र के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नरेश त्रिपाठी 418

(तेरह) बोध गया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 418

(चौदह) *आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 25000 अतिरिक्त मकानों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता*

डा. मन्दा जगन्नाथ *419*

विषय	कॉलम
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2001-2002.	420–524
श्री विजय हान्दिक	425
श्री किरीट सोमैया	429
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	436
डा. बी.बी. रमैया	439
श्री धर्मराज सिंह पटेल	443
श्री सुबोध मोहिते	446
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	450
श्री अनादि साहू	458
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	463
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	467
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	468
श्री सी. श्रीनिवासन	471
श्री रामनगीना मिश्र	474
श्री मधुसूदन मिस्त्री	478
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	480
श्री जोवाकिम बखला	483
श्री प्रभुनाथ सिंह	484
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	489
श्री खारबेल स्वाईं	491
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	495
श्री प्रबोध पण्डा	499
श्री अधीर चौधरी	501
श्री यशवन्त सिन्हा	503
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2001.	524–526
विचार करने के लिए प्रस्ताव	524
खंड 2, 3 और 1	525
पारित करने के लिए प्रस्ताव	526

लोक सभा

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2001/14 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा और माननीय सदस्य सहमत हों तो हम प्रश्न संख्या 223 और 226 को एक साथ ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सऊदी अरब में भारतीयों को परेशान किया जाना

*221. +श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब में बड़ी संख्या में कार्यरत भारतीयों को परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस देश में हमारे देशवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। हालांकि कभी-कभी सऊदी अरब स्थित हमारे मिशन में सऊदी अरब में कार्यरत हमारे नागरिकों से उनके नियोक्ताओं द्वारा करार की शर्तों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें जैसे देर से भुगतान अथवा भुगतान नहीं करना, लम्बे कार्य घंटे, अर्थात् अपर्याप्त आवास/खाना पीना, छुट्टी अथवा आकस्मिक घटनाओं के लिए भारत यात्रा की अनुमति नहीं प्रदान करना इत्यादि प्राप्त होती ही रही हैं। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के आकार को देखते हुए इस प्रकार की शिकायतों की कुल संख्या महत्वपूर्ण नहीं है।

(घ) इस प्रकार की शिकायतों का निपटारा विदेश मंत्रालय के माध्यम से सऊदी प्रायोजक और यदि आवश्यक हो तो संबंधित सऊदी प्राधिकारियों के साथ हमारे मिशन द्वारा तत्काल किया जाता है। श्रमिक संबंधी शिकायतों के मामले में सऊदी प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया सामान्यत: सहानुभूतिपूर्ण होती है और अधिकांश मामलों का निर्णय श्रमिकों के पक्ष में होता है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तमेवार : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उनसे स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि क्या सऊदी अरब में कार्यरत भारतीयों को परेशान किया जा रहा है? उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि सऊदी अरब में कार्यरत भारतीयों को परेशान नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर परेशानी के कई कारण भी बताये, जैसे समय पर वेतन न मिलना, लम्बे समय के लिए छुट्टी पर भारत आने की अनुमति नहीं देना। इस प्रकार की उत्पीड़न की घटनाएं सऊदी अरब में हमारे भारतीयों के साथ पिछले 4-5 साल से चल रही हैं और इस संसद में जब भी इस प्रकार के सवाल उठे तो इसके जवाब ऐसे ही दिये जाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो मामले प्रकाश में आये हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सऊदी अरब में हमारा जो दूतावास है, उसका सूचना तंत्र बेकार सिद्ध हो रहा है। उत्पीड़न के मामले इतने गंभीर हैं कि हमारे भारतीय युवकों को वहां जबर्दस्ती आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त किया जा रहा है। उन्हें जेहादी जत्थों में शामिल होने के लिए प्रलोभन दिये जा रहे हैं और बाध्य किया जा रहा है और वे बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर आ रहे हैं। इसकी खबरें बार-बार हिन्दुस्तान में आ रही हैं। इसकी खबरें बार-बार सऊदी अरब में प्रकाशित हो रही हैं। इसके बावजूद भी हमारे वहां के दूतावास ने इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया। यह बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में उन्होंने कौन सी कार्रवाई की? वहां के कामगारों के साथ मालिक जो कर रहे हैं, वह गंभीर घटना नहीं है लेकिन हमारे युवकों को वहां जेहादी जत्थों में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, यह गंभीर मामला है और इस संबंध में क्या सूचना मिली है और क्या कार्रवाई की है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। एक माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि जो सवाल पूछा गया है, उसका समुचित जवाब नहीं दिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो सवाल पूछा गया है,

उसका पूरा जवाब दिया गया है। आपने पूछा है - क्या भारतीय मूल के नागरिकों का वहां ज्यादा मात्रा में उत्पीड़न नहीं होता है? भारतीय मूल के 14 लाख नागरिक सऊदी अरब में काम करते हैं। वहां जितने अन्य देशों के नागरिक है, सबसे ज्यादा नागरिक भारतीय मूल के हैं। उन सबको देखते हुए और जो माननीय सदस्य का कहना है कि वहां बड़ी मात्रा में उत्पीड़न होता है, मुझे क्षमा करें, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से सऊदी अरब में जो कानून लागू होता है, वह शरीयत का कानून है। हमारे जुरिसप्रुडेंस से अलग है। जो लोग वहां काम करने जाते हैं, उनको मालूम है कि उनको कौन से कानून के तहत काम करना पड़ेगा।

दूसरा विषय वास्तव में गंभीर है। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां जो नौजवान जाते हैं, उन्हें बाध्य किया जाता है, प्रलोभित किया जाता है कि वे आतंकवादी गतिविधियों में लगें। उसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे दूतावास यहां मंत्रालय को इस विषय में पूरी तरह से सूचित नहीं करते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि हमारे दूतावास स्वशासित शासन नहीं है। दूतावास, भारत के दूतावास हैं। दूतावास हर हिसाब से भारत को पूरी सूचना देते हैं। अभी तक दूतावास के पास या मंत्रालय के पास एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है, जिसमें कहा गया हो कि सऊदी अरब में किसी को प्रलोभन या अन्य रूप से वहां आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य के पास इसकी कोई जानकारी है, कोई सूचना है तो मेरे पास पहुंचाने का कष्ट करें। निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार की घटनायें नहीं हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक समाचार-पत्र "टाइम्स आफ इंडिया", 26 सितम्बर की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसका पहला ही समाचार है 'इंडियन यूथ इन गल्फ मेड टू सर्व मिलिटेंट्स'। इसमें बड़े जोरों से आया है कि कई ऐसे मामले हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनायें हुई हैं। आशा है, उनके ऊपर वे ध्यान देंगे।

महोदय, मेरा दूसरा सवाल है, मिडिल ईस्ट के देशों, जैसे सऊदी अरब, में कम उम्र की लड़कियों को वहां ले जाकर ब्याह दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में कई मां-बाप अपनी बच्चियों को बेचते हैं। इस काम को करने के लिए एक रैकेट काम कर रहा है। इस बारे में पहले भी खबरें आई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या इस प्रकार का कोई मामला सरकार के सामने आया है?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सामाजिक प्रवृत्ति के कारण कुछ हद तक मां-बाप अपनी बेटियों का ब्याह कर देते हैं कि अच्छे घर में ब्याही जा रही हैं और सुखी रहेंगी। यह एक स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है। हर सामाजिक प्रवृत्ति को नियमित कानून बनाकर सरकार सुधार सके, यह संभव नहीं है और होना भी कहां तक चाहिए, इसमें संयम की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सरकार को जब-जब शिकायत मिलती है कि कोई नाबालिग लड़की या किसी के साथ वहां पहुंचने पर दुर्व्यवहार हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे दूतावास उसमें पूरी कार्रवाई करते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू भी है और वह पहलू घरेलू नौकरानियों का है। सरकार इसमें दखल कर सकती है। घरेलू परिवार के निर्णयों में दखल करना इतना सरल नहीं है। घरेलू नौकरियों के नाम पर वहां जो नौकरी तलाश करने के लिए जाती हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसमें निश्चित रूप से सरकार की पहल आवश्यक होती है। माननीय सदस्य को जानकर खुशी होगी कि पिछले साल से हमने उस पर बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी है। सन् 2000 में सऊदी अरब में, जो गल्फ की खाड़ी के देश हैं, उनके बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, परन्तु सऊदी अरब में पिछले साल करीब 1200 ऐसी नौकरियों की इजाजत दी गई। उनसे जो शिकायत मिलती है, हमें उनकी औसतन एक साल में करीब 150 से भी कम शिकायतें मिलती हैं, घरेलू नौकरानियों के तौर पर जो काम करती हैं। हमें जब भी शिकायत मिलती है, हम पूरी कार्यवाही करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, एक अन्य गंभीर शिकायत सऊदी अरब में शवों को भारत लाने से संबंधित है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें इस कार्य में महीनों लग जाते हैं। मैं सरकार से त्वरित उपाय करने का अनुरोध करता हूं ताकि शवों को समय से लाया जा सके। महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि कुछ देशों में शवों को भारत लाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री से विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले कामगारों के परिवारों के हित में अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, सऊदी अरब से वीजा प्राप्त करने में अनेक मुश्किलें और अड़चनें हैं। क्या सरकार इसे आसान बनाने के लिए राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप करेगी?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक सऊदी अरब में नौकरी करने वाले मृतक भारतीयों को भारत लाने से संबंधित है।

ऐसे अनेक मामले है उनमें से एक मामला यह भी है जिसमें लोगों की स्वाभाविक रूप से मौत हो जाती है और कुछ मामले ऐसे भी है जिनमें लोगों की दुर्घटना अथवा किसी अन्य अस्वाभाविक परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हमारा यह अनुभव है कि प्रत्येक मामले में मिशन ने सऊदी अरब या अन्य किसी खाड़ी देश से शव को उनके परिवार तक शीघ्रतापूर्वक पहुंचाने के लिए अपनी ओर से बेहतर प्रयास करना है। कुछेक मामलों में जिस देश में मृत्यु होती है, उसी देश में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।

हमारा यह अनुभव है कि स्वाभाविक मृत्यु के मामले में औपचारिकताएं पूरी करने में सऊदी अरब में कम से कम लगभग छह से आठ सप्ताह लग जाते हैं, यह वास्तविकता है। मैं सऊदी अरब के कानूनों को परिवतर्तित नहीं कर सकता। सामान्यत: जो लोग सऊदी अरब में नौकरी करने वाले हैं उन्हें उन कानूनों की जानकारी होती है जिनके अंतर्गत वे काम कर रहे हैं। अस्वाभाविक मृत्यु होने की स्थिति में सऊदी अरब में पुलिस और अन्य प्रशासनिक जांच कार्यों में अक्सर पर्याप्त समय लग जाता है और मिशन द्वारा बेहतरीन प्रयास करने के बावजूद भी आठ-सप्ताह से पहले शवों को भारत लाना संभव नहीं है।

दूसरी बात, शवों को नि:शुल्क लाये जाने के संबंध में है। जो लोग वहां जाते हैं, उन्हें हम यह परामर्श देते हैं कि कुछेक मामलों में नियोजक यह वायदा करते हैं कि मृत्यु होने की स्थिति में शव को वापस घर पहुंचाने का खर्च वे वहन करेंगे परंतु सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। हम माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव की जांच करेंगे कि क्या इस संबंध में सरकार कुछ कर सकती है।

दूसरी बात उन्होंने वीजा के बारे में पूछी है। माननीय सदस्य को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यदि सऊदी अरब जाने के लिए वीजा प्राप्त करना इतना मुश्किल होता तो वहां लगभग 14-15 लाख भारतीय काम न कर रहे होते। हम सऊदी अरब और अन्य देशों की सरकारों से भी वीज़ा संबंधी अड़चनों को कम करने का निरंतर अनुरोध करते हैं।

श्री पी.डी. एलानगोवन : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने विदशों में काम करने वाले भारतीयों के आंकड़े एकत्रित करने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

महोदय, तमिलनाडु और केरल से अनेक लोग विदेशों में नौकर, चालक, मिस्त्री, नलसाज इत्यादि के रूप में काम करने के लिए जाते हैं और उनमें से अधिकांश लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में भारतीय मिशन में शिकायत दर्ज करना संभव नहीं होता। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में विदेशों में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली तैयार की है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे विशेषरूप से भारतीय नागरिकों, या अन्य किसी निर्माण कार्य में श्रमिक का कार्य करते हैं, के बारे में जानकारी है कि उनके लिए इस तरह के विवाद में पड़ना इतना आसान नहीं होता, जैसे कि माननीय सदस्य का प्रश्न है। उनके लिए हमेशा अपनी शिकायत दर्ज करना इतना आसान नहीं होता। हमें वास्तविकता मालूम है। उनमें बहुत से लोग खाड़ी देशों में निर्माण-स्थलों पर काम करते हैं।

इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, मिशन के अधिकारी अक्सर वहां जाते हैं और वहां काम कर रहे अपने नागरिकों को समय-समय गर मुलाकात करते हैं। इसके अलावा, जब वे वहां से वापस आते हैं, तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि मुश्किल होने पर वे वाणिज्यिक दूतावास में संपर्क करें।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1997 में, जब वह विपक्ष के नेता थे, खाड़ी देशों में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेृत्व किया था और भारतीय निवासियों की मांगों में से एक मांग यह थी कि अप्रवास विभाग अथवा कोई अन्य विभाग उन्हें वापस लाने के बहाने, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, वर्ष 1977 से उनसे 1500 रुपये ले रहा है। अब वह राशि बेकार पड़ी है और कोई नहीं जानता कि सरकार ने उस धनराशि का क्या किया। उनकी यह मांग थी और यहां तक कि आज भी उनकी मांग यही है कि जब कभी कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उसके शव को उसी राशि से, यहां नि:शुल्क लाया जाये यह राशि बहुत बड़ी मात्रा में, सरकार के पास बेकार पड़ी हुई है। यह धनराशि खाड़ी देशों में काम कर रहे गरीब कामगारों की है।

महोदय, होता यह है कि कोई भी यह नहीं जानता कि जब कोई मरता है, तो उसके शरीर को यहां वापस लाया जा सकता है। वे सभी गरीब कामगार हैं। उस समय और आज भी उनकी मांग यही है कि सरकार खाड़ी और अन्य देशों से, जहां उन्हें वापस लाने में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। उनके लोगों के शवों को वापस लाने में उस धनराशि का उपयोग कर सकती है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यह वही प्रश्न है जो पहले भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के संबंध में पूछा गया था। माननीय सदस्य का सुझाव है कि भारत में उनके कोई सगे संबंधी नहीं हैं।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, सगे-संबंधी हैं और धनराशि सरकार के पास बेकार पड़ी है। यह राशि सरकार ने उनसे ली है।

श्री जसवंत सिंह : यह सुझाव है कि मृत्यु होने की स्थिति में शवों को, लिए गये अप्रवास शुल्क के खाते से निःशुल्क वापस लाया जाना चाहिये। यही मामला एक अन्य माननीय सदस्य ने भी उठाया था और मैंने कहा है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, माननीय मंत्री को मालूम है कि यह मामला केवल सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं है। बहुत से भारतीय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह प्रश्न केवल सऊदी अरब से संबंधित है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं एक आम प्रश्न पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब समेत अक्सर सभी देशों के मामले में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग श्रमिक, घरेलू नौकरानियों इत्यादि छोटे-मोटे काम के लिए वहां जाते हैं, उन्हें भेजने वाले उनके साथ धोखा करते हैं। हाल ही में, कुवैत में लगभग 1500 श्रमिकों को अल-ब्लासिम नाम की एक कंपनी ने धोखा दिया और अब वे एक कैंप में रह रहे हैं जो कमोबेश राजनैतिक कैदी कैम्प के समान हैं। उनकी हालत बुरी हैं। अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार मिशन के माध्यम से इन लोगों को विभिन्न खाड़ी देशों में काम की स्थितियों की जानकारी दे सकती है। मैं जानता हूं कि मिशन अच्छा काम कर रहा है। परन्तु आमतौर पर यह होता है कि ये श्रमिक मिशन के अधिकारियों से मिल नहीं पाते। इन मामलों में जब संसद सदस्य हस्तक्षेप करते हैं, केवल तभी वे त्वरित कार्यवाही करते हैं। हमारा तो यही अनुभव है जब किसी व्यक्ति या समूह की ओर से संसद सदस्य उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो वे सही ढंग से कार्य करते हैं। अन्यथा, आमतौर पर जो भारतीय वहां जाता है, उसके लिए मिशन तक पहुंचना और अपना काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी कि मिशन अपने आप ही विभिन्न खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें वहां की कार्य परिस्थितियों और श्रम-कानून इत्यादि से अवगत कराएगा।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न में किसी एक विशेष कंपनी द्वारा दुर्व्यवहार करने की एक विशेष घटना सहित कई पहलुओं को शामिल किया है। मैं कुवैत अथवा अन्यत्र किसी कंपनी के दुर्व्यवहार के बारे में कोई विशेष उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। आमतौर पर माननीय मंत्री यह सुझाव देते है कि जब संसद सदस्य मिशन के नोटिस में कोई बात लाते हैं तो ये मिशन तत्काल कार्यवाही करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मिशन ऐसा करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : जब हम विदेश मंत्री को लिखते हैं तो वह भी बहुत जल्दी कार्यवाही करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : यह हमारी हौसला अफजाई है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : आम जनता की भी पहुंच होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं तो पहल करने वाले की प्रशंसा कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : उन्हें यह कार्य पत्र के बिना ही करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : यह उनका काम है। मैंने ऐसा कहा भी है। संसद सदस्य यह कार्य इसलिए करते है क्योंकि इसमें उनके निर्वाचन क्षेत्र के मामले भी निहित होते हैं। उनके आश्रित, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य आपके दरवाजे खटखटाते हैं और तभी आप सीधे मुझे लिखते हैं और मैं मिशन से कहता हूं। कृपया इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें और तत्पश्चात् मिशन शीघ्र कार्यवाही करता है। परन्तु आपका कहना यह है कि मिशन को किसी भी मामले में ऐसा करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा करना और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि भारतीयों को मिशन से संपर्क साधना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि वहां काम करने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए मिशन तक आसानी से पहुंचना संभव नहीं होता। अक्सर वे दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं। उनमें से कई तो मिशन से संपर्क करने में डरते हैं। इसलिए हमने मिशन को निर्देश जारी किए हैं कि वहां काम कर रहे भारतीयों के साथ बैठकें करें और उनसे नियमित रूप से मिलते रहें। हम इस स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

तारापुर परमाणु बिजलीघर

*222. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर के तृतीय और चतुर्थ चरण का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना का निर्माण-कार्य वर्ष 1998 में शुरू किया गया था, और अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना में वास्तविक रूप से लगभग 35 प्रतिशत प्रगति हुई थी। इन यूनिटों के बनकर तैयार होने और वाणिज्यिक रूप से प्रचालित किए जाने की तारीखें मार्च, 2006 और जनवरी, 2007 हैं।

(ग) से (ङ) तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट 1 तथा 2 (टीएपीएस 1 तथा 2), जो वर्ष 1969 से प्रचालनरत हैं, के लिए अधिग्रहण की गई भूमि में से तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट 3 तथा 4 (टीएपीपी 3 तथा 4) के संयंत्र भवनों और संरचनाओं हेतु भूमि पहले से ही परियोजना प्राधिकारियों के अधिकार में है। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट 3 तथा 4 की अपवर्जन क्षेत्र संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग 206 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे 1167 परिवार विस्थापित होंगे। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीज़) के पुनर्वास से संबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। पुनर्वास पैकेज के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित अपेक्षित धनराशि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) मुहैया कराएगा।

पुनर्वास पैकेज को महाराष्ट्र सरकार अंतिम रूप दे रही है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राज्य सरकार के पास उनकी मांग के अनुसार 8.22 करोड़ रुपए की राशि जमा करा दी है। महाराष्ट्र राज्य सरकार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए और जिन उपायों को करने के बारे में निर्णय लेगी, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उनका भी समर्थन करेगा। नए पुनर्वास स्थल (दहीसर गांव) पर विकास-कार्य प्रगति पर है और राज्य प्राधिकारियों द्वारा सुख-सुविधाओं के लिए प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वनगा : अध्यक्ष महोदय, तारापुर में फर्स्ट और सैकिंड यूनिट पहले से कार्यरत हैं। अभी फेज तीन और चार में काम चल रहा है। फेज एक और दो में जो यूनिट चल रहे हैं, वे समृद्ध यूरेनियम दे रहे हैं। अभी फेज तीन और चार के जो यूनिट बनेंगे उनमें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बना यूरेनियम उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार और वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। लेकिन यूनिट-3 और 4 का जो टी.ए.पी.पी. चल रहा है, उनमें 35 प्रतिशत अभी काम हो चुका है। इसमें 1167 परिवार विस्थापित हुये हैं लेकिन इन परिवारों के पुनर्वास का काम अभी तक नहीं हुआ है। यह प्रोजैक्ट 1998 से चल रहा है। हालांकि पुनर्वास का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है लेकिन अभी तक एक परिवार का भी पुनर्वास का काम नहीं हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह विस्थापितों को पुनर्वास देने और इस प्रोजैक्ट में उन लोगों को काम देने का प्रावधान करेगी?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, टैप्स 3 और 4 बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें लगभग 35% कार्य प्रगति पर है। इन इकाइयों के निर्माण हेतु जमीन सौभाग्य से पहले से ही वहां उपलब्ध है, क्योंकि इसे पहले टैप्स 1 और 2 के लिए अधिग्रहीत किया गया था। परन्तु, टैप्स 3 और 4 के लिए विशिष्ट जोन पूरा करने के लिए अभी 206 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जानी है, जिस पर ए.ई.आर.बी. का कब्जा है। जैसाकि सदस्य ने अभी बताया है कि उन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 1167 है। वे दो गांवों, अकारपट्टी और पोखरण में हैं। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। पुनर्वास पैकेज हेतु अपेक्षित धनराशि एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा दी जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस समय इसमें थोड़ी सी अड़चन है क्योंकि परियोजना प्रभावित लोगों के मामले में महाराष्ट्र सरकार और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुई बातचीत के आधार पर, एन.पी.सी.आई.एल. ने उनकी मांग के अनुसार 8.22 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास जमा कर दिए हैं।

विभाग ने पहले ही अनुग्रह राशि दे दी है या यह कृषि भूमि पर पहले दी गई राशि के अलावा प्रति हैक्टेयर 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि देने को तैयार है और गैर-हकदारों को 30,000 रु. दिए जाने पर पहले ही सहमति हो गई है परंतु सबसे मुख्य बात यह रही कि भूमि का अधिग्रहण शांतिपूर्ण रहा। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से 51 परियोजना प्रभावित लोगों को पहले ही रोजगार दिया जा चुका है। इस वक्त

250 लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ था। उनमें से 51 लोग परियोजना प्रभावित हैं। परियोजना प्रभावित लोगों के 51 बच्चों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है जिसका आरंभ शैक्षणिक वर्ष 2001 से होगा और उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा वहन किया जाएगा ताकि वे प्रशिक्षण के लिए ली जाने वाली चयन परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

ठेकेदारों ने भी करीब 800 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। सामान्यत: ग्रुप 3 और 4 की भर्ती के लिए हम रोजगार समाचार के माध्यम से नियुक्ति करते हैं परन्तु इस मामले में हम परियोजना प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) को उनकी पात्रता के आधार पर वरीयता देने जा रहे हैं। यदि भर्ती पूरी नहीं हुई तो हम स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से व्यक्तियों की भर्ती करेंगे बशर्ते वे शैक्षणिक अर्हता पूरी करते हों क्योंकि उद्योग की संवेदनशीलता को देखते हुए इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

साथ ही हम नागरिक सुविधाएं भी प्रदान करने वाले हैं जिसके लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा एक पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसके लिए निधि एन.पी.सी.आई.एल. देगी। 70 एकड़ की सरकारी भूमि परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पहले ही चिन्हित की गई है जिस पर अनुमानत: 16.50 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है। जैसे ही राज्य सरकार से हमें इसके लिए मांग प्राप्त होगी राशि जारी कर दी जाएगी।

ग्यारह में से दस को दी जाने वाली मुआवजे की राशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। हमारे हाथ में 91 हैक्टर भूमि है परंतु वास्तव में केवल 1.58 हैक्टेयर भूमि ही हमारे अधिकार में है। महाराष्ट्र सरकार और परियोजना प्रभावित लोगों के बीच तनातनी चल रही है क्योंकि जब से महाराष्ट्र परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पुनर्वास) अधिनियम, 1986 लागू होने के बाद राज्य सरकार भूमि के बदले भूमि नहीं देना चाहती। तथापि मुख्य मंत्री ने हाल ही में हुई 28.9.2001 की बैठक में राज्य को कार्यवाही तुरंत पूरे करने के निर्देश दिए हैं और इस मामले पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम हर समय राज्य प्राधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि पुनर्वास पैकेज का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा भारत सरकार यह महसूस करती है कि बड़ी परियोजनाओं के लंबित होने में यह एक स्थायी कारण है। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया है कि इस मामले पर राष्ट्रीय नीति और साथ ही मार्गनिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता है। पुनर्वास के इन मामलों को देखने के लिए कुछ समय पहले एक मंत्रियों के दल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री चिंतामन वनगा: इसमें दो तरह के लोग विस्थापित हुए हैं—एक वे लोग हैं जिनकी जमीन एक्वायर की गई है और दूसरे वे लोग हैं जो निषिद्ध घोषित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमें जानकारी मिली है कि वहां दस किलोमीटर का निषिद्ध क्षेत्र है। उत्तर में कहा गया है कि वहां जमीन एक्वीजीशन का काम चल रहा है और दो गांवों का इसमें समावेश हुआ है, जबकि निषिद्ध घोषित क्षेत्र 10 किलोमीटर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नये सिरे से इसका सर्वे करायेगी और जो लोग निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्या उन्हें भी सरकार विस्थापित मानेगी?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह मामला उन 1,167 लोगों से संबंधित है जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है। यह उन दो गांवों से संबंधित है जिनके नाम मैंने पहले ही दिए हैं। इन्हें उन 70 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर पुन: बसाया जाएगा, जिसे दहिसर गांव में पहले ही चिन्हित कर दिया गया है। परंतु हमारे पास वास्तव में 1.6 हैक्टर भूमि अधिगृहित है। 1.6 कि.मी. की भूमि को 'विशेष क्षेत्र' कहा गया है और दूसरी तीन कि.मी. की भूमि को छोड़ देना पड़ा है। इस प्रकार वास्तविक परियोजना के 5 कि.मी. के आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण है कि पुनर्वास का कार्य हो। पुनर्वास के लिए भूमि को पालघर तालुक में दहिसर नामक गांव में उस स्थान पर अंतिम रूप से गौथन के लिए चिन्हित किया गया है। यह समझौता महाराष्ट्र सरकार और उन लोगों के मध्य हुआ है जिनका पुनर्वास किया जाना है। जहां तक एनपीसीआईएल और सरकार का प्रश्न है, जब तक हमें भूमि का शांतिपूर्ण अधिग्रहण दिया जाता है हम उनका पूर्ण समर्थन करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हमें इस सभा में परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल से निर्मित विद्युत पर चर्चा करने के अधिक मौके नहीं मिलते। इसलिए इस प्रश्न को उठाने के लिए मैं आपका और प्रधान मंत्री जी का सहयोग चाहता हूं, जिसकी चाहे इस प्रश्न से पूरी प्रासंगिकता न हो परंतु इसका इससे कुछ संबंध अवश्य है। जैसा कि यह मामला नीति से संबंधित है तथ्यों से नहीं, यदि संभव हो तो, हम सरकार से इसके उत्तर की आशा करते हैं। इन सबकी पृष्ठभूमि में अब मैं प्रश्न रख रहा हूं।

अब हम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं जो सामान्यत: 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। 235 मेगावाट क्षमताओं वाले दो बिजली रिएक्टरों की स्थापना की जानी है परंतु इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसकी स्थापना के लिए औसत कम

से कम अवधि 10 से 15 वर्ष है। यह समय बहुत लंबा है और हमारे यहां बिजली की कमी है। हम बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए यदि नीति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो शायद इससे हमें कुछ लाभ हो। इस संबंध में जो थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है वह है कि 235 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले और कुल 500 मे.वा. बिजली का उत्पादन करने वाले नाभिकीय संयंत्रों को लगाने की बजाय यदि एक ऐसा नाभिकीय संयंत्र लगाया जाए जो 1000 या 2000 मे.वा. की बिजली का उत्पादन करते हैं, तो इन बिजली घरों की स्थापना के लिए लगने वाला समय अधिक स्वीकार्य हो जाएगा। यह समय घट भी सकता है और इस प्रकार कम समय में हम इसकी स्थापना कर पाएंगे।

संपूर्ण विश्व में ऐसे बिजली संयंत्र लगाए जा रहे हैं जो 500 मेगावाट नहीं वरन् 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट या 5000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। क्या सरकार नाभिकीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पन्न करने के इस पहलू पर विचार करेगी? क्या सरकार हमारी बिजली की आवश्यकता नाभिकीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ हद तक पूरा करने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन करेगी?

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है। उस पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन तब तक छोटे-छोटे पावर स्टेशन्स कायम करने का काम लगातार चलता रहेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रही हूं।

हमने पहले ही कुंडाकुलम में 1000 मे.वा. की एक परियोजना आरंभ की है जो 11वीं योजना में पूरी हो जाएगी।

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, जैसा कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में बिजली की कमी है जो एक औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई अन्य परियोजना है जो थाने से गोवा के विशाल और लंबे-तट पर आरंभ होने जा रही है। मैंने इन स्टेशनों को देखा है क्योंकि कुछ समय तक मैं उस क्षेत्र का प्रभारी था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परमाणु ऊर्जा की कोई अन्य परियोजना है जो महाराष्ट्र के रत्नागिर के समुद्र तट पर या सिंधुदुर्ग के निकट आरंभ होने वाली है।

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, इस समय मेरा जवाब 'नहीं' है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब में कहा कि करीब 1167 परिवार हैं जो इस प्रोजेक्ट से अफैक्टेड हैं और उन्होंने पीसफुल पोजैशन प्रोजेक्ट के लिए दिया है। 1998 से प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन उनका पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ है। भारत सरकार ने आठ करोड़ रुपये की राशि भी राज्य सरकार को दी है और जो आवश्यक धन है, वह देने का प्रॉमिस भी यहां पर मंत्री जी ने किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले चार सालों में अभी तक उनका पुनर्वास सही तौर पर नहीं हो पाया है और इस वजह से जितने भी प्रोजेक्ट भारत सरकार की ओर से महाराष्ट्र में जारी हैं, आज सारे महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट का विरोध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसका मूल कारण पुनर्वास का नहीं होना है। जहां पर हम प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, चाहे एटॉमिक एनर्जी का हो या पैट्रोलियम मिनिस्ट्री का हो, भारत सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हर जिले में उनका विरोध किया जाता है। उसका मूल कारण यह है कि पुनर्वास सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस विरोध को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बनने आवश्यक हैं, भारत सरकार को पीसफुल पोजैशन लोगों ने दिया है और उनके पुनर्वास के लिए क्या मंत्री जी स्वयं उस प्रोजेक्ट एरिया में आकर वहां जो अफैक्टेड लोग हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, वह देखेंगी और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भूमि का अधिग्रहण राज्य का विषय है। इसमें केन्द्र सरकार कैसे मदद कर सकती है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: स्टेट सब्जैक्ट है मैं जानता हूं लेकिन स्टेट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स का विरोध हो रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे: महोदय, हमने पहले ही कहा है कि यह ऐसी समस्या है जो लगातार बनी हुई है और जो अति महत्वपूर्ण परियोजना के विलंब का कारण है। इसलिए एक मंत्रियों के दल का गठन इस मामले को देखने के लिए किया गया है।

महोदय, मुझे महाराष्ट्र की समस्या से सहानुभूति है। वास्तव में, हम अब इसे राज्य प्राधिकारियों से उठा रहे हैं कि इस मामले को जितना शीघ्र हो सके सुलझाएं। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं 28 सितम्बर, 2001 को बैठक की है। हमें आशा है कि इस पर तुरंत अंतिम निर्णय लिया जाए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी परियोजनाएं लंबित हों। इस समय हम इस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परियोजना स्थल पर ही निर्माण कार्य चल रहा है जो चरण एक और दो के लिए अधिगृहित किया गया था। इसलिए, इस समय निषिद्ध घोषित क्षेत्र तैयार हो रहा है और उसके बाद हमें थोड़ी समस्या आयेगी। परंतु हम राज्य सरकार से इस बात को उठा रहे हैं।

जहां तक धनराशि का सवाल है, हम दी जाने वाली राशि के अलावा ढाई लाख की अनुग्रह राशि भी दे रहे हैं।

तालिबान शासन

223. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुस्लिम देशों से कई जेहादी जत्थे तालिबान सेनाओं के साथ मिल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कश्मीर में सक्रिय कतिपय आतंकवादी जत्थे भी तालिबान शासन की सहायता करने के लिए अफगानिस्तान चले गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा मित्र मुस्लिम देशों को आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में तालिबान शासन की सहायता करने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

तालिबान शासन के विरुद्ध ''अन्तर्राष्ट्रीय साझा सेनाओं'' द्वारा सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद इस आशय की रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान से जेहादी तत्व अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से लड़ने के लिए उनके साथ मिल गए हैं।

सरकार अफगान सहित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई के भाग के रूप में राजनयिक दृष्टि से सक्रिय रही है और इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों सहित अनेक देशों के साथ इस मामले को उठाया है। हमने अपने साथ बातचीत करने वालों को यह बताया है कि 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जिसमें ऐसे आतंकवाद को राज्य समर्थन शामिल है, के गंभीर खतरों को पुनः सामने ला दिया है।

तालिबान की रूढ़िवादी विचारधारा के सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार हो जाने के कारण जिसमें कि अफगानियों द्वारा स्वयं अस्वीकार किया जाना शामिल है और यूनाईटिड फ्रंट की सैन्य सफलताओं के फलस्वरूप अब तालिबान सेना पर विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में थोड़े प्रदेशों में सीमित स्थानों में ही हैं। इस समय विश्व में क़ोई भी सरकार तालिबानी शासन को मान्यता नहीं देती है और उन देशों ने भी, जिन्होंने मान्यता प्रदान की थी, अपनी मान्यता वापस ले ली है।

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न संख्या 223 और 226 को एक साथ लेंगे।

श्री जसवंत सिंह: यदि प्रश्न संख्या 223 का ही उत्तर दिया जाना है तो विवरण सभा पटल पर रखा गया है। यदि दोनों ही प्रश्न हैं तो विवरण सभा पटल पर रखे गए हैं।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं तब माननीय प्रधानमंत्री भी यहां उपस्थित हैं। प्रश्न मूलतः हमारे देश के दीर्घकालिक हित से संबंधित है।

देश में यह सुदृढ़ धारणा है कि अमरीका अफगानिस्तान को मध्य एशिया पर नियंत्रण करने के लिए संचालन क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मूल रूप से अफगानिस्तान एशिया और विश्व से सहमति बनाने के लिए एक साधन मात्र है। माननीय मंत्री जी ऐसी एक धारणा है कि एक देश के रूप में हम कूटनीति में बुरी तरह विफल रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में हम अपने मार्ग से हट गये हैं। यह देश में धारणा बनी हुई है?

श्री जसवन्त सिंह: क्या माननीय सदस्य मुझसे यह जानना चाहते हैं कि क्या मैं असफल रहा। महोदय, मैं असफल नहीं हुआ हूं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री जे.एस. बराड़: मेरे विचार से माननीय मंत्री ने मेरी बात को अपने हिसाब से मोड़ा है और जो मैंने कहा है उसे नजरअंदाज कर दिया है।

मेरा माननीय मंत्री से दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि चूंकि तालिबान पराजित हो गयी है—संसद यह जानना चाहती है कि प्राथमिक आसूचना रिपोर्ट क्या है और मेरे विचार से माननीय प्रधान मंत्री और मंत्री इस सभा को इस सवाल का जवाब देंगे—तालिबान के पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश के संबंध में क्या मत है और इस संदर्भ में भारत की सुरक्षा को क्या खतरा होगा?

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, माननीय सदस्य माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस आशा में दिए गये विस्तृत विवरण से अवगत होंगे कि सभा इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा का समय निकाल लेगी परंतु सभा अन्य बातों में व्यस्त रही। राज्य सभा ने इस मामले पर चर्चा की है।

तालिबान शासन के पतन के बाद सुरक्षा परेशानियों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य में, के संबंध में मुझे यह कहना है कि जी, हां। सरकार इस संभावना को जानती है, उसने इसकी गहराई से जांच-पड़ताल की है तथा संबंधित मंत्रालय यथा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जहां तक मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का संबंध है, क्या मैं यह मानूं कि भारतीय कूटनीति बुरी तरह से विफल रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या मैं इसे सच मानूं?

अध्यक्ष महोदय: श्री जी.एस. बसवराज—अनुपस्थित। श्री अजय सिंह चौटाला-अनुपस्थित; अब, श्रीमती कृष्णा बोस।

श्रीमती कृष्णा बोस: अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न मेरे सहयोगी द्वारा अभी-अभी मांगी गई जानकारी से संबंधित है। मेरा मुख्य प्रश्न जम्मू व कश्मीर की ओर से तालिबान शासन की सहायता करने के लिए अफगानिस्तान जाने से संबंधित है। अब पूरा परिदृश्य बदल गया है तथा अब हमें खतरा उन आतंकवादियों से है जो जम्मू व कश्मीर से खदेड़े गए थे और जो पुन: वापस आ गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कौन सी नीति बनाई है। हम जानते हैं कि यह काफी कठिन है। फिर भी, चूंकि सुरक्षा खतरे से निपटना सरकार का काम है क्या उन्होंने कोई नीति बनाई है? हम इसे कैसे रोक सकते हैं क्योंकि यह वास्तव में अब भारत के लिए बहुत गंभीर खतरा है?

श्री जसवंत सिंह: महोदय, पिछले प्रश्नकर्ता ने भी यही प्रश्न पूछा था। हम इस खतरे को न तो अनावश्यक रूप से अधिक आंक रहे हैं और न कम। मैं माननीय सदस्य को इन दोनों प्रवृत्तियों के विरुद्ध आगाह करना चाहता हूं। जहां तक अफगानिस्तान से निकाल गए और पाकिस्तान होते हुए जम्मू व कश्मीर में आने वाले ऐसी आतंकवाद तत्वों—तालिबान अथवा अन्य में बढ़ोत्तरी की संभावना है, जी, हां सरकार इस संभावना से अवगत है, इसका ख्याल रख रही है। संबंधित मंत्रालय, एजेंसियां और राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

श्रीमती कृष्णा बोस: क्या माननीय प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य देंगे? क्या आपने इसका उल्लेख किया था? मैं आपकी बात समझ नहीं सकी।

श्री जसवंत सिंह: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही एक वक्तव्य दे दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब वही वक्तव्य पुन: नहीं देंगे। वह अपना वक्तव्य पहले ही दे चुके हैं। यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद सभा इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मेरा प्रश्न भी भारत के भावी खतरों से संबधित है। मेरा प्रश्न यह है—जेहादियों को भारत में और उपद्रव करने से रोकने के लिए क्या हमारी सरकार भविष्य में भारत-अमरीकी सैन्य सहयोग करने जा रही है?

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, यद्यपि यह प्रश्न प्रत्यक्षत: मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और आतंकवाद पर संयुक्त कार्यकारी दल पहले से ही विद्यमान है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने दें। आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जब आप अपना प्रश्न पूछ रहे थे मैंने शोर नहीं मचाया तब मेरे प्रश्न का जब वह उत्तर दे रहे हैं तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं? यह बहुत बुरा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे विश्व की सैन्य शक्तियों और हमारे देश को यह जानकारी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के विशिष्ट अनुदेशों पर पाकिस्तानी सेना पिछले सप्ताह तक कंधार में तालिबानी शासन का समर्थन कर रही थी तथा उसने लड़ाई द्वारा तय कर लेने का आखिरी प्रयास किया। पाकिस्तानी सेना ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से अपील की थी कि हेलीकॉप्टर से उनके लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ समय दिया जाए। तथापि, इस अनुरोध को नहीं माना गया। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं—क्या भारत ने पाकिस्तान के इस मनसूबे के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की थी? यदि हां तो क्या भारत सरकार इस बात से भी सहमत है कि तालिबान शासन के बाद सरकार के गठन में नरमपंथी तालिबानियों को जगह दी जाएगी जैसाकि पश्चिम के कुछ देश और पाकिस्तान वकालत कर रहे हैं। नरमपंथी तालिबान से कई लोग सहमत हैं।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने 16 नवम्बर को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 21-सदस्यीय समूह वार्ता और बॉन में हाल की घटनाओं में यह बेबाक स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने भावी सुरक्षा हितों के मद्देनजर अफगानिस्तान में तालिबानोत्तर शासन में किसी नरमपंथी तालिबान को शामिल करने के विचार से सहमत नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। मैं 'नरमपंथी तालिबान' से संबंधित उनके प्रश्न के अंतिम भाग से शुरू करता हूं। यह पर्याप्त रूप में और काफी पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि वाक्यांश 'नरमपंथी तालिबान' विरोधाभासी है तथा एक बार मैंने कहा था कि यह आमरूप से प्रयुक्त वाक्यांश हो गया है। तत्पश्चात् माननीय सदस्य निःसंदेह प्रशंसा करेंगे कि बॉन की परवर्ती घटनाएं भारत द्वारा हमेशा से अपनाए गए रुख की ही पुष्टि करती है कि अफगास्तिान के भविष्य के लिए व्यापक आधारवाली सरकार में तालिबान का कोई भी तत्व शामिल हो ही नहीं सकता।

महोदय, मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि बॉन से हमारे विशेष दूत ने सूचना भेजी है कि अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए कई गलत कदम हो सकते हैं— अफगानिस्तान पर समझौता होने ही वाला है तथा इस संबंध में डेढ़-दो घंटे में बॉन में उत्साहजनक घोषणा की जा सकती है। इन घोषणाओं के बाद माननीय सदस्य मानेंगे कि वहां तालिबान के लिए किसी भी रूप में कोई स्थान नहीं है।

महोदय, जहां तक कंधार में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कंधार के बारे में नहीं बल्कि कुंदुज में हुई लड़ाई की बात कह रहे थे।

कुंदुज के संबंध में यह बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपने सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने के लिए सात एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। गठबंधन से संबंधित सभी देशों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई है तथा भारत ने अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री टी. गोविन्दन: भारत सरकार तालिबान के विरुद्ध युद्ध में अपना नौसेना ठिकाना और विमानपत्तन संयुक्त राज्य अमरीकी युद्धपोतों और युद्धक विमानों को उपलब्ध कराकर अमरीका की पूरी सहायता कर रहा है। यह हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निन्दा करने के लिए तैयार नहीं है। यह बात सबको ज्ञात है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार या तो संयुक्त राज्य अमेरिका को यह बताने में विफल रही है अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच लुकाछिपी खेल रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से वास्तविक स्थिति जान सकता हूं?

श्री जसवंत सिंह: मैं माननीय सदस्य के प्रश्न पर कुछ-कुछ हैरान हूं क्योंकि प्रश्न अफगानिस्तान से संबंधित है और वह भारत-पाकिस्तान संबंध के बारे में जानना चाहते हैं।

जहां तक सैन्य सहायता का प्रश्न है मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी स्थिति काफी पहले अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी थी। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है तथा यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि (1) भारतीय सशस्त्र बल अथवा भारत सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा; (2) भारत अथवा संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के अतिरिक्त भारतीय सशस्त्र सेना अन्य किसी ध्वज के अधीन कार्य नहीं करेगी; तथा (3) जहां तक भारत के सैन्य ठिकानों का प्रश्न है, इन सैन्य ठिकानों को स्थायी रूप से किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी के ठहरने के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ये पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को उलझन कहां से होती है। सैनिक ठिकानों और नौसेना प्रतिष्ठानों तक अभिगम की नीति निरंतर रही है तथा पिछले कई दशकों से भारत सरकार इसका अनुसरण कर रही है। हम अपने नौसेना अथवा वायु अथवा अन्य ठिकानों का अभिगम नियमित रूप से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं बल्कि कई देशों को उपलब्ध कराते हैं। दो देशों के बीच प्रशिक्षण का प्रावधान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नहीं बल्कि कई देशों के साथ है। प्रशिक्षण कर्मियों का लेन-देन होता रहता है।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम

***224. श्री मंजय लाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दो वर्ष तक की आयु के मात्र ग्यारह प्रतिशत बच्चों को ही टीके लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके कार्यक्रम में तीव्रता लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1985 में शुरू किया गया व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें वैक्सीन से रोके जा सकने वाले 6 रोगों नामतः डिप्थिरिया, काली खांसी, नवजात शिशु में होने वाले टेटनस, पोलियो, खसरा और बाल्यावस्था में होने वाले क्षय रोग को कवर किया गया है। इस कार्यक्रम में वर्ष 1989-90 के दौरान देश के सभी जिलों को कवर किया गया।

प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र एजेंसियां यूनिसेफ के माध्यम से इस कार्यक्रम के कवरेज का मूल्यांकन करती हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान सभी टीके लगाए गए बच्चों के राज्यवार कवरेज (राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में) से पता चलता है कि राष्ट्रीय औसत लगभग 53.8 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे कतिपय राज्यों में कवरेज 40 प्रतिशत के स्तर से नीचे है।

कतिपय राज्यों में निम्न कवरेज के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

(क) सहायक नर्स धात्रियों और पर्यवेक्षी कार्मिकों के बड़ी संख्या में रिक्त पद, (ख) जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में अपर्याप्त राज्य चिकित्सा बुनियादी ढांचा, (ग) अपर्याप्त पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग, (घ) अन्य कार्यक्रमों की तुलना में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को अभियान के तौर पर निम्न प्राथमिकता, और (ङ) अपर्याप्त सामाजिक गतिशीलता तथा सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण।

सरकार ने देश में नियमित टीकाकरण में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक प्रमुख कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू किया गया है। मॉनीटरिंग, गतिशीलता, कोल्ड चेन, सुई की निरापदता एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करके इस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए विशेष सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खराब कार्यनिष्पादन वाले 151 चुने हुए जिलों में ग्राम स्तर पर सहायक नर्स धात्रियों द्वारा टीकाकरण के संबंध में साप्ताहिक सत्र पुनः शुरू करने के लिए और टीकाकरण कार्यक्रम में लगे स्टाफ के लिए पर्याप्त पी ओ एल और परिवहन सहायता प्रदान करने हेतु प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक स्कीम के जरिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस स्कीम में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में प्राइवेट डाक्टरों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के प्रावधान हैं। गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी हमेशा ही पल्स पोलियो कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही है।

अनुबन्ध

*मूल्यांकित कवरेज 1999-2001**
एक तुलनात्मक विवरण
सभी टीके लगाए गए

क्र.सं.	राज्य	2001
1	2	3
1.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	91.9
2.	आन्ध्र प्रदेश	41.7
3.	अरुणाचल प्रदेश	62.9
4.	असम	60.4
5.	बिहार	10.0
6.	चंडीगढ़	82.7
7.	छत्तीसगढ़	70.4
8.	दादरा एवं नागर हवेली	80.8
9.	दमण एवं दीव	86.7
10.	दिल्ली	70.6
11.	गोवा	93.3
12.	गुजरात	59.3
13.	हरियाणा	57.7
14.	हि.प्र.	92.5
15.	जम्मू एवं कश्मीर	84.6
16.	झारखण्ड	24.2
17.	कर्नाटक	59.9
18.	केरल	88.7
19.	लक्षद्वीप	94.2
20.	मध्य प्रदेश	50.0
21.	महाराष्ट्र	85.6
22.	मणिपुर	48.3
23.	मेघालय	53.3
24.	मिजोरम	78.8

1	2	
25.	नागालैंड	44.2
26.	उड़ीसा	52.5
27.	पांडिचेरी	90.0
28.	पंजाब	72.5
29.	राजस्थान	30.2
30.	सिक्किम	76.7
31.	तमिलनाडु	87.1
32.	त्रिपुरा	56.8
33.	उत्तरांचल	46.3
34.	उ.प्र.	19.2
35.	प. बंगाल	56.4
	अखिल भारत	53.8

*यूनिसेफ के अंतर्गत स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया गया।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सारे देश के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनमें सबसे अधिक लक्षद्वीप का है जो 94.2 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश का 92.5 प्रतिशत, गोवा का 93.3 प्रतिशत, चंडीगढ़ का 82.7 प्रतिशत, पांडिचेरी का 90.0 प्रतिशत और सबसे अंत में बिहार का सबसे कम, मात्र 10.0 प्रतिशत है जो बहुत ही दयनीय और शोचनीय है। यह उत्तर प्रमाणित करता है कि सरकार की योजनाएं बिहार में विफल हो गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना को फैलाने और सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले और मुख्यालय में सैंटर की स्थापना करके निश्चित अवधि के भीतर जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलाना चाहती है जिससे योजना सफल हो सके और बिहार का कल्याण हो सके?

डॉ. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बिहार में इम्युनाइजेशन की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आपका कितना योगदान है? ...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. ठाकुर: हमारा योगदान यही है कि जो सामान हम भेज रहे हैं, अभी बिहार कुछ भी यूटीलाइज़ नहीं कर रहा है। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने पूछा है कि केन्द्र सरकार एन.जी.ओज की मदद से क्या करना चाह रही है। 10 प्रतिशत की फिगर काफी कम है और हम चाहते हैं कि वह 90 प्रतिशत हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, उसमें माननीय सदस्य की मदद लेंगे, अन्य सदस्यों की मदद लेंगे और एन.जी.ओज़ की भी मदद लेंगे। ...*(व्यवधान)* वहां कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम लोग ही कुछ करें। ...*(व्यवधान)* कुछ नहीं, 10 प्रतिशत है। आप भी उनको कहिए कि काम करने दें। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: जब से आप हैं, तब से आपने क्या योगदान दिया है, इसमें आपने क्या किया है, आपकी क्या भूमिका रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया आप, श्री मंजय लाल के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दें। श्री रघुनाथ झा की टिप्पणी का नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. ठाकुर: मैंने क्या किया है, किसी मीटिंग में 'अगर इन सब परियोजनाओं पर बहस करने के लिए जब बिहार के सैक्रेटरी वगैरह नहीं आते थे तो यहां के जितने आफिसर लोग थे, वे खफा थे कि बिहार वाले नहीं आते तो मैंने उसको उलट दिया कि जिस प्रदेश में, मान लीजिए कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनमें वह स्फूर्ति नहीं है, जो फारवर्ड स्टेट्स में है, वे लोग नहीं आते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कांति सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. ठाकुर: आप बैठिए और लालू जी को कहिये कि आफिसर नहीं आते हैं। मैं आपको बताता हूं, सारा पैसा पूरा खाली पड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप बैठिए।

श्री मंजय लाल: मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी अभी बाकी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये न, आप क्या कर रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप बताइये कि बिहार में आपने क्या-क्या दिया है, कैसे दिया है और आप कैसे मोनीटरिंग कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश बाबू, आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय जी के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. ठाकुर: उनको बैठने दीजिए। वहां ए.एन.एम. की पोस्ट खाली हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आप इनको भरिये। यहां तक कि कांट्रैक्ट लेकर भरिये, वे उनको नहीं भर रहे हैं। स्टाफ नर्स की पोस्ट खाली हैं, लैबोरेट्री टैक्नीशियन की पोस्ट खाली हैं, रैफरल ट्रांसपोर्ट हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 24 ऑवर्स डिलीवरी सर्विस के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, जो पैसा पड़ा हुआ है, उसका भी इस्तेमाल वे लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो रघुवंश बाबू से कहेंगे कि अपनी गुडविल जरा वहां इस्तेमाल कीजिए और काम कराइये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इनमें हम लोगों को बुलायें और जाली काम न करें।

डॉ. सी.पी. ठाकुर: जाली नहीं है, काम करने के लिए कहा है। हम लोग जाली कुछ नहीं करते हैं, जाली तो आप लोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय जी, केवल अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: हम लोग तो एन.डी.ए. के हैं, आपने कभी एक बार भी बैठक बुलाई, हम लोगों के साथ कभी बात की? आपके कह देने से क्या होता है, क्या आप इसी के लिए मिनिस्टर बनाये गये हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। रघुनाथ बाबू, आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री मंजय लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना की बढ़ोत्तरी के लिए जिन राज्यों में छः शैया वाले अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केन्द्र हैं और रैफरल अस्पताल हैं, जो मृतप्राय हो गये हैं और बिहार के ऐसे क्षेत्र, जहां स्वास्थ्य उप-केन्द्र की सुविधा प्राप्त नहीं है, वहां सरकार केन्द्रीय सरकार की ओर से उनको सक्रिय कर बिहार में नये सैण्टर खोलकर, उन्हें सक्रिय कर योजना को सफल बनाने के लिए, बिहार को रोगमुक्त करने के लिए तत्पर है? यदि सरकार तत्पर है तो कौन से कदम उठाने जा रही है?

डॉ. सी.पी. ठाकुर: हैल्थ सिस्टम प्रोजैक्ट के तहत बहुत से स्टेट्स को अनुदान मिलता था, उसके तहत अनुदान बिहार को नहीं मिला। हम लोगों ने बिहार से कहा कि आप योजना भेजिये। जब बिहार से योजना नहीं आई तो हम लोगों ने यहां से आदमी को भेजा है, उनकी स्वीकृति लाये हैं। हमने योजना बनाने के लिए, जो लोग योजना बनाते हैं, उनको यहां भेजी है और उसके बाद उसे वर्ल्ड बैंक को पास करने के लिए भेजेंगे। यह भी विचाराधीन है कि वहां जो प्राइमरी हैल्थ सैण्टर्स और सब सैण्टर्स हैं, इनको बनाने का भी हम लोग विचार कर रहे हैं।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसमें मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कहीं-कहीं तो प्रतिशत 40 से भी नीचे है। मैं मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि दुर्गम क्षेत्रों में स्थिति और भी दयनीय है और इसके दो कारण हैं। एक तो आपके जो स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का मापदण्ड है, वह जनसंख्या है, न कि दुर्गम क्षेत्र। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि आधार जनसंख्या नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षेत्र की दुर्गमता होना चाहिए और हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। दूसरा कारण आपने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेकों पद रिक्त पड़े हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इसी प्रकार के दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां कोई जाने को तैयार नहीं होता तो क्या स्थानीय महिलाओं को दाई की ट्रेनिंग देंगे ताकि स्थानीय महिला को नौकरी भी मिले और आपका कार्यक्रम भी सफल हो?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. सी.पी. ठाकुर: माननीय सदस्य ने दुर्गम क्षेत्र के बारे में कहा है। उनका राज्य हिमाचल प्रदेश भी एक दुर्गम राज्य है और वहां प्रतिशत बहुत हाई है, करीब 92 प्रतिशत है। उनका जो सुझाव है कि दुर्गम क्षेत्र के लिए अलग से विचार होना चाहिए और स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके लिए कांटेक्ट बहाली का भी प्रावधान किया है।

[अनुवाद]

डा. रंजीत कुमार पांजा: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन में अधिक सफल रहे हैं। इस संबंध में मैं पुन: बिहार का प्रश्न उठा रहा हूं। बिहार के संबंध में प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दो साल तक के 10 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया है। जबकि झारखण्ड के मामले में यह 24 प्रतिशत है।

इस प्रकार तत्कालीन बिहार राज्य का छोटे भाग ने बड़े राज्य की तुलना में बेहतर निष्पादन किया है।

अध्यक्ष महोदय: डा. पांजा, समय नहीं है। अब कृपया तथ्यगत अनुपूरक प्रश्न पूछें।

डा. रंजीत कुमार पांजा: महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने निवारक और समाज कल्याण कार्यक्रम में आयुर्विज्ञान छात्रों को शामिल करते हुए आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने का विचार किया है।

मेरे अनुपूरक प्रश्न का खण्ड (ख) इस प्रकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खण्ड (ख) के लिए समय नहीं है। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें उत्तर देने दें।

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

हृदय संबंधी रोग

***225. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीयों में अन्य देशों के लोगों की तुलना में हृदय संबंधी रोग होने की सम्भावना अधिक रहती है;

(ख) क्या धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, मांसाहारी भोजन और बदलती जीवन शैली हृदय संबंधी रोग होने के प्रमुख कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार ऐसे कोई पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चल सके कि अन्य देशों की तुलना में भारतीयों को हृदय रोगों का अधिक खतरा रहता है। कोरनेरी हृदय रोग के तीन मुख्य जोखिम कारक धूम्रपान करना, शारीरिक निष्क्रियता और अनुचित आहार हैं। चूंकि इस रोग के कारण अन्य कारणों के साथ-साथ अलग-अलग व्यक्तियों की जीवन-शैली और आहार संबंधी आदतें हैं, इसलिए डाक्टर इन रोगों के नियंत्रण के लिए लोगों में उचित जीवन शैली आहार संबंधी आदतें अपनाने के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में सरकार का गठन

***226. श्री जी. एस. बसवराज:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को अफगानिस्तान में भविष्य के राजनैतिक ढांचे पर चर्चा करने हेतु इक्कीस देशों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने अब तक अफगानिस्तान के मामलों में मात्र प्रतीकात्मक भूमिका ही निभाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उत्तरी गठबंधन (नार्दर्न एलायंस) को भारत का समर्थन प्राप्त है;

(च) यदि हां, तो भारत-अफगानिस्तान संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(छ) क्या रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन की समाप्ति के पश्चात व्यापक आधार वाली बहु-जातीय सरकार के गठन हेतु भारत का सहयोग मांगा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ज) भारत नवम्बर, 1996 में संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान से सम्बद्ध 21 देशों के समूह का उसके अविर्भाव के समय से ही सदस्य रहा है। तब से इस समूह की अब तक कई बैंठकें हुई हैं और अंतिम बैठक 16 नवम्बर, 2001 को न्यूयार्क में हुई थी। इस समूह ने अफगास्तिान की राजनीतिक और मानवीय स्थिति पर चर्चा की।

अफगास्तिान के साथ भारत के मित्रता और सहयोग के पारम्परिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। समय-समय पर भारत-अफगान संबंध व्यापक रहे हैं और इनके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के अनेक क्षेत्र शामिल थे। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान अथवा उसके शासन को समान्यता नहीं दी थी। हम उत्तरी गठबंधन को मानवीय और अन्य सहायता तथा राजनयिक समर्थन दे रहे हैं जिसका कि अफगानिस्तान की गतिविधियों और भारत-अफगान संबंधों, जिसमें लोगों के स्तर पर संबंध शामिल हैं, पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

इन वर्षों में जबकि अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर तालिबान शासन का कब्जा रहा तथा मौजूदा संदर्भ में भी सरकार ऐसे अनेक देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है जिनकी अफगान मामलों में रुचि है। अफगानिस्तान की स्थिति पर बातचीत के लिए हमने रूस और अमरीका सहित अनेक देशों के साथ नियमित रूप से परस्पर कारवाई की है। आमतौर पर यह सहमति है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी जातीय समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक आधार वाली स्वतंत्र सरकार की स्थापना हो। हमने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता की बहाली और पुनर्निर्माण के उद्देश्य से अनेक बहुपक्षीय प्रयासों में भी हिस्सा लिया है।

चंद्रमा पर जाने हेतु मिशन

***227. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रमा पर जाने हेतु मिशन (मिशन टू दि मून) के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आएगा;

(ग) इस मिशन के अन्तर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या भारत ने सभी प्रकार की सूचना और संचार नेटवर्क में शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में कब तक पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चंद्रमा पर मानव रहित वैज्ञानिक मिशन की शुरूआत करने की संभाव्यता का अध्ययन कर रहा है। अध्ययन के परिणामों के आधार पर मिशन की शुरूआत करने का निर्णय लिया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित प्रयोगों में चंद्रमा की सतह के प्रतिबिंबन के अलावा एक्स-किरण स्पेक्ट्रममिति, गामा-किरण स्पेक्ट्रममिति का उपयोग करते हुए चंद्रमा की रासायनिक संरचना का अध्ययन शामिल है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अन्तरिक्ष-आधारित सूचना और संचार नेटवर्क में अन्तरिक्ष खंड (संचार उपग्रह) और संबद्ध भू-खण्ड शामिल हैं। भारत ने इन्सैट संचार उपग्रहों के डिजाइन, विकास और अभिचालन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

युद्धबंदी

***228. श्री अबुल हसनत खां:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा शिखर वार्ता में पाकिस्तान की जेलों में बंद 54 भारतीय युद्ध बंदियों की रिहाई का मामला उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने जांच के बाद यह बताया है कि पाकिस्तानी जेलों में कोई भी भारतीय युद्ध बंदी नहीं हैं और भारतीय परिवारों को पाकिस्तानी जेलों का दौरा करने का निमंत्रण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पाकिस्तानी वक्तव्य की सत्यता की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेशी मंत्री (श्री जसंवत सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार युद्धबंदियों के परिवार के सदस्यों/संबंधियों के साथ इस प्रकार की यात्रा संभावित उपयोगिता पर उनके विचार सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर, सार्थक यात्रा हेतु अपेक्षित मानदण्डों, प्रणालियों और स्थितियों तथा पूर्व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, संपर्क बनाए हुए है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

***229. श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को राज्यवार कुल कितनी अन्तरिम वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) राज्यों को अपेक्षित राशि प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों द्वारा मांगी गई धनराश उपलब्ध न किए जाने के कारण कल्याणकारी योजनाएं बाधित हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र द्वारा राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वार्षिक योजना 1999-2000 और 2000-01 के लिए राज्यों को आवंटित सामान्य केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,210.50	3,661.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	574.17	609.50
3.	असम	1,616.11	1,686.56
4.	बिहार*	2,390.27	2,369.04
5.	गोआ	90.11	127.92
6.	गुजरात	1,433.77	1,462.40
7.	हरियाणा	1,022.31	655.52
8.	हिमाचल प्रदेश	809.71	810.89
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2,631.98	1,963.26
10.	कनार्टक	1,612.41	1,753.36
11.	केरल	873.80	882.98
12.	मध्य प्रदेश*	2,184.32	2,134.01
13.	महाराष्ट्र	1,501.88	1,946.79
14.	मणिपुर	506.08	565.86
15.	मेघालय	421.77	393.59
16.	मिजोरम	384.67	401.26
17.	नागालैंड	394.76	424.59
18.	उड़ीसा	2,031.11	1,915.09
19.	पंजाब	742.73	871.21
20.	राजस्थान	1,648.12	1,460.5?
21.	सिक्किम	329.92	263.01
22.	तमिलनाडु	1,574.80	1,644.18
23.	त्रिपुरा	656.12	633.70
24.	उत्तर प्रदेश*	6,175.76	5,891.10
25.	पश्चिम बंगाल	3,315.58	2,780.19

टिप्पणी: *अविभाजित म.प्र., उ.प्र. और बिहार

(ख) सामान्य केन्द्रीय सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित गाडलिग-मुखर्जी फार्मूला के आधार पर किया जाता है। योजना आयोग इस फार्मूला के अनुसार, केन्द्र सरकार के पास संसाधनों की कुल उपलब्धता के अंतर्गत, राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की कल्याणोन्मुखी स्कीमों का वित्तपोषण राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से तथा अंशतः केन्द्रीय सहायता द्वारा किया जाता है। सामान्य केन्द्रीय सहायता फार्मूले के अनुसार दी जाती है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दी जाती है। राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन जुटा कर अपने स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु उठाए गए कदम:

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई सामान्य केन्द्रीय सहायता और उनके योजना कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नानुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं:

(1) *बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता:* जिन राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण व अनुदान प्राप्त होता है उन्हें इस शीर्ष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। चूंकि विदेशी ऋणदाताओं द्वारा ऋण व अनुदान सामान्यतः प्रतिपूर्ति आधार पर जारी किए जाते हैं, अतः ऐसी परियोजनाओं के लिए अपेक्षित प्रारंभिक व्यय प्रदान करना आवश्यक है जिसे बाद में संबंधित राज्य द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त विदेशी ऋण से समायोजित कर लिया जाता है।

(2) *अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता:* राज्यों को विशेष कर्याक्रमों, जो संबधित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, के लिए भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, उदाहरण के तौर पर, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, स्लम विकास कार्यक्रम। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विस्तृत प्रस्ताव उस मंत्रालय/विभाग में प्रस्तुत करें जिसके द्वारा कार्यक्रम संचालित होते हैं। संबंधित मंत्रालय इन प्रस्तावों की विस्तृत जांच करता है और तदनुसार सहायता राशि जारी करता है।

(3) *विशेष योजना सहायता:* जो राज्य विशेष समस्याओं का सामना करते हैं उनको भी उनके विकासात्मक प्रयासों में सहायता करने हेतु, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये परियोजना विशिष्ट ही हो। उस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, राज्य अपने प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत करते हैं जो संबंधित मंत्रालयों एवं वित्त मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके उन प्रस्तावों की जांच करता है।

भारत-इराक वार्ता

***230. श्री अरुण कुमार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इराक का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो वहां की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां। राज्य सभा की उपाध्यक्ष डा. नजमा हेपतुल्ला के नेतृत्व में एक विशेष सद्‌भावना शिष्टमंडल ने 31 अगस्त से 2 सितम्बर, 2001 तक इराक की यात्रा की थी।

(ख) डा. नजमा हेपतुल्ला ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से भेंट की और उन्हें अपने प्रधानमंत्री का लिखित संदेश सौंपा। इस शिष्टमंडल ने उप राष्ट्रपति ताहा यासिन रमादान, उप प्रधानमंत्री तारिक अजीज, अध्यक्ष सदून हम्मादी, विदेश कार्य मंत्री, व्यापार उद्योग और खनिज और परिवहन तथा संचार मंत्री से भी मुलाकात की और लाभप्रद चर्चाएं की।

(ग) इन बैठकों से राजनीतिक संपर्क को सुदृढ़ता मिली और भारत तथा इराक के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए नया मार्ग खुला।

[हिन्दी]

निधियों के आवंटन में कटौती

***231. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री शिवराजसिंह चौहान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को यह चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजना को पूरा करने के लिए दी गयी धनराशि का दुरूपयोग किया, तो उनके वार्षिक आवंटन में भारी कटौती की जा सकती है;

(ख) क्या पूर्व में योजना आयोग के ध्यान में यह बात आयी है कि कई राज्यों ने केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य परियोजनाओं पर खर्च कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, हां। योजना आयोग को विदित है कि राज्यों द्वारा निधियों को अन्य परियोजनाओं पर खर्च कर दिया गया है जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने विभिन्न राज्य-विशिष्ट रिपोर्टें में उल्लेख किया है।

(ग) राज्यों द्वारा निधियों को अन्य परियोजनाओं पर खर्च किए जाने के दृष्टांतों का उल्लेख उन राज्यों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया जाता है।

जिस प्रयोजन के लिए निधियां स्वीकृति की गई हैं उन्हें उस पर खर्च न करके राज्यों द्वारा अन्य परियोजनाओं पर उन्हें खर्च किए जाने संबंधी मामलों का पता लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पहले से ही संवैधानिक तंत्र मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा तैयार की गई राज्य सरकार के वित्तीय मामलों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टों जिनमें जिस प्रयोजन के लिए निधियां स्वीकृत की गई होती हैं, उन्हें उस पर खर्च न करके अन्य परियोजनाओं पर खर्च किए जाने जैसे मामले शामिल होते हैं, को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है और सिविल एवं राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लोक लेखा समिति को भी इन्हें भेजा आता है। इसके बाद सरकारी विभागों को सभी लेखा-परीक्षा पैराग्राफों और समीक्षाओं के संबंध में स्वत: की गई कार्रवाई पर अपने नोट लेखा-परीक्षा से विधिवत पुनरीक्षित करवाकर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करने होते हैं। लोक लेखा समिति कुछ पैराग्राफों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच के लिए चुनती है जिसके बाद उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जाती है। हाल ही में, योजना आयोग ने भी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं और स्कीमों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की तिमाही समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि जिस प्रयोजन के लिए निधियां स्वीकृत की जाती हैं, वे उसके अलावा अन्य प्रयोजन पर खर्च न की जाएं।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय नीति

***232. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए पृथक राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य क्या हैं और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की जा रही है;

(ग) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने उक्त नीति को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर एक व्यापक नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

प्रस्तावित नीति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में देशी चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के समग्र विकास और उपयोग से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

प्रस्तावित नीति के प्रमुख उद्देश्य और उसकी कार्रवाई योजना निम्नलिखित हैं:-

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के शिक्षा एवं अनुसंधान ढांचे को सुदृढ़ करना। शैक्षिक संस्थाओं की पाठ्यचर्या में फेरबदल करके उसमें सुधार करने और चिकित्सकों के मनोबल, उनकी संगतता, विश्वसनीयता और व्यावसायिकता में वृद्धि करने के लिए उनके दृष्टिकोण को अभिमुख करने की आवश्यकता को नीति में प्राथमिकता दी गई है।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी क्षेत्र के एकीकरण को प्रोत्साहित करना।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहित करना और औषधों के विनिर्माण और प्रमाणन के लिए विनियमन और प्रवर्तन को स्वीकार्य स्तर पर स्थापित करना।

(4) केन्द्र और राज्य स्तर पर पर्याप्त बजट प्रदान करना। जिससे भारतीय चिकित्सा पद्धति क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को सार्थक तरीके से विकसित किया जा सके।

(5) औषधीय पादप क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों में गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग हो सके और यह कायम रखे जाने योग्य, गतिशील निर्यातोन्मुख क्षेत्र बन सके।

(6) भारतीय चिकित्सा पद्धति उद्योग को प्रोत्साहित करना और उसे विकसित करना जिससे आंतरिक उत्पादन बढ़ सके और निर्यात भी बढ़ सकें।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों और चिकित्साओं की प्रभावकारिता का निर्धारण करने के लिए चयनित अनुसंधान प्राथमिकताओं पर कार्य करना।

(8) बढ़ते हुए पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र, जिसका विश्व भर में तेजी से विकास हो रहा है, के अन्दर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के लिए स्थान बनाना।

(9) देश के पारम्परिक ज्ञान को पेटेंट अनुकूल फार्मेट में प्रलेखित करके ऐसे पादपों के औषधीय उपयोग के लिए पेटेंट की मंजूरी को रोकना जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में लम्बे समय से उपयोग में आ रहे हैं।

(10) ऐसी स्थानीय परम्पराओं और पद्धतियों को प्रमाणीकरण के बाद सुदृढ़ करना जिनकी देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से सामाजिक स्वीकार्यता है।

(11) चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहित करना और विदेशों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना।

(12) पशु चिकित्सा के संबंध में अनुसंधान तथा ऐसे उत्पादों और उपभोज्य वस्तुओं के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना जो पशुओं के इलाज में वहनीय और कारगर हैं।

परामर्श की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए लघु उद्योग

***233. श्रीमती प्रेनीत कौर:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए लघु उद्योगों से संबंधित कुछ विकास कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कारगिल और भारतीय शांति सेना के शहीदों के आश्रितों के लिए भी कुछ कार्यक्रम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछेक स्व-रोजगार स्कीमें शुरू की हैं जोकि लघु उद्योग, अति लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना से संबंधित हैं। जिसमें से सेमफेक्स-1, सेमफेक्स-2, सेमफेक्स-3 तथा राष्ट्रीय इक्विटी फण्ड-स्कीम, राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख स्कीमें हैं। ये स्कीमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), खादी और गामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से प्रचालित की जाती हैं तथा इन स्कीमों के तहत 12.122 मामलों के संबंध में 310.06 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित स्कीमें सभी मिलिट्री आप्रेशनों के शिकार/शिकार हुए व्यक्तियों के आश्रितों के लिए हैं।

भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर/ मधुमेह के लिए औषधियां

***234. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कैंसर, मधुमेह और हकलाहट संबंधी रोगों के लिए औषधीय पादपों से उपचारी औषधियां तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) कैंसर, मधुमेह आदि के उपचार के लिए औषधों पर अनेक परीक्षण और अनुसंधान कार्य प्रयोगात्मक अवस्था में हैं। सरकार इन क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रही है। कार्य के मुख्य क्षेत्र, जिनके बारे में सूचना दी गई हैं, नीचे दिए गए हैं—

(1) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि कैंसर के उपचार के लिए आयुर्वेदिक फार्मूलेशनों के इस्तेमाल पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन किए गए थे। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्तपोषित वैद्य चन्द्र प्रकाश कैंसर अनुसंधान फाउंडेशन, देहरादून द्वारा शुरू की गई एक परियोजना ने भी गंभीर प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के उपचार में उत्साहवर्धक परिणाम दर्शाए हैं।

(2) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने अपने अनुसंधान केन्द्रों में मधुमेह पर नैदानिक और चिकित्सीय अध्ययन शुरू किए हैं। उत्साहवर्धक परिणाम सूचित किए गए हैं।

(3) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने औषधीय पादपों से मधुमेह रोधी औषध को विकसित करना शुरू किया है। उन्होंने कैंसर के लिए एक नए वायोएक्टिव मोलिक्यूल और परम्परागत योग (प्रिपरेशन) की खोज, विकास और वाणिज्यीकरण पर एक समन्वित कार्यक्रम भी शुरू किया है।

(4) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् मधुमेह के उपचार के लिए विजयासार पर फ्लैक्सिबल डोज ओपन क्लिनिकल ट्रायल के रूप में जाना जाने वाला एक नैदानिक परीक्षण कर रही है जिसने उत्साहवर्धक परिणाम दर्शाए है।

हकलाहट के लिए पादप आधारित औषध के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

विकिरण संबंधी जोखिम

***235. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 सितम्बर, 2001 और 5 नवम्बर, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में क्रमश: "क्राइम ब्रांच प्रोविंग रेडिएशन डैथ्स" और "ओवरवर्क्ड एक्सर-रे स्टाफ फेस रेडिएशन रिस्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा अधिक विकिरण से कैंसर रोग होने के कारण तीन विकिरण तकनीकी कर्मियों की मौत के पश्चात् विशेष रूप से एक्स-रे कर्मियों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित समाचार के बारे में पता है जिसमें मुख्यत: निम्नलिखित विषय सूचित किए गए हैं:

(1) दिल्ली में कार्य कर रही म्यूनिसिपल रेडियोग्राफर्स यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि एक्सर-रे विभाग में काम करते समय तथाकथित अधिक एक्सपोजर के कारण एक्स-रे विभाग के तीन तकनीशियनों को कैंसर हो गया है।

(2) रेडियोग्राफर्स एसोसिएशन ने भाभा परमाणु शोध केन्द्र द्वारा बनाए गए मानकों और 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1971 के विकिरण बचाव नियम और 1986 के परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का अरोप लगाया है।

(3) रेडियोग्राफर्स एसोसिएशन ने अस्पताल-प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है।

जहां तक डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व संबद्ध अस्पतालों का संबंध हैं, किसी रेडियोग्राफर/विकिरण विज्ञान तकनीशियन को अधिक विकिरण वाला नहीं पाया गया है। रेडियोग्राफरों/एक्स-रे तकनीशियनों को विकिरण एक्सपोजर होने की भाभा परमाणु शोध केन्द्र द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। विकिरण से बचाव के लिए रेडियोग्राफर/विकिरण विज्ञान तकनीशियन विकिरण जोन में रहते समय टी एल डी बेज, लैड गाउन, लैड ग्लोव, लैड गोग्गल, लैड स्क्रीन आदि जैसे बचाव वाले उपाय का उपयोग करते हैं। उपयोग किए जाने वाले उपस्कर परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होते हैं। विकिरण बचाव नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

विकिरण विज्ञान विभागों में कार्य कर रहे रेडियोग्राफरों के लिए सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 22.1.2001

को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को जारी किया गया है। इसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

एफ सं. सी-18018/1/2000-एम.एच.
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(एम एच अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22.1.2001

सेवा में

1. सभी राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिव।

2. सचिव,
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद,
कोटला रोड, टम्पल लेन,
नई दिल्ली।

3. चिकित्सा अधीक्षक,
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

4. चिकित्सा अधीक्षक
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।

5. प्राचार्य (प्रिंसिपल) एवं चिकित्सा अधीक्षक,
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल,
नई दिल्ली।

6. निदेशक,
जिपमेर, पाण्डिचेरी।

विषय: विकिरण विज्ञान (रेडियोलाजी) विभाग में कार्यरत रेडियोग्राफरों के सुरक्षा संबंधी मानदण्ड।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शिवकांत वाजपेयी, अध्यक्ष, एम.पी. रेडियोग्राफर संघ, इंदौर द्वारा दिए गए अभ्यावेदन से संबंधित एक मामला (मामला संख्या 1400/12/99-2000) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष आया जो रेडियोलाजीकल उपस्करों के संचालन में सावधानी एवं इससे संबंधित सूचना की कमी, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं, के संबंध में है।

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई जिन्होंने आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु विकिरण विज्ञान (रेडियोलाजी) विभाग में कार्यरत रेडियोग्राफरों के लिए निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की है:

1. रेडियोग्राफर को विज्ञान के साथ 10+2 होना चाहिए तथा उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में न्यूनतम दो वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए। उसे किसी प्रसिद्ध संस्था में कार्य करने का कुछ अनुभव होना चाहिए।

2. व्यक्तिगत मानीटरिंग बैच का ड्यूटी पर सर्वदा प्रयोग किया जाना जाहिए। जहां तक फिल्म बैजों का संबंध है, भाभा परमाणु शोध केन्द्र द्वारा यथा निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा प्रमाणित विकिरण सुरक्षा अधिकारों के पर्यवेक्षण में उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

3. विकिरण से सुरक्षा के उचित यंत्र विभाग में उपलब्ध होने चाहिए।

4. यदि रेडियोग्राफर विकिरण विज्ञानियों को सहायता कर रहा हो अथवा पोर्टेबल एक्स-रे से काम कर रहा हो उसे लेड एप्रीन पहनना चाहिए।

5. एक्स-रे उपकरण के संस्थापन के लिए योजना बनाते समय ए.ई.आर.बी. की सुरक्षा संहिताओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

6. एक्स-रे उपकरण का आवधिक अंशशोधन (केलिब्रेट) किया जाना चाहिए और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

7. एक्स-रे एकक को बी.ए.आर.सी. से वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता सहित ए ई आर बी से टाइप्ड अनुमोदित होना चाहिए।

8. रेडियोग्राफरों को एक्स-रे उपकरण की संचालन संबंधी सुरक्षा तथा परिशुद्धता (एक्यूरेसी) के संबंध में सतत् शिक्षा के एक भाग के रूप में आवधिक प्रशिक्षण लेना चाहिए।

9. आकस्मिक एक्सपोजर के मामले में विकिरण सुरक्षा अधिकारी तथा नियोक्ता का दायित्व है कि वे बी.ए.आर.सी को तत्काल सूचित करें।

10. रेडियोग्राफरों की वार्षिक चिकित्सीय जांच होनी चाहिए और इसके रिकार्ड रखे जाने चाहिए।

11. प्राइवेट रेडियोलॉजी विभागों, जो परिचरों के रूप में ऐसे अकुशल कामगारों को नियुक्त करते हों जिनको लगातार एक्सपोजर हो सकता हो, से संबंधित मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

भवदीय

हस्ता०/-

(प्रो. ए.एस. बैस)

उपमहानिदेशक (एम)

प्रतिलिपि— अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ।

अवैध मानव अंग व्यापार

***236. श्री ए. कृष्णास्वामी:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुर्दा, आंखों आदि जैसे मानव अंगों के अवैध व्यापार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा दो शिकायतें, जिनमें अवैध तरीके से गुर्दे का प्रतिरोपण करने का आरोप लगाया गया है, दिल्ली और तमिलनाडु राज्य सरकारों को कानून के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजी गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

***237. श्री बृजलाल खाबरी:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों की कमी के कारण सड़क क्षेत्र में कई परियोजनाओं को आरंभ नहीं किया जा सका अथवा पूरा नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) योजनावधि के दौरान राज्यवार कितने किलोमीटर राजमार्ग का विस्तार किया गया है;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न राजमार्गों में वर्तमान में क़िए जा रहे कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है और उन पर व्यय की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले में अब तक 17758.82 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। धनराशि के अभाव के कारण चालू कार्यों के पूरा होने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, नए कार्यों की स्वीकृति, धनराशि की उपलब्धता के अनुपात में है और दिल्ली-कोलकाता-चेन्नै-मुंबई-दिल्ली महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, सड़क गुणता में सुधार, पुलों के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए अलग आबंटन नहीं किया जाता। यह आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किए गए समग्र आवंटन से पूरी की जाती है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का राज्य-वार विस्तार दर्शाने वाला विवरण-I में संलग्न है।

(घ) यह दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न सुधार कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सामान्यत: कार्यों के पूरा होने में एक से तीन वर्ष का समय लगता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि और व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार

क्र.सं.	राज्य	लंबाई (कि.मी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1150
2.	अरुणाचल प्रदेश	62
3.	असम	540
4.	बिहार	2130
5.	चंडीगढ़	000
6.	छत्तीसगढ़	934
7.	दिल्ली	000
8.	गोवा	40
9.	गुजरात	830
10.	हरियाणा	663
11.	हिमाचल प्रदेश	334
12.	जम्मू और कश्मीर	175
13.	झारखंड	548
14.	कर्नाटक	1574
15.	केरल	500
16.	मध्य प्रदेश	2558
17.	महाराष्ट्र	708
18.	मणिपुर	523
19.	मेघालय	245
20.	मिजोरम	376
21.	नागालैंड	256
22.	उड़ीसा	1652
23.	पांडिचेरी	30
24.	पंजाब	661
25.	राजस्थान	1666
26.	सिक्किम	000
27.	तमिलनाडु	1862
28.	त्रिपुरा	200
29.	उत्तर प्रदेश	2209
30.	उत्तरांचल	1075
31.	पश्चिम बंगाल	313
	जोड़	23814

विवरण-II

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1997-1998		1998-1999		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय अक्टू. 02 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5957.19	5200.16	4879.82	4273.04	5707.87	3736.51	11188.26	10781.93	9000	4236
2.	असम	1860.80	1388.24	2661.10	1517.99	4239.32	2769.61	5253.64	4877.01	7000	1670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	बिहार	1952.00	2094.54	3417.35	3238 60	6117.52	5950.16	6927.56	6014.41	5500	1196
4.	चंडीगढ़	30.00	29.20	82.00	70.82	100.00	73.93	144.00	139.57	150	30
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	1227.80	472.08	3000	889
6.	दिल्ली	800.00	858.21	1400.00	1225.54	700.00	422.13	483.00	00.00	1000	127
7.	गोवा	971.56	1003.02	1100.00	1172.54	1700.02	1670.19	2300.00	2138.45	2000	403
8.	गुजरात	4322.42	4916.93	6628.54	9332.70	8851.90	8683.39	9099.97	8675.49	8500	1845
9.	हरियाणा	10040.00	10191.24	7588.50	6913.18	10000.00	9046.65	10100.00	9290.11	5500	2400
10.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	1654.94	2500.00	2500.00	4000.00	3502.72	4415.00	3889.36	4700	1900
11.	जम्मू और कश्मीर	150.00	25.50	100.00	6.15	100.00	091	250.00	51.59	400	00
12.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	2200.00	1188.78	2500	854
13.	कर्नाटक	4236.78	4085.64	3709.01	3772.04	6113.84	6846.09	8104.00	7451.90	7500	2280
14.	केरल	8042.48	8182.48	7080.16	8820.63	12837.07	10808.59	8978.03	4390.91	7500	2280
15.	मध्य प्रदेश	4657.06	4215.68	8247.73	7932.47	12334.80	11546.69	13472.11	12649.59	8000	2100
16.	महाराष्ट्र	8062.43	8062.43	11382.63	11659.74	17808.08	16662.16	21238.20	19631.80	10800	2828
17.	मणिपुर	702.19	670.06	700.30	828.29	1014.15	894.90	851.31	535.31	1800	149
18.	मेघालय	979.50	900.51	1060.50	911.03	1785.28	1372.61	1708.34	1562.73	2500	760
19.	मिजोरम	-	-	-	-	300.00	282.90	1000.00	994.52	1800	177
20.	नागालैंड	100.00	134.77	200.00	210.87	800.00	886.17	1500.00	1489.52	1600	149
21.	उड़ीसा	6475.20	6417.39	9726.82	8711.02	9228.02	9198.19	10046.89	8388.97	7000	1207
22.	पांडिचेरी	70.00	15.38	100.81	86.30	319.46	281.27	200.00	146.65	200	135
23.	पंजाब	5378.88	4977.53	7148.88	7672.10	5300.10	4233.38	5365.00	3817.01	4800	1172
24.	राजस्थान	4315.83	4521.80	4605.81	4620.18	5214.02	4311.94	8720.00	8403.34	10000	2486
25.	तमिलनाडु	2567.92	1948.93	3921.37	3652.38	6754.08	5348.20	10342.21	8256.09	9500	3020
26.	उत्तर प्रदेश	12535.27	11899.20	12649.35	10722.86	12647.45	11776.30	14949.76	13938.82	12900	2971
27.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	199.35	123.88	2000	125
28.	पश्चिम बंगाल	7335.00	7641.88	10150.94	8394.40	8818.02	8072.55	12800.0	10824.28	10538	1623

नोट–उपर्युक्त आंकड़ों में बी आर डी बी और भा.रा.रा.प्रा. से संबंधित आबंटन/व्यय शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर वे सीधे व्यय कर रहे हैं।

भारतीय राजनयिकों को परेशान किया जाना

***238. श्री नरेश पुगलिया:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को डराने-धमकाने और उन पर हमले करने की नई घटनाएं घटी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) डराने-धमकाने और हमले की दो ताजा घटनाएं हुई हैं। 8 नवम्बर, 2001 को भारतीय उच्चायोग के एक सदस्य को लाहौर में एक पाकिस्तान राष्ट्रिक, जिसका कहना था कि वह आई.एस.आई. का अधिकारी है, द्वारा लुभाया और धमकाया गया उसी दिन हुई दूसरी घटना में उच्चायोग के एक अन्य कर्मचारी का अपहरण जबर्दस्ती उसकी पत्नी के सामने ही कर लिया गया । अधिकारी को बुरी तरह से पीटकर घायल अवस्था में लौटाया गया।

(ग) सरकार ने भारतीय कार्मिकों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की इन घटनाओं की निंदा की और इसे पाकिस्तान की सरकार के साथ जोरदार ढंग से उठाया और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग दोनों से कड़ा विरोध दर्ज किया।

समय-समय पर भारत ने विएना अभिसमय और साथ ही भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के लिए द्विपक्षीय आचरण संहिता की बाध्यताओं की ओर ध्यान दिलाया है। सरकार विदेश स्थित मिशनों में अपने कार्मिकों का हित-कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने के लिए कृतसंकल्प हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में रोजगार

***239. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत दूरसंचार क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों से दूरसंचार क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है;

(ग) अगले तीन वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में सम्भावित रोजगार की प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में रोजगार में कमी आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के दूरसंचार क्षेत्र में वास्तव में रोजगार में कितनी कमी होने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत दूरसंचार क्षेत्र में लगभग कुल 447000 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

हालांकि दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति युक्तिसंगत रूप से की जा रही है, फिर भी निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भागीदारी सहित, इस क्षेत्र के प्रत्याशित विकास से मानव-संसाधनों की मांग बढ़ने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।

[हिन्दी]

टेलीफोन और डाकघर सुविधाएं

***240. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और डाक घर सुविधाओं की मांग इन क्षेत्रों में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति के मद्देनजर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या संचार क्षेत्र में वर्तमान विस्तार के बावजूद ग्रामीण इलाकों में इन क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में क्रमशः 11861, 123826 तथा 93191 व्यक्ति हैं।

चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 51, 24 और 247 नये डाकघर खोले जाने की मांग है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन तथा डाकघर की सुविधाएं बढ़ायी गयी हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 3201 नये एक्सचेंजों के साथ-साथ 18.45 लाख नयी सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान की गयी हैं और वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 नये एक्सचेंज तथा 16.82 लाख नयी सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने की योजना बनाई गयी है जिनमें से चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.10.2001 तक देश में 382 नये एक्सचेंज तथा 6.15 लाख नयी सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान कर दी गयी हैं। 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एक्सचेंजों की कुल संख्या क्रमशः 2056, 1766 और 2084 है। उपयुक्त विश्वसनीय माध्यम वाले अधिक से अधिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज शामिल किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत भूमिगत केबल प्रणाली के अलावा वायरलेस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और सी-डॉट वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रणालियां भी लगायी जा रही हैं।

डाकघर की सुविधाएं भी बढ़ायी जा रही हैं। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 5001, 9607 और 15651 डाकघर काम कर रहे हैं। नये डाकघरों का खोला जाना औचित्य पर आधारित मानकों की पूर्ति तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता, जिनमें सरकार द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी भी शामिल हैं, पर निर्भर होता है।

दिल्ली में एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ

2411. श्री बहादुर सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के संचालक प्रति कॉल दो रुपये वसूल कर रहे हैं जबकि सरकारी दर एक रुपया प्रति काल है;

(ख) क्या सरकार बूथ संचालकों को दो रुपये प्रति कॉल के स्थान पर एक रुपया प्रति कॉल लेने के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगी;

(ग) क्या सच्चाई का पता लगाने के लिए सरकार ने टेलीफोन बूथों पर कोई छापा मारा है;

(घ) कितने टेलीफोन बूथों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या इस स्थिति से जनता को अवगत कराने के लिए सरकार स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) विभाग के मौजूदा आदेशों के अनुसार सभी पीसीओ विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित और ऐसे पीसीओ में जहां सिक्का संग्रहण बाक्स उपकरण प्रदान किये गये हैं, प्रति कॉल 1.00 रुपये की दर से बिलिंग की जाती है और अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालित पीसीओ में 1.20 रुपये प्रति कॉल की दर से बिलिंग होती है। इसलिए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ मालिकों को एक स्थानीय कॉल के लिए 1.20 रुपये तथा 5% सेवा कर के हिसाब से शुल्क लेना चाहिए। अधिक शुल्क लेने के कुछ मामले एमटीएनएल, दिल्ली के ध्यान में आये हैं।

(ख) (1) एसटीडी/आईएडी/पीसीओ फ्रैंचाइजी के साथ करार किया जाता है कि वे उचित शुल्क लेंगे।

(2) समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1.08.2000 से 31.11.2001 की अवधि के दौरान 58 पीसीओ कनेक्शन काटे गए। 25 पीसीओ को चेतावनी दी गई है और 99 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) स्थानीय समाचार-पत्रों में जल्द ही फिर से विज्ञापन दिये जायेंगे।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड

2412. श्री सुबोध राय:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड को मूल्य संवर्द्धित सेवा, विशेषकर सेल्युलर सेवा के क्षेत्र में इस मंशा से उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि इनका निजीकरण किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूरसंचार विभाग ने, दिल्ली तथा मुम्बई को छोड़कर, देश के सभी सेवा-क्षेत्रों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को सेल्यूलर मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस की मंजूरी दे दी है। एमटीएनएल के पास दिल्ली और मुम्बई दोनों क्षेत्रों के लिए लाइसेंस हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड सेवा शुरू करने के लिए स्वतंत्र है और वस्तुतः बिहार और कोलकाता में इसने सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईरान के विदेश मंत्री की यात्रा

2413. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईरान एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जिससे दोनों देशों के अध्येताओं को सामरिक महत्व के मुद्दों का अध्ययन करना आसान हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर ईरान के उप विदेश मंत्री की हाल ही की यात्रा के दौरान चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच क्या प्रविधियां तैयार की गई; और

(ङ) ईरान के विदेश मंत्री के साथ चर्चा किए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) भारतीय रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान और ईरान का राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान भारत और ईरान दोनों के सामरिक महत्व के मसलों पर आवधिक रूप से चर्चा करते हैं। दोनों संस्थानों ने अब तक दो दौर की चर्चाएं कर ली हैं, एक अगस्त, 1999 में तथा दूसरी अगस्त, 2000 में। तीसरे दौर की चर्चा इस महीने के आखिर में होनी तय हुई हैं। हमारे विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री के साथ 10 अप्रैल, 2001 को हुई बैठक के दौरान लिए गए निर्णय की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारतीय रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान और ईरान के राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संसाधन के बीच आगामी दौर की चर्चाओं में सामरिक मसलों पर भी चर्चा होने की आशा है।

(ङ) सामरिक मसलों के संबंध में पहली भारत-ईरान वार्ता 16 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में हुई। इस वार्ता के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव तथा इरान के शिष्टमंडल का नेतृत्व उनके उप-विदेश मंत्री ने किया। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सापेक्ष महत्वों, आतंकवाद एवं रूढ़िवादिता पर ध्यान दिया। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में उभर रही राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत चर्चाएं की। इस बैठक से इस क्षेत्र में विशेषकर अफगानिस्तान में एक दूसरे की तर्कसंगत चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने में योगदान मिला।

दोनों पक्षों ने भारत-ईरान संयुक्त आयोग की समीक्षा बैठक भी की तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मसलों का जायजा लिया जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक कोंसली एवं ईरानी गैस का भारत को अन्तरण से सम्बद्ध भारत-ईरान संयुक्त समिति के कार्य से संबंधित अन्य मसले भी थे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रोगियों को मुफ्त औषधियां

2414. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामान्य वार्ड में दाखिल रोगी अस्पताल द्वारा तैयार की गई वोकेबुलरी के अनुसार मुफ्त औषधियां प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य वार्ड के रोगियों को बाजार से रूई का बंडल और सुईयों सहित प्रत्येक औषधि खरीदने हेतु सलाह दी जाती है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहे अनेक रोगी गरीब परिवार के होने के कारण उपचार कराने की स्थिति में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सामान्य वार्ड में निःशुल्क वितरण हेतु औषधियां खरीदने में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्धनों को सक्षम बनाने के लिए प्रक्रिया में

संशोधन करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में सामान्य वार्ड में दाखिल होने वाले सभी रोगियों को रूई की पट्टी, सिरिंजों इत्यादि सहित सामान्य और आपाती औषधें शल्य चिकित्सीय मदें प्रदान की जाती हैं। केवल उन रोगियों को ऐसी मदें खरीदने के लिए कहा जाता है जो इन औषधों को खरीद सकते हैं और वे अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती हैं। सभी अपेक्षित औषधों और शल्य चिकित्सीय मदों को खरीद न सकने वाले बहुत ही दीनहीन रोगियों के मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ये औषधें और शल्य चिकित्सीय मदें प्रदान करता है।

(ग) से (च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में विभिन्न सामाजार्थिक पृष्ठभूमि वाले रोगी आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति उनके दाखिले और उपचार पर कोई प्रभाव नहीं डालती है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए अस्पताल में दाखिल रोगियों (ई.एच.एस. लाभार्थी) के लिए औषधों/शल्य-चिकित्सीय मदों के अधिप्रापण के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल द्वारा किया गया व्यय क्रमशः लगभग 9.67 करोड़ रुपए और 9.80 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

राजमार्ग और रेल मार्गों का खोलना

2415. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पड़ोसी देशों को जोड़ने के लिए खोले जाने वाले प्रस्तावित राजमार्गों और रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आतंकवाद की गंभीर घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) सरकार का विचार है कि हर प्रकार से जनता का जनता से संपर्क बढ़ाने के परिणामस्वरूप दोस्ताना संबंधों का विकास होगा जिसमें भारत और पड़ोसी देशों के बीच यात्रा को यथा-संभव सरल बनाना शामिल है।

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार बंगलादेश सरकार के साथ दोनों देशों के बीच परिवहन संपर्कों को बढ़ाने और उसके विस्तारीकरण पर कार्य कर रही है। 10 जुलाई, 2001 को अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा आरम्भ करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 12 जुलाई, 2001 को भारत और बंगलादेश के बीच यात्री रेल सेवा आरम्भ करने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसी प्रकार 9 जुलाई, 2001 को सरकार ने घोषणा की कि पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को सड़क मार्ग से आने और अटारी चेक पोस्ट पर वीसा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुनाबाओं, राजस्थान में एक अतरिक्त चेक पोस्ट खोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ निर्धारित स्थानों पर इसी प्रकार के चेक पोस्ट भी खोले जाएंगे।

रक्सौल (भारत) और बीरगंज (नेपाल) के बीच रेल संपर्क प्रचालनीय करने के लिए भारत और नेपाल सरकारों के बीच चर्चा जारी है। इस संपर्क के आरंभ होने पर कोलकाता/हल्दिया बंदरगाह से नेपाल और वापसी में कंटेनरयुक्त जहाजी माल के आवागमन में सहायता मिलेगी। सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने और आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने तक उसके विरुद्ध कार्यवाही करते रहने का पक्का संकल्प किया है और सरकार इसके प्रति सचेत है।

राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग

2416. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की गई तथा कितने उद्योग्रें को बंद किया गया;

(ख) क्या सरकार राजस्थान के जोधपुर जिले की बंद तेल मिलों को पुनः खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार राजस्थानों के बंद ग्वारमगम मिल को भी खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन मिलों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

2417. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री मानसिंह पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भीम दाहाल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
प्रो. दुखा भगत:
श्री रामटहल चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुल कितने औषधालय हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में विशेषकर सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को आपातकालीन स्थिति में मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए कोई अंतिम निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं को चण्डीगढ़, भोपाल और शिलांग शहरों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसके लिए औषधालयों के शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने की खातिर आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

इस समय सिक्किम तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) आपात स्थिति में के.स.स्वा.यो. के लाभार्थी के.स.स्वा.यो. के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त किसी भी प्राईवेट अस्पताल में सीधे उपचार करा सकते हैं। आपात परिस्थितियों में लाभार्थी प्राइवेट अस्पतालों/उपचर्या गृहों में भी जा सकते हैं जिसके लिए बाद में प्रतिपूर्ति हेतु सरकार से कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की राज्य/शहरवार सूची

क्र.सं.	राज्य	शहर	एलोपैथी	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	सिद्ध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुजरात	अहमदाबाद	5	1	1	-	-	7
2.	महाराष्ट्र	बम्बई	28	2	4	-	-	57
		नागपुर	10	2	1	-	-	
		पुणे	7	1	2	-	-	
3.	केरल	तिरुवन्तपुरम	3	-	-	-	-	3
4.	कर्नाटक	बंगलौर	10	2	1	1	-	14
5.	तमिलनाडु	चैन्नई	14	1	1	-	1	17
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	14	2	2	2	-	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	7	1	1	-	-	38
		मेरठ	6	1	1			
		लखनऊ	6	1	1			
		कानपुर	9	1	1			
8.	बिहार	पटना	5	1	1	-	-	7
9	झारखंड	रांची	*1	-	-		-	-
10.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	*1	-	-	-	-	1
11.	असम	गुवाहाटी	3	-	-	-	-	3
12.	प. बंगाल	कोलकाता	17	1	2	1	-	21
13.	राजस्थान	जयपुर	5	1	1	-	-	7
14	मध्य प्रदेश	जबलपुर	3	-	-	-	-	3
15.	दिल्ली	-	87	13	13	4	1	118

*केवल महालेखाकार-कार्यालय के कार्मिकों को सेवाएं प्रदान करता है।

जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार सुविधाएं

2418. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर मंडल में डाक, तार और संचार के क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही घटिया आवश्यक सेवाओं की जानकारी है;

(ख) क्या राज्य में इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध क्या निदेश जारी किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क)

डाक सेवाएं :

जम्मू व कश्मीर में डाक सेवाएं समान्यत: संतोषजनक हैं। डाक के अद्यतन लाइव सर्वेक्षण से निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है:

डाक की श्रेणी	मानदण्डों के अनुसार वितरित डाक का प्रतिशत	
	शहरी	ग्रामीण
अपंजीकृत डाक	82%	81.4%
पंजीकृत डाक	75.3%	80.7%
मनीआर्डर	45.2%	24.00%

तथापि यदाकदा शिकायतें होती हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई की जाती हैं।

तार सेवाएं :

जी नहीं। जम्मू व कश्मीर में प्रदान की गई तार सेवाओं की गुणवत्ता दबावों के बावजूद अत्यंत संतोषजनक है और यह 12 डे लाइट आवर्स के भीतर तारों के वितरण के 91% के लक्ष्य की तुलना में 89.2% है।

दूरसंचार सेवाएं :

महोदय, जम्मू और कश्मीर में प्रदान की गई दूरसंचार सेवाएं घटिया नहीं हैं। सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक हैं।

(ख) और (ग)।

डाक सेवाएं :

सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) उपग्रह द्वारा मनीआर्डर भेजने के लिए वी एस ए टी स्टेशन और 8 ई एस एम ओ स्थापित किए गए हैं। मनीआर्डरों के शीघ्र भुगतान की एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है। लाइन लिमिट को हाल में बढ़ाया गया है।

(2) फ्रन्ट ऑफिस कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए 25 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं।

(3) शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए तीन कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान कुछ और केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है।

(4) 12 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए हैं तथा वर्तमान वर्ष 2001-2002 के दौरान 12 और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(5) पंजीकृत डाक पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन चैनल स्थापित किया गया है।

(6) ग्राहकों को बेहतर स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए बचत बैंक कार्यों का भी कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। पांच डाकघरों में बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क है।

(7) राज्य में डाक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान सामान्य क्षेत्र में 10 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा जनजातीय क्षेत्र में 3 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

तार सेवाएं :

(ख) और (ग) सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और इसमें सुधार करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

दूरसंचार सेवाएं :

(ख) इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। तथापि, सुदूर तथा दूर-दराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाओं में और सुधार की गुंजाइश है जो व्यावसायिक बिजली की सप्लाई तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर निर्भर करता है।

(ग) बिजली की कमी को दूर करने के लिए इंजन आलटरनेटर, सौर ऊर्जा पेनल प्रदान किए जा रहे हैं तथा संयोजन क्षमता में सुधार के लिए चरणबद्ध ढंग से विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 में परिवर्तन

2419. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसरण में भारतीय तार अधिनियम, 1885 को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुराने भारतीय तार अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) इस विधेयक को संसद के समक्ष कब तक लाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। संचार अभिसारिता विधेयक, 2001 लोक सभा में 31.8.2001 को पेश किया जा चुका है। माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने इसे ''सूचना प्रौद्योगिकी'' सम्बन्धी स्थायी समिति को जांच व रिपोर्ट हेतु भेजा है।

मूल्यवर्द्धित सेवाएं

2420. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में हो रहे निजीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सेवाओं का विविधीकरण और उन्नयन करने की दृष्टि से डाक विभाग द्वारा कर्नाटक में बिल पोस्ट सहित मूल्यवर्द्धित सेवाओं को शुरू करने की योजना है जिससे डाकघरों में विभिन्न बिलों जैसे पानी के बिल, बिजली के बिल और अन्य बिलों को जमा कराया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इससे कर्नाटक में डाक सेवाओं को सुधारने तथा लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां। नई मूल्यवर्धित सेवा 'ई-बिल पोस्ट' इलेक्ट्रानिक पद्धति/विधा से टेलीफोन बिल जमा करने, हिसाब रखने तथा अद्यतन रखने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में बैंगलूर और कोलकाता में शुरू की जानी है।

इस प्रायोगिक चरण के अनुभव के आधार पर यह स्कीम डाकघरों में पानी के बिलों, बिजली के बिलों आदि जैसे अन्य उपयोगी बिलों के लिए भी शुरू की जाएगी।

(ख) जब एक बार यह सेवा स्थापित हो जाएगी, तब लोग अपने अधिकांश उपयोगी बिल इस सेवा को प्रदान करने वाले किसी भी डाकघर में जमा करा सकते हैं। उन्हें अपने बिलों के समाधान के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास जाने की जरूरत नहीं होगी।

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

2421. श्री कोडीकुनील सुरेश :
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राजैया मल्याला:
श्री चिंतामन वनगा:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य-वार बी.एस.एन.एल. की सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) बीएसएनएल ने, देश में अपने अधिकार-क्षेत्र वाले लाइसेंसशुदा सेवा-क्षेत्रों में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन-सेवा को व्यापक रूप से शुरू करने की योजना बनाई है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा अगले वित्त वर्ष में इसके नेटवर्क-विस्तार की संभावना है।

विवरण

बीएसएनएल मोबाइल की देशव्यापी कवरेज योजना का ब्यौरा

क्र.सं.	लाइसेंसीकृत-सैवा-क्षेत्र	कवर किये जाने वाले शहर	फेज-1 में लाइनें	फेज-2 में लाइनें	कुल लाइनें
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान निकोबार	1	1500	2500	4000
2.	आंध्र प्रदेश	85	160000	252600	413600
3.	बिहार (झारखंड सहित)	49	65000	110000	175000
4.	गुजरात	74	175000	284750	459750
5.	हरियाणा	40	43000	68050	111050
6.	हिमाचल प्रदेश	20	12000	22000	34000
7.	कर्नाटक	26	115000	185150	300150
8.	केरल	100	125000	199830	324830

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	69	43500	92350	135850
10.	महाराष्ट्र	124	190000	305300	495300
11.	उड़ीसा	38	37000	77000	114000
12.	पंजाब	62	90000	143500	233500
13.	राजस्थान	40	50000	87650	137650
14.	तमिलनाडु	68	130000	204900	334900
15.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड सहित)	33	100000	160000	260000
16.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	71	74000	143100	217100
17.	पश्चिम बंगाल	35	40500	70000	110500
	जोड़	935	1451500	2409680	3861180

असम, जम्मू एवं कश्मीर, नार्थ-ईस्ट के लिए योजनाएं सेवा शुरू करने के संबंध में सरकार की अनुमति के अध्यधीन है।

टेलीफोन कनेक्शनों का विस्तार

2422. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन आवेदकों को टेलीफोन-कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जहां टेलीफोन एक्सचेंजों की विद्यमान क्षमता से कहीं अधिक लम्बी प्रतीक्षा-सूची है, की क्षमता को बढ़ाने और विस्तार के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। "प्रतीक्षा-सूची" की परिवर्तनशील स्थिति के कारण, एक्सचेंज का विस्तार व क्षमता-वृद्धि एक सतत प्रक्रिया हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान 64.76 लाख स्थिर फोन-लाइनें बढ़ाने की योजना है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 का स्थिर टेलीफोन-क्षमता का लक्ष्य तथा 31.10.2001 को प्रतीक्षा-सूची

क्र.सं.	राज्य	क्षमता	31.10.01 को प्रतीक्षा-सूची
1	2	3	4
1.	अंडमान-निकोबार	7100	848
2.	आंध्र प्रदेश	610600	146469
3.	असम	86600	26797
4.	बिहार	190600	108334
5.	छत्तीसगढ़	20200	10013

1	2	3	4
6.	दिल्ली	175000	20079
7.	गुजरात	629500	202334
8.	हरियाणा	235900	130836
9.	हिमाचल प्रदेश	101000	50100
10.	जम्मू-कश्मीर	59800	48713
11.	झारखंड	52700	29558
12.	कर्नाटक	445300	188660
13.	केरल	563700	845235
14.	मध्य प्रदेश	50500	17316
15.	महाराष्ट्र*	929500	361182
16.	उत्तर-पूर्व-1**	22600	11512
17.	उत्तर पूर्व-2**	10600	11801
18.	उड़ीसा	115800	85028
19.	पंजाब	352600	208868
20	राजस्थान	249300	159766
21.	तमिलनाडु	512800	124606
22.	उत्तर प्रदेश	417200	224979
23.	उत्तरांचल	82700	20070
24.	पश्चिम बंगाल***	554000	239307

टिप्पणी: *गोवा व मुम्बई (एमटीएनएल) महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं।
**मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा उत्तर पूर्व-1 के अंतर्गत है।
**नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर उत्तर-पूर्व-2 के अंतर्गत हैं।
***सिक्किम पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है।

[हिन्दी]

पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

2423. प्रो. दुखा भगत: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की सभी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी ग्राम पंचायतों विशेषरूप से झारखंड में जिला-वार टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार

35,525 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। झारखंड में अभी भी 1338 ग्राम पंचायतें दूरसंचार सुविधाओं से वंचित हैं। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) शेष ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), सी-डॉट टीडीएमए/पीएमपी और उपग्रह जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत की जा रही है। निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दोषपूर्ण मल्टी एक्सेस रेडियों रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को नई प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों से बदलने की योजना बनाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	उन पंचायतों की संख्या जहां टेलीफोन सुविधा नहीं है
1	2	3
1.	चतरा	62
2.	गिरिडीह	201
3.	कोदर्मा	141
4.	हजारीबाग	117
5.	पूर्व सिंहभूम	0
6.	पश्चिम सिंहभूम	0
7.	सराईकेला	0
8.	लातोहर	50
9.	गढवा	72
10.	पलामू	90
11.	दुमका	151
12.	देवघर	85
13.	गोड्डा	66
14.	साहिबगंज	46
15.	पाकुर	76
16.	जामतरा	32
17.	रांची	60
18.	गुमला	22
19.	लोहरदगा	14
20.	सिदेगा	53
21.	धनबाद	0
22.	बोकारो	0
		1338

[अनुवाद]

सीएमसी समझौता

2424. डा. जसवंत सिंह यादवः क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टाटा ने सरकार के साथ कम्प्यूटर रख-रखाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

(ग) कम्प्यूटर रख-रखाव सहयोग प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार के पास सीएमसी लिमिटेड की कुल जारी और चुकता अंशपूंजी में 83.31% की अंशधारिता थी, जिसमें से सरकार ने विनिवेश नीति के अनुसार अपनी 51% अंशधारिता 152 करोड़ रुपए की धनराशि के बदले मेसर्स टाटा सन्स को विनिवेश कर दी (सरकार की 16.69% अंशधारिता को वर्ष 1992 में पहले ही विनिवेश किया गया था)। सीएमसी लिमिटेड की संशोधित साम्यापूंजी की संरचना इस प्रकार है: टाटा सन्स-51%, भारत सरकार -26%, कर्मचारी (ईएसपीएस)-6.31% और साधारण बीमा निगम/जनता-16.69% । तदनुसार, भारत सरकार और टाटा सन्स के बीच अंशधारिता करार पर दिनांक 16-10-2001 को हस्ताक्षर किए गए और अब कम्पनी के प्रबंध के नियंत्रण की जिम्मेदारी नीतिगत भागीदार की है। नई व्यवस्था में सरकार को बोर्ड में अकार्यपालक/सेवा निवृत्त न होने वाले दो निदेशकों को नामित करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

बिहार में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विशेष कार्यक्रम

2425. श्री राजो सिंहः क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के राज्यों विशेषकर बिहार के वे कौन-से जिले हैं जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम चल रहे हैं; और

(ख) देश में विशेषकर बिहार में खादी उद्योगों के विकास के लिए चयनित जिलों हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) बिहार सहित सारे देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

जनसंख्या नियंत्रण

2426. श्री जय प्रकाश: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित करते समय प्रोत्साहन देने का है जिन्होंने राज्य में बढ़ती जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) ऐसे राज्य को, जिनके परिवार कल्याण कार्यक्रमों में अच्छा कार्यनिष्पादन करने से जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है, विशेषकर गर्भनिरोधकों की आपूर्ति, बंध्यकरण/आई यू डी निवेशी के लिए मुआवजा और क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के आधार पर उच्च आबंटन प्राप्त होते हैं।

प्रेरणात्मक उपाय के रूप में सरकार ने वर्ष 1971 को जनगणना के आधार पर लोक सभा एवं राज्य सभा में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक स्थिर रखने का निर्णय किया है ताकि राज्य सरकारें जनसंख्या स्थिरीकरण के एजेण्डे पर भयमुक्त होकर प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों को की गई आपूर्ति

2427. श्री रामजी मांझी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने 14 जुलाई, 1981 को जारी किए गए अपने कार्यालय-ज्ञापन में सरकारी विभागों को स्टेशनरी और अन्य मदों की आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय भंडार द्वारा रखे जाने वाले वेन्डरों से संबंधित, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों को आपूर्ति करने के लिए उक्त संस्थानों को अधिकृत किया गया है, मानंदड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या किसी मानदंड के अभाव में संस्थान में कोई अनियमितताएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) इस बारे में बड़ी अनियमितताएं अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। केन्द्रीय भंडार में एक मुख्य सतर्कता-अधिकारी हैं जो कर्मचारियों की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के बारे में सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल करते हैं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, वहां आवश्यक जांच-पड़ताल और छानबीन करने के उपरांत कार्रवाई की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार सृजन

2428. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अगले पांच वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्यवार कितना रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) जी, हां। अतिरिक्त

रोजगार सृजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सुगम बनाने और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें नए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी) की स्थापना, मीडिया लैब एशिया की स्थापना, इंटरनेट का प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं शामिल हैं।

(घ) नैसकॉम के अनुमान के अनुसार वर्ष 2008 तक 22 लाख सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविदों की आवश्यकता होगी। राज्यवार विवरण नहीं रखे जाते हैं।

कॅयर बोर्ड के लिए निर्धारित राशि को वापस लिया जाना

2429. श्री के. पी. सिंह देव: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॅयर बोर्ड के लिए निर्धारित राशि को जारी होने से रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का वर्ष 2001-2002 के दौरान कॅयर बोर्ड के व्यय को किस तरह से पूरा करने का प्रस्ताव है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हाइड्रोलिक अध्ययन प्रणाली

2430. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कलकत्ता पत्तन न्यास ने हाइड्रोलिक अध्ययन प्रणाली के हल्दिया में स्थानांतरण प्रस्ताव को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हल्दिया पत्तन हाइड्रोलिक अध्ययन केन्द्र के रूप में अधिक उपयुक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि कलकत्ता पत्तन न्यास ऐसे आदेशों का पालन करें?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) सरकार के निर्देशों के आधार पर कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड ने दिनांक 28.11.2000 को हुई अपनी बैठक में हाइड्रोलिक अध्ययन प्रणाली की प्रयोगशालाओं को हल्दिया में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मिशन

2431. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित 18-सदस्यीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन ने हाल ही में जापान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो मिशन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) इस मिशन का उद्देश्य 20-22 नवम्बर के दौरान टोक्यो में आयोजित 15वें वार्षिक माइक्रोकम्प्यूटर सिस्टम्स एण्ड टूल फेयर (एमएसटी 2001) में भाग लेना और भारत से अन्तः निर्मित सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाना था।

(ग) और (घ) जी, हां। 18-सदस्यीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन ने दोनों के बीच कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं को ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचान की है।

[हिन्दी]

विदेशी रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

2432. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 5 सितम्बर, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी रोगियों को भुगतान आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(घ) क्या सरकार इस नई नीति के क्रियान्वयन के बाद हमारे देश के अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विदेश में चिकित्सा पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपयों को रोक सकेगी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2001 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे टिप्पणियों के लिए ब्यौरेवार राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय सरकार के विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, विख्यात चिकित्सा व्यवसायियों को परिचालित कर दिया गया है। प्राप्त सुझावों की जांच की जा रही है और अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2001 को अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा। नीति का प्रारूप वित्तीय संसाधनों, निजी क्षेत्र और इसके विनियमन इत्यादि जैसे स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करता है।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2001 के प्रारूप में भुगतान के बारे में विदेशी मूल के रोगियों को सेवाओं की आपूर्ति को प्रोत्साहित करना परिकल्पित हैं। विदेशी मुद्रा में भुगतान पर ऐसे सेवाएं प्रदान करने को 'मान्य निर्यात' के रूप में समझा जायेगा और उसके निर्यात कमाई को दिए गए सभी राजस्व प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनाया जायेगा।

(घ) से (च) जी नहीं। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए विदेशों में उपचार सहित उपयुक्त चिकित्सीय उपचार को मना करना वांछनीय नहीं है।

बाढ़ के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का बंद किया जाना

2433. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से जलप्वालित रहते हैं और कुछ राज्यों में बाढ़ के दौरान यातायात के लिए उन्हें बंद कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और सड़क-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों के स्तर को ऊपर उठाने हेतु कोई योजना बनाई है जो बाढ़ से जलप्लावित रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना का क्रियान्वयन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी योजना बनाए जाने पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) देश में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग पिछली बाढ़ों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बाढ़ से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों और खंडो का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। ये कार्य पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात सघनता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वार्षिक योजनाओं के माध्यम से किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कुछ नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	कुछ नहीं
3.	असम	31, 31 (बी), 31 (सी), 36, 37, 39, 52, 54, 61, व 152,
4.	बिहार	28, 28ए, 77 व 85
5.	चंडीगढ़	कुछ नहीं
6.	छत्तीसगढ़	6 व 43
7.	दिल्ली	कुछ नहीं
8.	गोवा	कुछ नहीं
9.	गुजरात	कुछ नहीं
10.	हरियाणा	कुछ नहीं
11.	हिमाचल प्रदेश	20, 21, 22 व 88
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए
13	झारखंड	कुछ नहीं

1	2	3
14.	कर्नाटक	कुछ नहीं
15.	केरल	47 व 49
16.	मध्य प्रदेश	कुछ नहीं
17.	महाराष्ट्र	6 व 17
18.	मणिपुर	कुछ नहीं
19.	मेघालय	कुछ नहीं
20.	मिजोरम	कुछ नहीं
21.	नागालैंड	कुछ नहीं
22.	उड़ीसा	6, 200 व 201
23.	पांडिचेरी	कुछ नहीं
24.	पंजाब	15
25.	राजस्थान	कुछ नहीं
26.	सिक्किम	कुछ नहीं
27.	तमिलनाडु	कुछ नहीं
28.	त्रिपुरा	44
29	उत्तरांचल	72 व 74
30	उत्तर प्रदेश	29 व 76
31.	पश्चिम बंगाल	कुछ नहीं

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाएं

2434. श्री वाई.वी. राव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रहे निजी संगठन बेहतर सेवाएं प्रदान करा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र निजी संगठनों के समान ही अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान में पुनः दूतावास खोला जाना

2435. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने काबुल में पुनः दूतावास खोला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय के एक राजनयिक मिशन ने 21 नवम्बर, 2001 को काबुल, अफगानिस्तान की यात्रा की। इस मिशन दल में अफगानिस्तान से सम्बद्ध विशेष दूत, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, द्विभाषिए तथा आवश्यक स्टाफ शामिल थे। इस दल के साथ चिकित्सा और नर्सिंग घटक भी था जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संपर्क अधिकारी के साथ पीछे खड़ा था। 26 सितम्बर, 1996 को काबुल में भारत राजदूतावास के बन्द हो जाने के बाद अफगानिस्तान के लिए यह भारत का पहला राजनयिक मिशन था।

[अनुवाद]

भारत-अफगानिस्तान संबंध

2436. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान के साथ पुनः संबंध बहाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय के एक राजनयिक मिशन ने 21 नवम्बर, 2001 को काबुल, अफगानिस्तान की यात्रा की थी। मिशन के दल में अफगानिस्तान के लिए विशेषदूत, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, दुभाषिए और अन्य आवश्यकता स्टाफ था। दल के साथ चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ भी था जो विदेश मंत्रालय, सरकार के संपर्क अधिकारी के साथ वहीं ठहरा हुआ है।

घटिया सामग्री

2437. डा. बलिराम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सफेदी, स्नौसैम, डिस्टेम्पर आदि के लिए घटिया सामग्री के उपयोग के संबंध में निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर समिति से कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि बार-बार उन्हीं ठेकेदारों को निविदाएं दे दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गाडगिल-मुखर्जी सूत्र

2438. श्री जी.जे. जावीया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटित करने हेतु गाडगिल-मुखर्जी सूत्र की समीक्षा कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से राज्य गाडगिल-मुखर्जी सूत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के आवंटन को लेकर नाखुश हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सूत्र की समीक्षा से केन्द्रीय सहायता आवंटित करने में विभिन्न रुकावटों को दूर करने में कितनी मदद मिलेगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) योजना आयोग को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य योजनाओं को सामान्य केन्द्रीय सहायता आबंटित करने हेतु वर्तमान गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में राज्यों के विचारों में व्यापक मत-विभिन्नता है। सामान्यतः, जबकि उन्नत राज्यों ने निष्पादन पर अधिक वेटेज देने की मांग की है, वहीं कम उन्नत राज्यों ने पिछड़ेपन पर अधिक वेजेट देने की मांग की है। इस मुद्दे पर दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को आयोजित योजना आयोग की पूर्ण बैठक में विचार किया गया। चूंकि, फार्मूले में संशोधन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) का अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है, अतः यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के बीच विचारों में मत-विभिन्नता और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) द्वारा विकल्पों पर विचार किए जाने से पूर्व इस पर पुनः विचार-विमर्श और आम सहमति बनाई जानी आवश्यक है।

एफ.बी.आई. दल का दौरा

2439. श्री मोइनुल हसन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के संबंध में अमरीका द्वारा हिरासत में लिए गए दो अभियुक्तों के हैदराबाद में रह रहे परिवारों से पूछताछ करने हेतु एफ.बी.आई. का एक दल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी जांच एजेंसी भारतीय नागरिकों से सीधे पूछताछ और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जांच कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के विधि अताशे कार्यालय के अधिकारियों ने हैदराबाद की यात्रा की तथा आन्ध्र प्रदेश पुलिस से सूचना एकत्र की। उनकी यात्रा का समन्वय केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इंटरपोल शाखा ने किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग द्वारा व्यय

2440. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने गत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा राजस्व मद में स्वीकृत राशि से 300.85 करोड़ रुपये अधिक व्यय किए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग के पास स्वीकृत पूंजी शीर्ष में 1503.99 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ष 1998-99 में राजस्व मद में स्वीकृत राशि से 300.85 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए।

(ख) 1998-99 में सृजित राजस्व आशा से 300.85 करोड़ रुपये अधिक था। अतिरिक्त राजस्व को विनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधि में अंतरित किया गया। वास्तव में यह अधिक व्यय नहीं था।

(ग) वर्ष 1998-99 में स्वीकृत पूंजी शीर्ष में 1503.99 करोड़ रुपये की बचत हुई।

(घ) 1998-99 में पूंजी शीर्ष के अंतर्गत बचत का मुख्य कारण उस वर्ष बी.बी.-4 लम्बी दूरी पारेषण योजना के अंतर्गत संस्वीकृत अनुदान को कम करने का निर्णय था।

(ङ) दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग के सेवा संबंधी कार्यों के निगमीकरण और 1.10.2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्माण से, कम्पनी की बजट और लेखा प्रणालियां पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दी गयी हैं; दूरसंचार विभाग अब केवल नीति निरूपण, लाइसेंसिंग, वायरलेस स्पेक्ट्रम प्रबंधन और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रशासकीय नियंत्रण का कार्य देखता है और इसका अत्यधिक घाटा हुआ व्यय सामान्य राजकोष से पूरा किया जायेगा। इसी प्रकार विभाग की कुछ प्राप्तियां सामान्य राजस्व को भी प्राप्त होंगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण

2441. श्री खारबेल स्वाईं: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में नवनिर्मित 4-लेन वाले चतुष्कोणीय राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए व कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा में नव-निर्मित 4-लेन वाले कटक-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां। देश में नव निर्मित चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर वृक्षारोपण, कार्यान्वयन प्रक्रिया का हिस्सा है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण संबंधित राज्य के वन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है और मामला दर मामला आधार पर धनराशि आबंटित की जाती है। परियोजनाओं के सिविल कार्य पूरा होने के बाद वृक्षारोपण शुरू किया जाएगा और तत्पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा।

(ग) वन विभाग ने उड़ीसा में नव निर्मित कटक-भुवनेश्वर खंड पर मध्य में वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2442. श्री भान सिंह भौरा:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद-सदस्यों के दिसम्बर, 1999 में हुए सम्मेलन में प्रशासन/प्रशासनिक ढांचे के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों/वैधानिक/स्वायत्तशासी संगठनों के निदेशक मंडल, अध्यक्ष/

प्रबंध निदेशक और भारत-सरकार में संयुक्त सचिव और इससे उच्च स्तर के पदों हेतु प्रत्याशियों की खोज, लघु-सूचीयन, संस्तुति, पैनल तैयार करने, चयन और भर्ती करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जतियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके गठन में समुचित संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान अनुदेशों में संशोधन करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। वर्ष, 1999 में हुए संसद-सदस्यों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि भर्ती-बोर्डों/चयन-समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों।

(ख) और (ग) सरकार के अधीन पदों पर/सेवाओं में भर्ती/पदोन्नति किए जाने की दृष्टि से, विभागीय पदोन्नति-समितियों, चयन-समितियों, चयन-बोर्डों इत्यादि में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य रखे जाने के मार्गदर्शी सिद्धांत/अनुदेश मौजूद हैं।

[हिन्दी]

प्रशिक्षु पायलटों के विरुद्ध जांच

2443. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ बी आई ने 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों के संबंध में पूछताछ के लिए भारतीय प्रशिक्षु पायलटों को हिरासत में लिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रशिक्षुओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें कितने दिन तक हिरासत में रखा गया;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि 11 सितम्बर को आतंकवादी हमलों के संबंध में एफ बी आई की अभिरक्षा में भारतीय प्रशिक्षणार्थी पायलटों को लिया गया है।

तथापि, सरकार ने अमरीका के अटार्नी जनरल के इस वक्तव्य को देखा है कि 548 व्यक्तियों पर आप्रवासन उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यद्यपि, निजी अधिकारों के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंता के कारण बंदी बनाए गए लोगों के नाम नहीं बताए गए हैं, फिर भी जारी किए गए विवरण से पता चलता है कि उन 548 व्यक्तियों में 20 व्यक्ति भारत में जन्मे थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या नियंत्रण

2444. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 2001 के 'हिन्दुस्तान' में 'महिलाओं को अधिकार देकर ही थामी जा सकती है जनसंख्या' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा फरवरी, 2001 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में इस तथ्य को स्वीकर किया गया है कि महिला सशक्तिकरण और उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाए बिना जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल नहीं किया जा सकता हैं।

नीति में ''बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए महिला सशक्तिकरण'' को एक कार्यनीतिक विषय के रूप में बताया गया है। कार्यनीतिक विषय के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

विभागों का विलय

2445. श्री एन.टी. षणमुगम:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **संचार मंत्री** यह बचाने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितंबर, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी.ओ.टी., डी.ओ.आई. और डी.ओ.पी. अंडर वन मिनिस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दो मंत्रालयों के तीन विभागों को एक ही छतरी के नीचे लाने से बजटीय बचत होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) जी, हां। तथापि, दिनांक 28 सितंबर, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' (नई दिल्ली, महानगर संस्करण) में प्रकाशित समाचार का शीर्षक "इन्फोटेक, कम्यूनिकेशन्स मिनिस्ट्रीय मर्जर ऑन ऐन्विल है। इस विभाग ने संचार मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को समामेलित करके संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के अनुसार इस नए मंत्रालय में तीन विभाग होंगे अर्थात् दूरसंचार विभाग और डाक विभाग (इस समय संचार मंत्रालय के अधीन) तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। प्रस्ताव के अनुसार कोई पर्याप्त बजटीय बचत की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि इन दोनों मंत्रालय के एक मंत्रालय के रूप में समामेलन का निर्णय अनिवार्यत: विभिन क्षेत्रों के बीच बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता और बेहतर समन्वयन तथा अभिसारिता की आवश्यकता को मद्देनजर रखकर किया गया है।

[हिन्दी]

"लिफ्ट" सिंचाई योजना

2446. श्री मानसिंह पटेल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई प्रबन्धन भागीदारी के अन्तर्गत "लिफ्ट" सिंचाई योजना को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने के कारण "लिफ्ट" सिंचाई योजना अप्रभावी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या ठोस उपाए किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) संविधान के अनुसार, सिंचाई राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निधिकरण, निष्पादन और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित सरकारों का होता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दमन और दीव में आर.ई.जी.पी.

2447. श्री दह्याभाई बल्लभभाई पटेल: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) के.वी.आई.सी. के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत बैंकों को उनके द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं को कूतना होगी। राज्य खादी बोर्ड और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) सुविधा प्रदान करने वाले संगठन हैं। इसके अलावा, दमन और दीव में अभी तक खादी बोर्ड गठित नहीं किया गया है।

(ग) के.वी.आई.सी. और बैंक सम्भाव्य उद्यमियों को आर.ई.जी.पी. के तहत इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

बंगलौर के दक्षिणी हिस्से में सी.जी.एच.एस. के पोलीक्लीनिक खोलना

2448. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर शहर में सी.जी.एच.एस. के कितने पोलीक्लीनिक हैं;

(क) केन्द्र सरकार के औसतन कितने कर्मचारी सी.जी.एच.एस. सुविधा का लाभ उठाते हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर में कर्मचारियों को नैदानिक परीक्षणों के लिए पोलोक्लीनिकों में ही जाना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो बंगलौर के दक्षिणी हिस्से विशेषकर गांधी बाजार या जयनगर क्षेत्र में सी.जी.एच.एस. पोलीक्लीनिक खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) एक।

(ख) बंगलौर में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को 54,290 के.स.स्वा.यो. कार्ड जारी किए गए हैं जिसमें 2,20,84 लभार्थी हैं।

(ग) जी हां। लाभार्थियों को उन परीक्षणों, जो पोलीक्लीनिक में उपलब्ध नहीं होते, उनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पोलीक्लीनिक, बंगलौर के अलावा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बंगलौर के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्राईवेट अस्पतालों में भी रेफर किया जाता है।

(घ) जनशक्ति और संसाधनों के अभाव के कारण बंगलौर में इस समय कोई नया पोलीक्लीनिक खोलना केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए सम्भव नहीं होगा।

लंबित पासपोर्ट आवेदन

2449. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों के 30-40 दिनों की तुलना में अहमदाबाद और सूरत के पासपोर्ट कार्यालय आवेदक को पासपोर्ट जारी करने में 6 महीने का समय लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इन्होंने कितने पासपोर्ट जारी किए हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त कार्यालयों में शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) गुजरात में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद ही एकमात्र पासपोर्ट कार्यालय है। सूरत में केवल एक पासपोर्ट आवेदन-पत्र संग्रहण केन्द्र हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद को जून, 2000 के बाद में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। फलस्वरूप यह पासपोर्ट जारी करने में लगभग 4 महीने ले रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन-पत्रों और जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1999	1,70,541	1,62,969
2000	1,89,776	1,47,072

लम्बित पड़े ऐसे पासपोर्ट आवेदनों की संख्या लगभग 40,000 है जिनके बारे में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले 10 महीनों में पासपोर्ट आवेदनों-पत्रों में 30% की वृद्धि हुई है। इस बढ़ते हुए कार्य की मात्रा से निपटने के लिए कम्प्यूटरों के साथ इंडैक्स कार्ड जांच पहले से ही लागू कर दी गई है। अगले वर्ष के आरम्भ से मशीन द्वारा पासपोर्ट लिखना भी शुरू हो जाएगा। बकाया काम को समाप्त करने के लिए अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से स्टाफ तैनात किया गया है।

अब स्थिति बदल गई है और पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

मोनोसोडियम ग्लूटामेट (अजीनोमोटो) पर प्रतिबंध

2450. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह प्रमाणित हो चुका है कि स्वादवर्धक मोनोसोडियम ग्लूटामेट (अजीनोमोटो) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) क्या सरकार ने अजीनोमोटो पर काफी समय पहले प्रतिबंध लगाने पर विचार किया था;

(ग) क्या अजीनोमोटो के उपयोग और आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय आस्थगित कर दिया गया;

(घ) क्या सरकार अब भी इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन खाद्य मानक कार्यक्रम के खाद्य योज्यों पर संयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा मोनोसोडियम ग्लुटामेट, स्वादवर्धक को एक सुरक्षित खाद्य भोज्य के रूप में समझा जाता है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मोनोसोडियम ग्लूटामेट (अजीनोमोटो) का आयात निःशुल्क है और पिछले वर्ष के दौरान आयात पर रोक लगाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था।

(घ) और (ङ) इस समय अजीनोमोटो के आयात और प्रयोग को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कॉपर-टी

2451. श्री अनंत गुढे:
श्रीमती कान्ति सिंह:
श्री शिवाजी माने:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हे कि गत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में गर्भनिरोधक (सी टी वी कॉपर-टी) की खरीद बहुत ऊंची दर पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कॉपर-टी के विनिर्माता कॉपर-टी की आपूर्ति निर्धारित (टिकाऊ) पैकिंग में नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने घटिया पैकिंग में आपूर्ति की थी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भनिरोधक का एक वार्षिक दर संविदा के आधार पर नियमित रूप से अधिप्रापण किया जा रहा है। इन तीन वर्षों के दौरान अधिप्राप्त कॉपर-टी 13.91 रुपए से 30.00 रुपए तक मूल्य अन्तर दर्शाती हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	दरें (प्रति नग) (रुपए में)
1999-2000	26,00,29.50 और 30.00
2000-2001	13.91 और 19.80
2001-2002	24.00

निर्माताओं में कड़ी प्रतियोगिता के कारण 2000-01 के दौरान कॉपर-टी की लागत असामान्य रूप से कम थी।

(ग) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है। निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशनों के अनुसार निर्धारित पैकिंग में कॉपटी-टी की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। पैंकेजिंग सामग्रियों सहित आदेशित मात्रा के प्रत्येक बैच का सरकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने परिवार कल्याण विभाग में उपयोग किए जाने वाले गर्भनिरोधकों और उपकरणों के विनिर्देशनों और मानकों के मूल्यांकन के लिए एक कार्य दल गठित किया है। कॉपर-टी समेत अलग-अलग गर्भनिरोधकों के मानकों और विनिर्देशनों की समीक्षा करने और उनके लिए संशोधनों, परिवर्तनों और परिवर्धनों की संस्तुति करने के लिए उपदलों का गठन किया गया था। पैंकेजिंग के लिए मानक भी निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघर भवन

2452. श्री रामानन्द सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय में डाकघर भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त डाकघर भवन का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) उक्त भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान शुरू होने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

कोलतार और सीमेंट की सड़कों की निर्माण लागत

2453. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलतार के प्रयोग से बनी सड़कों की निर्माण लागत सीमेंट से बनी सड़कों की लागत से भिन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो दोनों प्रकार की सड़कों पर कितनी निर्माण लागत आती है;

(ग) दोनों प्रकार की सड़कों के रख-रखाव और उनकी उपयोगिता-अवधि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु किस प्रकार की सड़कों से निर्माण को वरीयता दी जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) इन दिनों सड़क निर्माण में कोलतार के बजाय बिटुमन का उपयोग किया जाता है। बिटुमन से निर्मित सड़क की लागत सीमेंट से निर्मित सड़क की लागत से भिन्न होती है।

(ख) सड़कों की निर्माण लागत विभिन्न कारकों अर्थात् मृदा की किस्म, सड़कों की श्रेणी, यातायात, डिजाइन अवधि आदि पर निर्भर करती है। सीमेंट से निर्मित सड़कों की लागत, बिटुमन से निर्मित सड़क की लागत की तुलना में लगभग 15-20 प्रतिशत अधिक होती है।

(ग) बिटुमन से निर्मित सड़क को सीमेंट की सड़क की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। बिटुमन वाली सड़कें 10-15 वर्षों के लिए बनाई जाती हैं जबकि सीमेंट की सड़कें 20-30 वर्ष की अविध के लिए बनाई जाती है।

(घ) मार्ग के किस्म का चयन अनेक परिवर्तनशील कारकों अर्थात् मृदा, जलवायुक्त दशाओं, यातायात और अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए दोनों किस्म के मार्गों पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की समस्याएं

2454. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त वर्तमान समस्याओं की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। शिक्षण अनुसंधान और रोगी परिचर्या के क्षेत्र में समग्र उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए इस संस्थान में इस आकार की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को समय-समय पर हल किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना

2455. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में आयुर्वेदिक उपचार को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को बिहार में आयुर्वेद शिक्षा और उपचार के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठकुर): (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और आयुर्वेद उपचार की सुविधाएं प्रदान करना उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, केन्द्र

सरकार द्वारा राज्यों में आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है जो बिहार में भी उपलब्ध है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन

2456. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्धारित अवधि क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने पासपोर्ट जारी किए गए?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) यद्यपि पासपोर्ट अधिनियम 1980 में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी पासपोर्ट जारी करने की पद्धति को सरल बनाने की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। और सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी और अब इसने अपनी सिफारिश दे दी हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिशों में पासपोर्ट सेवाओं के विकेन्द्रीयकरण का प्रस्ताव शामिल है जिससे कि जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र स्वीकार किए जा सकें और इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं। निर्धारित स्पीड पोस्ट पासपोर्ट संग्रहण केन्द्रों पर आवदेन पत्र पहले से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। जो दूसरी सिफारिश की जा रही है वह पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के सरलीकरण से संबद्ध है जिससे कुछ ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों, जिनकी पहचान और राष्ट्रीयता सुस्थापित है, को पुलिस सत्यापन के बिना पासपोर्ट जारी किए जा सकेंगे।

(ग) सरकार का यह प्रयास रहता है कि पासपोर्ट 5-6 सप्ताह में जारी कर दिए जाएं बशर्ते पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो और आवेदन-पत्र अन्य प्रकार से पूरे हों।

(घ) पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश में जारी हुए पासपोर्टों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1999	38808
2000	38301

[अनुवाद]

रोग उन्मूलन

2457. श्री किरीट सोमैया:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, प्लेग, छोटी माता और मलेरिया जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार इन रोगों के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति का आकलन करने हेतु कोई विशेषज्ञ दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रत्येक राज्य द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम पर आवंटित कुल धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फाइलेरिया, मेनिनजाइटिस बुखार और मलेरिया की घटनाओं और इन बीमारियों के कारण हुई मौतों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

1994 के बाद देश में कहीं से भी प्लेग का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

छोटी माता एक हल्के कीटाणु वाला रोग है और इसके संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) कीटाणु जन्य बीमारियों की स्थिति पर नियमित रिपोर्टों/रिटर्नों के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही हैं तथापि, जब कभी स्थिति की मांग होती है केन्द्रीय विशेषज्ञ टीमें भी क्षेत्र में भेजी जाती हैं ताकि उसी जगह पर मूल्यांकन किया जा सके और रोकथाम के समुचित उपाए सुझाए जा सकें।

(ङ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के तहत् मलेरिया और फाइलेरिया के नियंत्रण हेतु पिछले तीन वर्षों का राज्यवार व्यय दर्शाता हुआ एक विवरण-II संलग्न है।

छोटी माता और मेनिनजाइटिस के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय स्कीम नहीं है। देश में प्रत्येक रोगी को सामान्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है।

(च) इन रोगों के नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

मलेरिया:

- शुरू में ही रोगी का पता लगाना और उसका शीघ्र उपचार
- चयनात्मक वेक्टर नियंत्रण
- वैयक्तिक सुरक्षा को बढ़ावा
- महामारियों का शुरू में ही पता लगाना और उनका नियंत्रण
- वैयक्तिक रोकथाम और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार
- संस्थागत और प्रबंध क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित जनशक्ति विकास और सक्षम प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)
- सभी निवारणात्मक और नियंत्रण संबंधी उपाए सुझाते हुए राज्यों/संघ क्षेत्रों को अग्रिम चेतावनी जारी करना।

फाइलेरिया:

- पुन: लार्वा-रोधी उपाय चलाना
- मच्छर पालने वाले स्थानों में लार्वानाशकों का उपयोग करना
- सूक्ष्म-फाइलेरिया वाहकों का पता लगाकर परजीवों-रोधी उपाय और डिइथिनिल कार्बेमेजाइन से उपचार
- जन-जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलाप
- रेफरल सेवाओं के माध्यम से तीव्र और चिरकारी फाइलेरिया रोग का उपचार
- जीव विज्ञानीय कारकों विशेष तौर से लार्वाभक्षी मछलियों के माध्यम से मच्छर पालने की क्रिया का जीवविज्ञानीय नियंत्रण

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ने 7 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के ज्ञात 13 जिलों में एकल खुराक वार्षिक सामूहिक (मास) औषध चिकित्सा से 1997 में एक परियोजना शुरू की है।

विवरण-I

वर्ष 1998 से 2000 तक मलेरिया के रोगियों और इससे हुई मौतों से संबंधित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1998		1999		2000 (पी)	
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	118800	12	129020	11	80557	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	49554	2	58243	1	46165	0
3.	असम	94645	34	131048	111	94793	43
4.	बिहार	114958	34	131898	131	9390	1

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़					311601	63
6.	गोवा	25975	19	15380	17	9164	11
7.	गुजरात	106825	3	64130	7	55855	82
8.	हरियाणा	12115	0	2604	0	1050	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1433	0	700	0	491	0
10.	जम्मू व कश्मीर	5451	0	3574	0	3045	0
11.	झारखंड					100031	16
12.	कर्नाटक	118712	3	97274	11	109118	14
13.	केरल	7439	7	5141	7	2940	9
14.	मध्य प्रदेश	475098	26	527510	50	194689	92
15.	महाराष्ट्र	165985	32	137712	46	81406	40
16.	मणिपुर	1306	1	2662	8	1064	0
17.	मेघालय	17618	2	14798	5	13699	65
18.	मिजोरम	10137	56	14437	73	9059	20
19.	नागालैंड	1989	0	4396	12	3443	0
20.	उड़ीसा	478056	349	483095	399	496350	442
21.	पंजाब	5316	0	1113	0	493	1
22.	राजस्थान	76438	0	53154	0	35973	10
23.	सिक्किम	15	0	14	0	16	0
24.	तमिलनाडु	63915	2	56366	2	43053	1
25.	त्रिपुरा	12595	5	14408	11	12245	6
26.	उत्तरांचल					1854	0
27.	उत्तर प्रदेश	112291	0	99362	0	102306	0
28.	पश्चिम बंगाल	132088	77	227480	144	145322	103
संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	1247	0	937	2	1002	1
30.	चंडीगढ़	1675	0	456	0	256	0
31.	दादर एवं नागर हवेली	6225	0	3303	0	2415	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन व दीव	625	0	352	0	132	0
33.	दिल्ली	4050	0	3996	0	1916	0
34.	लक्षद्वीप	4	0	1	0	5	0
35.	पांडिचेरी	168	0	149	0	137	0
	कुल	2222748	664	2284713	104819	50765	940

पा-(अनंतिम)

वर्ष 1998-1999 एवं 2000 के दौरान मेनिनजाइटिस के सूचित रोगी एवं इसके कारण हुई मौतें

क्र.सं.	राज्य	1998		1999		2000	
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2737	161	1162	79	1392	69
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3.	असम	44	0	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-
5.	गोवा	0	0	3	0	0	0
6.	गुजरात	0	0	0	0	16	0
7.	हरियाणा	101	12	67	7	56	2
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	176	-	51	0	93	0
10.	कर्नाटक	248	36	546	8	896	8
11.	केरल	30	2	252	17	111	6
12.	मध्य प्रदेश	304	23	204	10	189	2
13.	महाराष्ट्र	337	93	310	87	337	103
14.	मणिपुर	0	0	67	5	66	19
15.	मेघालय	0	0	1	0	58	2
16.	मिजोरम	36	7	16	2	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	14	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	285	28	241	17	67	2
19.	पंजाब	35	0	133	3	38	0
20.	राजस्थान	132	8	148	15	244	24
21.	सिक्किम	6	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	46	4	470	3	304	1
23.	त्रिपुरा	11	5	27	0	79	1
24.	उत्तर प्रदेश	505	33	622	20	251	32
25.	पश्चिम बंगाल	1507	361	2719	542	2948	528
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	1	1	1	6	4
27.	चंडीगढ़	-	-	29	7	25	14
28.	दादर एवं नागर हवेली	3	1	0	0	-	-
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	306	27	367	43	415	38
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	0	0	8	2	84	18
	कुल	6855	804	7444	868	7689	874

नोट: (-) सूचित नहीं किए गए रोगियों को दर्शाता है।

सभी नियंत्रण यूनिटों एवं क्लिनिकों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े के आधार पर (अनंतिम) वर्ष 1998 से वर्ष 2000 तक माइक्रोफिलेरिया दर (प्रतिशत) और रोग दर (प्रतिशत)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		बीएसई			माइक्रोफिलेरिया दर (प्रतिशत)			रोग दर (प्रतिशत)		
		1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	265611	253995	170791	2.00	1.85	2.03	4.5	2.28	4.57
2.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	84738	113195	158581	0.66	0.52	0.5	2.11	1.82	1.79
4.	गोवा	0	10945	11478	0.00	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	83326	54000	60306	0.42	3.80	0.19	0.06	0.04	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. कर्नाटक	28849	13934	59507	0.50	0.93	0.14	7.00	8.96	1.37
7. केरल	111990	100129	34397	1.27	0.83	0.43	1.39	1.06	1.07
8. मध्य प्रदेश	85690	84066	35490	0.19	0.31	3.14	0.24	0.31	1.26
9. महाराष्ट्र	632062	649876	539370	1.53	1.19	1.26	0.24	0.20	0.93
10. उड़ीसा	2656	4815	5803	1.35	0.81	1.01	7.64	10.57	16.68
11. तमिलनाडु	1047742	1031604	614680	0.22	0.08	0.04	0.15	0.20	0.05
12. उत्तर प्रदेश	71087	45184	72293	0.77	1.70	1.14	3.15	3.87	6.26
13. पश्चिम बंगाल	8602	4995	2472	3.70	4.12	5.54	0.11	6.89	11.81
14. पांडिचेरी	44969	0	81105	2.16	0.30	0.96	0.11	0.00	0.45
15. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	14871	5666	7051	0.38	0.05	0.18	0.00	0.02	0.04
16. दमन एवं दीव	11395	8913	16831	0.12	0.12	3.15	0.33	0.26	3.21
17. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	2493588	2381317	1870155	0.88	0.70	0.81	0.04	0.70	1.5

विवरण-II

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के तहत वर्ष (1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण संबंधी विवरण

(रु. लाख में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	482.93	322.86	644.11
2. अरुणाचल प्रदेश	186.61	303.27	293.79
3. असम	2170.42	2267.01	2657.87
4. बिहार	403.05	481.35	87.20
5. गोवा	7.72	10.93	0.97

	1	2	3	4
6.	गुजरात	611.11	489.04	211.23
7.	हरियाणा	260.39	259.03	78.34
8.	हिमाचल प्रदेश	51.47	46.11	89.06
9.	जम्मू एवं कश्मीर	72.57	52.73	84.29
10.	कर्नाटक	264.47	662.55	233.38
11.	केरल	102.73	117.72	75.93
12.	मध्य प्रदेश	454.49	893.40	711.54
13.	महाराष्ट्र	260.26	282.97	286.74
14.	मणिपुर	377.34	403.05	235.26
15.	मेघालय	231.55	306.70	303.58
16.	मिजोरम	172.53	309.56	235.26
17.	नागालैंड	183.34	240.83	278.91
18.	उड़ीसा	385.14	329.67	547.63
19.	पंजाब	290.97	288.96	148.32
20.	राजस्थान	1994.15	1146.16	286.86
21.	सिक्किम	8.47	11.65	0.12
22.	तमिलनाडु	240.72	392.31	133,91
23.	त्रिपुरा	356.97	375.89	480.94
24.	उत्तर प्रदेश	1121.92	622.18	544.11
25.	पश्चिम बंगाल	330.90	296.36	454.47
26.	दिल्ली	37.21	75.40	100.46
27.	पांडिचेरी	6.15	10.32	13.55
28.	अण्डमान एवं निकोबार दीप समूह	155.68	116.46	231.76
29.	चंडीगढ़	44.30	47.25	44.79
30.	दादर एवं नागर हवेली	24.90	25.94	18.12
31.	दमन एवं दीव	10.08	16.42	9.90
32.	लक्षदीव	5.24	5.81	5.57
	कुल	11305.48	11210.00	9518.41

1		2	3	4
33.	काला अजार	1000.00	1000.00	1000.00
34.	ई ए सी	3517.39	6064.95	7389.73
35.	स्थापना/प्रचार/अनुसंधान	571.10	541.35	1271.41
	कुल योग	16393.97	18816.30	19179.55

[हिन्दी]

भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक

2458. श्रीमती जयश्री बैनजी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह हाल ही में न्यूयार्क में चीनी विदेश मंत्री से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) चर्चा का क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां। मंत्री ने न्यूयार्क में दिनांक 12 नवम्बर, 2001 को चीनी विदेश मंत्री श्री तांग जियाक्सुआन से मुलाकात की।

(ख) और (ग) दोनों विदेश मंत्रियों ने चीनी राष्ट्राध्यक्ष की आगामी यात्रा, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और स्पष्टीकरण और अफगानिस्तान में स्थिति सहित आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की।

धनराशि का आवंटन

2459. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आदिवासी/पिछड़े/ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राज्य के इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि के आवंटन हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष की तुलना में महाराष्ट्र के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस उद्देश्य हेतु निधियों का आवंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों को, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अतंर्गत पहचान किए गए क्षेत्रों/जनसंख्या नामत: जनजातीय उप योजना तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) की विशेष समस्याओं का मुकाबला करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के माध्यम से, सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमें प्रचालित की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग को महाराष्ट्र सरकार से अतिरिक्त निधियों के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) महाराष्ट्र हेतु वर्ष 2000-01 के लिए अनुमोदित परिव्यय 11,500 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार के लिए कोर योजना वर्ष 2001-02 के संबंध में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 10,834 करोड़ रु. निर्धारित की गई है।

विवरण

(करोड़ रु.)

कार्यक्रम/स्कीम	1998-1999	1999-2000	2000-2001
जनजातीय उप योजना	380.00	400.00	400.00
जनजातीय विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	75.00	100.00	200.0
एचएडीपी (पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम)	390.00	400.00	400.00
ग्रामीण विकास विभाग	7517.00	6760.00	9205.00
भू-संसाधन विभाग	324.00	900.00	900.00

[अनुवाद]

आतंकवाद को नियंत्रित करने में रूस का दृष्टिकोण

2460. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में आतंकवाद को नियंत्रित करने के प्रति रूस का क्या दृष्टिकोण है;

(ख) क्या भारत इस संबंध में रूस से किसी सहायता की अपेक्षा कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) भारत और रूसी परिसंघ दोनों ने इस बात की पुन: पुष्टि की है कि वैश्विक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है और आतंकवाद का मुकाबला समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय यथार्थ की अनिवार्यता बनती जा रही है। दोनों पक्षों का मानना है कि इस खतरे का मुकाबला व्यापक और दीर्घावधिक आधार पर होना चाहिए और यह उनके विरुद्ध भी होना चाहिए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, इन्हें पनाह देते हैं, अथवा सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराते हैं। भारत और रूसी परिसंघ ऐसी व्यवस्था बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देने की इच्छा रखते हैं। वे इस समझबूझ के साथ कार्य करते हैं कि किसी भी राजनैतिक, जातीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर आतंकवादी कृत्यों को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद सबसे बड़ी बुराई है; यह एक सार्वभौमिक त्रासदी है जिसका मुकाबला सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) 4-7 नवम्बर, 2001 तक की भारतीय प्रधानमंत्री की रूसी परिसंघ की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और रूसी परिसंघ दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मादक द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, का मुकाबला करने में दोनों देशों के बीच सहयोग के स्तर पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक आधार को सुदृढ़ करने के अपने प्रयासों को जारी रखने और उन्हें समन्वित करने का संकल्प व्यक्त किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के भारतीय प्रारूप के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त समन्वन दल गठित किया है। भारत और रूसी परिसंघ के बीच अफगानिस्तान से संबद्ध एक संयुक्त कार्यकारी दल भी है। इसका गठन अक्टूबर, 2000 में किया गया था और इसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। इस संयुक्त कार्यकारी दल की अंतिम बैठक 18 और 19 अक्टूबर, 2001 को भारत में हुई।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालय

2461. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पासपोर्ट कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रति माह औसतन कितने आवेदन पत्रों की जांच की जाती है;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी करने में कोई विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय हैं। पासपोर्ट कार्यालयों के राज्यवार ब्यौरे तथा चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2001 तक प्राप्त किए गए तथा जांच किए गए पासपोर्ट आवेदनों की औसत संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार का 35 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी करने का प्रयास रहता है बशर्तें कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो। पासपोर्टों को जारी करने में विलंब तभी होता है जब या तो स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न हुई हो अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज पूरे न हों।

(घ) और (ङ) नए सृजित तीन राज्यों की राजधानियों अर्थात् झारखंड (रांची), छत्तीसगढ़ (रायपुर) तथा उत्तरांचल (देहरादून) में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। शिमला (हिमाचल प्रदेश) और सूरत (गुजरात) में भी पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में भी पासपोर्ट जारी करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। तथापि, चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों में आवेदनों की संख्या बहुत कम है इसलिए संबंधित राज्य सरकारों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 2001 तक) प्राप्त किए गए तथा जांच किए गए पासपोर्ट आवेदनों की औसत संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

राज्य	पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त कुल आवेदन	प्रात किए गए तथा जांच किए गए आवेदनों की औसत संख्या
1	2	3	4
असम	गुवाहाटी	14224	1422
गुजरात	अहमदाबाद	206178	20618
कर्नाटक	बंगलौर	108118	10812
उत्तर प्रदेश	बरेली	37649	3765
	गाजियाबाद	39640	3964
	लखनऊ	110572	11057
मध्य प्रदेश	भोपाल	38722	3872
उड़ीसा	भुवनेश्वर	15388	1539
संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़	140908	14091
तमिलनाडु	चेन्नई	145017	14502
	त्रिची	161272	16127
केरल	कोचीन	114277	11428

1	2	3	4
	कोजीकोड़	154745	15475
	त्रिवेन्द्रम	82200	8220
दिल्ली	दिल्ली	185414	18541
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	200600	20060
	विशाखापट्टनम	42755	4276
राजस्थान	जयपुर	80100	8010
पंजाब	जालंधर	132524	13252
जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू	9595	960
	श्रीनगर	10720	1072
प. बंगाल	कोलकता	98012	9801
महाराष्ट्र	मुम्बई	180916	18092
	नागपुर	19249	1925
	पूणे	44410	4441
	ठाणे	58691	5869
गोआ	पणजी	20168	2017
बिहार	पटना	53470	5347

औषधीय और सुगन्धित पादपों का विकास

2462. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल में औषधीय और सुगन्धित पादपों (जेरेनियम) का विकास करने के लिए कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे रोग कौन-कौन से हैं जिनमें जेरेनियम से विकसित औषधियों का उपयोग किया जाता है;

(घ) देश में इस समय उक्त औषधियों की उपलब्धता और खपत कितनी है; और

(ङ) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में जेरेनियम का आयात किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद (टी आई एफ ए सी) ने केन्द्रीय औषध एवं सुगंधित पादप संस्थान (सी आई एम ए पी), लखनऊ को उत्तरांचल में जेरेनियम प्लांट्स के अधिक उपयोग के लिए एक परियोजना प्रायोजित की है।

(ग) जिरेनियम तैलीय उत्पाद त्वचा रोगों में प्रभावकारी माने जाते हैं।

(घ) और (ङ) इस समय देश में जिरेनियम आधारित कोई औषध तैयार नहीं की जाती है। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 5 टन तेल तैयार होता है और लगभग 166 टन का

आयात होता है। सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग सुगंधशालाओं द्वारा किया जाता है।

भारत-नेपाल व्यापार समझौता

2463. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991 के भारत-नेपाल समझौते में संशोधन करने का कोई विचार है जैसा कि 19 अगस्त, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) मामला वर्तमान में किस चरण में है?

विदेश मंत्री (श्री जसंवत सिंह): (क) से (ग) जी हां।

दोनों पक्षों के तकनीकी शिष्टमंडलों के बीच कुछ ऐसे मसलों को निपटाने पर बातचीत इस समय प्रगति पर है जो इस संधि की वैधता को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने से पूर्व भारत-नेपाल व्यापार संधि 1996 के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुए। इस संधि को 5 दिसम्बर, 2001 से तीन माह की सीमित अवधि के लिए बढ़ाया गया ताकि वे समाप्त होने वाली संधि के प्रस्तावित संशोधनों पर बातचीत कर सकें।

हमें विश्वास है कि ये मसले दोनों पक्षों की परस्पर संतुष्टि के आधार पर निपटाए जाएंगे और संधि में आवश्यक समायोजन शामिल कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर वायरस

2464. श्री साहिब सिंह: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर वायरस के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वायरस को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) कम्प्यूटर वायरस एक दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर की फाइल प्रणाली में छिपा रहता है। इसके एक बार प्रवर्तित हो जाने पर वायरस अपने-आप फैल जाता है और कम्प्यूटर प्रणाली के प्रोग्रामों तथा डेटा को क्षतिग्रस्त कर देता हैं। ट्रोजन हॉर्स तथा वॉर्म्स जैसे सामान्य प्रकार के वायरसों तथा दुर्भावपूर्ण प्रोग्रामों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कम्प्यूटर वायरसों की जांच करने तथा इनके फैलने को नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध वायरस निरोधी सॉफ्टवेयरों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। नये वायरसों को रोकने के लिए इन सॉफ्टवेयरों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। जब भी किसी नये वायरस का पता लगता है, इसकी सूचना नेटवर्क प्रशासकों को दे दी जाती है और इस प्रकार की जागरूकता इन्हें रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विवरण

कम्प्यूटर वायरस मुख्यतः बूट सेक्टर वायरस, इन्फेक्टर वायरस, मल्टी-पाट्राइट वायरस तथा मैक्रो वायरस में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार के अन्य दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम ट्रोजन/ट्रोजन हॉर्स तथा वॉर्म्स हैं।

बूट सेक्टर वायरस

बूट सेक्टर वायरस फ्लापी डिस्कों तथा हार्ड डिस्कों के बूट सेक्टर को संक्रमित करते हैं और प्रयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर मास्टर बूट रिकार्ड को भी संक्रमित कर सकते हैं। मशीन जब संक्रमित हो जाती है तब यह कम्प्यूटर में डाली जाने वाली प्रत्येक फ्लापी डिस्क को संक्रमित करने का प्रयास करती है। बूट सेक्टर वायरस डिस्क में छिपे रहते हैं और फाइल प्रणालियां लोड होने से पहले ही वायरस मेमोरी में लोड हो जाते हैं। इससे प्रचालन प्रणाली पर पूरा नियंत्रण पाने और इसे प्रभावित करने में सहायता मिलती है जिससे यह फैल सके और क्षति पहुंचा सके।

फाइल इन्फेक्टर

फाइल इन्फेक्टर, जिसे परजीवी के रूप में भी जाना जाता है, मेमोरी में काम करता है और आमतौर पर निष्पादित की जाने वाली फाइलों को संक्रमित करते हैं। प्रत्येक बार जब संक्रमित फाइलें निष्पादित होती हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। वे दूसरे निष्पादन योग्य फाइलों में अपने आप प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं और वायरस के सक्रिय होने के काफी समय बाद तक मेमोरी में रह सकते हैं। फाइलों को संक्रमित करने वाले हजारों प्रकार के वायरस हैं लेकिन ये बूट सेक्टर वायरसों जैसे होते हैं और इनमें से अधिकांश डॉस 16-बिट परिवेश में काम करते हैं।

मैक्रो वायरस

अन्य प्रकार के वायरसों के विपरीत, मैक्रो वायरस किसी एक प्रचालन प्रणाली के लिए विशिष्ट नहीं होते और वे ई-मेल के संलग्नकों, फ्लापी डिस्कों, वेब डाऊनलोड, फाइल अंतरण तथा सहयोगी अनुप्रयोगों के माध्यम से आसानी से फैल जाते हैं। वे ऐसे अनुप्रयोगों के साथ चलने वाली मैक्रो उपयोगिताओं को संक्रमित करते हैं जैसे कि शब्द संसाधन तथा स्प्रेडशीट। मैक्रो वायरस विजुअल बेसिक अथवा कोरल ड्रॉ जैसे 'प्रत्येक व्यक्ति की प्रोग्रामन भाषा' में लिखे जाते हैं और इस प्रकार की प्रोग्रामन भाषाएं तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

ट्रोजन/ट्रोजन हॉर्स

ट्रोजन अथवा ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन जब यह चलता है तब कुछ दुर्भावपूर्ण अथवा अवैध कार्रवाई करता है। इसका प्रयोग किसी प्रयोक्ता के पासवर्ड की सूचना का खुलासा करने के लिए एक हैकर उपकरण के रूप में किया जा सकता है या फिर यह हार्ड डिस्क में उपलब्ध प्रोग्रामों तथा डेटा को नष्ट कर सकता है। दूसरे वायरसों की तरह ट्रोजन हॉर्स अपनी प्रतिलिपि नहीं बनाता है। यह कम्प्यूटर में रहता है और इसको क्षति पहुंचाता रहता है अथवा दूरस्थ स्थल पर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को कम्प्यूटर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने में मदद करता है। ट्रोजन आमतौर पर नि:शुल्क खेलों अथवा अन्य उपयोगिताओं के रूप में प्रवेश कर जाते हैं।

वॉर्म

वॉर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर फैलता है। दूसरे वायरसों की तरह वॉर्म किसी मुख्य प्रोग्राम के साथ संलग्न नहीं होता । यह कम्प्यूटर स्रोतों का प्रयोग करता है, प्रणाली की सेटिंग को संशोधित करता है और प्रणाली को बंद कर देता है। इंटरनेट का विस्तार होने के कारण वॉर्म प्रतिलिपि तैयार करने के लिए ई-मेल प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि कम समय के अंदर ही अपने आप को ई-मेल के संलग्नक के रूप में दूसरे प्रयोक्ताओं को भेज देना।

नए प्रकार के वायरस/दुर्भापूर्ण कोड

वायरस प्रौद्योगिकी हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे-जैसे प्रयोक्ता नए प्लेटफार्मों/नई प्रौद्योगिकियों की ओर जाते हैं, वायरस लिखने वाले व्यक्ति नए वायरसों का विकास करने के प्रयास करेंगे जो इन पर फैल सकें। जिन नए प्लेटफार्मों/प्रौद्योगिकियों पर वायरस तैयार हो रहे हैं वे इस प्रकार हैं: जावा एप्लेक्स, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट, विजुअल बेसिक लिपि तथा एचटीएमएल वायरस।

शुक्ला आयोग

2465. श्री अब्दुल हमीद: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुक्ला आयोग का गठन सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शुक्ला आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई पहल की है;

(ग) यदि हां तो क्या 1999-2000-2001 वर्ष के दौरान शुक्ला आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोई बजटीय आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शुक्ला आयोग की विभिन्न सिफारिशों को संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। केन्द्रीय मंत्रालयों से संबंधित सिफारिशों के संबंध में, केन्द्रीय मंत्रालयों के योजनाओं में अधिक से अधिक सामंजस्य बैठाते हुए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में सहायक विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से गठित संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से भी इन सिफारिशों को कार्यन्वित करने के प्रयास किए गए हैं।

इंडियन ओशन रिम कंट्रीज

2466. श्री सुबोध मोहिते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अवैध मत्स्यन के सबंध में दंड लगाने के इंडियन ओशन रिम कंट्रीज के हाल के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार समुद्र विधि अभिसमय तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के संबंध में संशोधन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) क्षेत्रीय सहयोग के लिए इण्डियन ओशन रिम एसोसिएशन (आई ओ आर-ए आर सी) के मछेरों से संबद्ध कार्यकारी दल की बैठक 15 सितम्बर, 2001 को हुई थीं। आई ओ आर-ए आर सी सचिवालय ने आई ओ आर-एल आर सी के सदस्य राज्यों को भी अभी तक बैठक की रिपोर्ट नहीं भेजी है। रिपोर्ट के परिचालित हो जाने के बाद भी इसकी सिफारिशें सदस्य राज्यों पर निर्णय बन सकें, इससे पूर्व इसे आई ओ आर-ए आर सी की मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मंत्रि-परिषद की आगामी बैठक 2003 की प्रथम तिमाही में कोलम्बों में आयोजित होने की संभावना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों में अवसंरचना विकास

2467. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा औसत रूप में बाह्य रोगी विभाग में कितने मरीज देखे जाते हैं;

(ख) देश में चिकित्सक-मरीज तथा चिकित्सक-नर्स का क्या अनुपात है;

(ग) इस अनुपात को घटाने तथा देश में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक अस्पताल में कितने बिस्तार हैं;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक अस्पताल में बिस्तार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(च) प्रत्येक ऐसे अस्पताल में कितनी संख्या में बिस्तर बढ़ाए जायेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी अस्पतालों में ठेके श्रमिक

2468. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 7 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1879 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी/सहायता प्राप्त अस्पतालों में ठेका आधार पर नियोजित किए गए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेका आधार पर नियोजित व्यक्तियों को नियमित कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अपने अस्पतालों में संविदा आधार पर कोई श्रमिक/कामगार सीधे नहीं रखे गए हैं। तथापि, अस्पतालों में सुरक्षा एवं स्वच्छता में सुधार लाने के लिए खुली निविदाओं के माध्यम से प्राइवेट एजेंसियों को लगाया गया है जो ठेके पर कामगारों को रखते हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वस्थाने प्रोन्नति

2469. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा-नियमों के अनुसार, सहायक के 4847 स्वीकृत पदों में से कितने सहायक अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में प्रोन्नति पाने के पात्र हो गए हैं;

(ख) कब तक 30 जून, 2001 को प्रोन्नति के पात्र कनिष्ठतम सहायक को अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में नियमित प्रोन्नति दे दी जाएगी; और

(ग) क्या यदि ऐसी प्रोन्नति एक दशक के बाद हो, तो सरकार का विचार अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में अंतरिम उपाय के रूप में स्वस्थाने प्रोन्नति ऐसे सहायक को देने का है जिन्होंने 12 साल की अर्हता सेवा पूरी कर ली है जैसा कि अनुभाग अधिकारी तथा अवर सचिव के मामले में किया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सहायक-ग्रेड, 33 सवर्गों में विकेन्द्रीकृत है। निर्णायक तारीख अर्थात् प्रवर सूची-वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख को 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी किए हुए सहायक, अनुभाग अधिकारी-ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के बारे में विचार किए जाने के पात्र होते हैं। सहायक-ग्रेड से अनुभाग अधिकारी-ग्रेड में पदोन्नति, संबंधित संवर्गों में होने वाली रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है और इस कारण, इस बारे में, कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) सहायकों को स्वस्थाने आधार पर वैयक्तिक उन्नयन दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

परमाणु खतरे में कमी

2470. श्री बहादुर सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञों की हाल में बैठक परमाणु खतरे को कम करने के लिए हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन से सदस्य थे; और

(घ) बैठक के क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषधि परीक्षण के लिए सहायता

2471. डा. वी. सरोजा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत 9,82,71000/- रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी जिसमें से 7,11,000/- रुपए वर्ष 2000-01 के दौरान जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित 11 प्रयोगशालाओं को धन दिया गया है।

अफगान युद्ध पर भारत का दृष्टिकोण

2472. श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री रमेश चेन्नितला:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराजसिंह चौहान:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री सुरेश कुरूप:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री अजय चक्रवर्ती
श्री प्रबोध पण्डा:
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री साहिब सिंह:
श्री पी.सी. थामस:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री मोइनुल हसन:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने भारत सरकार को आतंकवाद के प्रति तथा अफगानिस्तान पर अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिए संपर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के पास अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्यवाही करने के लिए भारतीय सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका का साथ देकर अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) अफगानिस्तान में तालिबान के पराभव के पश्चात बनने वाली सरकार में भारत सरकार की क्या भूमिका होगी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सरकार ने विश्व में हर स्थान पर आतंकवाद और इसके प्रायोजकों के विरुद्ध निरंतर सिद्धान्तगत रुख अपनाया है और आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों सहित समस्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करती है। 11 सितम्बर, को अमरीका पर हुए हमलों के बाद अमरीकी सरकार ने आंतकवादी ग्रुपों के बारे में आसूचना के रूप में, आतंकवादी हमलों के बाद अमरीकी सरकार ने आतंकवादी ग्रुपों के बारे में आसूचना के रूप में, आतंकवादी हमलों में जानबीन में सहयोग, भारत में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट सार्वभौम आतंकवादियों की वित्तीय परिसम्पत्तियों को फ्रीज करने और अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा नेटवर्क के विरुद्ध आपरेशन एन्डयूरिंग के लिए समर्थन मांगा था।

(ग) से (ङ) 11 सितम्बर को आतंकवादी हमलों में छानबीन में आसूचना के आदान-प्रदान और सहयोग के अलावा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर मित्र देशों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ऐसी अनापत्तियों के लिए मौजूदा मार्ग निर्देशनों के अनुरूप आपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम के लिए सहायता की पेशकश की। ये अमरीका के हवाई मिशनों के लिए उड़ान भरने, उतरने और ईंधन लेने की सुविधाएं और अफगानिस्तान में अभियान के समर्थन में नौ सेना के जहाजों द्वारा बंदरगाह पर आने के लिए हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता में अमरीका को भारत में अन्य अड्डों की व्यवस्था अथवा किसी रूप में लड़ाई की कार्यवाहियों में भागीदारी शामिल नहीं है।

(च) और (छ) सरकार ने सदा इस बात का समर्थन किया है कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसके लिए विश्व भर में हर जगह आतंकवाद और उसके प्रायोजकों के विरुद्ध व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यंकता है। यह भी सुस्थापित है कि तालिबान और अल-कायदा नेटवर्क का जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ संपर्क है। अत: अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा नेटवर्क के विरुद्ध चल रहे सैन्य अभियान को सरकार का समर्थन भारत के राष्ट्रीय हित के अनुरूप है और भारत की विदेश नीति के सुस्थापित सिद्धांतों से अलग नहीं है।

(ज) सरकार अफगानिस्तान में राजनैतिक समाधान और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श तंत्र में सक्रिय रूप से लगी है। सरकार अफगानिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह अफगानी समाज के विभिन्न अंगों से संपर्क बनाए हुए है। सरकार ने अफगानी लोगों के लिए 10 लाख टन गेहूं और दवाइयों की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है और अफगान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की एक ऋण श्रृंखला की घोषणा की है। मानवीय प्रयासों में सहायता और अफगानी लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए डाक्टरों और संपर्क अधिकारियों का एक दल काबुल भेजा गया है। संबद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्शों के अतिरिक्त भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता पर बाचतीच करने के लिए 20 नवम्बर, 2001 को न्यूयार्क में जी-21 देशों की बैठक और वाशिंगटन में चुने हुए देशों की बैठक में भी भाग लिया है। राजनैतिक समाधान के लिए अफगान के विभिन्न धड़ों के बीच 27 नवम्बर, 2001 को शुरू हुई बातचीत के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में भारत बोन में बुलाए गए सात देशों में से एक है।

अपव्यय

2473. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय कम करने के लिए कदम उठाए हैं तथा उन कतिपय क्षेत्रों का पता लगाया है जहां विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के प्रयोजनार्थ पता लगाए गए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने अपव्यय का पता लगाया गया; और

(ग) अपव्यय कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किसी अपव्यय का पता नहीं लगाया गया है। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय में किफायती, वित्तीय विवेक तथा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना भिन्न, वेतन बाह्य व्यय के बजटीय आबंटन में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

महिला स्वास्थ्य देखभाल

2474. डा. डी.वी.जी. शंकर राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'फीमेल हेल्थ रिमेन्स नेगलेक्टेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) जी हां। नौवीं योजनावधि के दौरान देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओ के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और मातृ मृत्यु-दर और रुग्णता को कम करना है। मातृ स्वास्थ्य इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ मौतों को कम करने पर केन्द्रित विभिन्न कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये कार्यकलाप अनिवार्य प्रासविक परिचर्या, आपाती प्रासविक परिचर्या, प्रजनन और यौन संचारित संक्रमणों के निवारण और उपचार, पंचायतों के माध्यम से गर्भावस्था की जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन के लिए व्यवस्था, प्रथम रेफरल एककों में औषधों और उपकरणों की व्यवस्था, अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों और निश्चेतकों जैसे संविदात्मक स्टाफ की व्यवस्था है। चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं, 30 प्रतिशत से कम सुरक्षित प्रसव-दर वाले 142 जिलों में दाइयों के प्रशिक्षण और खराब स्वास्थ्य सूचकों वाले 102 जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन जैसी योजनाओं के लिए भी धन प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग और राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एच.आई.वी./एड्स/जनन-मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों के बारे में एक राष्ट्रव्यापी परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चला रहा है। महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसरों का शुरू में ही पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस बात के बढ़ते हुए साक्ष्य भी मिल रहे हैं कि विटामिन-डी जैसे हार्मोनल और चयापचयी विकार तथा सूक्ष्म पोषक कमियां महिलाओं में रुग्णता-दर के लिए काफी हद तक उत्तरदायी हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित किए गए "महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या" पर कार्यदल ने प्रजनन स्वास्थ्य रजोनिवृत्ति, बांझपन, गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसरों इत्यादि से संबंधित उपचारों के अतिरिक्त अन्य उपचारों के लिए भी ध्यान देने सहित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जीवन चक्र के प्रति समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने की संस्तुति की है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 भी प्रशिक्षण को सुग्राहित बनाने और ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों को सज्जित करने तथा जरा-चिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए अस्पतालों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

विलंबित परियोजनाएं

2475. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से उन परियोजनाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए कुछ मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है जो अत्यधिक विलंब से चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उनकी क्या प्रक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के सन्दर्भ में, योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिसमें नई परियोजनाओं को आरम्भ करने से पहले चालू परियोजनाओं को पूरा करने तथा वर्तमान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। कतिपय न्यूनतम आंशिक रूप से

पूरी हो चुकीं/चालू परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात् ही नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विशेष रूप से, यह सुझाव दिया गया है कि नौवीं योजना के अन्त तक जिन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है और जिन पर अनुमोदित परिव्यय का 10 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है उनकी छंटाई/हटाने समाप्त करने अथवा परिवर्तित करने/ निजी/संयुक्त क्षेत्रकों को उनका अंतरण करने हेतु जैसा भी मामला हो, उसके अनुसार अलग से पहचान की जाएगी। नौवीं योजना से पूर्व आरम्भ की गई परियोजनाएं और जिन पर अब तक अनुमोदित परिव्यय 20 प्रतिशत से कम खर्च किया गया है, उनके संबंध में भी ऐसा ही किया जाएगा। नौवीं योजना के अंत तक पूरी की जाने वाली परियोजनाएं जिनका 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, उनकी समय तथा लागतों के संशोधित अनुमानों सहित तीव्र गति से पूरा करने के लिए पहचान की जानी है। अन्य सभी परियोजना किसी नए प्रस्ताव के संबंध में लागू होने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, नए सिरे से मूल्यांकित की जाएंगी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में जारी वर्तमान तथा अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के योजना प्रस्ताव योजना आयोग में अभी प्राप्त होने हैं। तथापि, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

2476. श्री भर्तृहरि महताब: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में विशेषरूप से कटक जिले में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जायेगी; और

(घ) इस पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 20001-2002 के दौरान विस्तार किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इसकी अनुमानित लागत 345.84 करोड़ रु. है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	2001-2002 के दौरान विस्तार की योजना वाले एक्सचेंज	बढ़ाई जाने वाली शुद्ध स्विचन-क्षमता
1	2	3	4
1.	बालासोर	बस्ता	1000
		चरम्पा	1000
		बालगोपालपुर	500
2.	भद्रक	धुसुरी	664
		पद्मपुर	184
3.	मयूरभंज	रायरंगपुर	600
		काप्ती पदा	184
		पूर्ण बारिपदा	184
4.	गंजाम	बेल गुण्ठा	200
		बरहायपुर	7000

1	2	3	4
		गण्डला	664
		हिंजिली कट	200
		नरेन्द्र पुर	632
		चिकिटी	816
		कनकरडा	184
5.	गजपति	आर. उदयगिरी	184
6.		भवानी पाटण	1000
		केसिंगा	600
7.	नौपाड़ा	नौपाड़ा	1000
8.	खुर्द	धलापथरा	632
		खुर्द	1000
		जंकिंया	632
		भुबनेश्वर	15000
		बाली पटना	184
		भुसंदपुर	184
		मुगुमुण्डा	184
		कांटी	184
9.	नयागढ़	नयाहाट	632
		बेगुनिया	200
		राजरणपुर	632
		सरनकुल	632
		नयागढ़	1000
10.	पुरी	पुरी	1000
		चन्दनपुर	200
		बालंगा	616
11.	बोलनगीर	टिटलागढ़	1000
		देवगांव	696
		बंगांमुण्डा	184

1	2	3	4
12.	सोनपुर	सोनपुर	1000
		बीरमहाराज पुर	184
13.	कटक	धानमंडल	216
		छनिया	816
		निआली	496
		ओलटपुर	616
		आठगढ़	600
		कटक	6500
		रखांगी	1464
		फूलनखारा	1622
		बीरीबाटी	1808
		रघुनाथ पुर	664
		कबाटबंधा	816
		कुण्डल	816
		गोविंदपुर	184
		मउदा	184
		नरेन्द्रपुर	184
		नेमाल	184
		निश्चिंत कोइली	184
14.	केन्द्रपाड़ा	इन्दीपुर	664
		केन्द्रपाड़ा	1000
		पट्टामुंडाई	600
15.	जाजपुर	डुबुरी	616
		जाखापुरा	675
		ब्रह्मबरदा	632
		जाजपुर रोड	1000
		बारी	184

1	2	3	4
16.	जगतसिंहपुर	जगदसिंहपुर	1000
		बालिकुदा	200
		कुजजंग	1000
		तिरतोल	1000
17.	धेनकनाल	सुसुदा	1000
		सिमिनाई	760
		बेंतला	664
		महेन्द्रपुर	848
		बइन्डा	760
18.	अंगुल	खजुरिआकाटा	184
		तलमुल	184
19.	क्योंझर	आनंदपुर	600
		हाट डीही	816
		रामचन्द्रपुर	184
		रायसुआं	184
20.	कोरापुट	आम्ब्रगुड़ा	184
21.	रायगढ़	जे.के.पुर	200
		थेरूबाली	632
		मुनीगुडा	184
22.	नवरंगपुर	खटी गुडा	200
23.	माल्कानगिरि	माल्कानगिरि	1000
24.	कन्धमाल	राइकिआ	184
		बउंसुणी	184
25.	बौद्ध	बौद्ध	1000
26.	सुन्दरगढ़	लिथिकता	680
		राजगंगपुर	1000
		राउरकेला	9000

1	2	3	4
27	सम्बलपुर	रेंगली	488
		बामरा	184
		कादो बाहाल	184
		रेमण्डा	184
28.	बारगढ़	बारगढ़	1000
29.	देवगढ़	देवगढ़	184
30.	झार्सुगुडा	एम सी एल	1000

ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण

2477. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने हाल ही में कतिपय ग्राम पंचायतों को शहरी-क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्गीकरण के आधार पर किराया दर बढ़ा दी गई है और मुफ्त कालों की संख्या घटा दी गई है; और

(ग) ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, नहीं। ग्राम पंचायतों का शहरी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकरण करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों पर जो शुल्क लागू होता है, वही शुल्क बी.एस.एन.एल. द्वारा वसूल किया जाता है।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग

2478. **श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21%) है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) की सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां-11.73% और अनुसूचित जनजातियां-2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन (एक) प्रथम श्रेणी (समूह क) और (दो) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 260/2/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (एक) सामान्य, (दो) अनुसूचित जातियों, (तीन) अनुसूचित जनजातियों और (चार) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्र

2479. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां मल्टी चैनल पर कैरियर (एमसीपीसी) और अन्य उपकरणों के समय पर उपलब्ध न होने के कारण दूरभाष केंन्द्र स्थापित नहीं किए जा सके; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में 464 टेलीफोन एक्सचेंज तथा हिमाचल प्रदेश में 60 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मल्टी चैनल पर कैरियर (एम.सी.पी.सी.) और अन्य उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं किए जा सकें।

(ग) उपकरणों की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्रवाई की जा चुकी है। क्रय आदेश जारी किए गए हैं और उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। टेलीफोन एक्सचेंजों का संस्थापन तथा केबलों और ऑप्टिकल फाइबर केबलों (ओ एफ सी) को बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना

2480. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से संस्थान हैं जहां सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): इस समय परमाणु विद्युत की मौजूदा 2720 मेगावाट क्षमता में वृद्धि करने के लिए देश में निम्नलिखित परमाणु विद्युत संयंत्र, प्रत्येक के सामने दर्शाए गए स्थल पर, निर्माणाधीन हैं:

1. महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थल पर तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 [2×500 मेगावाट (इनकी क्षमता को बढ़ाकर 2 × 540 मेगावाट किया जा रहा है)]।
2. कर्नाटक में कैगा नामक स्थल पर कैगा परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 (2×220 मेगावाट)।
3. तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक स्थल पर कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजा 1 तथा 2 (2×1000 मेगावाट)।

उपर्युक्त सभी परमाणु विद्युत परियोजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में रावतभाटा नामक स्थल पर 2×220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों का निर्माण करने की योजना है। दसवीं योजना में और परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने की भी योजना है बशर्ते कि अपेक्षित योजनागत परिव्यय आवंटित हो और भारत सरकार से बजटीय सहायता मिले।

वॉइसमेल और ऑडियो टेक्स्ट सेवा में विदेशी निवेश

2481. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वॉइसमेल और ऑडियो टेक्स्ट सेवा में विदेशी निवेश के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क निर्धारित करने का अधिकार इस सेवा के प्रदाताओं को दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ग्राहकों के हितों का ध्यान सेवा प्रदाताओं द्वारा अथवा सरकार द्वारा रखा जाएगा; और

(ङ) इस सेवा का लाइसेंस प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) उन कंपनियों की सूची जिन्हें सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रत्यक्ष नीति के अनुसार, फरवरी, 2000 से वॉयसमेल सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्वचालित आधार पर 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी है। स्वचालित मार्ग के माध्यम से संयुक्त उद्यमों/विदेशी निवेश का ब्यौरा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) वॉयसमेल सेवा/ऑडियो-टेक्स सेवा/ यूनिफाइड मेसेजिंग सेवा के लिए लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार, सेवा प्रदाता सेवा के लिए टैरिफ इस संबंध में समय-समय पर जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के टेरिफ आदेश/विनियमों/निर्देशों के अनुसार लगायेगा। सेवा प्रदाता समय-समय पर यथासंशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, ट्राई द्वारा समय-

समय पर जारी इसके आदेशों/विनियमों/निर्देशों के अनुसार, टैरिफ अधिसूचनाओं और सूचना के प्रावधान के प्रकाशन के संबंध में अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा।

(ङ) वॉयसमेल सेवा/आडियोटेक्स सेवा/यूनिफाइड मेसेजिंग सेवा प्रदान करने की वर्तमान नीति सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2001 को घोषित की गई है। नीति की मुख्य विशेषताएं विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

वॉयसमेल और ऑडियो-टेक्स/आडियोटेक्स्ट सेवाओं के लिए अगस्त, 1991 से सितंबर, 2001 तक अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहयोग संबंधी मामलों की सूची

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेश कंपनी का नाम	राशि (लाख रु. में) (% इक्विटी)	सेवा
1.	इंडियन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	ओटीसी इंटरनेशनल लि. आस्ट्रेलिया	100.00 (50%)	वॉयस मेल
2.	सावरकर टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	यूनिवर्सल टेलीकॉम, एनआरआई	26.13 (49%)	वॉयस मेल, ऑडियो टेक्स्ट
3.	निजोल्ट टेलीकम्यूनिकेशंस बीवी	निजोल्ट टेलीकम्यूनिकेशंस बीजी, नीदरलैंड	2.45 (49%)	वॉयस मेल
4.	बी जी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड	बी जी एनर्जी होल्डिंग्स लि. यू. के.	3220.00 (100%)	वॉयस मेल
5.	हाई-टेक टेली एक्सेस सर्विसेज लिमिटेड	डब्ल्यूपीआई ग्रुप इंक., यू.एस.ए.	98.00 (49%)	वॉयस मेल/ ऑडियोटेक्स सेवाएं
6.	कनवर्स नेटवर्क सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कनवर्स नेटवर्क सिस्टम्स इंक. यू.एस.ए.	10.00 (100%)	वॉयस मेल
7.	डेलनेट कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	स्टारटेक ग्लोबल कम्यूनिकेशंस कंपनी, यू.एस.ए.	430.00 (40.57%)	वॉयस मेल
8.	टेलीफोन इनफोर्मेशन साविर्सेज (आई) लिमिटेड	टेलीफोन इन्फोर्मेशन सर्विसेज पीएलसी, यू.के.	25.00 (50%)	ऑडियोटेक्स्ट सेवा
9.	ब्लूमबर्ग डाटा सर्विसेज (इंडिया)	ब्लूमबर्ग एलपी, यू.एस.ए.	160.00 (100%)	ऑडियोटेक्सट सेवा

विवरण-II

वॉयस मेल/ऑडियोटैक्स/यूनिफाइड मेसेजिंग सेवा के लिए नए लाइसेंस प्रदान करने की नीति की मुख्य विशेषताएं

1. वॉयस मेल/ऑडियोटैक्स/यूनिफाइड मेसेजिंग सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे।
2. लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र स्थानीय डायलिंग के आधार पर अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) होगा। सेवा प्रदाता उसी एसडीसीए के भीतर अपना उपकरण संस्थापित करेगा जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाता है।
3. कोई प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। प्रत्येक लाइसेंस के लिए तीन-तीन लाख रुपए की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की आवश्यकता होगी।
4. आवेदक को पंजीकृत भारतीय कंपनी होना चाहिए। 100% विदेश प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि एफडीजीआई पर सरकार के अन्य नियमों और शर्तों का पालन किया जाए।
5. लाइसेंस की अवधि 15 वर्ष होगी, जिसके साथ इसे 5 अन्य वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान होगा।
6. वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मेसेजिंग सेवा प्रदाता के बिना किसी भेदभाव के सेवा क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करनी होगी।
7. लाइसेंसधारक सेवा के लिए टैरिफ इस संबध में समय-समय पर जारी ट्राई के टैरिफ आदेशों/विनियमों/निर्देशों के अनुसार लगाएगा।

[अनुवाद]

बकाया रिक्तियां

2482. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1, जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां-08.41% और अनुसूचित जनजातियां-2.27%) है द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां-09.68% और अनुसूचित जनजातियां-3.52%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ग) जी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: (क) से (ग) तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का विभाजन होने के बाद नवम्बर, 2000 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एकमात्र स्वायत्तशासी संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समूह 'क' और 'ख' स्तर पर अधिकांश पद केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों/विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

समूह	कुल सं.	विद्यमान	श्रेणी				प्रतिशत		
			सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
(क)	275	242	227	7	4	4	2.89	16.5	1.65
(ख)	126	81	78	2	कुछ नहीं	1	2.47	-	1.23

विथहोल्डिंग टैक्स

2483. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं पर 20% विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को जापान सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों पर 20 प्रतिशत का विथहोल्डिंग कर लगाने से जापान को सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात महंगा हो गया है और इससे भारतीय कम्पनियों के लाभ में भी कमी आई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने भारत-जापान दोहरा कराधान परिहार समझौता (डिटीएसी) की आपसी सहमति प्रक्रिया (एमएपी) के अंतर्गत यह मामला जापान सरकार के समक्ष उठाया है। कराधान के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार जापान की सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बांग्लादेश दौरा

2484. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री दिनेशचन्द्र यादव:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री अधीर चौधरी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अक्टूबर, 2001 में बांग्लादेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो बांग्लादेश में इन्होंने किन-किन लोगों के साथ बैठकें कीं; और

(ग) बांग्लादेश सरकार के साथ उनके द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाये गए और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बेगम खालिदा जिया, बंगलादेश की माननीया प्रधानंत्री, डा. ए.क्यू.एम. बदरूदोजा चौधरी, बंगलादेश के विदेश मंत्री और शेख हसीना, विपक्ष की नेता।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बंगलादेश के साथ अच्छे पड़ोसी के संबंध बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बंगलादेश सरकार के साथ हुई चर्चा में अन्य मुद्दों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार, बंगलादेश द्वारा भारत को गैस की बिक्री और अल्पसंख्यकों पर हाल ही में हुए हमले शामिल हैं। बंगलादेश सरकार ने इनकी यात्रा का स्वागत किया और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा दोहराई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

2485. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की अन्तर्राष्ट्रीय "गेटवे" सेवाप्रदाताओं हेतु सेवा प्रदान कराने के लिए मानदंड बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय "गेटवे" स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या ट्राई अन्य देशों के इंटरनेट सेवाओं संबंधी परिदृश्य का गहराई से अध्ययन कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अंतर्राष्ट्रीय गेटवे सेवाप्रदाताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीज्ड लाइनों की उपलब्धता

हेतु मानदंड निर्धारित कर रहा है। सभी स्टेक होल्डरों से परामर्श किया जा चुका है। मानदंडों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने हेतु जिन कंपनियों को सिद्धान्त रूप में अनापत्ति दी गई है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अधिसंख्य देशों में इंटरनेट सेवाएं विनियमित नहीं हैं। तथापि, इन्फो-कॉम डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईडीए), सिंगापुर के बाद ट्राई विश्व के कुछेक विनियामकों में से एक है जो जन-परामर्श के जरिए डायल अप इंटरनेट एक्सेस हेतु सेवा की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क विनिर्दिष्ट करने की कार्यवाही कर रहा है।

विवरण

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा जिन्हें इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने हेतु सिद्धांत रूप में अनापत्ति दी गई है (30.11.2001 की स्थिति)

क्र.सं.	इंटरनेट सेवा-प्रदाताओं के नाम
1	2
1.	मै. डाटा एक्सेस (इंडिया) लि.
2.	मै. इटरनेट प्रोमोटर्स इंडिया लि.
3.	मै. एसटीपीआई
4.	मै. जैन स्टूडियो लि.
5.	मै. इन टेक नेट लि.
6.	मै. डाइरेक्ट इंटरनेट लि.
7.	मै. सत्यम् इन्फोवे लि.
8.	मै. भारतीय बीटी इंटरनेट लि.
9.	मै. ग्लोबल टेलीसिस्टम्स लि.
10.	मै. आइसनेट लि.
11.	मै. डिशनेट डीएसएल लि.
12.	मै. रिलायन्स इन्फोकॉम लि.
13.	मै. जीएनएफसी
14.	मै. सदर्न ऑनलाइन सर्विसेज लि.
15.	मै. एमटीएनएल
16.	मै. कॉमसैट मैक्स
17.	मै. वेफील्ड एम नेमोनिक्स इनफोनेटवर्क प्रा.लि.
18.	मै. पॉयनियर ऑनलाइन
19.	मै. इंडिया नेट एक्सचेंज प्रा.लि.
20.	मै. विप्रोनेट लि.
21.	मै. बीएसईबी टेलीकॉम लि.
22.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि
23.	मै. फास्सेल लि.
24.	मै. एशियानेट लि.
25.	मै. डायलनेट लि.
26.	मै. महावीर इन्फोवे लि.
27.	मै. ब्लेजनेट प्राइवेट लि.
28.	मै. नेटलिंक लि.
29.	मै. इ-कॉम प्रा. लि.
30.	मै. प्राइम्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.
31.	मै. पेसिफिक इंटरनेट इंडिया प्रा. लि.
32.	मै. प्राइमनेट ग्लोबल लि.
33.	मै. रोल्टा इंडिया लि.
34.	मै. एम एक्स सेल्युशन्स
35.	मै. अंखनेट इन्फॉरमेशन्स प्रा. लि.
36.	मै. गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लि.
37.	मै. सिटी ऑन लाइन सर्विसेज प्रा. लि.
38.	मै. पेट्रिअट ओटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
39.	मै. सब इन्फोटेक लि.
40.	मै. फिनिक्स ओवरसीज लि.

1	2
41.	मै. डाटा इन्फोसिस लि.
42.	मै. इन्ट्रा ग्लोबल लि.
43.	मै. निमैजिक सेल्युशन्स
44.	मै. एस्टेल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.
45.	एक्सेल मीडिया प्रा.लि.
46.	मै. डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा. लि
47.	मै. इजीनेट ग्लोबल इंडिया प्रा.लि.
48.	मै. जी. इन्टरेक्टीन मल्टीलिंक्स लि.
49.	मै. टाटा इंटरनेट सर्विसेस लि.
50.	मै. बीजीएन सर्विस लिमिटेड
51.	मै. एस. कुमार कॉम लि.
52.	मैं. एस्ट्रा इन्फोनेट प्रा.लि.
53.	मै. कृत कॉम लि.
54.	मै. बरेली कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.
55.	मैं. कप्पा इनफोटेक प्रा.लि.
56.	मै. वर्ल्डवाइड डॉटकॉम प्रा.लि.
57.	मै. योगक्षेम कम्यूनिकशन्स प्रा.लि.
58.	मैं. ट्रैक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा.लि.
59.	मै. एस्सेल श्याम
60.	मैं. एम्पावर, कॉम लि.
61.	मै. एच एफ सी एल लि.
62.	मै. श्याम इंटरनेट सर्विसेज प्रा.लि.
63.	मै. क्यूटेल कॉमटेल लि.
64.	मै. टेक्नोक्यूज सोल्यूशन्स प्रा. लि.
65.	मै. वर्ल्डफोन इंटरनेट सर्विसेज प्रा.लि.
66.	मै. बोहरा प्रतिष्ठान प्रा.लि.
67.	मै. स्पानको टेलीसिस्टम्स एंड सोल्यूशन लि.
68.	मै. ह्यूजेज एस्कॉर्टस कम्यूनिकेशन लि.
69.	मै. स्पेक्ट्रानेट लि.
70.	मै. मिक्की ऑन लाइन प्रा.लि.
71.	मै. आई सर्व इंडिया सोल्यूशन्स प्रा.लि.
72.	मै. कैपिटल ऑनलाइन प्रा.लि.
73.	मै. गुजरात इन्फों पेट्रों लि.
74.	मै. एच सी एल कॉम नेट सिस्टम्स एवं सर्विसेज लि.
75.	मै. बेकॉन ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स प्रा.लि.

नॉलेज सुपर पावर

2486. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.टी. के क्षेत्र में भारत को 'नॉलेज सुपर पावर' में बदलने की रणनीति पर सुझाव देने के लिए गठित कार्यबल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) भारत को सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित उच्च क्षमता प्राप्त राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारत सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सिफारिशों की भावना में जुड़ी सभी प्रक्रियाओं/विधियों में संशोधन के निर्देश दिए हैं। कार्यदल की 108 सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की स्थिति इस प्रकार है:

कार्यान्वित	- 64
कार्यान्वित नहीं की गई	- 04
स्वीकार नहीं की गई	- 03
कार्यान्वयन की जा रही	- 37

कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें दूरसंचार क्षेत्र की नीतियों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ई-वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए साइबर विधियों के विधायन, इलेक्ट्रॉनिकी लेनदेन को सुरक्षा प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रम विधियों का सरलीकरण, वित्तीय प्रोत्साहन, विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, सरकार में कम्प्यूटरीकरण करवा कर निम्न स्तर पर कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ाने से संबंधित हैं।

पत्रकारों को सीजीएचएस की सुविधा

2487. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पत्रकार भी नई दिल्ली क्षेत्र के सीजीएचएस औषधालयों में उपचार करवा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पत्रकारों को किन नियमों के अंतर्गत सीजीएचएस की सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 11.3.88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस. 11011/3/88 सीजीएचएस) (पी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और के.स.स्वा.यो. दिल्ली के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में रह रहे पत्रकार प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा उन्हें जारी मान्यता संबंधी कार्ड के आधार पर के.स.स्वा.यो. कार्ड पाने के पात्र हैं जिससे वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं के रूप में जी.पी. कार्ड स्कीम के अन्तर्गत आम जनता के लिए उपलब्ध सुविधाओं के समान सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे।

सीमा व्यापार

2488. **श्री विजय हान्दिक:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार भूतल-परिवहन प्रारंभ कर पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने का प्रस्ताव लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को बांग्लादेश के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) 1980 में संपन्न द्विपक्षीय व्यापार करार के अंतर्गत भारत और बंगलादेश की सरकार दोनों देशों के बीच वाणिज्य के लिए जलमार्गों, सड़कों और रेलवे के उपयोग के लिए आपसी लाभकारी करार करने पर सहमत हो गयी हैं। अभी उत्तर पूर्व और बंगलादेश के बीच अधिसूचित जमीनी सीमा शुल्क केन्द्रों के जरिए वाणिज्य हो रहा है इसके अतिरिक्त, आंतरिक जल पारगमन और व्यापार से संबंध प्रोतोकोल में आंतरिक जल परिवहन के जरिए माल के नौ-परिवहन की अनुमति है। दोनों सरकारें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध हैं और विचार किये जाने वाले प्रस्तावों में अतिरिक्त जमीनी सीमा-शुल्क केन्द्र खोलना और बुनियादी ढांचागत संपर्कों को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

डॉकी में दूरसंचार

2489. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉकी की दूरसंचार व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक नहीं है और लोगों को शिलांग से डॉकी तक संवाद स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्यिक तथा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस सीमा चौकी तक दूरसंचार लिंग की गुणवत्ता बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) परियात के वहन के लिए चैनलों की अपर्याप्त उपलब्धता और पारेषण उपस्करण में यदा-कदा खराबी के कारण संचार स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

(ख) शिलांग से डॉकी तक संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जोवई और डॉकी के बीच आप्टिकल फाइबर केबल की योजना बनायी गयी है और मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान उसे चालू कर दिए जाने की संभावना है।

चण्डीगढ़ में डाकघर

2490. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय चंडीगढ़ में श्रेणीवार कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नव विकसित क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय चण्डीगढ़ में 01 प्रधान डाकघर, 45 विभागीय उप डाकघर, 01 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर तथा 06 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) चण्डीगढ़ के हाल में विकसित क्षेत्रों में नए डाकघर खोलना सरकार द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी के साथ मानदंड आधारित औचित्य होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाना

2491. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) औषधियों के अनुसंधान और मानकीकरण के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या होम्योपैथी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कार्यान्वित फैलोशिप की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय होम्योपैथी के कितने चिकित्सकों को इस प्रकार की फैलोशिप मिली;

(च) क्या मंत्रालय ने इस वर्ष भारत से इस प्रकार की फैलोशिप के लिए संबंधित चयन बोर्ड द्वारा स्वीकृत होम्योपैथी के चिकित्सकों के नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन को अग्रेषित नहीं किये हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सक्षम चयन बोर्ड द्वारा फैलोशिप के लिए चुने गए व्यक्तियों के नाम अग्रेषित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विकास और प्रचार के उद्देश्य से सरकार ने 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग ने औषधीय पादपों के विकास और खेती, कृषि-प्रौद्योगिकियों की तैयारी, स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर संस्थानों के उन्नयन, औषधों के मानकीकरण, अंतरंग और बाहरी अनुसंधान के प्रोत्साहन और सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से सूचना के प्रचार-प्रचार के लिए पहले ही स्कीमें कार्यान्वित कर दी हैं। इन योजनाओं ने इस क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे के सृजन में सहायता की है।

(ग) अनुसंधान और औषधों के मानकीकरण में की गई उपलब्धि संलग्न विवरण के अनुसार है।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए शिक्षावृतियों की कोई पृथक योजना नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के आवेदक चिकित्सकों के आवेदन-पत्र पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिक्षाकृति के सामान्य कार्यक्रम के लिए विचार किया जाता है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) से (ज) इस विभाग ने विश्व स्वास्थ्य संगठन शिक्षाकृति के लिए कुछ होम्योपैथिक चिकित्सकों के नामों की संस्तुति की है। द्विवार्षिक 2002-2003 के लिए इन नामों पर विचार किया जाएगा।

विवरण

विभाग ने भारत की आयुर्वेदिक भेषज संहिता भाग 1, खण्ड 1, 2 और 3 प्रकाशित की है जिसमें पादक मूल के 258 एकल औषध शामिल हैं

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेदिक मिश्रणों के भेषजीय मानकों पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया है जिसमें 451 मोनोग्राफ शामिल हैं।

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विभिन्न रोगों के इलाज के लिए लगभग 30 औषधें विकसित की हैं। परिषद ने अब तक 222 एकल औषधों और 385 मिश्रित योगों के मानकों को अन्तिम रूप दिया है। यूनानी भेषज संहिता समिति ने यूनानी भेषज संहिता में शामिल करने के लिए 122 एकल औषधों और 192 मिश्रित योगों पर मोनोग्राफ स्वीकार किए हैं।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने 37 नैदानिक स्थितियों/रोगों में होम्योपैथिक औषधों का नैदानिक मूल्यांकन किया है, नैदानिक मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र हैं: (1) फाइलेरिया (2) एचआईवी/एड्स (3) मलेरिया।

- 65 औषधों के लक्षणिक आंकड़ों का नैदानिक सत्यापन मुख्य तथा उनका जो देशी मूल की हैं और जिनको परिषद द्वारा प्रमाणित किया गया है, पर 3 इकाइयों में कार्य चल रहा है। छह औषधों का सत्यापन कार्य पूरा किया गया है और परिषद द्वारा प्रामाणिक पाई गई चार नई औषधें नैदानिक सत्यापन में शामिल की गई हैं।

- परिषद ने 1981 और 1999 के बीच देश के विभिन्न भागों में फैले विभिन्न रोगों की महामारियों के दौरान नैदानिक अध्ययन भी किए हैं।

- 59 औषधों, जिनमें अधिकांश देशी मूल की हैं, के प्रमाणन का कार्य पूरा हो गया है और 4 औषधों के प्रमाणन का कार्य चल रहा है।

- परिषद ने अब तक 135 औषधों पर और आशंकित रूप से 96 औषधों पर मानकीकरण अध्ययन अर्थात भेषज अभिज्ञान फीजिको-केमिकल, भेषज गुण विज्ञान संबंधी अध्ययन पूरे किए हैं।

[हिन्दी]

जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

2492. श्री रामशकल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) अब तक कितने राज्यों में अभियान चलाया गया है;

(घ) शेष राज्यों में इस अभियान के कब तक चलाये जाने की संभावना है;

(ङ) अब तक इस पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(च) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (च) लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना इस मंत्रालय के सभी प्रमुख कार्यक्रमों/स्कीमों, अर्थात् राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम और भारतीय चिकित्सा प्रद्धति एवं होम्योपैथी का अभिन्न अंग हैं। लोगों के लिए उपलब्ध लाभों, स्वास्थ्य परिचर्या और निवारणक उपायों का प्रसार करने की एक बहुस्तरीय कार्यनीति अपनाई जा रही है। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सोसाइटियों, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से पैदा की जा रही है।

[अनुवाद]

कोर ग्रुप का गठन

2493. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.बी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क और वाशिंगटन पर आतंकवादी हमले के मद्देनजर सी.बी.आई. का देश में आतंकवाद पर एक कोर ग्रुप गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आतंकवाद से निबटने के लिए सी.बी.आई. ने कौन से अन्य कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। आतंकवाद के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में एक आंतरिक दल गठित किया गया है जिसे, आवश्यकता पड़ने पर आतंकवाद से संबद्ध अपराधों की गंभीर घटनाओं का अल्पकालिक सूचना पर अन्वेषण करने हेतु आपातिक प्रतिक्रिया-दल सृजित करने का समादेश दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां

2494. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के बहुत अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र की कुछ अन्य इकाइयां स्थापित करने का है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इकाई देश के पिछड़े क्षेत्र में नहीं कार्य कर रही है। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा आईटीआई लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयां पिछड़े क्षेत्रों में कार्य कर रही है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। इस समय सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र में किसी नई ईकाई की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

निविदा-प्रणाली

2495. श्री अरुण कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु निविदाएं खोलने के संबंध में वाणिज्य-मंत्रालय के आपूर्ति-विभाग तथा वित्त मंत्रालय के व्यय-विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के रूप में केन्द्रीय भंडार, बहुराज्यीय सहकारी समिति-अधिनियम, 1984, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उप विधियों तथा उस पर लागू अन्य अनुमोदित नीतियों/ प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

भारत-सरकार के विभागों के संबंध में जारी किए गए अनुदेश, केन्द्रीय भंडार पर स्वत: ही लागू नहीं होते।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड को अनुदान

2496. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.आई.) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड को आबंटित किये गये अनुदान का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में इस प्रकार के अनुदान से लाभान्वित होने वाले युवा वर्ग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के लिए धनराशि में वृद्धि करके इस योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) प्रधान्मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार राजसहायता के लिए, साथ ही साथ प्रशिक्षण और उद्यमिकता विकास आदि के लिए निधि जारी करती है। यद्यपि राजसहायता के लिए धनराशि कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृति है, तथापि प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास इत्यादि हेतु निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। राज्य सरकारें आगे इस राशि को स्वयं अपने जिलों को आवंटित करती हैं। वर्ष 1993-94 से 2001-2002 के मध्य जम्मू एवं काश्मीर राज्य को 95.95 लाख रु. जारी किए गए हैं। (30.11.2001 तक) जबकि विभाजित बिहार को 1993-94 से 2000-2001 के मध्य 509.55 लाख रु. आवंटित किए गए। नवम्बर, 2000 में झारखण्ड राज्य बनने के बाद वर्ष

2000-2001 के दौरान और 2001-2002 के दौरान झारखण्ड सरकार को (30.11.2001 तक) 62.77 लाख रु. जारी किए गए।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 1993-94 2001-2002 के मध्य (30.11.2001 तक) 13539 युवाओं को ऋण संस्वीकृत किए गए और अविभाजित बिहार में 1993-94 से 2000-01 के मध्य 94758 युवाओं को ऋण संस्वीकृत किए गए। झारखंड में प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए) 27.11.2001 की स्थिति के अनुसार) 457 युवाओं को ऋण संस्वीकृत किए गए।

(ग) लक्ष्य बढ़ाने का राज्य सरकारों का अनुरोध यदि कोई हो तो, उन्हें आवंटित लक्ष्यों की तुलना में उनके निष्पादन के आधार पर उन विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति

2497. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **विदेश मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21% है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां-11.73% और अनुसूचित जन जातियां--2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5.%) है;

(ख) यदि हां, तो विदेश मंत्रालय के अधीन (1) प्रथम श्रेणी (समहू क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों, और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 1.1.98 को विदेश मंत्रालय के सूमह क और समूह ख के पदों में अनु. जाति/अनु.जन जाति का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था:

पदों का वर्ग	अनु. जाति	अनु.जनजाति	सम्मिलित
समूह क	14.26%	5.73%	19.99%
समूह ख	14.07%	4.43.%	18.50%

(ख) 1.1.98 को विदेश मंत्रालय में समूह क और समूह ख के पदों की कुल संख्या क्रमशः 785 और 1961 थी;

(ग) 1.1.98 को इन पदों के लिए कार्य करने वाले विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशतता इस प्रकार थी:

पद/सेवा का वर्ग	पदों की कुल संख्या	आरक्षित पदों की संख्या			वर्तमान अधिकारियों की संख्या			
		अ.जा. (15%)	अ.ज.जा. (7.5%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
समूह ख	785	117	59	166	112 (14.26%)	45 (5.73%)	11* 1.78%)	594 (75.66%)
समूह ख	1961	292	146	200	276 (14.07%)	87 (4.43%)	152* (20.40%)	1441 (73.48%)

*अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान केवल प्रत्यक्ष भर्ती पदों के लिए हैं। इसलिए उनका प्रतिशत उसी आधार पर आंका जाता है।

चिकित्सा व्यवसाय में आचार संहिता

2498. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "हैल्थ मिनिस्ट्रीज न्यू डोज फॉर डॉक्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय सरकार अन्य संबंधित विभागों से परामर्श लेते हुए चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार-शास्त्र पर विनियमों को अन्तिम रूप दे रही है।

नये अस्पताल

2499. **श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से चालू वित्त वर्ष में अस्पतालों को मान्यता देने/नये अस्पतालों का निर्माण करने के संबध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यय वित्त समिति ने किसी नये निर्माण का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेल समपारों पर ऊपरि पुल

2500. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बोर्ड ने वर्ष 1998-99 के लिए रेल वर्क्स कार्यक्रम में विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा (रोड के.एम. 332/6-8) और रोड के.एम. 344/10) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर रेल समपार पर दो सड़क-ऊपरि पुलों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जल भूतल परिवहन मंत्रालय की स्वीकृति की अभी भी प्रतीक्षा है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के 332/6-8 कि.मी और 344/10 कि.मी. में दो सड़क-उपरि-पुलों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 4-लेन बनाने के कार्यक्रम में पहले ही शामिल कर लिया गया है। सड़क-उपरि-पुलों के लिए पूर्ण तकनीकी प्रस्ताव और सामान्य प्रबंध आरेख के अनुमोदन के लिए अपेक्षित शुल्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले ही दक्षिण-मध्य रेलवे के पास जमा करा दिया गया है।

इन्दिरा विकास-पत्र

2501. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चुरा लिये गये अथवा जिनका पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे इंदिरा विकास-पत्रों का पुनर्भुगतान करने का कोई रास्ता खोजने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा विकास-पत्रों को चुराये जाने अथवा उनका पता न चल पाने के कारण सरकार के पास कुल कितने मूल्य के इंदिरा विकास-पत्र बिना दावे के पड़े हैं; और

(घ) सरकार का इस धन का किस प्रकार से उपयोग करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इंदिरा विकास-पत्र नियमों के अनुसार, विकास-पत्र खरीदने के लिए कोई आवेदन आवश्यक नहीं है। ये विकास-पत्र डाकघरों को शामिल किए बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी बाधा के अंतरित किए जाते हैं। विकास-पत्रों को

काउंटर पर प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति उनका परिपक्वता मूल्य प्राप्त करने का हकदार है।

(ग) अपनी परिपक्वता अवधि पूरी कर लेने के बाद बचत पत्र को भुनाने की अधिकतम अवधि का नियमों में निर्धारिण नहीं है। कोई भी निवेशक परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद कभी भी बचत-पत्र को भुना सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखने हुए किसी भी राशि को आदावी नहीं माना 'जा सकता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखने हुए प्रश्न नहीं उठता।

लेखन-सामग्री की आपूर्ति

2502. **श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधान मंत्री** लेखन-सामग्री की आपूर्ति के बारे में 15.12.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भंडार द्वारा लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रयोक्ता को प्रदान की गई संतुष्टि के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है/पूरा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय भंडार द्वारा मुहैया करवाई गई वस्तुओं की गुणवत्ता और प्रयोक्ताओं को मुहैया करवाई गई लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की दरों का औचित्य जानने की दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट का निष्कर्ष, निदेशक-मंडल के स्दस्यों से युक्त कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा मुहैया करवाई जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता को मॉनीटर करने तथा उनकी दरों का औचित्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए:

(1) प्रतिस्पर्धात्मक दरें हासिल करने और जहां कहीं संभव हो वहां उपभोक्ताओं को विकल्प भी मुहैया करवाने की दृष्टि से विभिन्न पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से अनेक दर-सूचियां मंगवाना।

(2) आपूर्तिकर्त्ताओं से इस आशय का मूल्य आश्वस्ति-वचन-पत्र हासिल किया जा रहा है कि उनके द्वारा उद्धृत की गई दर, उनकी निम्नतम दर है तथा वे इस मद की आपूर्ति, अपने द्वारा उद्धृत की गई दर से कम दर पर नहीं करेंगे।

(3) आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतों पर तत्परता से ध्यान दिया जा रहा तथा जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, वहां आपूर्तिकर्त्ता को ब्लैकलिस्ट करने/निलंबित करने की दृष्टि से उपयुक्त कर्रावाई की जाती है।

(4) सुधारात्मक कार्रवाई की दृष्टि से, उपभोक्ताओं की शिकायतें/उनके सुझाव हासिल करने के लिए, सभी भंडारों में पहले से भुगतानशुदा सुझाव-कार्ड मुहैया करवाए गए हैं।

(5) सामान्यत:, विख्यात ब्रैडों की वस्तुएं अथवा उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई ब्रैंडो की वस्तुएं केन्द्रीयकृत रूप से मंगवाई जाती हैं।

[हिन्दी]

गुर्दा संबंधी रोग

2503. **श्री राजो सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष कर बिहार और झारखंड में बच्चों में गुर्दा संबंधी रोग दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे राज्यवार कितने बच्चे प्रभावित हुए; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) देश में गुर्दे के रोग से पीड़ित बच्चों की संख्या के संबंध में आकंड़े एकत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ऐसे बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के समेत प्रभावित व्यक्तियों को राष्ट्रीय रोग सहायता निधि के अन्तर्गत सामान्य बीमारियों के लिए 1.50 लाख रुपए तक की सहायता देती है।

''डब्ल्यू.एल.एल.'' सेवा

2504. **श्री जय प्रकाश: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए कनैक्शनों का ब्यौरा क्या है और एम.टी.एन.एल. की वायरलैस-इन-लोकल लूप "डब्ल्यू.एल.एल." दूरभाष सेवा की क्षमता क्या है;

(ख) क्या "डब्ल्यू.एल.एल." सेवा के अंतर्गत कनैक्शन इसकी क्षमता के अनुसार जारी किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 30 सितंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लि. की कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) आधारित वायरलेस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टेलीफोन सेवा की स्थिति निम्नानुसार है:

30.9.2001 की स्थिति के अनुसार	दिल्ली	मुम्बई
क्षमता	23,500	50,000 (संस्थापनाधीन)
कनेक्शन	18,555	

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 का समतलीकरण

2505. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ऋण की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के समतलीकरण का कार्य करने के संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए ठेके दे दिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन ठेकों का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) 2001-2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रस्तावित है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां। रा.रा.-2 के सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ख) रा.रा.-2 को चौड़ा करने और सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक के साथ तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (टी एन एच पी) के अंतर्गत 516 मिलियन अमरीकी डालर और ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना (जी टी आर आई पी) के अंतर्गत 589 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II पर दिए गए, हैं। कार्य पूरा होने का समय 36 से 42 माह के बीच है।

(च) मौजूदा सड़क को चौड़ा करके 2 लेन से चार लेन बनाने और सुदृढ़ करने से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की गुणता बढ़ेगी।

(छ) 2001-2002 के दौरान टी एन एच पी के अंतर्गत 83 मिलियन अमरीकी डालर और जी टी आर आई पी के अंतर्गत 67 मिलियन अमरीकी डालर का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में रा.रा.-2 पर कार्यान्वयन के अधीन विश्व बैंक की परियोजनाएं (टी एन एच पी)

खंड/चेनेज/पैकेज	लंबाई कि.मी.	सिविल कार्य की अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	ठेकेदार को दी गई लागत (करोड़ रु.)	आरंभ होने की तारीख	पूरा होने की तारीख	ठेकेदार/राष्ट्रीयता	पर्यवेक्षण परामर्शदाता
1	2	3	4	5	6	7	8
सिकंदरा-भौंटी 393- 470 कि.मी पैकेज 2-ए	62	323.6	289.3	23.2.2001	23.8.2004	मै. आई. टी डी-सोमदत्त बिल्डर्स (सं.उ.) थाइलैंड-भारत	बी सी ई ओ एम, फ्रांसीसी

1	2	3	4	5	6	7	8
फतेहपुर-खागा 38-115 कि.मी. पैकेज 2-सी	77	372.4	295.53	12.3.2001	12.7.2004	मे. सेंत्रुदोरस्त्राय, रूस	बी सी ई ओ एम, फ्रांसीसी
खागा-कोखराज 115-158 कि.मी. पैकेज 3-ए	43	151.7	179.85	10.2.2001	10.2.2004	मे. इरकॉन इंटरनेशनल लि., भारत	मेनहार्ट (सिंगापुर) प्रा.लि. सिंगापुर
हंडिया-वाराणसी 245-317 कि.मी. पैकेज 3-सी	72	286.00	265.38	12.3.2001	12.7.2004	मे. सेंत्रुदोरस्त्राय, रूस	मेनहार्ट (सिंगापुर)प्रा.लि. सिंगापुर
मोहनिया-सासाराम 65-110 कि.मी. पैकेज-4बी	45	230.55	229.96	10.2.2001	10.2.2004	मे. एल जी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन, कोरिया	आई.सी.टी. प्रा.लि., भारत
डेहरी-ऑन-सोन-औरंगाबाद 14-180 कि.मी. पैकेज-4डी	40	242.61	217.99	10.2.2001	10.2.2004	मे. सांगयांग, कोरिया मे. ओरियंटल एस ई, भारत (संयुक्त उद्यम)	आई सी टी प्रा.लि., भारत
	254	1606.86	1478.01				

विवरण-II

रा.रा.-2 पर सौंपी जाने वाली विश्व बैंक परियोजनाएं (जी टी आई आर पी)

खंड/चेनेज/पैकेज	लंबाई कि.मी.	दिल्ली से दूरी कि.मी.	अनुमानित परियोजना लागत (करोड़ रु.)	आरंभ होने की संभावित तारीख	पूरा होने की संभावित तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
आगरा-शिकोहाबाद 199.66 कि.मी. से 250.5 कि.मी.पैकेज 1-ए	51	249	348.7	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।
शिकोहाबाद-सराय इकडिल 250.502 कि.मी. से 307.5 कि.मी. पैकेज 1-बी	59	306	252.8	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।
सराय इकडिल-भोगनीपुर/सिकंदरा 321.1 कि.मी. से 393.00 कि.मी पैकेज 1-सी	73	392	341.7	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।
भौंटी-फतेहपुर सीमा 470 कि.मी. से 483.33 कि.मी. और 0 कि.मी. से 38 कि.मी. पैकेज 2-बी	51	505	450	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।

1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बाइपास 158 कि.मी. से 245 कि.मी पैकेज 3-बी	87	712	सड़क परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य चल रहा है। उस पुल के लिए पी क्यू दस्तावेज की बिक्री 1.12.2001 से शुरू होगी।			
वाराणसी बाइपास-मोहनिया 317 कि.मी. से 328 कि.मी. और 0 कि.मी. से 65 कि.मी. पैकेज 4-ए	76	861	435.1	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।
सासाराम से डेहरी-ऑन-सोन 110 कि.मी से 140 कि.मी. पैकेज 4-सी	30	936	222.8	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।
बाराचट्टी से गोरहर 240 कि.मी. से 230 कि.मी. पैकेज 5-बी	80	1116	442.2	जनवरी, 2002	दिसम्बर, 2004	आमंत्रित निविदाएं 17.12.2001 को प्राप्त होनी हैं।
	507		2493.3			

[अनुवाद]

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर विश्रामालय

2506. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर कितने विश्रामालयों का निर्माण किया है;

(ख) इस मार्ग पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर कितनी लागत आई;

(घ) उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस राजमार्ग पर कौन-कौन सी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर कुछ विश्राम क्षेत्र हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी विश्रामक्षेत्र का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली-जयपुर राजमार्ग का निर्माण दो खंडों में किया गया है, एक गुड़गांव-कोटपुतली और दूसरा कोटपुतली-आमेर खंड है। कोटपुतली-आमेर खंड पर सर्विस रोड, निर्मित खंड, चौराहों का सुधार, बस विश्रामस्थल, ट्रकों के लिए पार्किंग स्थल, एम्बूलेंस सेवा, राजमार्ग गश्त और सड़क संकेत तथा चिह्नांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, 17.53 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दो किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स सहित राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली, भिन्न-भिन्न संदेश संकेतक, नियंत्रण केन्द्र से चालित क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाए गए हैं।

(घ) दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के गुड़गांव-कोटपुतली खंड पर अतिरिक्त सुविधाएं जैसे अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, ट्रकों के लिए पार्किंग स्थल, एम्बूलेंस, राजमार्ग गश्त, गाड़ी उठाने वाले क्रेन आदि उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के कोटपुतली-आमेर खंड पर तत्काल स्थानांतरण/प्राथमिक सहायता सुविधा के लिए 2 एम्बूलेंस उपलब्ध कराई गई। इस खंड के नियंत्रण केन्द्र से जुड़े आपातकालीन

कॉल बॉक्स के जरिए तत्काल सहायता के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसका विस्तार गुड़गांव-कोटपुतली खंड पर भी किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी के पेशेवर विशेषज्ञों को तैयार करने का लक्ष्य

2507. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 तक प्रतिवर्ष 200,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर विशेषज्ञों को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि मौजूदा शैक्षिक संस्थानों के पास 200,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर विशेषज्ञ तैयार करने की क्षमता नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार केवल सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर विशेषज्ञों को ही तैयार करने के लिए समर्पित संस्थानों को शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या नये संस्थानों के लिए कोई नए मार्गदर्शी-सिद्धांत बनाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) नेसकॉम के अनुमान के अनुसार 2008 तक 22 लाख सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविदों की आवश्यकता है। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद (ए आईसीटीई) के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा प्रणाली में संस्थानों की वर्तमान वार्षिक भर्ती क्षमता में इस आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है।

(ग) सरकार ने भले ही ऐसे कुछ संस्थान स्थापित किए हैं जो पूर्णतया सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविदों के लिए हैं।

(घ) और (ङ) एआईसीटीई ने नए संस्थानों की स्थापना के लिए मानदण्ड पूरा करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें ये शामिल है:

(1) महानगरों के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि, जिला मुख्यालयों के लिए 10 एकड़ भूमि तथा अन्य स्थलों के लिए 25 एकड़ भूमि की उपलब्धता।

(2) स्थान की रूपरेखा/ग्राम के नक्शे सहित सक्षम प्राधिकारी से भूमि इस्तेमाल का प्रमाणपत्र।

(3) किसी पंजीकृत वास्तुकार द्वारा तैयार की गई स्थल तथा भवन योजना और योजना मंजूरी के सक्षम प्राधिकारी से यथाविधि अनुमोदित।

(4) स्थायी स्थल के उपर्युक्त भूखण्ड पर एक भवन का निर्माण करना जिसमें कम से कम प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू करने के लिए उपयुक्त मंजिल तैयार हो।

(5) प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू करने के लिए कक्षों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, प्रशासनिक कक्षों तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता जो सभी किस्म के अनुप्रयोज्य उपस्करों, मशीनरी, पुस्तकों फर्नीचर, वैद्युत फिटिंग तथा फिक्सचरों से सुसज्जित होने चाहिए।

(6) पर्याप्त कार्य निधि का सबूत। एक अर्हताप्राप्त प्रधानचार्य/निदेशक की नियुक्ति का सबूत तथा शिक्षक वर्ग के कम से कम 75% सदस्यों का चयन।

[हिन्दी]

टेलीफोन संबंधी शिकायतें

2508. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह महीनों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. के उपभोक्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों का समय पर समाधान कर दिया गया और शेष शिकायतों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं कि भविष्य में ऐसी शिकायतें कम से कम हों?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एमटीएनएल को उपभोक्ताओं से प्रात हुई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

44,04,042	दिल्ली
22,48,235	मुंबई

(ख) दिल्ली तथा मुंबई में अगले दिन/समय पर निपटायी गई शिकायतों की संख्या क्रमशः 68% और 63% है।

शिकायतों के लंबित पड़े रहने के कारण निम्नलिखित हैं:

* दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमटीआरएस) इत्यादि जैसे विभिन्न अभिकरणों द्वारा बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य:
* टेलीफोन उपकरणों में खराबियां
* बरसाती मौसम के दौरान पेपर कोर केबलों में भारी संख्या में खराबियां
* एक ही भवन में मल्टीपल मेन डिस्ट्रब्यूशन फ्रेम (एमडीएफएस) का होना जिससे योजक नेटवर्क बन जाता है।

(ग) शिकायतों की संख्या में कमी लाने के लिए एमटीएनएल ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:

* आगामी दो वर्षों के भीतर डिजिटल लाइन कंसेन्ट्रेटर (डीएलसी) वाले जेली-युक्त केबलों/आप्टिकल फाइबर केबल से भूमिगत पेपर कोर केबल बदले जा रहे हैं।
* पांच पेयर वाले केबलों और वाल डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंट्स लगाकर ओवर हेड वायरों को कम किया जा रहा है।
* जंक्शन नेटवर्क को पूर्णतः आप्टिकल फाइबर केबल लिंक में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रिंग आर्किटेक्चर पर जुड़ी सिंक्रोनए डिजिटल हायरारकी (एसडीएच) प्रणालियां प्रदान करके सुधार किया जा रहा है।
* अधिक संख्या में रिमोट स्विचन यूनिट (आरएसयूएस)/रिमोट लाइन यूनिटों (आरएलयूएस) की योजना बनाकर सब्सक्राइबर लूप लेंथ को कम किया जा रहा है।
* बेहतर निष्पादन के लिए कस्टमर एक्सेस नेटवर्क में स्थिर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और डिजिटल लाइन कंसेन्ट्रेटर (डीएलपी) प्रणालियां लगायी जा रही हैं।
* कम्प्यूटरीकृत दोष सूचना प्रणाली लगाई गई है जो जांच की बुकिंग में तथा खराबियों की सूचना संबंधित लाइन स्टाफ के पास भेजने में सहायता करती है।
* इसके अतिरिक्त खराबियों के त्वरित निवारण हेतु जांच स्टाफ का साथ देने एवं आसानी से सूचित करने हेतु लाइन स्टाफ को पेजर प्रदान किया गया है।
* महानगर टेलीफोन निगम लि. ने पांच वर्ष से अधिक समय के पुराने अथवा दो बार से अधिक मरम्मत किए गए सभी टेलीफोन उपकरणों को बदलने की नीति को उदार बना दिया है। इसे चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण में आठ वर्ष से अधिक पुराने उपकरणों को बदला जा रहा है।

अफगानिस्तान गया भारतीय राजनयिक दल

2509. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय राजनयिकों के एक दल को अफगानिस्तान भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका मुख्य प्रयोजन क्या है; और

(ग) उक्त दल की संरचना क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) 21 नवम्बर, को विदेश मंत्रालय के राजनयिक मिशन ने काबुल, अफगानिस्तान की यात्रा की। इस मिशन दल में अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, दुभाषिए और अन्य आवश्यक स्टाफ शामिल था। इस दल के साथ चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ भी था जो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सम्पर्क अधिकारी के साथ वहीं ठहरा हुआ है। 26 सितम्बर, 1996 को काबुल में भारतीय दूतावास के बंद होने के पश्चात् अफगानिस्तान में खोला गया यह पहला भारतीय राजनायिक मिशन था।

[अनुवाद]

हरियाणा में टेलीफोन-कनेक्शन

2510. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों को मांग-पर-टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जिन आवेदकों ने 10 अगस्त, 2001 से आज की तारीख तक "नॉन ओ.आई.टी. (जी)" के अंतर्गत टेलीफोन के लिए आवेदन किया हुआ है उन्हें टेलीफोन देने से संबंधित नवीनतम स्थिति क्या हैं;

(ङ) क्या समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं होने के बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों को अव्यवहार्यता सूची में रख दिया गया;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) राज्य में, विशेषकर, गुड़गांव में मांग-पर-टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहों कराए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य में 751 ग्रामीण एक्सचेंजों में से केवल 65 एक्सचेंज मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले एक्सचेंजों को सूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) अवदकों को मांग पर टेलीफोन कनेक्शन क्षमता संबंधी बाध्यताओं तथा अधिकांश एक्सचेंजों में केबल पेयर की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध नहीं करवाए जाते।

(घ) 10 अगस्त, 2001 से लेकर आज तक पंजीकरण किए गए आवेदकों की संख्या 19887 है तथा उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की संख्या 5693 है।

(ङ) और (च) सुसज्जित क्षमता की उपलब्धता के बावजूद, कुछ क्षेत्र केबल पेयर की अनुपलब्धत के कारण अव्यवहार्य है। इन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

(छ) मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सर्किल में 2,35.900 लाइनों से युक्त उपकरण की योजना बनाई गई है, जिसमें से 28.000 लाइनें वर्ष 2001-02 के दौरान गुड़गांव में बढ़ाई जानी हैं। इसके अलावा, गुड़गांव क्षेत्र में भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। तथा मार्च, 2003 तक मांग पर कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) की संस्थापना करने की भी योजना है।

विवरण

मांग पर एक्सचेंजों की सूची

अम्बाला एसएसए

1. बराड़ा
2. डेरा सलीमपुर
3. धीन
4. झाडु-माजरा
5. कम्बासी
6. मुलाना
7. पिलखंज
8. रामपुर सरसेरी
9. समालखा
10. तपेरियां
11. उगूला
12. घोरो पीपली
13. लावणा
14. चण्डीमंदिर
15. हिरन शिखा
16. एचएमटी पिंजोर
17. खनौली
18. मल्लाह
19. मन्धाना
20. मोरनी
21. नाधा साहिब
22. रामगली
23. रास्तेवाली
24. कुराली
25. माघरपुर
26. बोह

27. बुलाणा

28. दापड़

29. घेल

30. हंडेसरा

31. कोलन

32. लोहागडढ़

33. मठेडी

34. मल्लाहीन

35. नान्योला

हिसार एसएसए

1. अली मोहम्मद

2. ओढ़ा

3. खैटे खान

4. सैयदवालान ठेर

गुड़गांव एसएसए

1. बसलांबी

जिन्द एसएसए

1. बनियाखेड़ा

2. बरटा

3. बेलरखा

4. भाणा ब्राह्मण

5. दिघाण

6. डिलोनवाज

7. देहला

8. जज्जनवाला

9. काकडोद

10. कच्छराना

11. लुदाना

12. नगूरां

13. निरनाबाद

14. सिवनमाल

सोनीपत एसएसए

1. जखौली

2. पालड़ी

3. मेहलाना

4. भड़ाना

फरीदाबाद

शून्य

रिवाड़ी एसएसए

1. खंडोरा

2. कुजपुरा

3. जनवास

करनाल एसएसए

1. गजलाना

2. कुंजपुरा

3. झांझटी

4. यारी

पाकिस्तान की परमाणु-क्षमता

2511. श्रीमती प्रेनीत कौरः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रों के जखीरे में अत्याधुनिक प्यूटोनियम बमों को शामिल करके और भारत तथा अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर प्रक्षेपास्त्रों को विध्वंसक परमाणु-सामग्री से युक्त करने के प्रयास में सफल हो रहा है- जैसा कि 4 सितम्बर, 2001 के 'द पायनियर' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्यों की वास्तविकता क्या है; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सरकार पाकिस्तान की नाभिकीय और मिसाइल शस्त्रागार पर मीडिया की रिपोर्टों से अवगत है। अनुमान है कि पाकिस्तान द्वारा अपनी नाभिकीय क्षमताओं का संवर्धन जारी है। सरकार देश के सुरक्षा परिवेश के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय रोधी के साथ भारत की सुरक्षा के प्रभावी उपाय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की परियोजना

2512. श्री सुबोध राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अवधारित एक परियोजना, जो प्रयोगशाला कर्मियों को प्रयोगजनित संक्रमणों से बचाने हेतु " माइक्रोबायल कन्टेनमेंट कॉम्पलेक्स" तैयार करने के संबंध में है, 24 वर्ष बीत जाने और लगभग 13 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होने के बाद भी पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यह कब से काम करने लगेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) 1977 में परिकल्पित माइक्रोबायल कंटेनमेंट काम्पलेक्स (एम सी सी) की मूल योजना के समय से जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना में बहुत-सी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय विषाणुज रोग संस्थान, पुणे में कामगारों को प्रयोगशाला संक्रमणों से बचाने के लिए जैव सुरक्षा स्तर 1 और 2 के सुरक्षा उपाए पहले से ही उपलब्ध हैं। अब राष्ट्रीय विषाणुज रोग संस्थान, पुणे के माइक्रोबायल कंमेंटमेंट काम्पलेक्स में पी-3 और पी-4 श्रेणी के विषाणुओं के लिए अत्याधुनिक बी एस एल-3 प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोगशाला के लगभग 18 महीनों में तैयार हो जाने की संभावना है।

संयुक्त प्रवेश-परीक्षा

2513. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद का प्रस्ताव है कि चिकित्सा क्षेत्र में आने के इच्छुक प्रत्याशियों के लिए हरेक राज्य, विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करने की बजाय अखिल भारतीय स्तर पर एक संयुक्त प्रवेश-परीक्षा आयोजित की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल शल्य-चिकित्सक

2514. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल शल्य-चिकित्सकों की संख्या केवल एक हजार है;

(ख) क्या अनेक चिकित्सा संस्थाओं ने देश में बाल शल्य-चिकित्सा के विषय में सरकार के उदासीन रवैये और जनजागरणहीनता पर गंभीर चिंता जाहिर की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) देश में 22 संस्थाएं हैं जो करीब 50 वार्षिक दाखिलों के साथ एम.सी.एच. (बाल शल्य चिकित्सा) पाठ्यक्रम संचालित करती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भी बाल शल्य चिकित्सा (पेडियाट्रिक सर्जरी) में पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है तथा प्रत्यायित अस्पतालों में प्रशिक्षित छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर रहा है। तथापि, देश में बाल शल्य चिकित्सकों की वास्तविक संख्या के संबंध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद तथा राज्य आयुर्विज्ञान परिषदें चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पास करने के पश्चात उनका एक बारगी पंजीयन ही करती हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों की धारा 10 क के अनुसार बाल शल्य चिकित्सा में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इच्छुक चिकित्सा संस्था ऐसा कर सकती है बशर्ते वे भारतीय आयुर्विज्ञान

परिषद के विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करती हैं।

[अनुवाद]

बंकर-शुल्क में वृद्धि

2515. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को आशंका है कि अमरीका में आतंकवादी हमलों की घटना के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर बंकर-शुल्क में भी काफी वृद्धि हो सकती है।

(ख) क्या यह भी सही है कि बंकर-शुल्क पहले से ही बढ़ने लगे हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और भारतीय पोत परिवहन कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और

(घ) पोत परिवहन उद्योग की मदद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी हां। उद्योग को आतंकवादी हमले के बाद बंकर मूल्यों में वास्तव में बहुत अधिक वृद्धि होने की आंशका थी. जब क्रूड के मूल्यों में लगभग 31 अमरीकी डालर प्रति बैरल तक की वृद्धि हो गई थी। तथापि, यह कार्य बहुत अस्थायी स्वरूप का साबित हुआ। क्रूड तेल का मूल्य अब कम हो गया है और इसी प्रकार बंकर मूल्य भी कम हो गया है। इस तरह भारतीय नौवहन पर कोई स्थायी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा जैसी शुरू में संभावना थी।

लघु औजार-कक्ष और प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित करने के लिए धनराशि

2516. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों की ओर से इस आशय के कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि सरकार की औजार-कक्ष व प्रशिक्षण-केन्द्र योजनाओं के अन्तर्गत लघु औजार-कक्ष और प्रशिक्षण-केन्द्र-स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार धनराशि जारी करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) धनराशि मंजूर करने/आबंटित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। मिनी टूलरूम स्कीम का मार्च, 2001 में स्वीकृति दी गई थी, तब से केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा, पंजाब तथा झारखण्ड राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से केरल, मध्य प्रदेश तथा नागालैंड के प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) चूंकि स्वीकृति प्रस्ताव अब भी राज्यों के क्रियान्वयन के अन्तर्गत हैं, फण्ड्स रिलीज किए जाने के संबंध में अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कुष्ठ-उन्मूलन

2517. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री शिवराजसिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री मोहन रावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक, देश में कुष्ठ-रोग के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) आज की तिथि के अनुसार देश में कितने कुष्ठ-चिकित्सा अस्पताल हैं और 2000-2001 के दौरान कितने अस्पताल खोले गए;

(ग) वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि मुहैया करायी गई;

(घ) वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के दौरान इन अस्पतालों को प्राप्त हुई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन अस्पतालों को विश्व बैंक संगठन से भी सहायता प्राप्त हुई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान पता लगाए गए रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) देश भर में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए कुष्ठ रोग संबंधी सेवाएं दी जा रही है। 2000-2001 में कोई भी नया अस्पताल नही खोला गया है और न ही खोलने जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, कुष्ठ के उपचार के लिए पूर्व सृजित 290 अस्थाई अस्पताली (हास्पिटलाइजेशन) वार्ड हैं। तथापि, सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ कुष्ठ रोग संबंधी सेवाओं के समाकलन की नीति का देखते हुए, भारत सरकार ने अब यह सुझाव दिया है कि इन अस्थाई अस्पताली वार्डों में सामान्य रोगियों को भी भर्ती किया जाना चाहिए।

(ग) 1999-2000 तथा 2000-2001 में दी गई सहायता की राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान अस्पतालों को कोई विदेशी निधि नहीं दी गई है। तथापि, गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे कुछ अस्पताल-सह-पुनर्वास केन्द्र ऐसे हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के जरिए सीधे ही विदेशी निधियां प्राप्त हो रही हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कुष्ठ उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं;

- देश के सभी जिलों को कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया गया है। तथा उन्हें औषधियों सहित मुफ्त बहु-औषध थिरेपी सेवाएं दी गई है।
- व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- स्थानिकमारी वाले राज्यों में विशेष रोगी पहचान अभियान चलाए जा रहे हैं।
- सभी स्वास्थ्य स्टाफ को कुष्ठ संबंधी प्रशिक्षण दिये जा रहे है। सभी राज्यों को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ कुष्ठ रोगी संबंधी सेवाओं को समाकलित करने की सलाह दी गई है।
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का दूसरा चरण 2004 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 पर 1 की व्याप्तता दर के कुष्ठ उन्मूलन लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 249.8 करोड़ रुपए की कुल लागत पर विश्व बैंक की सहायता से 1 अक्तूबर, 2000 से शुरु किया गया है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान पता लगाए गए रोगियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	65966	56501	67230
2.	अरुणाचल प्रदेश	331	180	130
3.	असम	6732	3284	1968
4.	बिहार	277336	172449	101607
5.	छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	22343
6.	गोवा	658	346	419

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	12848	13846	15666
8.	हरियाणा	823	695	950
9.	हिमाचल प्रदेश	371	480	335
10.	झारखण्ड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	35565
11.	जम्मू प्रभाग	587	347	796
12.	कश्मीर प्रभाग	364	120	101
13.	कर्नाटक	26524	23095	17842
14.	केरल	5676	3977	2381
15.	मध्य प्रदेश	56319	47832	19256
16.	महाराष्ट्र	52236	64785	44209
17.	मणिपुर	197	243	214
18.	मेघालय	275	81	59
19.	मिजोरम	75	31	22
20.	नागालैंड	71	82	68
21.	उड़ीसा	41534	65329	45216
22.	पंजाब	2049	1320	1496
23.	राजस्थान	2797	2689	2033
24.	सिक्किम	85	24	46
25.	तमिलनाडु	46429	62771	47064
26.	त्रिपुरा	490	120	112
27.	उत्तर प्रदेश	107632	111436	86304
28.	उत्तरांचल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1894
29.	पश्चिम बंगाल	71728	54934	35666
30.	अंडमान और नि. दीपसमूह	54	68	113
31.	चंडीगढ़	332	301	364
32.	दादर और नगर हवेली	328	283	217

1	2	3	4	5
33.	दमण और दीव	64	37	32
34.	दिल्ली	1464	2870	7191
35.	लक्षद्वीप	42	1	32
36.	पांडिचेरी	7000	703	997
	कुल	783117	691260	559938

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदत्त राज्यवार सहायता राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 कुल	2000-2001 कुल
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	442.21	508.75
2.	अरूणाचल प्रदेश	60.36	136.00
3.	असम	235.93	112.00
4.	बिहार	1322.77	869.80
5.	गोवा	1.51	1.50
6.	गुजरात	230.37	230.00
7.	हरियाणा	43.24	23.00
8.	हिमाचल प्रदेश	54.53	61.00
9.	जम्मू और कश्मीर	63.61	87.00
10.	कर्नाटक	247.98	302.75
11.	केरल	147.30	237.00
12.	मध्य प्रदेश	794.35	645.36
13.	महाराष्ट्र	391.04	398.60
14.	मणिपुर	95.71	125.00
15.	मेघालय	45.26	47.00
16.	मिजोरम	51.22	61.00
17.	नागालैंड	106.09	109.00
18.	उड़ीसा	581.09	628.00
19.	पंजाब	100.39	36.00
20.	राजस्थान	148.37	105.00
21.	सिक्किम	71.36	41.71
22.	तमिलनाडु	385.79	422.74
23.	त्रिपुरा	47.18	34.00
24.	उत्तर प्रदेश	1417.10	1093.51
25.	पश्चिम बंगाल	841.53	784.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.63	1.00
27.	चंडीगढ़	13.29	3.50
28.	दादर और नगर हवेली	1.17	8.79
29.	दमण और दीव	9.50	14.50
30.	दिल्ली	14.38	41.50
31.	लक्षद्वीप	1.36	3.00
32.	पांडिचेरी	2.00	7.00
	कुल	7973.62	7179.01

प्रतिव्यक्ति आय

2518. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय घटकर आधी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-1996 के दौरान प्रति व्यक्ति आय राज्य-वार कितनी थी और वर्तमान में राज्य-वार कितनी है;

(घ) प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत की प्रति व्यक्ति आय पड़ोसी विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ज) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, कारक लागत पर (वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर) निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) के रूप में मापित समग्र रूप से देश की प्रति व्यक्ति आय, जो वर्ष 1995-96 में 8498 रुपये थी वह वर्ष 2000-01 में बढ़कर 10561 रुपये हो गयी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1995-96 और 1999-2000 की अवधि के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में मापित का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का कोई प्रमाण नहीं है।

(ङ) और (च) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 2002 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई)के रूप में मापित भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में पड़ोसी विकासशील देशों में पाकिस्तान की 470 अमरीकी डालर, बंगलादेश की 380 अमरीकी डालर, श्रीलंका की 870 अमरीकी डालर, नेपाल की 220 अमरीकी डालर और चीन की 840 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 460 अमरीकी डालर थी।

(छ) और (ज) योजना आयोग को इस संबंध में किसी अध्ययन की जानकारी नहीं हैं।

(झ) देश की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के ब्यौरे दिए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में यह प्रस्तावित है कि दसवीं योजना का उद्देश्य वर्ष 2002-07 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8% प्रतिवर्ष तक का एक निश्चयार्थ लक्ष्य होना चाहिए, जिससे प्रति वर्ष कम -से-कम 6 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय होगी। वृद्धि दर को बृहद स्तर और क्षेत्रक स्तर दोनों पर बचत और निवेश दर में वृद्धि को ध्यान में रखकर और कुशलता बढ़ाने वाली नीतियों का पालन करते हुए लक्षित किया गया है जिससे कि समग्र रूप में प्रति व्यक्ति आय के स्तर को बढ़ाया जा सके।

विवरण

प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद
(वर्ष 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर)
(13.11.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (रुपये में)	
		1995-96	1999-2000 क्यू.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8086	9318
2.	अरूणाचल प्रदेश	9424	9170
3.	असम	5760	5968
4.	बिहार	3723	4475
5.	गोवा	16180	एन.ए.
6.	गुजरात	11792	13434
7.	हरियाणा	11326	13463
8.	हिमाचल प्रदेश	7966	9177

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	6732	7435
10.	कर्नाटक	8363	10928
11.	केरल	8748	9678
12.	मध्य प्रदेश	6809	एन.ए.
13.	महाराष्ट्र	13406	15410
14.	मणिपुर	5883	7213
15.	मेघालय	7150	7826
16.	मिजोरम	एन.ए.	एन.ए.
17.	नागालैंड	9646	एन.ए.
18.	उड़ीसा	5053	5411
19.	पंजाब	12989	14678
20.	राजस्थान	7209	8272
21.	सिक्किम	एन.ए	एन.ए.
22.	तमिलनाडु	10191	12504
23.	त्रिपुरा	5339	6604
24.	उत्तर प्रदेश	5498	6373
25.	पश्चिम बंगाल	7514	9425
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14797	एन.ए.
27.	चंडीगढ़	21962	29661
28.	दिल्ली	18996	24032
29.	पांडिचेरी	9841	19895

टिप्पणी: एन.ए. : उपलब्ध नहीं क्यू : त्वरित अनुमान

दूरसंचार उद्योग की वृद्धि दर

2519. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूरसंचार उद्योग की वृद्धि दर पिछले साल जितनी है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1998-1999, वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के दौरान इस उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान वर्षवार सकल उत्पादन मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश से निर्यात किए गए दूरसंचार उत्पादों मूल्य का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूरसंचार उद्योग की वृद्धि दर सामान्यता सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की वृद्धि से मापी जाती है। इस वर्ष के दौरान डीईएल की वृद्धि दर लगभग पिछले वर्ष जितनी है।

(ख) वर्ष 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 के लिए सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) की वार्षिक वृद्धि दर नीचे दी गई है।

वर्ष	वार्षिक वृद्धि दर
1998-1999	21.3%
1999-2000	22.77%
2000-2001	22.35%

(ग) जहां तक दूरसंचार विनिर्माण सेक्टर का संबंध हैं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित अवधि के दौरान उद्योग जगत द्वारा उत्पादित दूरसंचार उपस्कर निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1998-1999	10.000
1999-2000	10.760
2000-2001	12,271

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए दूरसंचार उत्पादों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	दूरसंचार उपस्करों का निर्यात (करोड़ रु. में)
1998-1999	250
1999-2000	180
2000-2001	450

[अनुवाद]

रक्तदाताओं पर प्रतिबंध

2520. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रोफेशनल रक्तदाता उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे रक्तदाताओं पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रक्तदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त एकत्र करने के इस अवैध प्रचलन के बारे में देश के कुछ भागों से अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त होती है। पेशेवर रक्तदान के प्रचलन पर पहली जनवरी, 1998 से प्रतिबंध लगा दिया गया है और तब से विनियामक प्राधिकारी (केन्द्रीय और राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी) ने देश में ऐसे प्रचलनों में कमी करने के लिए उपाए किए हैं। इन प्राधिकारियों को ऐसे प्रचलनों की मानीटरिंग करने और कड़ी शास्तियां लगाने हेतु और आगे सुदृढ़ किया जा रहा है।

उत्तरी गठबंधन को चिकित्सीय सहायता

2521. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान में उत्तरी गठबंधन को चिकित्सीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय डाक्टरों के साथ कुलियाब में एक अस्पताल चला रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारत के अफगानिस्तान के लोगों के साथ मैत्री तथा सहयोग के ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारे संबंधों को और आगे मजूबत बनाने की हमारी वचनबद्धता के अंग के रूप में सरकार मानवीय सहायता देती रही है जिसमें अफगानिस्तान के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न मार्गों से चिकित्सा राहत सामग्री और चिकित्सा सेवाएं भी शामिल हैं। हाल ही में 21 नवम्बर, 2001 को हमने उस राजनयिक मिशन के साथ दवाइयों की एक खेप काबुल भेजी जो अफगानिस्तान गया था। इससे पहले इस वर्ष अक्तूबर में अफगास्तिान के लोगों के लाभ के लिए हमने चालीस टन से अधिक भार वाली दवाइयों की दो खेपें दुशान्बे, ताजिकिस्तान भेजीं।

(ग) और (घ) उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए तथा अफगानिस्तान के लोगों के लाभ के अलावा चिकित्सा राहत की पेशकश की हमारी वचनबद्धता के भाग के रूप में भारत पिछले ढ़ाई वर्षों से उत्तरी अफगानिस्तान की सीमा पर फखवोर, ताजिकिस्तान में भी एक अस्पताल चला रहा है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा यंत्र का विकास

2522. श्री किरीट सोमैया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने हाल में परमाणु सामग्री की तस्करी का पता लगाने के लिये एक यंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त यंत्र से परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने हाल ही में एक यंत्र विकसित किया है जो विशेष किस्म की नाभिकीय सामग्री का पता लगा सकता है और खतरे का संकेत दे सकता है। यह यंत्र विशेष किस्म की नाभिकीय सामग्री, जो नाभिकीय आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, के अप्राधिकृत रूप से लाने-ले-जाने का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएगा।

हार्डवेयर उत्पाद

2523. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शुल्क ढांचे में विसंगति के कारण देश में हार्डवेयर उत्पादों के मूल्य बुहत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन के साथ प्रतिस्पर्धा में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सहायता करने के लिए यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो विभाग की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उदारीकरण के मद्देनजर देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में सक्षम हो सके?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सीमा शुल्क के मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर उत्पाद जैसे कि कम्प्यूटरों पर यथामूल्य 15% की दर से एक समान सीमा शुल्क लगता है जबकि कम्प्यूटरों के पुर्जों पर यथामूल्य 5% की दर से सीमा शुल्क लगता है। एकीकृत परिपथ (आईसी), कम्प्यूटरों के सूक्ष्म संसाधक, भण्डारण युक्तियां (हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रॉम ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव) और डेटा ग्राफिक प्रदर्श नलिका जैसे बड़े महत्वपूर्ण पुर्जों एवं संघटकों पर सीमा शुल्क की दर 'शून्य' हैं। मदरबोर्ड भरे हुए मुद्रित परिपथ बोर्ड, कम्प्यूटरों के सहायक उपकरण, कम्प्यूटरों के स्टैटिक कनवर्टरों पर यथामूल्य 15% की एक समान दर से सीमा शुल्क लगता है। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ढांचे का संबंध है, सभी सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पादों पर यथामूल्य 16% की दर सेनवेट लगता है। इस प्रकार, शुल्क के ढांचे में कोई विसंगति नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करने के लिए वर्ष 2002-03 के बजट प्रस्तावों के एक भाग के रूप में राजस्व विभाग के समक्ष कुछ और प्रस्ताव पेश कर रहा है।

(ङ) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिए गए प्रोत्साहन

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तार्किक बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी 2सी) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रस्तावों को स्वतः अनुमोदन।

3. ईएचटीपी तथा एसटीपी योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यन्वित की जाती हैं।

4. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाईयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रोडबैंडिंग की अनुमति।

5. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान ह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। अब इन कटौतियों की सम्पूर्ण सीमा पहले के 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि में 90% तक होगी।

6. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपए में होने वाले निर्यात में मूल्य संसाधित मानदंडों को 100% से घटा कर 33% तक करना।

8. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास।

9. वर्ष 2001-02 के बजट में उच्चतम सीमा शुल्क की उच्चतम दर 35% सामान्य तौर पर सभी प्रकार के आयातों पर से 10% की दर का सीमा शुल्क अधिभार समाप्त कर दिया गया है, किन्तु विशिष्ट छूटों को छोड़कर सभी प्रकार के आयातों पर 4% की दर से विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क (एएडी) जारी है। वर्ष 2000-01 के बजट में कम्प्यूटर तथा उपान्त उपस्करों पर सीमा शुल्क की दर को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया था और इस वर्ष भी यह दर है। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्मसंसाधकों, रंगीन

मानीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर सीमा शुल्क शून्य दर तक घटा दिया गया है। वर्ष 2001-02 के बजट में विश्व व्यापार संगठन (आईटी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क की विद्यमान दर 20-25% को घटाकर 15% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क की रियायती दर चालू है।, दूरसंचार के कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है। सेमीकण्डक्टर के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 32 मदों (अतिरिक्त) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क की अनुमति दी गई है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर को लागू करते हुए संरचना को तर्कसंगत बनाया गया है और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) की 16% की एकल दर से है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनयम की धारा 10 क तथा 10 ख के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

16. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

17. आयकर अधिनियम की धारा 10क, 10ख तथा 80 एचएचई के तहत आईटी समर्थित सेवाओं को आयकर लाभ के योग्य बनाया गया है।

18. संख्या ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों आदि को दान करने की अनुमति दी गई है।

19. विदेशी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और गैर व्यवसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर को सीमा शुल्क से छूट दी गई।

20. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किंए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

21. उद्यम पूंजी वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

22. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लेगगा। उन उद्यम पूंजी उपक्रमों के शेयर जिनमें उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था, बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाने पर भी उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

23. पोर्ट पोलियो निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यपूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

24. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुए आय पर 10% के रियायती दर पर आयकर देय होगी।

25. धारा 80-1क (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रवाधान के अन्तर्गत कारावकाश का विस्तार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रौडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को उपलब्ध कराया गया है।

26. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

27. कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

28. सरकार ने 100 करोड़ रुपए के संग्रह से एक सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (एनएफएसईटी) के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) का गठन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंशदान 30 करोड़ रुपए होगा।

29. निर्यात/आयात समव्यवहार समय को कम करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 'ज्ञात पोतवाणिक' के लिए 24 घंटे प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने हेतु एक योजना को अंतिम रूप दिया है। मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली, तथा गोवा हवाई लादान परिसर में सप्ताह के दिनों में 2 पारियां और छुट्टी के दिन 1 पारी शुरू की गई है।

30. एसटीपीआई ने एसटीपी इकाइयों के कारोबार को बढ़ाने और लघु एवं मझौले उद्यमियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवसाय सहायता केन्द्र की स्थापना की है, यह नवम्बर, 1999 से कार्य कर रहा है।

31. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलूओं से संबंधित है। यह इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्रे विस्तार को प्रोत्साहित करेगा।

[हिन्दी]

सिख तीर्थयात्रियों को वीजा

2524. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में ननकाना साहिब जाने के इच्छुक सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान द्वारा वीजा नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान सरकार द्वारा कितनी बार वीजा देने से इन्कार किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है कि तीर्थयात्री ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा कर सकें?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान में पवित्र तीर्थस्थलों की यात्राएं धार्मिक तीर्थ-स्थानों की यात्रा से सम्बद्ध प्रोटोकोल 1974 के अनुसार की जाती है। पाकिस्तान वर्षों से पाकिस्तान में ननकाना साहिब और कुछ अन्य गुरूद्वारों की यात्रा के लिए सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर रहा है।

हॉटमिक्स प्लांट्स

2525. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काम के अभाव में करोड़ों रुपये मूल्य के हॉटमिक्स प्लॉट्स और अन्य मशीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों के किनारे अप्रयुक्त पड़ी हैं और राज्य सरकारों का उन पर करोड़ों रुपये अपव्यय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना ऐसे घाटों को रोकने के लिए स्वीकृत कार्य हेतु ऐसे हॉटमिक्स प्लांट्स के उपयोग का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों को हॉटमिक्स प्लांट और अन्य मशीनों की आपूर्ति की गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों की मशीनों को छोड़कर अधिकांश मशीनें 25 से 35 वर्ष पुरानी हैं और नए विनिर्देशों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चरणबद्ध रूप से उनके निपटान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) राज्यों में उपलब्ध केन्द्र की मशीनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध उपयुक्त प्लांट के उपयोग के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	हॉटमिक्स प्लांट	पेवर	लोडर	टीपर	जेनरेटर सेट	कुल बिटुमनी मशीन	अन्य मशीन	कुल मशीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	-	-	2	0	0	2	189	191
2.	आंध्र प्रदेश	1	1	-	-	-	2	4	6
3.	बिहार	20	12	14	118	8	172	380	552
4.	दिल्ली	-	-	-	3	-	3	-	3
5.	गुजरात	3	4	6	18	1	32	13	45
6.	हरियाणा	1	-	-	12	2	15	1	16
7.	हिमाचल प्रदेश	7	2	13	13	1	36	48	84
8.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	1	1
9.	कर्नाटक	3	-	1	-	1	5	3	8
10	केरल	5	2	4	11	2	24	3	27
11.	मध्य प्रदेश	-	-	-	6	-	6	1	7
12.	मणिपुर	2	2	6	13	2	25	21	46
13.	मेघालय	4	2	5	10	2	23	18	41
14.	मिजोरम	3	1	3	3	1	11	3	14
15.	नागालैंड	3	1	3	5	1	13	5	18
16.	उड़ीसा	-	-	-	6	-	6	52	58
17.	पंजाब	3	-	3	5	2	13	3	16
18.	राजस्थान	7	3	-	12	1	23	56	79
19	तमिलनाडु	3	-	2	12	2	19	23	42
20.	उत्तर प्रदेश	23	13	8	59	4	107	28	135
21.	पश्चिम बंगाल	17	8	7	66	1	99	228	327
	जोड़	105	51	77	372	31	636	1080	1716

उत्तर प्रदेश में स्पीड पोस्ट सुविधा

2526. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिला मुख्यालयों में अभी तक स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सभी जिला मुख्यालयों को कब तक इस नेटवर्क के अंतर्गत लाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में 29 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान नहीं की जा सकी है। ऐसे जिला मुख्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है जिसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटर्वक का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आवश्यकता के मूल्यांकन, अनुमानित राजस्व और परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों की सूची जहां स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है

1. बुलन्दशहर
2. एटा
3. औरैया
4. जालोन
5. ललितपुर
6. महामायानगर
7. मैनपुरी
8. कोशाम्बी
9. सोनभद्र
10. चन्दौसी
11. भदोही
12. जे.पी.नगर
13. बिनजौर
14. बागपत
15. महाराजगंज
16. सिद्धार्थनगर
17. संत कबीर नगर
18. कुशीनगर
19. श्रावस्ती
20. कानपुर (एम)
21. उन्नाव
22. फतेहपुर
23. फर्रुखाबाद
24. कन्नौज
25. बांदा
26. महोबा
27. साहूजी महाराज नगर
28. अम्बेडकर नगर
29. सुल्तानपुर

[अनुवाद]

विदेश व्यापार को प्रोत्साहन

2527. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की देश के विदेशी व्यापार विकास में क्या भूमिका है;

(ख) क्या इस संबंध में उनके कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु सरकार द्वारा कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय दूतावासों के कारण वर्ष 1999-2001 के दौरान पिछले वर्ष 1998-1999 के मुकाबले देश का विदेशी व्यापार कितना प्रतिशत बढ़ा;

(ङ) उन भारतीय दूतावासों का ब्यौरा क्या है जो देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में विफल रहे है;

(च) क्या देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में भारतीय दूतावासों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) विदेश स्थित भारतीय मिशन वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं, ग्राहक-विक्रेता सम्मेलनों, प्रचार प्रदर्शनियों इत्यादि जैसे विभिन्न निर्यात प्रवर्तन क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करने के साथ-साथ नीति निर्माण हेतु अन्य जानकारियां और विपणन बोध प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) निर्यात प्रवर्तन सहित देश के आर्थिक हितों के संवर्धन में विदेश स्थिर भारतीय मिशनों के निष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा एक सतत् और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाल ही में हुई समीक्षा के परिणामस्वरूप सरकार अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात, निवेशों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों सहित भारत के आर्थिक हितों के प्रवर्तन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई योजना तैयार कर रही है।

(घ) भारत के विदेश व्यापार में वर्ष 1998-1999 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 17.78 प्रतिशत और वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 में 14.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश के विदेश व्यापार में वृद्धि के अनेक कारण हैं और इसका श्रेय केवल हमारे मिशनों के संवर्धनात्मक प्रयासों को ही नहीं दिया जा सकता है।

(ङ) कर्मचारियों और अन्य संसाधनों की सीमित उपलब्धता के भीतर विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन संतोषप्रद कार्य कर रहे हैं।

(च) और (छ) सरकार देश के आर्थिक हितों के प्रक्षेपण हेतु विदेश स्थित भारतीय मिशनों की भूमिका को सुदृढ़ कर रही है निर्यात प्रवर्तन के क्षेत्र में प्रमुख वाणिज्यक हितों के चुनिंदा मिशनों के लिए एक व्यापार सरलीकरण शासनपत्र तैयार किया गया हैं जिसमें दिशानिर्देश निहित हैं।

[हिन्दी]

आई.सी.सी.आर. के कार्य

2528. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा कौन-कौन से कार्य किये गये, और;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आई.सी.सी.आर. द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध तथा आपसी समझ-बूझ बढ़ाने और सुदृढ़ करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध-परिषद ने सांस्कृतिक मंडलियों का आदान-प्रदान, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भाषाएं विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान, प्रदर्शनियों और संगोष्ठितयों का आयोजन, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का प्रकाशन, पुस्तकों, संगीत कैसेटों और भारतीय नेताओं की आवक्ष मूर्तियों को उपहारस्वरूप देने जैसे क्रियाकलाप किए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों में चौदह सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं जो विदेशी छात्रों को भारतीय संगीत, नृत्य तथा योगा सिखाने जैसे क्रियाकलाप भी करते हैं। इसके अलावा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों में स्थापित भारतीय अध्ययन के 19 पीठों में विदेशी छात्रों को भारतीय इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषाएं और भारत से संबंधित अन्य सम्बद्ध विषय सिखाए जाते हैं।

(ख) 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्रियाकलापों पर क्रमश: 3754.67 लाख रुपए और 3817.09 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज (जयपुर) का दर्जा

2529. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर ने मेडिकल कालेज के दर्जे की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान न्यास, जयपुर के प्रस्ताव,

जिसमें जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी गई है, को मूल्यांकन हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा गया था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर सरकार ध्यान दे रही है।

केन्द्रीय भण्डार की आंतरिक लेखापरीक्षा

2530. श्री रामजी मांझी:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **प्रधान मंत्री** 25.04.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5755 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में आतंरिक लेखापरीक्षकों की बड़ी संख्या में आपत्तियां अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन आपत्तियों को अब तक सुलझा लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वस्थाने पदोन्नति

2531. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहायक श्रेणी केन्द्रीय सचिवालय-सेवा की निम्नतम श्रेणी है और अनुभाग अधिकारी का फीडर ग्रेड तथा सहायकों के आधे से ज्यादा स्वीकृत पदों ने प्रोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता सेवा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अवर सचिव और उप सचिव श्रेणी में वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अंतर्गत स्वस्थानों प्रोन्नति के आधार पर 12 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने वाले सभी अनुभाग अधिकारियों को वर्ष 1998 और 1999 में तीसरी और चौथी प्रोन्नति दे दी गई थी ताकि अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी श्रेणी की प्रोन्नति में स्थिरता को समाप्त किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो 12 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने वाले सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर कब तक स्वस्थाने प्रोन्नति दे दी जाएगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सहायक-ग्रेड, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा का निम्नतम ग्रेड है। यह ग्रेड 33 संवर्गों में विकेन्द्रीकृत है और निर्णायक तारीख अर्थात् संबंधित वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख को 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी किए हुए सहायक, अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किए जाने के बारे विचार किए जाने के पात्र होते हैं।

(ख) और (ग) सीधे भर्ती अनुभाग अधिकारियों और पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के बीच आपसी वरिष्ठता के बारे में अरसे तक चली लम्बी मुक्दमेबाजी के कारण, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारियों की 1986 के बाद और उपर्युक्त सेवा के अवर सचिवों की 1993 के बाद कोई भी पदोन्नति नहीं हो पाने की वजह से उन्हें स्वस्थाने उन्नयन दिया गया था। जहां तक सहायकों का संबंध है, इस ग्रेड की प्रवर सूचियां नियमित अन्तराल पर जारी की जा रही हैं, अतः सहायकों को स्वस्थाने आधार पर वैयक्तिक उन्नयन दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

निजी दूरभाष पूछताछ सेवा

2532. श्री बहादुर सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में निजी दूरभाष पूछताछ सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा से जोड़े जाने वाले नगरों के नाम क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, गुजरात दूरसंचार सर्किल के अहमदाबाद

दूरसंचार जिले में प्राइवेट एजेंसियां भारत संचार निगम लि. की डायरेक्टरी पूछताछ सेवा ("197") उपलब्ध कराने के प्रयासों को पूरा करने में लगी हुई हैं।

केबल टी.वी. व्यापार

2533. श्री वाई.वी.राव. : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने केबल टी.वी. व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो वे शहर कौन-कौन से हैं जिनमें इनका संचालन किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली और मुम्बई

(ग) वर्ष 2002 के दौरान शुरू किया जाएगा।

औषधि-परीक्षण प्रयोगशालाएं

2534. डा. वी. सरोजा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति की निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने का कार्य प्रगति पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रगति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन निजी प्रयोगशालाओं की चैकिंग के लिए कोई निगरानी तंत्र विकसित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी औषधों तथा प्रयोग में लाई गई कच्ची सामग्रियों की जांच करने हेतु निजी औषध जांच प्रयोगशालाओं/संस्थाओं को मान्यता देने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में प्रावधान किया गया है। अधिसूचना की एक प्रति राज्य औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के संगठनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी की गई है।

(ग) और (घ) प्रयोगशाला को अनुमोदित करने से पहले नियमों के उपबंधों के अनुसार आधारभूत ढांचे आदि को सत्यापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने का प्रावधान है। लाइसेंस प्रदान करने और इसके नवीकरण के प्रावधानों में कार्य को पूरी तरह से करने की प्रयोगशाला की क्षमता पर ध्यान दिया जाता है।

विकलांगों के लिए आरक्षण

2535. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और विभागों में अपंग/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षित पदों की वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार अपंग/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए रिक्त पदों की वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) अपंग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इंटरनेट सेवा

2536. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बहुत से भागों में इंटरनेट सेवा की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इतनी धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें शीघ्र सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इंटरनेट सेवा की गति अलग-अलग स्थानों में भिन्न-भिन्न है और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) पर निर्भर करती है। आईएसपी लाइसेंस करार के अनुसार, सेवा की गुणवत्ता के लिए कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इंटरनेट सेवा की गति उपस्कर की क्षमता, डायल-अप लाइनों की संख्या, और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता के लिए आईएसपी आदि द्वारा प्रयुक्त बैंडविड्थ जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के कार्यों में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी शामिल है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, टीआरएआई द्वारा सेवा प्रदाताओं के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।

दूरभाष किराया

2537. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में दूरभाष उपभोक्ताओं के मासिक किराये में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों और महानगरों के नाम क्या है जिनमें यह वृद्धि प्रभावी हो चुकी है और वह तिथि क्या है जबसे यह वृद्धि प्रभावी हुई हैं; और

(घ) प्रशुल्क योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (1997) के अन्तर्गत केवल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ही दूरसंचार टेरिफ निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। सेवा प्रदाता दो सरकारी उपक्रमों अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने मासिक किराए में संशोधन किया है ताकि उसे ट्राई द्वारा निर्धारित किराए के अनुरूप लाया जा सके। सभी शहरी उपभोक्ताओं पर 1.2.2001 के लागू होने वाले संशोधित किराए निम्नलिखित है:

क्र. सं.	एक्सचेंज प्रणाली	ट्राई के अनुसार मानक मासिक किराया	1.2.2001 से लागू मासिक किराया
(1)	30,000 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	120/-रुपए	120/-रुपए
(2)	30,000 और इससे अधिक लाइनों किन्तु 1 लाख लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	180/- रुपए	180/-रुपए
(3)	1 लाख और इससे अधिक लाइनों किन्तु 3 लाख लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सेंज प्रणाली	250/-रुपए	250/-रुपए
(4)	3 लाख और इससे अधिक की क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	250/-रुपए	250/-रुपए

सीमा पर गोलीबारी

2538. श्री टी. गोविन्दन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल में भारी गोलीबारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में वास्तविक भू-स्थिति रेखा, नियंत्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास अकारण गोलाबारी का सहारा बार-बार ले रहा है। अकारण गोलाबारी की कुछ घटनाओं में उनका उद्देश्य भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का बचाव करने का होता है।

(ख) और (ग) सरकार भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उपयुक्त और प्रभावी रूप से दिलाना चाहती है और इस कारण

पर भी प्रकाश डाला है कि पाकिस्तान प्राय: जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक भू-स्थिति रेखा के आस-पास अकारण गोलाबारी का सहारा लेता है।

सरकार ने पाकिस्तान को कई अवसरों पर जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक भू-स्थिति रेखा के आस-पास शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने की महत्ता को दोहराया है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार ने 6 जुलाई, 2001 को सैन्य प्रचालन के महानिदेशक को बातचीत के लिए पाकिस्तानी समकक्ष अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था ताकि नियंत्रण रेखा और वास्तविक भू-स्थिति के आस-पास शांति प्रक्रिया को सुदृढ़ और स्थिर किया जा सके। सरकार ने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता के सभी खतरों को दूर करने के लिए अपने संकल्प से भी अवगत कराया है

सरकार भारत की सम्प्रभुता, सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के सभी उपयुक्त उपायों को करेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

2539. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59 (अनुसूचित जातियां 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21% है) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% (अनुसूचित जातियां 11.73% और अनुसूचित जनजातियां 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो संसदीय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 जनवरी, 1998 को केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह "क" सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 14.24% (अनुसूचित जातियों - 10.8% और अनुसूचित जनजातियां - 3.44%) तथा समूह "ख" सेवाओं में 15.37% (अनुसूचित जातियां - 12.35% और अनुसूचित जनजातियां - 3.02%) था।

(ख) और (ग) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

दिनांक 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार

समूह	पदों की स्वीकृत संख्या	इनसे सबंद्ध व्यक्ति				प्रतिनिधित्व का प्रतिशत			
		सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	12	11	1	-	-	91.67	8.33	-	-
ख	*39	27	9	3	-	69.23	23.07	7.69	-

*इसमें 4 संवर्ग बाह्य पद शामिल नहीं हैं जिन पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है और इन पर आरक्षण लागू नहीं होता है।

रोगों के लिए आयुर्वेदिक दवाएं

2540. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आर्थिराइटिस, स्लिप डिस्क, स्पांडीलाइटिस, अस्थमा, साइनसाइटिस और माइग्रेन जैसे रोगों का उपचार आयुर्वेदिक दवाओं से किया जा सकता है;

(ख) क्या विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार इन रोगों के उपचार की सफलता दर 70 से 80 प्रतिशत के बीच है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या सरकार उक्त रोगी के इलाज के लिए देश में अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार जड़ी-बूटियों की खरीद और परीक्षण के लिए मुफ्त अनुसंधान और विकास केन्द्र खोलने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) इन लक्षणों के उपचार और प्रबन्धन के लिए आयुर्वेद पद्धति में औषधें उपलब्ध हैं।

(ख) इन औषधों की सफलता दर को निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और नए अपतालों और औषधालयों को खोलना संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि सरकार राज्य द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है।

(च) और (छ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने और मानक औषधों के विनिर्माण के संवर्धन के लिए सरकार राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम

2541. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सीधे केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू किये गये स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु किन अभिकरणों को सम्मिलित किया गया है और पहचान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काला-आजार, क्षयरोग, एड्स, कुष्ठरोग और दृष्टिहीनता सहित मलेरिया जैसे संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के बड़े रोगों के नियंत्रण हेतु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है। ये कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं जबकि मलेरिया के मामले में उत्तर प्रदेश में निधियां 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर दी जाती हैं। अन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में निधियां 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के चार जिलों नामत: वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखनऊ को संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के अधीन शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं के पुनरभिविन्यास (यू एस एड) की सहायता से परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नवीकरण का कार्य चला रहा है। गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन के चल रहे कार्यकलापों के अतिरिक्त इस राज्य में तीन वर्षों की अवधि के दौरान 37,000 गांवों को कवर करने के लिए गर्भनिरोधकों के लिए सामाजिक विपणन परियोजना भी मई, 2000 में शुरू की गई है। इस राज्य को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण और रोग प्रतिरक्षण कार्यकलापों के लिए सहायता भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, लखनऊ, सुलतानपुर तथा गाजीपुर में विभिन्न रोगों के लिए जांच, उपचार तथा परामर्श देने हेतु लोगों को नि:शुल्क समेकित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए चार स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए।

(ख) केन्द्र सरकार के रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को राज्य सरकार तथा राज्य/जिला रोग नियंत्रण सोसाइटियों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी इस कार्यक्रम के घटकों जैसे कि मोतियाबिंद आपरेशन कुष्ठ तथा क्षयरोग के रोगियों की पहचान तथा उनका उपचार तथा एच आई वी/एड्स जैसे विभिन्न रोगों तथा गर्भनिरोधकों के सामाजिक

विपणन जैसे परिवार कल्याण उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

लघु उद्योग योजनाएं

2542. श्री अनंत गुढ़े: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में चल रही विभिन्न योजनाओं के निष्पादन/कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में निर्धारित किए गए वास्ताविक तथा वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से तत्संबंधी राज्यवार, योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के सुचारू विकास को सुनिश्चित करने हेतु की गई पहल/प्रस्तावित नवीन नीति का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। चल रही विभिन्न योजनाओं के निष्पादन/कार्यान्वयन की उपयुक्त स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए योजनाएं/कार्यक्रम देशभर में समान रूप से क्रियान्वित किए जाते हैं, और ये राज्य विशिष्ट नहीं हैं। विगत तीन वर्षों में महाराष्ट्र सहित देश में क्रियान्वित की जा रही मुख्य योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना के संबंध में उनकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) प्रधान मंत्री द्वारा 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास हेतु और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू तथा विश्वव्यापी दोनों तौर पर बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीति पैकेज को घोषणा की गई थी। इस नीति पैकेज में बढ़ी हुई राजकोषीय और क्रेडिट सहायता, बेहतर आभारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु उत्प्रेरक शामिल हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत् राज्य-वार निश्चित लक्ष्य एवं उपलब्धि

(भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		योजना लक्ष्य	संवितरित मामले बैंकों द्वारा सं.	योजना लक्ष्य	संवितरित मामले बैंकों द्वारा सं.	योजना लक्ष्य	संवितरित मामले बैंकों द्वारा सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	4150	5742	4150	5616	4300	4408
2	हिमाचल प्रदेश	2300	1913	2450	1948	2650	4865
3.	जम्मू कश्मीर	1300	835	1300	871	1300	652
4.	पंजाब	4500	8075	4250	8308	4200	6295
5.	राजस्थान	8150	10059	8050	10731	8300	8296
6.	चण्डीगढ़	100	75	500	51	400	44
7.	दिल्ली	4700	508	4850	598	5000	650

1	2	3	4	5	6	7	8
	पूर्वोत्तर क्षेत्र						
8.	असम	6700	5525	6400	5690	6600	1466
9.	मणिपुर	1000	407	1000	294	1000	357
10.	मेघालय	300	202	300	336	300	399
11.	नागालैंड	250	40	200	73	200	21
12.	त्रिपुरा	650	110	560	230	650	35
13.	अरुणाचल प्रदेश	125	166	100	111	125	118
14.	मिजोरम	200	37	200	59	200	245
15.	सिक्किम	100	45	100	42	50	33
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	बिहार	20500	8364	21800	7753	21900	6202
17.	उड़ीसा	6700	3106	7100	3662	7100	1031
18.	पश्चिम बंगाल	23000	2726	22800	2458	22500	1752
19.	अंडमान निको.	100	77	75	101	100	109
	सेन्ट्रल क्षेत्र						
20.	मध्य प्रदेश	15400	19102	15800	18180	16200	10094
21.	उत्तर प्रदेश	25800	35023	26000	35559	26100	28166
	पश्चिमी क्षेत्र						
22.	गुजरात	8300	10607	8300	10085	8400	8337
23.	महाराष्ट्र	21250	26346	21800	24841	22500	17751
24.	दमन एवं दीव	25	21	25	16	50	22
25.	गोवा	600	300	500	408	500	256
26.	दादर नगर हवे.	25	28	50	25	50	22
	दक्षिणी क्षेत्र						
27.	आंध्र प्रदेश	17100	15186	16800	11604	16900	6990
28.	कर्नाटक	10950	13188	11100	14906	11000	5886

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	केरल	16000	11749	16000	12114	13500	9565
30.	तमिलनाडु	18400	11422	17000	11544	17400	9240
31.	लक्षद्वीप	50	31	20	33	50	14
32.	पांडिचेरी	500	330	500	277	500	164
	विनिर्दिष्ट नहीं		6				690
	कुल	219225	191351	220080	188524	220025	131175

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान आई आई डी केन्द्रों की वर्षवार संस्वीकृति

वर्ष	संस्वीकृत आई आई डी केन्द्रों की संख्या	राज्य	आई आई डी का स्थान
1998-99	11	1. आन्ध्र प्रदेश	(1) नेलोर (2) वारंगल
		2. राजस्थान	(1) उदयपुर
		3. केरल	(1) एरनाकुलम (2) व्यानद (3) मल्लापुर (4) कसरगौड
		4. पंजाब	(1) कपूरथला (2) मुक्तसर (3) मत्सा
		5. पांडिचेरी	(1) सदरपेट
1999-2000	1	हरियाणा	(1) यमुनानगर
2000-01	7	1. आंध्र प्रदेश	(1) चित्तूर
		2. मध्य प्रदेश	(1) मंदसौर (2) खरगोने
		3. उत्तर प्रदेश	(1) भदौही
		4. तमिलनाडु	(1) तिरूवेल्लोर
		5. असम	(1) नौगांव (2) दारांग

[हिन्दी]

त्रिपुरा में कृषि आधारित ग्रामोद्योग

2543. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में कृषि आधारित ग्रामोद्योग विकसित करने का कोई कार्यक्रम/प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को जिसमें कृषि एवं ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं को वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता के रूप में सहायता उपलब्ध कराती हैं। के.वी.आई.सी. का ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, त्रिपुरा सहित देशभर में क्रियान्वित किया

जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु. की परियोजना लागत के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा परियोजना लागत की शेष राशि का 10% है। कमजोर वर्गों के लिए, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 30% की दर तथा शेष राशि पर (25 लाख रु. तक) यह 10% की दर से दी जाती है।

[अनुवाद]

ओडुगथुर के लिए ओ.एफ.सी. स्टोरों की खरीद

2544. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले के उपनगर में गुडियाथम दूरभाष केन्द्र के अन्तर्गत मेलारासम्पेट क्षेत्र के कई दूरभाष आवेदक अभी तक दूरभाष कनेक्शन प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडुगथुर से मेलारमम्पेट के लिए ओ.एफ.सी. स्टोरों की खरीद की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो ओडुगथुर के लिए ओ.एफ.सी. खरीद में विलंब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) मेलारसम्पेट में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। इस क्षेत्र की सेवा ओडुगथुर टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा की जा रही है जो लगभग 9.5 कि.मी. को रेडियल दूरी पर है। टेलीफोन प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र के 12 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। ये सभी मांगें लम्बी दूरी कनेक्शनों से सम्बन्धित हैं। इस समय ये कनेक्शन देना व्यवहार्य नहीं हैं। तथापि, प्रस्ताव है कि डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्ष 2002-03 के दौरान ये कनेक्शन दिए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मेलारसम्पेट में नए एक्सचेंज के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा मांग के अनुसार नया एक्सचेंज खोलना न्यायोचित नहीं है। इसलिए, इस समय ओ एफ सी की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

2545. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर स्थित तुमकुर से हावेरी तक "वेस्टर्न हेतु 240 मिलियन डालर" की सहायता की मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : (क) जी हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को पश्चिमी परिवहन कॉरिडोर तुमकुर-हावेरी रा.रा. 4 परियोजना के लिए 20.9.2001 को 240 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। ऋण अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष है।

(ग) और (घ) ऋण की राशि का उपयोग कर्नाटक राज्य में सीरा बाइपास (116से 122 कि.मी.) को छोड़कर तुमकुर (75 कि.मी.) और हावेरी (340 कि.मी) के बीच मौजूदा रा.रा. 4 की मरम्मत और उन्नयन के लिए किया जाएगा। इस परियोजना में ब्रह्मसागर, हरिहर, रानीबेन्यूर और हावेरी में चार बाइपास के निर्माण के अलावा मौजूदा रा.रा. 4 को चौड़ा करके 4 लेन बनाने का कार्य, हनुमानहट्टी और नेलगौल में मौजूदा लेबल क्रासिंगों पर छः लेन वाले सड़कोपरि पुल (आर ओ बी) का निर्माण और दावनगिरि बाइपास पर मौजूदा आर ओ बी के समीप तीन लेन वाले अतिरिक्त आर ओ बी का निर्माण शामिल है।

सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां

2546. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात संवर्धन लक्ष्यों के लिए सरकारी क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों में किए गए निवेश की मात्रा कितनी हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई सांस्थानिक प्रविधि बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निर्यात संवर्धन हेतु कोई पूंजीनिवेश नहीं किया हैं।

(ङ) से (छ) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उस अवधि की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

	निर्यात	उपलब्धियां
1999-2000	21040	19750
2000-2001	31940	33138

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर विश्राम स्थल

2547. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा और राजामुंद्री के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर विश्राम स्थलों के निर्माण हेतु लगभग 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अधिग्रहण पर कितनी लागत आई; और

(ग) इस पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 79.5 कि.मी. (सिंहवरम) में विश्रामक्षेत्र के निर्माण हेतु 20 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई। तथापि, न्यायालय ने तीन भूस्वामियों के मामले में रोक लगा दी है। अतः भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। उपर्युक्त तीन भूस्वामियों की भूमि छोड़ देने के बारे में अधिसूचना को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण की कुल अनुमानित लागत 52.50 लाख रु. है। भूमि अधिग्रहण के बाद कार्य आरंभ होगा।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार के लिए जारी धनराशि

2548. श्री अरूण कुमार: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बिहार के लिए जारी की जाने वाली धनराशि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या बिहार में इस योजना के अंतर्गत आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस योजना के अतंर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत राजसहायता हेतु तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण उद्यमिता विकास और आकस्मिकता आदि के लिए भी निधियां जारी करती है। यद्यपि राजसहायता हेतु निधियां, कार्यान्वियन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है, तथापि प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, आकस्मिकता आदि के लिए निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं*। ''बिहार राज्य को वर्ष 1998-99 के

*मूल उत्तर इस प्रकार था-

वर्ष 1998-99 के दौरान बिहार राज्य को 17.26 लाख रू. जारी किए गए थे, जबकि वर्ष 2000-2001 के दौरान 44.52 लाख रु. जारी किए गए थे। ''तथापि बिहार राज्य को पहले से ही जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र न मिलने के कारण वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा 2001-2002 में अब तक राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी।''

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री श्री कड़िया मुण्डा ने प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से 19.12.2001 को उक्त शुद्धियां की।

17.26 लाख रूपये, 1999-2000 के दौरान 13.74 लाख रु. और 2000-2001 के दौरान 44.52 लाख रु. रिलीज किए गए थे" "तथापि, वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार राज्य को पहले से ही रिलीज की गई निधि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हेतु राज्य को अब तक कोई निधि रिलीज नहीं की जा सकी"।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 30.09.2001 की स्थिति के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत, बैंकों में 1463 आवेदन लंबित हैं।

(ङ) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत, कमजोर वर्गों से संबंधित शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से स्व-नियोजित माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। केन्द्र सरकार, उनकी सहायतार्थ राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। अभिप्रेरणात्मक कैंप आयोजित करती है, लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण, आकस्मिकता निधि प्रदान करती है।

पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति

2549. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमरीका को तालिबान द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के नाम पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के विरुद्ध सावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने इस तथ्य की ओर अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया है कि पाकिस्तान द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का प्रयोग प्राय: भारत के विरुद्ध करता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका किस हद तक इस विचार से सहमत हुआ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) सरकार ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आपूरित शस्त्रों के प्रयोग के पिछले इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान को शस्त्रों की पुन: आपूर्ति किये जाने के प्रभावों के बारे में अमरीकी सरकार को बता दिया है। अब यह अमरीकी सरकार पर निर्भर है कि वह पाकिस्तान के साथ अपने करार की शर्तों के संबंध में क्या निर्णय लेती है। अभी तक अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति अथवा बिक्री बहाल नहीं की है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनरुद्धार

2550. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनरूद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूमंडलीकरण के प्रभाव से ग्राम उद्योगों को संरक्षित करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ङ) भारत सरकार ने 14 मई, 2001 को खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के संवर्धन हेतु एक पैकेज की घोषणा की है ताकि उक्त सेक्टर जीवनक्षम तथा विश्वव्यापीकरण के युग में गुन्याजमान बन सके। पैकेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं पांच वर्ष के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प या बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.), खादी कारीगरों का बीमा कवच, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किटिंग संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग तथा कलस्टर विकास इत्यादि। पैकेज में प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रचार तथा विज्ञापन के माध्यम से मार्किटिंग नवीनीकरण और सेल्स आउटलेट्स के आधुनिकीकरण की भी व्यवस्था है। यह आशा की जाती है कि ये उपाय उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने में मददगार होंगे तथा विश्वव्यापीकरण के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में इसकी क्षमता बढ़ाएंगे।

केन्द्रीय निधि जमा योजना

2551. श्री जी. एस. बसवराज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों के लिए हज यात्रा सुलभ बनाने के लिए केन्द्रीय निधि जमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

के.वी.आई.सी. द्वारा निधियों का वितरण

2552. श्री राजनारायण पासी: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में प्रत्योक वर्ष के दौरान खादी संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश, उत्तराचंल, हरियाणा और हिंमाचल प्रदेश को राज्य खादी बोर्डों के माध्यम से अथवा सीधे तौर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा कितनी निधियां वितरित की गई हैं;

(ख) क्या के.वी.आई.सी. ने राज्य खादी बोर्डों (के.वी.आई.) की प्रगति तथा आबंटित निधियों की उपयोगिता की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश में राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के कारण सहकारी समितियों इत्यादि को राज सहायता का वितरण नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित), हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन वर्षों (1998-99,1999-2000 और 2000-2001) में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार के वी आई सी द्वारा राज्य बोर्डों को किए संवितरण तथा बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमशः 1814.51 करोड़ रु. तथा 752.63 करोड़ रु. के हैं.

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

खादी एवं ग्रामोद्योगों के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) को के.वी.आई.सी. द्वारा संवितरित की गई निधियां

राज्य	1998-99					1999-2000					2000-2001				
	राज्य बोर्ड		संस्थान		कुल	राज्य बोर्ड		संस्थान		कुल	राज्य बोर्ड		संस्थान		कुल
	सीबीसी	बजट स्रोत	सीबीसी	बजट स्रोत		सीबीसी	बजट स्रोत	सीबीसी	बजट स्रोत		सीबीसी	बजट स्रोत	सीबीसी	बजट स्रोत	
हरियाणा	3.79	1.33	0.05	7.16	12.33	0.68	1.91	0.17	5.56	8.32	0.96	0.98	-	5.65	7.59
हिमाचल प्रदेश	2.54	2.65	0.02	0.95	6.16	-	0.06	0.01	4.71	4.78	1.06	0.24	-	2.10	3.40
उत्तर प्रदेश*	26.19	11.70	0.54	50.09	88.52	-	4.82	0.49	52.87	58.18	1.05	3.35	0.44	45.74	50.58

*उत्तरांचल को मिलाकर

उच्चस्तरीय शिष्टमंडल का दौरा

2553. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार हेतु तीव्र गति से बढ़ रहे और विशाल संभावित बाजार का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मास्कों के दौरे पर गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रूसी पक्ष के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) दोनों पक्षों के बीच मंत्री स्तर पर एक बहुत ही लाभदायी बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपर्युक्त विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित बातें उभर कर आई:

1. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग की अधिक संभावना है।
2. दूरस्थ शिक्षा, टेलीमैडिसिन तथा ई-कॉमर्स के क्षेत्र में सहयोग के अनेक अवसर हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और दूरसंचार अवसंरचना विकसित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के पर्याप्त अवसर हैं।
4. सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करने और विनियामक संरचनाएं विकसित करने के लिए और अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग "घ" के उत्तर को देखते हुए शून्य।

विवरण

1. सूचना प्रौद्योगिकी उप मंत्री के साथ बैठक

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी उप मंत्री श्री वोलोकिन के साथ बैठक की। वे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-दल के भी अध्यक्ष हैं। रूस ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा व्यक्त की।

2. संचार उप मंत्री के साथ बैठक

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग और सदस्य (प्रौद्योगिकी) ने रूस संघ के पहले उप-संचार मंत्री श्री पावलेंको के साथ मुलाकात की। रूसी पक्ष ने बताया कि उनका मंत्रालय वैज्ञानिक नीतियां, निर्धारित करता है, दूरसंचार उत्पादों को अनुमोदन प्रदान करता है और नेटवर्कों का अंत: सामंजस्य सुनिश्चित करता है। यह मंत्रालय, राज्य स्वामित्व वाली 89 कम्पनियों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है, किन्तु प्राइवेट ऑपरेटरों, जिनकी संख्या 4500 है, के बीच हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त 89 कम्पनियों को 7 संघ क्षेत्रीय कम्पनियों के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है। रूसी संघ की योजना टेलीघनत्व को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की है और विनिवेशों का अगला दौर 2003 में आने की संभावना है। भारतीय पक्ष ने भी भारत में दूरसंचार की स्थिति और अपनी विकास योजनाओं के बारे में बताया।

3. कम्यूनिकेशन तथा इन्फोरमेटाइजेशन मंत्री के साथ बैठक

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य और संचार मंत्री श्री प्रमोद महाजन तथा रूसी संघ के कम्यूनिकेशन और इन्फोरमेटाइजेशन मंत्री माननीय श्री एल. डी. रेमान के बीच एक बैठक हुई थी।

4. दूरसंचार पर अलग से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता महसूस की गई। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य और संचार मंत्री ने अपने काउंटरपार्ट को भविष्य में भारत आने का आमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

5. रूसी संघ के उपाध्यक्ष के साथ बैठक

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य और संचार मंत्री प्रमोद महाजन ने रूसी संघ के उपाध्यक्ष श्री कलेबानॉय के साथ मुलाकात की। रूसी पक्ष ने यह बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। कम्प्यूटरों की आपूर्ति संबंधी उनकी निविदा में भारतीय कम्पनियों को भी भाग लेना चाहिए। रूस के पास सैमी कन्डक्टर्स के उत्पादन की प्रौद्योगिकी है और वे संयुक्त उत्पादन के लिए भारत के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसका स्वागत किया। रूसी पक्ष ने उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग का प्रस्ताव किया ताकि उनके द्वारा की गई प्रगति का लाभ भारत को भी मिल सके।

किराया दरों में संशोधन

2555. श्री किरीट सोमैया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. द्वारा मोबाइल फोन पर एकमुश्त सुरक्षा प्रभार तथा मासिक किराये को घटाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएल.एल.) के लिए नयी दरें निर्धारित करने और इस सेवा का कुछ अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने गरूड़ वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतिभूति जमा राशि और मासिक किराये में 13.11.2001 से कटौती की है जो इस प्रकार है:

	योजना-I	योजना-II*
प्रतिभूति जमा	5000/- रु.	शून्य
मासिक किराया	450/- रु.	450/- रु. प्रतिमाह
टेलीफोन उपकरण	एमटीएनएल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। टेलीफोन कनेक्शन सरण्डर करने पर प्रतिभूति जमा राशि लौटायी जाएगी।	कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) प्रौद्योगिकी-आईएस 95 ए शिकायत उपकरण उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा। * केवल स्थानीय सेवा

वे सभी उपभोक्ता जिन्होंने पहले प्रतिभूति जमा राशि के रूप में 10,000/-रु. की राशि जमा की है, उनकी 5000/- रु. की शेष राशि भावी बिलों में समायोजित की जाएगी।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि भारत संचार निगम लि. यह सेवाएं प्रदान कर रहा है और उपभोक्ता टर्मिनल के लिए 10,000/- रु. की विशेष जमा राशि को छोड़कर, संस्थापना प्रभारों सहित वायरलेस इन लोकल लूप पर फिक्सड टेलीफोन के लिए टैरिफ वही हैं जो नियमित तारयुक्त लाइन कनेक्शनों के लिए लागू हैं। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प के तौर पर 10,000/- रु. के बदले 20/-रु. प्रतिमाह की दर से बीमा स्कीम की भी शुरूआत की गई है। कॉलों के लिए टैरिफ प्रभारों का निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा किया जाता है जो उपभोक्ताओं के लिए बाध्यकारी है।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

2556. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों में देश भर में 19 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) स्थापित किए गए और एसटीपी योजना के अंतर्गत 6000 से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है किसी राज्य विशेष में एसटीपीआई का खोला जाना पूर्णतया संबंधित राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है;

(ग) क्या देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में एसटीपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एसटीपीआई खोले जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है ताकि देश के प्रत्येक क्षेत्र इससे लाभान्वित हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटी) के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नामक (एसटीपीआई) स्वायत्त संस्था की स्थापना वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (एसटीपी) को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से की गई थी। एसटीपीआई भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से देश भर में पहले ही 23 केन्द्रों की स्थापना कर चुकी है। एसटीपी योजना के अंतर्गत 6500 से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर एसटीपीआई राज्य में एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है। एसटीपीआई सुविधा की स्थापना के लिए सुनियोजित कार्यविधि के अनुसार राज्य सरकार के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग के लिए संभावित स्थापना-स्थल का चयन, 3 एकड़ भूमि, 3000 वर्ग फीट निर्मित स्थान उपलब्ध कराना और आंशिक रूप से परियोजना की लागत चुकाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना अपेक्षित है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार उच्च गतिकी की आंकड़ा संचार सुविधा की स्थापना के लिए प्रत्येक केन्द्र को 50 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराता है।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं में हृदय रोग

2557. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया है जिससे प्रतिदिन हृदय रोग से ग्रस्त नवजात शिशुओं की राज्यवार संख्या का पता चल सके ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शिशुओं की वर्षवार और राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में ऐसे सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अत्याधुनिक संघात केन्द्र

2558. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक संघात केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संघात केन्द्र के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी, हां। प्रस्तावित अभिघात केन्द्र बहुविषयक होगा जिसका इस्तेमाल समग्र अभिघात परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के अलावा, अन्य केन्द्रों के लिए संकल्पना, परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और आपरेशन के संदर्भ में एक भूमिका मॉडल के रूप में किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय अभिघात विज्ञान संस्थान में विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। इस परियोजना को जनवरी, 2002 तक निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग 18 महीने में पूरा किए जाने की प्रत्याशा है।

देश में एस.पी. की स्थापना

2559. श्री जोरा सिंह मान:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.एन.आई.डी.ओ.) ने सरकार से देश में उप-ठेके पर साझेदारी की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से देश के लघु उद्योगों को कितना लाभ होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) लघु उद्योगों की कारोबार वृद्धि में सहायता देने के लिए देश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित 10 सब-कान्ट्रैक्टिंग एवं पार्टनरशिप एक्सचेंजों (एसपीएक्सज) के सृजन के लिए भारत सरकार और सयुंक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने सयुक्त रूप से एक परियोजना तैयार की है। इन एस पी एक्सज से अनुषगीकरण/विक्रेता विकास के संवर्धन तथा विश्व के बाजारों एवं लघु उद्योगों के नेट वर्क्स में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

बंगलादेशी/अफगानी नागरिकों को पासपोर्ट

2560. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों से बांगलादेशी/अफगानी नागरिकों को पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आज तक राज्यवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। पासपोर्ट को सही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद

जारी किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की पहचान और भारतीय राष्ट्रीयता स्थापित की जाती है। जब भी अफगानी अथवा बंगलादेशी राष्ट्रिक द्वारा धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का मामला सरकार की जानकारी में आता है तो पासपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को राष्टीयता का पुनः सत्यापन करने को कहा जाता है।

(ग) हाल में किसी पासपोर्ट अंधिकारी को इस संबंध में दोषी नहीं पाया गया है।

(घ) पुलिस सत्यापन की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास किए जाते है।

[हिन्दी]

स्मार्ट कार्ड सिस्टम

2561. श्री राजो सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड सिस्टम शुरू करने पर विचार कर रहा है ताकि कर्मचारियों द्वारा समय का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे लागू किया जायेगा; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति को मॉनीटर करने की दृष्टि से पायलट आधार पर स्मार्ट कार्ड पर आधारित इलैक्ट्रानिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली जुलाई, 2001 से प्रचालन में आ गई है। विभाग ने इससे खरीदने के लिये आरंभिक लागत के रूप में लगभग 1,20,000/- रुपये का व्यय किया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अन्य सरकारी कार्यालयों में इसी प्रकार की प्रणाली शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सिद्ध चिकित्सा पद्धति

2562. डा. वी. सरोजा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार करते हुए कि सिद्ध चिकित्सा पद्धति केवल तमिलनाडु तक ही सीमित है, इसके प्रचार-प्रसार के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) सिद्ध चिकित्सा की मान्यताप्राप्त पद्धतियों में से एक हैं। केन्द्र सरकार सिद्ध चिकित्सा पद्धति सहित हमारी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं हैं:- स्नातकपूर्व संस्थाओं को सुदृढ़ करना, स्नातकपूर्व विभाग का स्नातकोत्तर विभाग के रूप में उन्नयन करना, प्रशिक्षण का पुनरभिविन्यास और राज्य फार्मेसियों और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, औषध का मानकीकरण और सूचना, शिक्षा व संचार कार्यकलाप आदि। चेन्नई में एक राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की भी संकल्पना की गई है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2563. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में उन अधिकारियों की श्रेणीवार/पदवार संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त किया;

(ख) उक्त अधिकारियों को क्या लाभ दिए गए;

(ग) आज की तिथि के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कितने अधिकारियों के आवेदन लम्बित हैं;

(घ) क्या इस तरह की सेवानिवृत्ति से उनके मंत्रालय के सुचारू कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो किसी सीमा तक; और

(च) ऐसी सभी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार किस प्रकार का प्रबंध करने का विचार रखती है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ऐसे अधिकारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 के अन्तर्गत अनुमत्य लाभ दिए जा रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) रिक्तियां, भर्ती नियमावली के उपबन्धों के अनुसार भरी जाती हैं।

"एम्स" के कार्यकरण का मूल्यांकन

2564. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अगस्त, 2001 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "एम्स इज नाउ एमलेस: सी.ए.जी." शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

एड्स के विषाणु

2565. श्री ए. नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्त में एड्स के विषाणु (एच.आई.वी.) की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समाज के संवेदनशील वर्गों की किस सीमा तक जांच की गयी है;

(ख) इन वर्गों में कितने प्रतिशत की जांच अभी की जानी है; और

(ग) इन वर्गों में रक्त जांच करने के लिए बनायी गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसके लिए कितना आवंटन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार की रक्त में एच.आई.वी. वायरस की मौजूदगी के लिए अलग से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में समाज के असुरक्षित वर्गों की जांच करने की कोई योजना नहीं है।

सुरक्षित रक्त की आपूर्ति

2566. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों के अस्पतालों में दूषित रक्त से कितने रोगी एड्स से संक्रमित हुए;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है जिससे कि रोगियों को पूरे देश में जांचे गए और सुरक्षित रक्त की आपूर्ति हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) रक्ताधान के माध्यम से रोगग्रस्त हुए एड्स रोगियों का प्रतिशत 1991 में 8% से महत्वपूर्ण रूप से कम होकर 2001 में 3% रह गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए कुल 55695 एड्स रोगियों में से 456 रोगियों में रक्ताधान और रक्त उत्पादों के कारण यह रोग हुआ। ये रोगी अनिवार्य एच.आई.वी. जांच की मौजूदगी से पहले संक्रमित हुए।

(ख) और (ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अधीन स्वैच्छिक दाताओं से एकत्रित रक्त की प्रत्येक यूनिट की रक्ताधान से पहले एच.आई.वी. 1 और 2 एंटीबॉडी, हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपाटाइटिस सी एंटीबॉडी, मलेरिया और सिफलिस से मुक्त होने के नियमित जांच करना अनिवार्य है। सभी रक्त बैंकों को उन औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है जो औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रक्त बैंकों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और लाइसेंस जारी करने से

पहले यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि रक्त बैंकों के पास निरापद रक्त के लिए सभी अनिवार्य जांचें करने के लिए आधारभूत ढांचा है।

अरब और मध्य एशियाई देशों के राजनयिकों के साथ विचार-विमर्श

2567. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के फलस्वरूप हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर राजधानी में तैनात अरब और मध्य एशियाई देशों के राजनयिकों के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे भारत के दृष्टिकोण से किस सीमा तक सहमत थे?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां। विदेश राज्य मंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने 27 सितम्बर, 2001 को अरब और मध्य एशियाई देशों के राजदूतों के साथ पारस्परिक बातचीत की।

(ख) राजदूतों ने अन्य बातों के साथ-साथ 11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के स्वरूप और प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पहुंचने और परस्पर सम्पर्कों और भारत द्वारा सामना किए जा रहे सीमा-पार आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य की समस्या के बारे में संक्षेप में बातचीत की।

(ग) राजदूतों ने इस जानकारी के लिए सराहना व्यक्त की। अब इसे विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान लिया गया है कि आतंकवाद के लिए कोई औचित्य नहीं है और इसे, जहां भी यह मौजूद है, समूल नष्ट करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां

2568. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों पर 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर संसदीय कार्य मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) संसदीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 29 अगस्त, 1997 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की कोई पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियां नहीं थी।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत चार वर्षों (1997-98 से) के दौरान "पद आधारित रोस्टर" के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियां/बनाए गए पदों का विवरण

पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
समूह "क"	शून्य	शून्य	लागू नहीं
समूह "ख"	शून्य	1	1
समूह "ग"	शून्य	शून्य	1
समूह "घ"	शून्य	शून्य	शून्य

जनता पी.सी.

2569. श्री अनंत गुढ़े : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य पब्लिक स्कूलों और अन्य संस्थानों के प्रयोग के लिए सस्ते मूल्यों पर जनता पी.सी. उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनता पी.सी. का अनुमानित मूल्य कितना होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर जनता पी.सी. उपलब्ध कराने का है;

(घ) सामान्य तौर पर और विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए चालू वर्ष और अगले पांच वर्षों हेतु बनायी गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जनता पी.सी. कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

व्यापार संबंध

2570. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल की भारत की यात्रा के दौरान रूस और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने भारत के साथ उनके व्यापार की मात्रा को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4-7 नवम्बर, 2001 तक रूसी परिसंघ की राजकीय यात्रा की। रूसी परिसंघ के उप-प्रधान मंत्री और व्यापार आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत-रूसी अंतर-सरकारी आयोग के रूसी पक्ष के अध्यक्ष श्री इलया क्लेबानोव ने 14-16 अक्तूबर, 2001 तक की भारत की राजकीय यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान आयोजित बैठकों में भारत और रूसी परिसंघ दोनों ने महसूस किया कि दोनों देशों के बीच कुल व्यापार की मात्रा इसकी सही क्षमता के अनुरूप नहीं है। इन दोनों यात्राओं के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों की व्यापक समीक्षा की गयी। दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को विविध बनाने का प्रयास करने की अपनी दृढ़ता की पुनः पुष्टि की। इस बात को नोट किया गया कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत-रूसी अंतर-सरकारी आयोग के सातवें अधिवेशन के दौरान लिये गये निर्णयों से नागर विमानन, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में सहायता मिली।

अपने सभी संबद्ध द्विपक्षीय क्रियाकलाप में अमरीका ने आपसी लाभकारी आर्थिक और व्यापार संबंध बढ़ाने की अपनी इच्छा को दोहराया है।

(ख) प्रधान मंत्री की रूसी परिसंघ की यात्रा के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ ने क्रमशः मास्को और नई दिल्ली में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए उद्योगपतियों और उद्यमियों के रूसी संघ के साथ एक करार संपन्न किया। भारत के एक्जिम बैंक ने 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला उपलब्ध कराने के संबंध में रूसी परिसंघ के वनेशेईकोनोम बैंक के साथ एक करार संपन्न किया। भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक ने भी मास्को में एक शाखा खोलने के लिए करार संपन्न किया। इन कदमों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा मिलने की आशा है। दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गये हैं।

9 नवम्बर को वाशिंगटन में हुई अपनी बैठक के दौरान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति बुश द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता को बहाल करने और उसे व्यापक बनाने पर सहमत हुए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हाल में भारत के विरुद्ध उठाये गये प्रतिबंधों से आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे। वे द्विपक्षीय उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्य को गति देने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए।

[अनुवाद]

आसियान पी.एम.सी. और ए.आर.एफ. बैठकों में भारतीय भागीदारी

2571. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई में हनोई में हुई 34वीं आसियान पी.एम.सी. और आठवीं ए.आर.एफ. बैठक में भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान को समर्थन देने की अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) 34वीं आसियान पश्च-मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (पी.एम.सी.) में जिन प्रमुख मसलों पर चर्चा हुई उनमें वैश्विक आर्थिक मंदी, आसियान के भीतर विकास की खाई को पाटने के लिए आसियान द्वारा शुरू की गयी आसियान एकीकरण के लिए पहल और विभिन्न क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच क्रियात्मक सहयोग शामिल थे। आसियान क्षेत्रीय मंच ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और भविष्य में आसियान क्षेत्रीय मंच के विकास के भाग के रूप में विश्वासोत्पादक उपायों, निरोधक राजनय और आसियान क्षेत्रीय मंच पीठ के संबंध में चर्चा की।

(ग) और (घ) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न खतरे का खुलासा किया और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। भाग लेने वाले देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में अपनी चिंताए व्यक्त की और बाद में इन मंचों पर होने वाली चर्चाओं में इस मसले पर बातचीत करने पर सहमत हुए।

फिक्स्ड लाइन फोन

2572. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में फिक्स्ड लाइन फोन के लिए अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये फोन मांग पर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग उन स्थानों पर भी मांग पर फोन लगाने में अक्षम है जहां अतिरिक्त क्षमता मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है जिससे कि दूरसंचार विभाग सार्वजनिक हित में मौजूदा अधिष्ठापित क्षमता का पूर्णरूपेण उपयोग करे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक राज्य में कुछ नगर/शहर ऐसे हैं जहां टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है, किन्तु पूरे राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है।

(ग) जी हां। यह स्थिति तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है जहां क्षमता तो उपलब्ध होती है लेकिन बाहरी केबल कार्य पूरा करना होता है अथवा उसमें वृद्धि की जा रही होती है।

(घ) मौजूदा क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं:-

(1) नए केबल नेटवर्क अथवा एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

(2) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों और अगम्य व दूर-दराज के क्षेत्रों में भी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वायरलैस इन लोकल लूप प्रणाली लगाई जा रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अमेरिका यात्रा

2573. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में अमेरिका की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच हुई बैठक के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 19 से 26 सितम्बर, 2001 तक न्यूयार्क और वाशिंगटन की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कान्डोविजा राइस, डिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज, डिप्टी सेक्रेटरी आफ डिफेंस पाउल वोलफोविट्ज तथा डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेड एवं कई अमरीकी कांग्रेसजनों से मुलाकात की। आपसी हित चिन्ता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भिन्न-भिन्न चर्चाएं हुई जिनमें आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौमिक अभियान भी शामिल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अमरीकी नेताओं और अपने अमरीकी समकक्ष के बीच मुलाकातों से वे हमारे क्षेत्र में सुरक्षा तथा राजनीतिक घटनाओं के संबंध में भारत की स्थिति को बेहतर रूप में समझने में अग्रसर हुए।

जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की यात्रा

2574. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जापान के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी; और

(घ) इस यात्रा के दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने में किस हद तक सहायता मिली है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) श्री योशिरो मोरी, जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जापान के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 28-30 अक्तूबर, 2001 तक भारत की यात्रा की थी। यह यात्रा जापान सरकार की पहल पर थी। श्री मोरी प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले।

(ग) और (घ) श्री मोरी हमारे प्रधान मंत्री के नाम प्रधान मंत्री कोई का एक पत्र लाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत सरकार के सहयोग के लिए प्रशंसा व्यक्त की गई थी; 1 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले के लिए संवेदना व्यक्त की गई थी; और भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रस्तावित व्यापक अभिसमय, जिस पर संयुक्त राष्ट्र में इस समय विचार हो रहा है, के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। अफगानिस्तान में व्याप्त स्थिति पर भी चर्चा हुई।

यह यात्रा प्रधान मंत्री वाजपेयी और मोरी के बीच अगस्त, 2002 में हुई सहमति के अनुसार 21वीं शताब्दी में सार्वभौमिक साझेदारी के बाद भारत और जापान के बीच चल रही बातचीत का एक हिस्सा थी।

[हिन्दी]

समीक्षा-समिति का गठन

2575. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के ग्रेडों के संवर्ग समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के संवर्ग की संरचना की जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से नीचे दर्शाए जा रहे ब्यौरे के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है:

गठन

(1)	अपर सचिव (पेंशन), कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग	-	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग	-	सदस्य
(3)	संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय-विभाग	-	सदस्य
(4)	निदेशक (केन्द्रीय सेवा), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	-	सदस्य-सचिव

विचारार्थ विषय

1. केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के सहायक-ग्रेड में चल रहे प्रगतिरोध क तीव्रता और गंभीरता आंकना तथा सुधारात्मक उपाय सुझाना।
2. केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारी-ग्रेड, अवर सचिव्-ग्रेड, उप सचिव-ग्रेड और निदेशक-ग्रेड में चल रहे प्रगतिरोध की, सदृश रूप से भर्ती/नियुक्त, अन्य सेवाओं के अधिकारियों के ग्रेडों में चल रहे प्रगतिरोध की तुलना में तीव्रता और गंभीरता आंकना तथा ऐसा प्रगतिरोध समाप्त करने के उपायों की सिफारिश करना।
3. विभिन्न सिफारिशें और केन्द्रीय सचिवालय-सेवा-संघ की मांगें ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा की संरचना की समीक्षा करना।

उपर्युक्त समिति का मौजूदा कार्य-काल, फरवरी, 2002 के अंत तक है। उपर्युक्त समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर, सरकार उन पर सम्यक रूप से विचार करेगी। इस समय, इस बारे में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामले

2576. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या प्रधान मंत्री 1 अगस्त, 2001 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) में मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और इसकी खंडपीठों में कितने मामले लंबित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और इसकी खंडपीठों में प्रति-वर्ष कितने मामले दर्ज किए गए; और

(घ) इन मामलों के त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में न्याय निर्णयन हेतु लंबित चल रहे मुकदमों की संख्या बहुत घट गई है। दिसंबर, 1998, दिसंबर, 1999, दिसंबर, 2000 और सितंबर, 2001 के अंत में मौजूदा स्थिति के अनुसार, उपर्युक्त अधिकरण में न्याय निर्णयन हेतु लंबित चल रहे मुकदमों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I में संलग्न है। न्यायपीठ-वार नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में पिछले तीन वर्ष के दौरान न्यायपीठ-वार दायर किए गए मुकदमों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर, इस बारे में, इस समय किए जा रहे उपाय उपयुक्त समझे जाते हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	अवधि	लंबित मुकदमों की संख्या
1.	31.12.98 को मौजूद स्थिति के अनुसार	49521
2.	31.12.99 को मौजूद स्थिति के अनुसार	47899
3.	31.12.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार	41647
4.	30.9.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार	36315

विवरण-II

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	न्याय-निर्णयन हेतु लंबित चल रहे मुकदमों की संख्या
1	2	3
1.	प्रधान न्यायपीठ	3338
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	1870
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	4756
4.	बैंगलूर न्यायपीठ	1612
5.	चण्डीगढ़ न्यायपीठ	1807
6.	चेन्नई न्यायपीठ	650
7.	कटक न्यायपीठ	2074
8.	एरणाकुलम न्यायपीठ	1190

1	2	3
9.	गुवाहाटी न्यायपीठ	418
10.	हैदराबाद न्यायपीठ	1200
11.	जबलपुर न्यायपीठ	2699
12.	जयपुर न्यायपीठ	1087
13.	जोधपुर न्यायपीठ	506
14.	कोलकाता न्यायपीठ	5590
15.	लखनऊ न्यायपीठ	2648
16.	मुम्बई न्यायपीठ	2472
17.	पटना न्यायपीठ	2398
	कुल	36315

विवरण-III

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	दायर किए गए मुकदमों की संख्या			
		1998	1999	2000	2001 (सितंबर, 2001 तक)
1.	प्रधान न्यायपीठ	3384	3668	3913	3488
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	1064	1055	1095	817
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	1750	1887	2005	1935
4.	बैंगलूर न्यायपीठ	1295	1133	2340	1373
5.	चंडीगढ़ न्यायपीठ	1255	1400	1303	1258
6.	चेन्नई न्यायपीठ	1247	1431	1651	1138
7.	कटक न्यायपीठ	801	808	767	524
8.	एरणाकुलम न्यायपीठ	1880	1547	1486	945
9.	गुवाहाटी न्यायपीठ	395	529	515	475
10.	हैदराबाद न्यायपीठ	2024	2304	2243	1578
11.	जबलपुर न्यायपीठ	1024	1085	1418	828
12.	जयपुर न्यायपीठ	491	511	760	583
13.	जोधपुर न्यायपीठ	389	674	408	338
14.	कोलकाता न्यायपीठ	1997	2059	1746	1605
15.	लखनऊ न्यायपीठ	632	664	868	756
16.	मुम्बई न्यायपीठ	1319	1297	1359	1126
17.	पटना न्यायपीठ	964	892	1269	963
	कुल	21911	22944	25146	19730

मंजूरी के लिए परियोजनाएं

2577. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करने के प्रयास में केन्द्र सरकार का विचार मंजूरी प्रणाली को बाधा रहित बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजनाओं की वित्तीय सीमा में वृद्धि को मंजूरी देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्थायी वित्तीय समिति की वर्तमान सीमा 15 करोड़ रुपये की है और व्यय संबंधी वित्त समिति की वर्तमान सीमा 15 से 50 करोड़ रुपए है तथा 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं को सामान्यत: आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को भेज दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि परियोजनाओं को एक बार सैद्धान्तिक मंजूरी दिए जाने के बाद स्थाई वित्त समिति द्वारा पुन: उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है; और

(च) यदि हां, तो परियोजनाओं को पूरा करने में इससे कहां तक सहायता मिलने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। सरकार ने निवेश मंजूरी और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान प्रक्रिया की जांच करने और सार्वजनिक एवं निजी निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा तेज करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं। समिति को सहायता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

(ख) स्थायी वित्त समिति/व्यय समिति और सार्वजनिक निवेश बोर्ड जैसे संबंधित फोरमों द्वारा परियोजनाओं की वित्तीय सीमा में वृद्धि को मंजूरी देने के प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) जी, हां। योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि वह स्थायी वित्त समिति के मामलों में शामिल नहीं होगा और संबंधित विभाग/मंत्रालय योजना आयोग के प्रतिनिधियों को बिना आमंत्रित किए हुए स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) की बैठक बुला सकते हैं बशर्ते कि:

(1) स्कीम पर्याप्त आवंटनों सहित योजना में शामिल की जाती है।

(2) "सिद्धान्त रूप में" योजना आयोग का अनुमोदन (जिसका अर्थ सचिव, योजना आयोग का विशेष अनुमोदन होगा) विभाग/मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना में नयी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम/केन्द्र प्रायोजित स्कीम को शुरू करने के लिए प्राप्त कर लिया गया है; और

(3) यदि उपर्युक्त (*ii*) प्राप्त नहीं किया गया हो, तो मंत्रालय/विभाग को इस प्रस्ताव के "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजना चाहिए।

इस निर्णय से सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अवगत करा दिया गया है।

(च) यह योजना स्कीमों के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण का एक कदम है।

मेडिकल कालेजों को अनुदान

2578. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों द्वारा चलाये जा रहे मेडिकल कालेजों में नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न मेडिकल कालेजों को प्रदान किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास राज्य-वार ऐसे अनुदानों के कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति देकर अनुदान आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जा रहे चुनिंदा सरकारी मेडिकल कालेजों को 150.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

(ख) इस प्रायोगिक परियोजना के अधीन अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मेडिकल कालेजों को कोई भी वित्तीय सहायता विमुक्त नहीं की गई है।

(ग) उपरोक्त प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत इस मंत्रालय को तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से एक-एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) निधियों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

2579. श्री अरूण कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लि. (एच.एल.एल.) की उत्पाद वार अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान एच.एल.एल. को उसके विभिन्न उत्पादों के लिए दिए गए व्यावसायिक क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.एल.एल. सरकार द्वारा दिए गए क्रयादेश को पूरा करने के लिए निजी निर्माताओं से कंडोम की खरीद करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की उत्पादवार संस्थापित क्षमता इस प्रकार है:-

1.	कंडोम	
	(पतले किस्म के)	576 मिलियन नग
	(मोटे किस्म के)	670 मिलियन नग
2.	गैर-स्टेरॉयडल ओसीपी	30 मिलियन चक्र
3.	स्टेरॉयडल ओसीपी	30 मिलियन नग
4.	शंट	5000 मिलियन नग
5.	कॉपर-टी	5.91 मिलियन नग
6.	ब्लड बैग	2 मिलियन नग

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान एच.एल.एल. को दिया गया वाणिज्यिक आर्डर इस प्रकार है:-

कंडोम	621.50 मिलियन नग
ओसीपी (स्टेरॉयड)	454.00 चक्रों में
कॉपर-टी	96 मिलियन नग

(ग) जैसा कि मैसर्स एच.एल.एल. द्वारा सूचित किया गया है, उन्होंने सरकार से प्राप्त इसके आर्डर को पूरा करने के लिए प्राइवेट विनिर्माताओं से कोई कंडोम नहीं खरीदे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में वृद्धि

2580. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने 2000-2001 के दौरान मेडिकल तथा कार्यालय उपकरणों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1999-2000 और 2000-2001 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के लिए मेडिकल और कार्यालय उपकरणों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान चिकित्सकीय तथा कार्यालय उपस्करों के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं-

1999-2000	122 करोड़ रुपए
2000-2001	341 करोड़ रुपए

(ग) वर्ष 1991-2002 के दौरान चिकित्सकीय तथा कार्यालय उपस्करों के निर्यात से 463 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य जिसमें चिकित्सकीय तथा कार्यालय उपस्करों का निर्यात भी शामिल है, 12,430 करोड़ रुपए है।

खादी इकाइयों में रुग्णता

2581. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की 25 प्रतिशत खादी इकाइयां रुग्ण हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा ऐसी इकाइयों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) कार्यक्रम को जारी रखने तथा निधियों की आसानी से उपलब्धता के बारे में उद्यमियों का विश्वास बहाल करने के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं और खादी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की तरह केन्द्र सरकार द्वारा कितना मजदूरी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) विविध कारणों जैसे रुचि में परिवर्तन, ब्रान्ड उत्पादों का प्रभाव, सस्ते उत्पादों की उपलब्धता, घटिया डिजाइन आदि के कारण अनेक खादी संस्थान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हैं।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने समस्याग्रस्त खादी संस्थानों से निपटने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। के.वी.आई.सी. ने खादी संस्थानों के कार्य निष्पादन की बेहतर देखरेख के लिए संस्थानों को श्रेणीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) के.वी.आई.सी., खादी कार्यक्रमों को निरन्तर सहायता प्रदान कर रहा है। संस्थानों को अनुमति दी गई है कि के.वी.आई.सी. द्वारा पहले दी गई कार्यकारी पूंजी को कार्यकारी निधि के रूप में रखें, यदि उन्हें उत्पादन का कुछ स्तर बनाए रखना है। अपेक्षित निधि का मूल्यांकन करने के पश्चात् के.वी.आई.सी. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई.एस.ई.सी.) भी जारी करता है ताकि खादी संस्थान बैंक से रियायती ब्याज दरों पर निधि लगा सकें। खादी कार्यक्रम एक "लागत-चार्ट प्रणाली" से नियंत्रित होता है जिसमें कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु स्वयं क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने खादी क्षेत्र के लिए 14 मई, 2001 को एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खादी कर्मकारों के लाभ हेतु बीमा योजना, दीर्घ अवधि छूट नीति, छूट तथा विपणन विकास सहायता आदि के बीच विकल्प आदि, गुणता तथा डिजाइन सुधार-आदि के लिए भी व्यवस्था है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए विशेष घटक योजना

2582. श्री दलित इजिलमलाई : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए विशेष घटक योजना और टी.एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत तैयार क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का उनकी प्रकृति, विस्तार और लक्षित वर्गों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय ने कितनी धनराशि की मांग की और उसे कितनी धनराशि दी गई;

(घ) इस संबंध में कितना लाभ हुआ और क्या लक्ष्य हासिल किए गए; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के शिक्षित युवाओं को राज्य द्वारा प्रायोजित/सहायता प्राप्त कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से इंटरनेट कैफे, आईटी डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र आदि स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अन्य कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक वैज्ञानिक मंत्रालय है और अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित करने वाली इसकी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। किंतु, मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ एक रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अलावा, डी.ओ.ई.ए.सी.सी., भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी.ई.डी.टी.आई.),

भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (ई.आर. एण्ड डी.सी.आई.), उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन.सी.एस.टी.) जैसे मंत्रालय के संस्थान/संस्थाएं भी सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाती हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी उपलब्ध हैं।

पंचकर्मा संस्थान

2583. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में पंचकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रणाली में अनुसंधान कार्य के लिए कितनी निधियां प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) नवीं योजना के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विकास और प्रचार के उद्देश्य से सरकार ने 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग ने औषधीय पादपों के विकास और खेती, कृषि प्रौद्योगिकियों की तैयारी, स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर संस्थाओं के उन्नयन, औषधों के मानकीकरण, अंतरंग और बाहरी अनुसंधान के प्रोत्साहन और सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए पहले ही स्कीमें कार्यान्वित कर दी हैं।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों की प्रभावकारिता और संबद्ध मामलों पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान में लगी केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् और विभाग की बाह्य स्कीम के अधीन अलग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान 79.66 करोड़ रुपए दिए गए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2584. **श्री ए. नरेन्द्र :**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने निकट भविष्य के लिए कोई दीर्घकालीन समेकित परिवार नियोजन नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी उपेक्षा और प्रोत्साहन के अभाव में परिवार नियोजन नीति पिछड़ रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नीति की समीक्षा और इसे पुनः तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) देश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

(ख) से (छ) सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अंगीकार की है। इस नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधन, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य कार्मिकों की अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना तथा बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना है। इसका मध्यकालिक उद्देश्य अन्तरक्षेत्रीय प्रचालनात्मक कार्यनीतियों के जोरदार कार्यान्वयन के जरिए कुल प्रजनन दरों को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरणिक संरक्षण के अनुकूल स्तर पर 2045 तक जनसंख्या का स्थिरीकरण हासिल करना है।

इस नीति में छोटे परिवार के मानदण्ड को अंगीकार करने के लिए कुछ संवर्धक/प्रोत्साहक उपायों का उल्लेख है जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इस नीति में 2010 तक हासिल किए जाने हेतु कुछ राष्ट्रीय सामाजिक-जनांकिकीय उद्देश्यों का उल्लेख है जिनसे 2045 तक देश में जनसंख्या स्थिर होने की प्रत्याशा है, ये विवरण-III पर संलग्न हैं। नीति कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-I

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 2001

भारत तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	दशकीय वृद्धि दर	
	1981-1991	1991-2001
1	2	3
भारत	23.86	21.34
जम्मू और कश्मीर	30.34	29.04
हिमाचल प्रदेश	20.79	17.53
पंजाब	20.81	19.76
चंडीगढ़*	42.16	40.33
उत्तरांचल	24.23	19.20
हरियाणा	27.41	28.06
दिल्ली*	51.45	46.31
राजस्थान	28.44	28.33
उत्तर प्रदेश	25.55	25.80
बिहार	23.36	28.43
सिक्किम	28.47	32.98
अरुणाचल प्रदेश	36.83	26.21
नगालैंड	56.08	64.41
मणिपुर	29.29	30.02
मिजोरम	39.70	29.18
त्रिपुरा	34.30	15.74
मेघालय	32.86	29.94
असम	अनुपलब्ध	18.85
पश्चिम बंगाल	24.73	17.84
झारखंड	24.03	23.19
उड़ीसा	20.06	15.94
छत्तीसगढ़	25.73	18.06
मध्य प्रदेश	27.24	24.34
गुजरात	21.19	22.43
दमन और द्वीव*	28.62	55.59
दादरा और नगर हवेली*	33.57	59.20
महाराष्ट्र	25.73	22.57
आन्ध्र प्रदेश	24.20	13.86
कर्नाटक	21.12	17.25
गोवा	16.08	14.89
लक्षद्वीप*	28.47	17.19
केरल	14.32	9.42
तमिलनाडु	15.39	11.19
पांडिचेरी*	33.64	20.56
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48.70	26.94

स्रोत : भारत के महापंजीयक कार्यालय, भारत की जनगणना 2001 (अनंतिम कुल)

विवरण II

(1) छोटे परिवार के मानदंड का व्यापक प्रचार करने, शिशु मृत्यु-दर व जन्म-दर में कमी लाने और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी कराकर साक्षरता को बढ़ावा देने में अनुकरणीय कार्य-निष्पादन के लिए पंचायतों और जिलों परिषदों को पुरस्कार दिया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

(2) बालिका की जीवन-रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(3) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बी.सी.जी. टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(4) परिवार कल्याण से सम्बद्ध एक स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपये तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पताल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण करने वाले के पति/पत्नी एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(5) गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो विवाह की कानूनी आयु के बाद विवाह करते हैं, जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानदंड को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

(6) ग्रामीण स्तर के स्व-सहायता दलों, जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं, द्वारा आय सर्जक कार्यकलापों के लिए एक सचल प्रचालनात्मक (रिवोल्विंग) निधि स्थापित की जाएगी।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में शिशुदान और बाल परिचर्या केन्द्र खोले जाएंगे। यह वैतनिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को सुकर बनाएगा और उसे बढ़ावा देगा।

(8) विविध प्रसव केन्द्रों में परामर्शी सेवाओं सहित वहनीय विकल्प सुलभ कराये जाएंगे ताकि स्वीकारकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक और सोची-समझी सहमति दी जा सके।

(9) सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।

(10) नई सामाजिक विपणन योजनाओं के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को वहनीय बनाया जाएगा।

(11) ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय उद्यमियों को उदार ऋण प्रदान किया जाएगा और रेफरल परिवहन की मौजूदा व्यवस्थाओं को अनुपूरित करने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं चलाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

(12) लड़कियों के लिए स्व-रोजगार प्रदायक बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(13) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू करना।

(14) प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करना।

(15) सहायक नर्स-धात्रियों की गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उदार ऋणों में वृद्धि की जाएगी।

विवरण-III

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में उल्लिखित 2010 के लिए चौदह राष्ट्रीय सामाजिक जनांकिकीय लक्ष्य

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।

2. स्कूली शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।

3. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।

4. मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक, 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।

5. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।

6. लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना।

7. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।

8. सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना और ढेर सारे विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।

9. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।

10. एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन-मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

11. संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।

12. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने और इन्हें परिवारों तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।

13. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सकें।

खरीद-नीति

2585. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार स्वयं निर्धारित खरीद का पूर्णतः पालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार और केन्द्रीय भण्डार को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार को कुछ संसद-सदस्यों से ऐसे पत्र मिलते आ रहे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय भण्डार, अपनी ही खरीद-नीति का पालन नहीं कर रहा है। प्रत्येक पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है किन्तु अभी तक खरीद-नीति का कोई खास उल्लंघन उजागर नहीं हुआ है।

दक्षेस शिखर वार्ता

2586. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस देशों के विदेश मंत्रियों की स्थाई समिति का विशेष सत्र 10 अगस्त, 2001 को अगली शिखर वार्ता पर बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो किसी समझौते पर न पहुंचने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 28 दिसंबर से 30 दिसम्बर, 2001 तक 11वीं शिखर वार्ता को काठमांडू में करने के नेपाल के सुझाव को समिति ने अस्वीकार कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो अगली शिखर वार्ता की समय-सारणी को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सार्क देशों के विदेश सचिवों की स्थायी समिति का तीसरा विशेष अधिवेशन 9 और 10 अगस्त, 2001 को कोलम्बो में आयोजित किया गया। अगले सार्क शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में नेपाल के काठमान्डू में होने वाले ग्यारहवें शिखर सम्मेलन के लिए 28, 29, 30 दिसम्बर, 2001 की तिथियां प्रस्तावित की हैं। स्थायी समिति के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी-अपनी सरकारों के साथ परामर्श करने पर सहमति व्यक्त की।

(ख) लागू नहीं।

(ग) समिति ने अगले शिखर सम्मेलन की तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए सभी सदस्य राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की सुविधा पर विचार करने के लिए परामर्श करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

(घ) इन परामर्शों के पश्चात् ग्यारहवें दक्षेस शिखर सम्मेलन की तिथियां 4, 5 और 6 जनवरी, 2002 के लिए तय की गयी हैं।

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों द्वारा अधिक शुल्क वसूलना

2587. डा. वी. सरोजा : क्या **संचार मंत्री** 13.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 13.8.2001 के पूर्ववर्ती प्रश्न सं. 3353 के भाग (क), (ख) और (ग) से संबंधित उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 13.8.2001 के प्रश्न सं. 3353 का भाग (क)

उत्तर (क) जी हां।

दिनांक 13.8.2001 के प्रश्न सं. 3353 का भाग (ख)

उत्तर (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान पीसीओ द्वारा अधि-प्रभारण के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	00
2.	आंध्र प्रदेश	19
3.	असम	00
4.	बिहार	23
5.	झारखण्ड	14
6.	गुजरात (दादरा नगर हवेली और दमन व दीव के संघ शासित प्रदेश)	40
7.	हरियाणा	26
8.	हिमाचल प्रदेश	05
9.	जम्मू एवं कश्मीर	03
10.	कर्नाटक	00
11.	केरल (लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र सहित)	00
12.	महाराष्ट्र, (गोवा सहित)	197
13.	मध्य प्रदेश	52
14.	छत्तीसगढ़	01
15.	उत्तर पूर्व-I (त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय)	00
16.	उत्तर पूर्व-II (नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश)	00
17.	उड़ीसा	00
18.	पंजाब (चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र सहित)	68

1	2	3
19.	राजस्थान	40
20.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र सहित)	17
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	00
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	38
23.	उत्तरांचल	04
24.	पश्चिम बंगाल	82
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	72
26.	चेन्नई टेलीफोन्स	72
27.	एमटीएनएल, मुम्बई	425
28.	एमटीएनएल, दिल्ली	65
	कुल जोड़	1263

दिनांक 13.8.2001 के प्रश्न सं. 3353 का भाग (ग)

(ग) फ्रैंचाइजियों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक प्रभार लेना रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. अधि-प्रभारण की शिकायतों की जांच करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत कक्ष कार्यरत हैं।
2. सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की आवधिक आकस्मिक जांच की जा रही है।
3. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विद्यमान पीसीओ प्रचालकों के एकाधिकार को कम करने के लिए, सभी पात्र आवेदकों को उदारतापूर्वक दूरी, स्थान और आवास के आकार आदि संबंधी किसी भी प्रतिबंध के बिना अधिकाधिक पीसीओ आबंटित किए जाते हैं।

अमरीकी सेना की तैनाती

2588. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की कुछ बड़ी शक्तियों की ओर से किसी भी संभावित खतरे से निपटने की अपनी रणनीति के अन्तर्गत इस क्षेत्र में अपने 65000 जवानों को तैनात करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां तो अमरीकी रणनीति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) अमरीका ने काफी पहले से सैनिकों सहित अपना सैन्य बल एशिया प्रशांत क्षेत्र में बनाये रखा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य प्रशांत कमांड के लगभग 100,000 अग्रेषित तैनात कार्मिक हैं।

(ख) सरकार इस क्षेत्र में सभी देशों की सैन्य घटनाओं पर नजर रखती है और इन स्थितियों को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश और रक्षा नीतियां बनाती है।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय से सहायता

2589. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए श्रम मंत्रालय की मदद लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में यह मदद की जाएगी;

(ग) क्या इस संबंध में इन दोनों मंत्रालयों के मध्य कोई सहमति बनी है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं में कितना विस्तार होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, नहीं। इस समय कोई पक्का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

थोरियम के भंडार

2590. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के थोरियम भंडार, यूरेनियम भंडार की अपेक्षा 5 वर्ष से 6 गुणा अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अगले दशक तक 10000 मे.वा. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोरियम भण्डार के उपयोग का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) वर्ष 2002 तक 4000 मे.वा. और 2012 तक 9000 मे.वा. की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के उन्नयन किये जाने की संभावना है या कितने नए केन्द्रों की स्थापना किये जाने का विचार है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुल कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं;

(च) क्या सरकार ने आणविक ऊर्जा विभाग हेतु दसवीं योजना के दौरान श्रमशक्ति को बढ़ाने और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में थोरियम के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) बिजली का उत्पादन करने के लिए थोरियम के भंडारों का उपयोग करना विभाग की एक दीर्घावधि योजना है जिसे कार्यक्रम के तीसरे चरण में शुरू किया जाएगा। तथापि, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा बिजली के उत्पादन हेतु थोरियम का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्श परियोजना के रूप में एक 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) विकसित किया जा रहा है। दसवीं योजना में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) इस समय देश की परमाणु क्षमता 2720 मेगावाट है। दसवीं योजना के दौरान तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 4 [2×500 मेगावाट (इनकी क्षमता को बढ़ाकर 2×540 मेगावाट किया जा रहा है)] और कैगा-3 (कैगा 3 तथा 4 के 2×220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिटों में से निर्माणाधीन 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला एक यूनिट) यूनिटों को पूरा करके परमाणु विद्युत क्षमता में 1300 मेगावाट की बढ़ोत्तरी करने की योजना है। इस प्रकार, दसवीं योजना के अंत तक कुल परमाणु विद्युत क्षमता बढ़कर 4020 मेगावाट हो जाएगी। दसवीं योजना के प्रस्तावों में ग्यारहवीं योजना के अंत तक कुल 9935 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए नई योजनाओं को शुरू करने की परिकल्पना की गई है। संयंत्र के अपग्रेडेशन का कार्य आवश्यकता के आधार पर, सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से और उत्पादन क्षमता को यथापेक्षित जारी रखने के लिए कार्यकाल बढ़ाने के उपाय स्वरूप किया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:

2001-02	1365.00 करोड़ रुपए (प्रत्याशित)
2000-01	854.18 करोड़ रुपए
1999-00	927.52 करोड़ रुपए

इस संबंध में अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

कैगा-1 तथा 2 और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 जिनका निर्माण-कार्य पहले ही हो चुका है, के साथ

अतिरिक्त 880 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता हासिल कर ली गई है। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 [2×500 मेगावाट (इस क्षमता को बढ़ाकर 2×540 मेगावाट किया जा रहा है)] और कैगा-3 तथा 4 (2×220 मेगावाट) का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है और यह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे है (दसवीं योजना में परमाणु विद्युत क्षमता में 1300 मेगावाट की वृद्धि करने के लिए)। भारत सरकार ने 13,171 करोड़ रुपए (केवल तेरह हजार एक सौ इक्कतर करोड़ रुपए) की अनुमानित लागत से कुडनकुलम परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्वीकृति दे दी है जिसका वित्त-पोषण रूसी ऋण और भारतीय सहायता से किया जाएगा और इसके पहले यूनिट को वर्ष 2007 में तथा दूसरे यूनिट को वर्ष 2008 में वाणिज्यिक रूप से प्रचालित करने की योजना है। तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक स्थल पर 2×1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिटों को स्थापित करने के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त (घ) में दिए अनुसार दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति दसवीं योजना के परिव्यय और बजटीय सहायता पर निर्भर करेगी।

(च) और (छ) नाभिकीय प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की तैनाती हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिटों में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) के प्रशिक्षण स्कूल और इसके सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से की जाती है। भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रचालन-कार्यों पर तैनात करने से पूर्व उन्हें एक तैयार किए निर्धारित प्रशिक्षण और अर्हता कार्यक्रम को पूरा करना होता है। चालू परमाणु बिजलीघरों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्टाफ रखने के लिए पर्याप्त तकनीकी मानवशक्ति है। भावी परमाणु विद्युत संयंत्रों के संबंध में, संयंत्रों के प्रचालित होने से पहले ही भर्ती संबंधी कार्यक्रम जारी है।

[हिन्दी]

स्थानीय टेलीफोन सुविधा

2591. श्री राजो सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और मेरठ के अतिरिक्त भारत संचार निगम लिमिटेड किन-किन राज्यों में स्थानीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): किसी भी राज्य में, दिल्ली और मेरठ के बीच यथा-उपलब्ध, 180 सैकण्ड पल्स रेट पर स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एड्स संक्रमित रक्त

2592. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एड्स संक्रमित रक्तदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है और रक्त बैंक ऐसे व्यक्तियों को रक्तदान करने से रोकने में असमर्थ हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) देश में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले दो वर्षों में रक्त दान करने वालों के बीच एच.आई.वी. सीरम प्रतिक्रिया दर संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) सरकार सख्त दाता डेफेरल तरोकों को अपनाकर स्वैच्छिक रक्तदानों को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। स्वैच्छिक रक्त दान कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त रक्त जुटाने के लिए भारत सरकार ने टेलीविजन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया प्रचार करने, व्यक्ति से व्यक्ति के सम्प्रेषण के लिए सूचना शिक्षा व संचार सामग्री तैयार करने, प्रत्येक वर्ष पहली अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्त दान दिवस मनाने, क्लीनिशियनों के बीच रक्त के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक रक्त दान को समर्थन देने के लिए लोगों को शिक्षित बनाने हेतु विशेष अभियान शुरू करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण

जांचे गए रक्त नमूनों की कुल संख्या और एच.आई.वी. से प्रतिक्रिया करने वाले नमूनों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2000		2001 (अक्टूबर तक)	
		कुल जांच गए	एच.आई.वी. से प्रतिक्रिया करने वाले नमूनों की प्रतिशतता	कुल जांचे गए	एच.आई.वी. से प्रतिक्रिया करने वाले नमूनों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2550	0.00	2616	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	158743	0.94	178473	0.92
3.	अरुणाचल प्रदेश	970	0.00	27436	0.84
4.	असम	26639	0.13	20643	0.08
5.	बिहार	57457	0.12	57498	0.10
6.	चंडीगढ़	48237	0.45	36252	0.44
7.	दादरा और नगर हवेली	0	–	0	–
8.	दमन और द्वीव	0	–	0	0.00
9.	दिल्ली	137085	0.00	126563	0.61
10.	गोवा	7760	1.44	6687	1.20
11.	गुजरात	275020	0.44	278674	0.46
12.	हरियाणा	81232	0.44	63178	0.52
13.	हिमाचल प्रदेश	14539	0.12	10146	0.14
14.	जम्मू और कश्मीर	0	–	0	–
15.	कर्नाटक	249687	0.50	128752	0.51
16.	केरल	129934	0.40	72505	0.46
17.	लक्षद्वीप	0	–	16	0.00
18.	मध्य प्रदेश	57125	0.22	41795	0.25
19.	महाराष्ट्र	212688	1.36	184269	1.30
20.	मणिपुर	14762	1.88	8270	1.74
21.	मेघालय	1729	0.06	1503	0.07

1	2	3	4	5	6
22.	मिजोरम	8630	0.71	6711	0.91
23.	नागालैंड	1126	0.00	1054	0.57
24.	उड़ीसा	107005	0.12	39894	0.15
25.	पांडिचेरी	5093	0.51	4991	0.30
26.	पंजाब	88930	0.27	65905	0.30
27.	राजस्थान	115124	0.30	115793	0.30
28.	सिक्किम	999	0.20	698	0.43
29.	तमिलनाडु	304097	0.30	167734	0.54
30.	त्रिपुरा	10638	0.25	9172	0.27
31.	उत्तर प्रदेश	156643	0.22	151249	0.24
32.	उत्तरांचल	0	0.00	8640	0.01
33.	पश्चिम बंगाल	73569	0.38	93754	0.66
34.	अहमदाबाद एम.सी.	15199	0.47	55078	0.54
35.	चेन्नई एम.सी.	0	0.00	55629	0.43
36.	मुम्बई एम.सी.	113809	1.56	89379	1.57
	कुल	2477019	0.56	2110957	0.60

स्पीड पोस्ट केन्द्र

2593. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का प्रस्ताव इंटरनेट के जरिए स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पोस्ट सामग्रियों का पता लगाने के लिए सभी 120 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों में स्पीड नेट उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इन डाक केन्द्रों के कब तक काम शुरू करने की संभावना है; और

(ग) किस सीमा तक ये आम लोगों के लिए सहायक होंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभाग ने "स्पीडनेट" नामक एक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है और इस समय इसका परीक्षण चल रहा है। यह प्रणाली इन्टरनेट के जरिए ऑन लाइन पर अपनी स्पीड पोस्ट मदों की ट्रैकिंग में ग्राहकों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। एक बार जब परीक्षण पूरा हो जाएगा, स्पीडनेट सभी 120 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों में कार्यान्वित किया जाएगा।

अंतर्देशीय जलमार्ग

2594. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 सितम्बर, 2001 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में 'इन्लैंड वाटरवेज स्पोर्टस प्रोजेक्ट्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो निजी उद्यमियों को दी जाने वाली संभावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनावार तत्संबंधी शर्तें और निबंधन क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में जलमार्गों का विस्तृत नेटवर्क हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) किस सीमा तक अभी तक इसकी खोज की गई है; और

(छ) जलमार्गों के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (छ) अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने और अंतर्देशीय जल परिवहन की आधारभूत संरचना के विकास और अंतर्देशीय जलयानों के स्वामित्व और प्रचालन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन की नीति का अनुमोदन किया है जिसमें इस क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नीतिगत उपाय और प्रोत्साहन शामिल हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में विभिन्न पणधारियों में इस नीति को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली, पटना, कोची और गुवाहाटी में आपसी विचार-विमर्श के लिए चार बैठकें आयोजित की गई हैं। निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए कुछ संकेतात्मक/अनंतिम संभव प्रस्ताव तैयार किए गए थे और इन बैठकों में परिचालित किए गए थे। यह अति प्राथमिक प्रस्ताव थे जिन्हें निजी क्षेत्र के संभावित उद्यमियों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने की दृष्टि से तैयार किया गया था। उनमें से कुछेक ने इस संबंध में रुचि दिखाई है। इन प्रस्तावों के ब्यौरे और शर्त उद्यमियों के साथ परामर्श करके तैयार किए जाएंगे।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट (1980) के अनुसार भारत में लगभग 14500 कि.मी. लम्बे नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जिनमें से 5700 कि.मी. यंत्रीकृत क्राफ्ट द्वारा नौचालन के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट में 10 ऐसे जलमार्गों का पता लगाया गया था जिनमें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने और विकसित किए जाने की क्षमता है। जो इस प्रकार हैं:-

1. गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली
2. ब्रह्मपुत्र
3. पश्चिम तटीय नहर
4. सुन्दरबन
5. गोदावरी
6. कृष्णा
7. महानदी
8. नर्मदा
9. गोवा में मंडोवी, जुआरी नदियां और कबंरजुआ नहर
10. तापी

अभी तक तीन जलमार्गों अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा, धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र और उद्योगमंडल तथा चम्पाकारा नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

निम्नलिखित अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता नौगम्यता का आकलन करने के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं:-

1. सुन्दरबन
2. बराक नदी
3. कृष्णा और गोदावरी नदी सहित काकीनाडा मारकौनम नहर
4. ब्राह्मणी नदी सहित पूर्वी तटीय नहर
5. डी.वी.सी. नहर
6. राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का दक्षिण में कोल्लम तक और उत्तर में कासरगोडे तक विस्तार।

उपर्युक्त जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने और तदनन्तर इनका विकास करने के संबंध में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाएगा।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इन तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचना जैसे कि नौ-चालन चैनल, चुनिंदा स्थानों पर टर्मिनल और नौचालन उपकरणों के प्रावधान के लिए विभिन्न स्कीमों की

योजना बना रही है और चरणबद्ध रूप में उनका कार्यान्वयन कर रहा है।

अंतर्देशीय जलमार्गों और जलमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर स्कीम की लागत की 50% राशि तक ऋण सहायता देने के लिए भी प्रावधान मौजूद हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने और अंतर्देशीय जल परिवहन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन की नीति का अनुमोदन किया है।

भारतीय मिशनों पर खर्च

2595. श्री अरूण कुमार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय पर संपत्ति नहीं खरीदने के कारण समय और धन की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है तथा किराये पर बहुत राशि खर्च हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशियों से किराये के बहुत अधिक बिल मंत्रालय के बढ़े हुए बजटीय आबंटन समाप्त कर देंगे;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) विदेशों मिशनों पर हो रहे खर्चें को, जो काफी बढ़ गए हैं, कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। मंत्रालय ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के लिए अपनी स्वामित्व वाली सम्पत्तियां अर्जित करने को उच्च महत्व दिया है विशेषकर उन देशों में जहां किराए पर अत्यधिक व्यय होता है। इसने अपने अनुमोदित बजट प्रावधानों के भीतर सम्पत्तियों के अर्जन पर ध्यान देते हुए खर्च को कम करने के गंभीर प्रयास किए हैं। मंत्रालय द्वारा विदेश स्थित अपने मिशनों और केन्द्रों के लिए सम्पत्तियों की खरीद का कार्य विभिन्न स्थानीय कारणों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ जगहों पर अपनी स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को अर्जित करना तथा उन्हें विकसित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) मंत्रालय निरन्तर इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयास कर रहा है कि किराया संबंधी देयताओं को नियंत्रित किया जाए और कम किया जाए ताकि अन्य कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन प्रभावित न हो। मंत्रालय को इस बात की पूरी जानकारी है तथा कठोर और बजट नियंत्रणों से संबंधित विभिन्न अनुदेशों का अनुपालन करता है। यह विदेश स्थित मिशनों तथा केन्द्रों को इन उपायों के सख्त अनुपालन और कार्यान्वयन की सलाह देता है।

(ङ) हाल ही में मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में खर्च में कमी लाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं उदाहरण के लिए किराया देयताओं में कमी लाने के उद्देश्य से सम्पत्तियों की खरीद/निर्माण, तथा संचार क्षेत्र में भी टेलेक्स तथा टेलफेक्स के स्थान पर ई-मेल एवं इन्टरनेट का प्रयोग।

जापान में सूचना प्रौद्योगिकी कर्मी

2596. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक जापान के सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में काम करने वाले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों की संख्या क्या है; और

(ग) किस सीमा तक भारत और जापान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) एक अनौपचारिक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियर इस समय भारतीय तथा जापानी कम्पनियों में और जापान स्थित बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों में नियोजित हैं।

(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता योजना) संस्था जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है और जो अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एम.आई.टी.आई.), जापान के अंतर्गत सी.ए.आई.टी. (सेन्ट्रल ऐकेडेमी फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), जापान इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन (जे.आई.पी.डी.ई.सी.) ने सी.ए.आई.टी. की आधारतभूत सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी परीक्षा (एफ.ई.एस.एस.) के साथ

डी.ओ.ई.ए.सी.सी. 'ए' लेवल पाठ्यक्रम की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, जापान सरकार ने अल्पावधि व्यावसायिक निवास के लिए तीन वर्ष के लिए वैध बहुविध प्रविष्टि वीज़ा जारी करने का निर्णय लिया है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत में स्थित उद्यमों में भारतीय राष्ट्रीयता के व्यावसायिक लोगों को 90 दिन की अवधि तक रहने की अनुमति होगी और जापान एवं भारत से सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं

2597. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस समय इंटरनेट से जुड़े हुए शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों/ब्लाक समितियों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) से (घ) देश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) द्वारा देश के 5513 ब्लॉक मुख्यालयों (ग्रामीण और शहरी दोनों) में इंटरनेट सुविधा का विस्तार किया गया है। फ्रेंचाइजियों के माध्यम से स्थापित इंटरनेट ढाबों वाली स्कीम के जरिए बी.एस.एन.एल. ने 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों ब्लॉक मुख्यालयों में 2866 इंटरनेट ढाबों के लिए इंटरनेट डायल-अप कनेक्शन प्रदान किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को अधिक बढ़ावा देने के लिए, बी.एस.एन.एल., ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों के लिए निःशुल्क इंटरनेट अभिगम्यता की पेशकश कर रहा है। इंटरनेट ढाबों के फ्रेंचाइजी, पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पी.एस.टी.एन.) अभिगम्यता प्रभारों का 25 प्रतिशत हिस्सा कमीशन के रूप में लेने के भी पात्र हैं।

ग्राहक सेवा केन्द्र

2598. **डा. बी. सरोजा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग/टेलीफोन एक्सचेंजों में ग्राहक सेवा केन्द्रों के कार्यकरण पर कभी कोई अध्ययन कराया है अथवा इस प्रयोजन से ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन/प्रतिपुष्टि के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) दूरसंचार विभाग तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्रों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है। एम.टी.एन.एल., मुम्बई में संबंधित उप-महाप्रबंधकों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्रों का दौरा करके, उनके कार्यनिष्पादन की जांच की जाती है। ग्राहकों से प्राप्त "फीड बैक" सहित, पायी गई कमियों को तत्काल दूर करने के लिए इसे संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। तथापि, इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक सामग्रियों पर राजसहायता

2599. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक दरों और डाक सामग्रियों पर राजसहायता समाप्त करने के लिए एक स्वतंत्र अर्द्ध-न्यायिक शुल्क आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो आयोग का नाम और विचारार्थ विषय क्या हैं;

(घ) किस सीमा तक डाक सामग्रियों पर राजसहायता दी जा रही है तथा इसका कुल वित्तीय बोझ कितना है; और

(ङ) किस प्रकार इस राजसहायता की वापसी विभाग की जनोपयोगी छवि को प्रभावित करेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान राजसहायता की राशि 'पत्र' के संबंध में 12.29% से लेकर 'पंजीकृत समाचार पत्र (एकल)' के संबंध में 97.47% तक है तथा वर्ष का कुल घाटा लगभग 1550 करोड़ रुपये है।

(ङ) कुछ डाक सेवाएं मुख्यतः सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं इसलिए राजसहायता उचित है। तथापि, अन्य सेवाओं का, औरों के साथ-साथ, व्यापारिक/वाणिज्यिक क्षेत्रों के ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाता है जो एक उचित मूल्य पर कुशल और ग्राहक के अनुकूल सेवा चाहते हैं। इस प्रकार, विभाग खर्च को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है कि राजसहायता को अपेक्षित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने पर केन्द्रित रखा जाए तथा दूसरी ओर विभाग को अति आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए नई और सुसंगत सेवाओं के जरिए राजस्व अर्जन को मजबूत बनाया जाए।

राजस्व की हानि

2600. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में दूरसंचार विभाग को भारी राजस्व हानि की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंतरिक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि राजस्व हानि का दूरसंचार विभाग के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो राजस्व की हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 1.10.2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन होने से विभाग के सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप नई कम्पनी को सौंपे जा चुके हैं। अतः 1.10.2000 से टेलीफोन आदि सेवाएं प्रदान करने संबंधी राजस्व भारत संचार निगम लिमिटेड को प्राप्त हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में भारत संचार निगम लिमिटेड के कुल राजस्व में कोई कमी आने की संभावना नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एम.टी.सी.टी. संबंधी सिफारिशें

2601. श्री किरीट सोमैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाको (एन.ए.सी.ओ.) द्वारा माता-से-बच्चे तक संप्रेषण (एम.टी.सी.टी.) पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिश प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाको और इसके मंत्रालय ने इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी, हां। समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश के पांच उच्च व्यापकता वाले राज्यों नामतः महाराष्ट्र (5), तमिलनाडु (3), आन्ध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (1) और मणिपुर (1) में स्थित 11 संस्थाओं में एंटी रेट्रोवायरल औषध ए जैड टी (जीडोव्यूडीन) के अल्पावधि विधान का प्रयोग करते हुए मां से शिशु में संचरण की रोकथाम संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन का चरण-I पूरा कर लिया है। एच.आई.वी. पॉजिटिव मां और शिशु युगल दोनों में नेवीरेपीन की एकल खुराक का प्रयोग करते हुए व्यवहार्यता अध्ययन का चरण-II 1 अक्तूबर, 2001 से शुरू किया गया है।

महाराष्ट्र में नए डाकघर

2602. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में जिला-वार कितने नए डाकघर/शाखाएं/उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में डाक सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य के विद्यमान डाकघरों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि सरकार से अपेक्षित संख्या में पदों की मंजूरी मिलने के साथ-साथ संसाधन उपलब्ध रहें। वर्ष 2000-2001 में विदर्भ (नागपुर क्षेत्र) सहित डाकघर खोलने का क्षेत्रवार लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) (क) में उल्लिखित प्रस्तावित डाकघरों के अलावा ऐसे स्थानों में 200 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी.एस.एस.के.) खोलने का प्रस्ताव है जहां शाखा डाकघर नहीं हैं। प्रधान डाकघरों का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण करने की योजना है। डाकघर खोलने तथा आधुनिकीकरण के प्रयोजन से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्र	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर			विभागीय उप डाकघर		
	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
औरंगाबाद	12	6	18	1	1	2
नागपुर (विदर्भ)	12	6	18	2	1	3
पुणे	10	4	14	1	शून्य	1
मुम्बई	8	2	10	1	शून्य	1
कुल	50	20	70	5	2	7

विवरण-II

वर्तमान वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र सर्किल में डाकघर खोलने और आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धनराशि

डाकघर खोलना	1,16,29,000/- रु.
पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए	29,95,000/- रु.
300 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए	13,15,000/- रु.
इन्फ्रास्ट्रक्चरल उपस्करों की व्यवस्था	
डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए	30,00,000/- रु.

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की पिछली बकाया रिक्तयाँ

2603. श्री रामजीलाल सुमन : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 को स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चालू वर्ष के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/भरे पदों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के अनुसार (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों में पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

समूह 'क' अनुसूचित : जाति - 1

समूह 'ख' (राजपत्रित) : अनुसूचित जाति - 1

समूह 'ख' (अराजपत्रित) : अनुसूचित जनजाति - 1,
अन्य पिछड़ा वर्ग - 4

समूह 'ग' : अनुसूचित जनजाति - 2,
अन्य पिछड़ा वर्ग - 20

समूह 'घ' : अन्य पिछड़ा वर्ग - 15

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले चार वर्षों के दौरान भरी गई बकाया रिक्तियों के ब्यौरे

समूह 'क'	अनुसूचित जाति	1
समूह 'ख' (राजपत्रित)	अनुसूचित जाति	1
समूह 'ग'	अनुसूचित जनजाति	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1

नहीं भरे गए पदों के ब्यौरे

समूह 'ख' (अराजपत्रित)	अनुसूचित जनजाति	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
समूह 'ग'	अनुसूचित जनजाति	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	19
समूह 'घ'	अन्य पिछड़ा वर्ग	9

विवरण-II

पिछले चार वर्षों के दौरान आरक्षित श्रेणी (अ.जा./ अ. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) में उत्पन्न नई रिक्तियों/ पदों का विवरण

समूह 'क'	अनुसूचित जाति	3
	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
समूह 'ख' (राजपत्रित)	अनुसूचित जाति	4
	अनुसूचित जनजाति	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
समूह 'ख' (राजपत्रित)	अनुसूचित जाति	2
	अनुसूचित जनजाति	2
समूह 'ग'	अनुसूचित जाति	8
	अनुसूचित जनजाति	3
	अन्य पिछड़ा वर्ग	16
समूह 'ख' (राजपत्रित)	अनुसूचित जाति	4
	अनुसूचित जनजाति	3
	अन्य पिछड़ा वर्ग	8

पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामोद्योग .

2604. **श्री भीम दाहाल : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कितने ग्रामोद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन राज्यों में कोई नया उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत

कवर किए गए उद्योगों की संख्या नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	अरूणाचल प्रदेश	98	07	202
2.	असम	35	46	120
3.	मणिपुर	193	50	359
4.	मेघालय	63	1875	623
5.	मिजोरम	243	176	302
6.	नागालैंड	40	309	4119
7.	सिक्किम	6	1	3
8.	त्रिपुरा	–	1	20

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपना कोई उद्योग स्थापित नहीं करता। तथापि, उद्यमी के.वी.आई.सी. के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों से ऋण लेकर इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रेरित हुए हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन

2605. श्री मनोज सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें मुख्यतः किन-किन नियमों का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो अधिनियम के तहत नियमों का विरचन किस चरण में है;

(घ) इन नियमों की तैयारी/विरचना कब तक हो पाने की संभावना है; और

(ङ) इस अधिनियम के कब से प्रवृत्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) जी, हां। अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अनुसार विनियम बनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन प्रयोक्ता

2606. श्री नवल किशोर राय :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और महानगरों में टेलीफोन प्रयोक्ताओं के अनुपात में अंतर काफी ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों, महानगरों और अन्य शहरों में टेलीफोन प्रयोक्ताओं का अनुपात क्या है; और

(ग) इस अंतर के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों, महानगरों और शेष शहरों में टेलीफोन उपभोक्ताओं (टेलीघनत्व) का अनुपात निम्न प्रकार है:–

ग्रामीण क्षेत्र	महानगर	शहरी क्षेत्र (शेष शहरों में)
0.93	15.85	10.16

(ग) अन्तर के निम्नलिखित कारण हैं:–

1. लोगों की आर्थिक क्षमता,

2. फोन की आवश्यकता,

3. असमान जनसंख्या घनत्व,

4. व्यापार एवं वाणिज्यिक हित,

5. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बिजली आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी,

6. अधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता और अधिक प्रचालन लागत,

7. पूंजीगत लागतों पर कम आमदनी,

8. ग्रामीण क्षेत्रों में, नेटवर्क कार्यान्वयन में अधिक समय लगना।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन

2607. श्री समीक लाहिड़ी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन के आगमन के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को पुन: सुसंगठित करना होगा;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग के विकास के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या पहल की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के उत्थान ने लघु उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा के समक्ष ला खड़ा किया है। सरकार ने हमारे उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं - प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान, क्लस्टर एप्रोच द्वारा आधारित संरचना सहायता, ऋण की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबन्धन प्रक्रियाओं को अपनाना, व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक आधारिक संरचना और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का प्रयोग। 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के विकास हेतु एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। यह पॉलिसी पैकेज ऋण तक सरल पहुंच, समपार्श्विक रहित संयुक्त ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी राजसहायता, सुधरी हुई आधारिक संरचना इत्यादि द्वारा लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।

(ग) उत्तर पूर्व क्षेत्र में लघु उद्योगों सहित उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने 1997 में उत्तर पूर्व के लिए एक औद्योगिक नीति की घोषणा की है। नीति में शामिल हैं: परिवहन राजसहायता योजना, केन्द्रीय पूंजीनिवेश राजसहायता योजना, केन्द्रीय ब्याज राज सहायता योजना, व्यापक बीमा योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त एकीकृत आधारित संरचना विकास योजना और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के प्रावधान भी क्षेत्र के लिए और उदार किए गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम एवं पहाड़ी राज्यों के औद्योगिकीकरण के लिए राज्य मंत्री (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है।

मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करना

2608. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा विश्वविद्यालयवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मेडिकल कॉलेजों को दी गई मान्यता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) जी, नहीं। मेडिकल कॉलेज को संबद्धता प्रदान करना उस विश्वविद्यालय का कार्य है जिसके साथ उस कालेज को संबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है। एक नया मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन करने के लिए एक आवेदक को पात्र बनने हेतु संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय से संबंधन की पूर्व सहमति लेना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों में एक पूर्व शर्त है।

रसियावल-खुरड़ा-लोटन बांध का निर्माण

2609. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट दानव नदी पर रसियावत-खुरड़ा-लोटन बांध के निर्माण पर दोनों देशों में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) जी हां।

क्षेत्र की बाढ़ समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के लोटन और रसियावत गांवों के बीच नवम्बर, 2000 में एक सम्पर्क बांध का निर्माण शुरू हुआ था। 2.2 मीटर ऊंचे इस बांध की लगभग 1.8 कि.मी. लम्बाई का कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है। सम्पर्क बांध में 6 रेगुलेटरों की भी व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नेपाल की ओर अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा न हो सके।

बांध के फलस्वरूप नेपाल की सरकार ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तथाकथित जल-प्लवन के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। इस वर्ष जुलाई में बांध का निर्माण कार्य रोक दिया गया था ताकि दोनों पक्षों के अधिकारी इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। इसके बाद से दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ मिले हैं और उन्होंने उपयोगी तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान किया है और चर्चा अभी जारी है।

खादी बाजार को प्रोत्साहित करने हेतु कदम

2610. श्री के. मुरलीधरन : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और अन्य ग्रामीण उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खादी उत्पादों के अभिकल्पन के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु 14 मई, 2001 को एक पैकेज की घोषणा की है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार सृजित करना, महिलाओं और पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण करना। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में, पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प अथवा विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय ब्रांड बिल्डिंग और क्लस्टर विकास शामिल हैं।

(ख) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया है।

(ग) के.वी.आई.सी. ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एन.आई.डी.) अहमदाबाद, जो डिजाइन हेतु प्रमुख संस्थान है, को अपने राष्ट्रीय परामर्शदाता के रूप में पहचान की है। एन.आई.डी., के.वी.आई.सी. को परियोजनाओं को डिजाइन करने के लिए प्रणाली, प्रक्रिया एवं मानदंड शामिल करने में सहायता प्रदान करेगा। इस संबंध में के.वी.आई. क्षेत्र की विशेष रूप से डिजाइन की समस्याओं और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक विशिष्ट सेल भी खोला गया है।

डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग

2611. श्री सुबोध मोहिते : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वित्तीय सेवाओं के विस्तार तथा विभिन्न इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से डाकघरों के व्यापक नेटवर्क के इस्तेमाल का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विभाग और निजी पार्टियों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समझौते से कितने राजस्व की प्राप्ति की संभावना है; और

(ङ) किन क्षेत्रों में इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) जी हां। डाक विभाग ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ म्युच्युअल फंड एवं माइक्रो-क्रेडिट के वितरण, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एवं अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण जैसी उनकी वित्तीय सेवाओं के विक्रय के लिए समझौते किए हैं। ये व्यवस्थाएं

हाल ही में की गई हैं और विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का पता कुछ समय के उपरान्त ही चल सकेगा। इस प्रकार प्राप्त राजस्व सरकारी खाते में जमा किया जाता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग पर खर्च की गई राशि

2612. श्री बहादुर सिंह : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है तथा कुल लघु उद्योग इकाइयों में रुग्ण इकाइयों का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का प्रतिशत बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संकलित नवीनतम डाटा के अनुसार मार्च, 2000 के अंत तक रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या 3,04,235 थी, जिनकी और 4608.43 करोड़ रु. का बकाया बैंक ऋण था। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कुल लघु उद्योग इकाईयों में रुग्ण इकाइयों का प्रतिशत 9.5% आंका गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों का प्रतिशत जो कि मार्च, 1999 के अंत तक 9.9% था, मार्च, 2000 के अंत तक यह घटकर 9.5% रह गया है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए अवसंरचनात्मक विकास

2613. श्री भीम दाहाल : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए अवसंरचनात्मक विकास की योजना के अंतर्गत केन्द्र गठित करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों पर कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या निकट भविष्य में इन राज्यों में और केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान, उत्तर पूर्वी राज्यों में एकीकृत बुनियादी संरचना विकास (आई.आई.डी.) केन्द्रों की स्थापना हेतु तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सभी प्रस्ताव असम अर्थात् भोमोरागुरी (जिला-नागौन) दलगांव (जिला-दरांग) तथा मालिनीबील (जिला-कचार) से थे। जबकि भोमोरागुरी तथा दलगांव की परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, राज्य सरकार से मालिनीबील परियोजना के संबंध में कतिपय सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। आई.आई.डी. स्कीम के तहत निधिकरण पद्धति जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संबंध में लागू होती है उसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय अनुदान और राज्य अंशदान 4:1 के अनुपात में होगा जो कि प्रत्येक परियोजना के लिए 4.00 करोड़ रु. के केन्द्रीय अनुदान के अध्यधीन होगा। असम औद्योगिक विकास निगम (ए.आई.डी.सी.) जो कि दोनों परियोजनाओं के संबंध में क्रियान्वयन अभिकरण है, ने अब तक भोमोरागुरी और दलगांव परियोजनाओं के संबंध में क्रमश: 56.54 लाख रु. तथा 45.42 लाख रु. की राशि का व्यय कर लिया है। ए.आई.डी.सी. को क्रमश: 200.00 लाख रु. तथा 40 लाख रु. का केन्द्रीय अनुदान जारी किया जा चुका है। दलगांव परियोजना के लिए 160.00 लाख रु. का अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार आई.आई.डी. स्कीम के लिए निर्धारित पैरामीटर्स के अन्दर उत्तर पूर्वी राज्यों से प्राप्त नए प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार करेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण उद्योग

2614. डा. बलिराम : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि और ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न मदों के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश और झारखंड में भविष्य में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) देश के सभी राज्यों, में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन करता है। इस प्रकार के उद्योगों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) है। आर.ई.जी.पी. योजना 25 लाख रु. तक की मात्रा की परियोजनाओं को कवर करती है। सरकार के.वी.आई.सी. के माध्यम से 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और 10 लाख रु. से अधिक परन्तु 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत का अतिरिक्त 10% मार्जिन मनी के रूप में प्रदान करती है। कमजोर वर्गों के लिए 10 लाख रु. की परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 30% की दर से दी जाती है तथा शेष राशि के लिए (25 लाख रु. तक), यह 10% है।

(ख) सरकार द्वारा के.वी.आई.सी. को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास तथा संवर्धन के लिए जिसमें उत्तर प्रदेश तथा झारखंड भी शामिल हैं, के लिए भारत सरकार ने दिनांक 14.5.20001 को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: 5 वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प तथा विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.), खादी कामगारों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधा का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रान्ड बिल्डिंग, कलस्टर विकास, आदि। सरकार ने आर.ई.जी.पी. को 10वीं योजना अवधि में जारी रखने का भी निर्णय किया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. को रिलीज किए गए फण्डस

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
	योजना			
1.	खादी अनुदान	15960	9470	10500
2.	खादी ऋण	2098	1500	675
3.	ग्रामोद्योग अनुदान	8400	5400	1350
4.	ग्रामोद्योग ऋण	900	250	-
5.	एस एंड टी (खादी)	30	-	28
6.	एस एंड टी (ग्रा. उ.)	170	70	195
7.	ब्याज सब्सिडी (खादी)*	1900	1900	1900
8.	ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग)*	500	500	500

1	2	3	4	5
9.	आरईजीपी	4665	1103	11000
	उप-योग	34623	20193	26148
	गैर-योजना			
10.	खादी अनुदान	2400	2400	2400
11.	प्रशासनिक व्यय	2560	2410	2410
12.	एचबीए ऋण	30	30	150
13.	ब्याज सब्सिडी (खादी)*	2300	2300	2300
14.	ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग)*	1100	730	536
15.	पुराने ऋणों का नवीकरण*	23616	-	-
	उप-योग	32006	7870	7796
	कुल योग	66629	28063	33944

*राशि रिलीज नहीं की गई परन्तु बुक समायोजन किया गया।

महाराष्ट्र के लिए निधियां

2615. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या प्रधान मंत्री 22 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4499 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इसे लागू किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता।

विवरण

प्रश्न सं. 4499 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र को आवंटित कुल राशि, राज्य की वार्षिक योजना के समय उपाध्यक्ष, योजना आयोग व राज्य के मुख्यमंत्री के बीच चर्चा में अन्तिम की गई। इस राशि में राज्य के अपने स्रोत और केन्द्रीय सहायता सम्मिलित थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान आबंटित राशि इस प्रकार से है:-

वर्ष	राशि आबंटित (रुपये करोड़ में)
1998-1999	11600.73
1999-2000	12162.00
2000-2001	11500.00

सरकारी स्तर की चर्चाओं में योजनावार/परियोजनावार आबंटनों की समीक्षा की जाती है। योजनाओं के नाम महाराष्ट्र सरकार के योजना विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक योजना दस्तावेजों के भाग-II में उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता विभिन्न मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की जाती है। पिछले 3 वर्षों में जारी और प्रमुख योजनाओं में प्रयुक्त वास्तविक राशि और उनके अनुपयोग का कारण, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया और राशि के उपयोग के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के उपयोग का विवरण

(रुपये लाख में)

विभाग : कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

क्र.सं.	केन्द्र प्रायोजित योजना का नाम	लागत सहभागिता प्रतिमान	पिछले 3 वर्षों में प्राप्त अनुदान		उपयोग किया गया वास्तविक अनुदान		यदि राशि का उपयोग नहीं हो रहा तो इसके कारण	सरकार द्वारा उठाए जाने वाले/प्रस्तावित कदम
			वर्ष	राशि	वर्ष	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्य योजना								
1.	अन्न विकास के कार्यक्रमों का एकीकरण	75:25	98-99	659.40	98-99	641.89	कार्य योजना वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी तथा 27 नई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इन योजनाओं के लिए नये मुख्य शीर्षों को खोलना था जिसके लिए महालेखाकार से अनुमति ली जानी थी। इस सारी प्रक्रिया में बहुत सा समय व्यतीत हो गया। जिसके कारण राशि का एक भाग फरवरी, 2001 में वितरित हुआ और शेष मार्च, 2001 में वितरित हुआ। अत: राशि का पूरा उपयोग नहीं हो सका।	वर्ष 2001-02 के लिए कार्य योजना स्कीमों के सम्बन्ध में केन्द्र की सहमति प्राप्त करने के बाद परिणाम-स्वरूप, राज्य द्वारा सहमति दे दी गई और निधियों की मुख्य राशि जारी की गई।
			99-00	742.13	99-00	718.02		
	कुल		00-01	4.34.90	00-01	129.08		
				1836.43		1488.99		
	फसल पर आधारित गन्ना विकास की सतत् विकास योजना	75:25	98-99	580.24	98-99	417.09		
			99-00	447.00	99-00	423.56		
			00-01	109.88	00-01	99.87		
	कुल			1137.12		940.52		
2.	विदर्भ हेतु गन्ना विकास विशेष कार्यक्रम	75:25	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	150.00	00-01	133.50		
	कुल			150.00	-	133.50		
3.	प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	49.00	00-01	33.90		
	कुल			49.00		33.90		
4.	कृषि विस्तार के लिए मल्टीमीडिया समर्थन	75:25	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			00-01	10.00	00-01	1.00		
	कुल			10.00		1.00		
5.	कार्य प्रणाली के विस्तार की गतिशीलता	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	120.00	00-01	64.93		
	कुल			120.00		64.93		
6.	अध्ययन दौरे/किसान विनिमय कार्यक्रम	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	5.00	00-01	5.00		
	कुल			5.00		5.00		
7.	कृषि प्रदर्शनी के द्वारा विस्तार	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	10.00	00-01	7.25		
	कुल			10.00		7.25		
8.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	110.05	00-01	109.75		
	कुल			110.05		109.75		
9.	कृषि पॉलीक्लीनिकों को सुदृढ़ करना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	23.00	00-01	21.48		
	कुल			23.00		21.48		
10.	ताल्लुका बीज फार्म को सुदृढ़ करना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	49.99	00-01	36.46		
	कुल			49.99		36.46		
11.	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि उत्पादन की तैयारी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तृत प्रयोग	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	45.00	00-01	45.00		
	कुल			45.00		45.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	बीज उत्पादन, वितरण एवं संग्रहण सम्बन्धी सहायता	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	580.00	00-01	580.00		
	कुल			580.00		580.00		
13.	चुने गए क्षेत्रों के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम	75:25	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	10.00	00-01	10.00		
	कुल			10.00		10.00		
14.	संकर एवं बासमती चावल विकास कार्यक्रम	75:25	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	10.00	00-01	5.73		
	कुल			10.00		5.73		
15.	सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरक केन्द्र खोलना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	1.00	00-01	1.00		
	कुल			1.00		1.00		
16.	कृषि-वनस्पति उर्वरक		98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	1.00	00-01	1.00		
	कुल			1.00		1.00		
17.	उर्वरक विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	100	98-99	17.50	98-99	17.50		
			99-00	17.50	99-00	17.23		
			00-01	-	00-01	-		
	कुल			35.00		34.73		
18.	कीट नाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना	50:50	98-99	20.00	98-99	0.48		
			99-00	22.00	99-00	22.00		
			00-01	145.00	00-01	145.00		
	कुल			187.00		167.48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन-छोटे	100	98-99	265.00	98-99	298.00		
	ट्रेक्टरं का वितरण		99-00	291.50	99-00	291.50		
			00-01	300.00	00-01	-		
	कुल			856.50		589.50		
20.	विस्तार/सूचना उर्वरक परीक्षण/सूक्ष्म	100	98-99	-	98-99	-		
	पोषक परीक्षण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी		99-00	-	99-00	-		
			00-01	2.00	00-01	0.75		
	कुल			2.00		0.75		
21.	ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता (कृषि	75:25	98-99	3055.96	98-99	3055.96		
	में प्लास्टिक का प्रयोग)		99-00	3600.00	99-00	3600.00		
			00-01	1645.00	00-01	1645.00		
	कुल			8300.96		8300.96		
22.	काजू विकास कार्यक्रम	100	98-99	690.20	98-99	458.75		
			99-00	920.99	99-00	695.70		
			00-01	200.00	00-01	162.97		
	कुल			1811.19		1317.42		
23.	फलों के उष्ण कटिबंधीय व शुष्क	100	98-99	214.00	98-99	162.47		
	क्षेत्रों में एकीकृत विकास		99-00	204.64	99-00	229.20		
			00-01	199.20	00-01	178.09		
	कुल			617.64		569.76		
24.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन की योजना	100	98-99	96.00	98-99	50.13		
			99-00	110.00	99-00	110.00		
			00-01	106.50	00-01	44.41		
	कुल			312.50		204.54		
25.	मशरुम विकास योजना	100	98-99	7.09	98-99	6.97		
			99-00	5.00	99-00	5.00		
			00-01	15.00	00-01	14.59		
	कुल			27.09		26.56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	मसालों का एकीकृत विकास	100	98-99	130.00	98-99	83.44		
			99-00	137.00	99-00	137.00		
			00-01	137.00	00-01	28.00		
	कुल			404.00		148.44		
27.	औषधीय एवं सुगंधी पौधों का विकास	100	98-99	6.50	98-99	6.46		
			99-00	8.00	99-00	7.13		
			00-01	37.00	00-01	26.08		
	कुल			51.50		39.67		
28.	विविध बागवानी फसलों (चाय एवं काफी) का विकास	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	1.00	00-01	0.95		
	कुल			1.00		0.95		
29.	कृत्रिम सब्जियों का उत्पादन	100	98-99	24.00	98-99	9.50		
			99-00	24.00	99-00	24.00		
			00-01	87.50	00-01	84.85		
	कुल			135.50		118.35		
	छत-कंद फसलों का विकास		98-99	3.00	98-99	2.49		
			99-00	4.50	99-00	4.50		
			00-01	-	00-01	-		
	कुल			7.50		6.99		
	सुप्रवाही बीजों के प्रमाणीकरण की योजना		98-99	25.00	98-99	-		
			99-00	6.00	99-00	6.00		
			00-01	-	00-01	-		
	कुल			31.00		6.00		
30.	बागवानी नर्सरियों को सुदृढ़ करने हेतु कार्यक्रम		98-09	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	300.00	00-01	231.77		
	कुल			300.00		231.77		

क्र.सं.	केन्द्र प्रायोजित योजना का नाम	लागत सहभागिता प्रतिमान	पिछले 3 वर्षों में प्राप्त अनुदान		उपयोग किया गया वास्तविक अनुदान		यदि राशि का उपयोग नहीं हो रहा तो इसके कारण	सरकार द्वारा उठाए जाने वाले/प्रस्तावित कदम
			वर्ष	राशि	वर्ष	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	औचित्य रिपोर्ट की तैयारी के लिए सहायता	100	98-99	-	98-99	-	कार्य योजना वर्ष 2000-01 में शुरू की गई तथा 27 नई कार्य योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इन योजनाओं के लिए नये मुख्य शीर्षों को खोलना था जिसके लिए महालेखाकार से अनुमति ली जानी थी। इस सारी प्रक्रिया में बहुत सा समय व्यतीत हो गया जिसके कारण राशि का एक भाग फरवरी, 2001 में वितरित हुआ और शेष मार्च, 2001 में वितरित हुआ। इसलिए राशि का पूरा उपयोग नहीं हो सका।	वर्ष 2000-01 के लिए कार्य योजना स्कीमों के संबंध में केन्द्र की सहमति प्राप्त करने के बाद परिणामस्वरूप राज्य द्वारा सहमति दे दी गई व निधियों की मुख्य राशि जारी की गई।
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	49.00	00-01	49.00		
	कुल			49.00		49.00		
32.	विपणन सूचना केन्द्र की स्थापना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	10.00	00-01	10.00		
	कुल			10.00		10.00		
33.	निर्यात के लिए प्रयोगात्मक अनुबंध संबंधी प्रोत्साहन	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	0.25	00-01	0.25		
	कुल			0.25		0.25		
34.	अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	100.00	00-01	100.00		
	कुल			100.00		100.00		
35.	उद्यमियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	25.00	00-01	25.00		
	कुल			25.00		25.00		
36.	कृषि एवं बागवानी फसलों में मूल्य वृद्धि के लिए सामान्य सुविधाओं की स्थापना	100	98-99	-	98-99	-	कार्य योजना वर्ष 2000-01 में शुरू की गई तथा 27 नई कार्य योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इन योजनाओं के लिए नये मुख्य शीर्षों को खोलना था जिसके लिए महालेखाकार से अनुमति ली जानी थी। इस सारी	वर्ष 2000-01 के लिए कार्य योजना स्कीमों के संबंध में केन्द्र की सहमति प्राप्त करने के बाद परिणामस्वरूप राज्य द्वारा सहमति दे दी गई व निधियों की मुख्य राशि जारी की गई।
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	100.00	00-01	100.00		
	कुल			100.00		100.00		
37.	फूड पार्क/पार्क हाऊस की स्थापना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	50.00	00-01	50.00		
	कुल			50.00		50.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	बासमती चावल के मूल्य में वृद्धि	100	98-99	-	98-99	-	प्रक्रिया में बहुत सा समय व्यतीत हो गया जिसके कारण राशि का एक भाग फरवरी, 2001 में वितरित हुआ और शेष मार्च, 2001 में वितरित हुआ। इसलिए राशि का पूरा उपयोग नहीं हो सका।	
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	20.00	00-01	20.00		
	कुल			20.00		20.00		
39.	फलों एवं सब्जियों के विपणन प्रोत्साहन	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	25.00	00-01	25.00		
	कुल			25.00		25.00		
प्रौद्योगिकी मिशन								
40.	एकीकृत कपास विकास परियोजना	75:25	98-99	321.62	98-99	317.98	वर्ष 1999-2000 की अनुप्रयुक्त राशि के कारण केन्द्र से अन्तिम किस्त मंजूर नहीं हो सकी। साथ ही राज्य सरकार ने मार्च, 2000-01 तक योजनाओं को मंजूरी नहीं दी थी।	वर्ष 2001-02 के लिए कार्य योजना के बारे में केन्द्र की सहमति प्राप्त करने के बाद, राज्य के द्वारा सहमति दे दी गई तथा निधियों की मुख्य राशि जारी की गई।
			99-00	361.53	99-00	332.40		
			00-01	814.24	00-01	536.53		
	कुल			1497.39		1186.91		
41.	राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम	75:25	98-99	1237.47	98-99	1508.60		
			99-00	1142.14	99-00	114.13		
			00-01	825.61	00-01	518.42		
	कुल			3205.22		3141.15		
42.	राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम	75:25	98-99	450.24	98-99	450.00		
			99-00	430.00	99-00	424.10		
			00-01	276.90	00-01	236.43		
	कुल			1157.14		1110.53		
43.	मक्का के लिए त्वरित विकास कार्यक्रम	75:25	98-99	56.60	98-99	63.15		
			99-00	87.29	99-00	86.21		
			00-01	42.24	00-01	40.30		
	कुल			186.13		189.66		
अन्य स्कीमें								
44.	विश्व कृषि गणना	100	98-99	17.00	98-99	9.56		वर्ष 2001-02 के लिए कार्य योजना के बारे में केन्द्र की सहमति प्राप्त करने के बाद, राज्य के
			99-00	16.90	99-00	8.77		
			00-01	28.00	00-01	15.69		
	कुल			61.90		34.02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	कृषि आसूचना सांख्यिकी की सामायिक रिपोर्ट	50:50	98-99	26.00	98-99	25.32		द्वारा सहमति दे दी गई तथा निधियों की मुख्य राशि जारी की गई।
			99-00	18.00	99-00	16.58		
			00-01	24.00	00-01	23.88		
	कुल			68.00		65.78		
46.	फसल सांख्यिकी में सुधार	50:50	98-99	10.00	98-99	9.90		
			99-00	9.00	99-00	7.25		
			00-01	10.00	00-01	6.34		
	कुल			29.00		23.49		
47.	फलों, सब्जियों एवं लघु व्यापारिक फसलों सम्बन्धी फसल अनुमान सर्वेक्षण	100	98-99	30.00	98-99	28.80		
			99-00	31.00	99-00	31.00		
			00-01	34.00	00-01	25.00		
	कुल			95.00		84.80		
48.	कृषि में महिलाएं	100	98-99	6.95	98-99	5.96		
			99-00	6.95	99-00	6.55		
			00-01	8.18	00-01	8.17		
	कुल			22.08		20.68		
49.	स्थानीय निकायों द्वारा कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना	100	98-99	-	98-99	-		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	125.00	00-01	-		
	कुल			125.00		0.00		
50.	जैव कृमिनाशकों का उत्पादन एवं विपणन	100	98-99	17.00	98-99	30.00		
			99-00	-	99-00	-		
			00-01	200.00	00-01	130.00		
	कुल			217.00		160.00		
51.	मिनी किट्स का वितरण	100	98-99	14.00	98-99	14.00		
			99-00	15.00	99-00	15.00		
			00-01	16.94	00-01	16.94		
	कुल			46.34		46.34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल	100	98-99	15.50	98-99	10.60		
	विकास बोर्ड - मूंगफली, कुसुम,		99-00	15.40	99-00	15.40		
	सूर्यमूखी आदि के उत्पादन को बढ़ाना		00-01	16.00	00-01	16.00		
	कुल			46.90		42.00		
53.	नारियल क्षेत्र विकास परियोजना	100	98-99	3.58	98-99	2.25		
			99-00	3.37	99-00	3.30		
			00-01	2.59	00-01	2.49		
	कुल			9.54		8.04		
	टी × डी सिडलिंग	100	98-99	3.00	98-99	3.20		
			99-00	3.00	99-00	3.00		
			00-01	-	00-01	-		
	कुल			6.00		6.20		
54.	ग्रामीण क्षेत्रों में पोषात्मक उद्यान की स्थापना	100	98-99	20.00	98-99	-		
			99-00	20.00	99-00	20.00		
			00-01	10.00	00-01	9.49		
	कुल			50.00		29.49		
55.	फलों एवं सब्जियों के उत्पादकों	100	98-99	5.00	98-99	-		
	को प्रशिक्षण द्वारा प्रौद्योगिकी		99-00	5.00	99-00	5.00		
	का हस्तांतरण		00-01	4.00	00-01	-		
	कुल			14.00		5.00		
	समस्त जोड़		98-99	8029.85	98-99	7690.45		
			99-00	8707.44	99-00	8382.13		
			00-01	7755.97	00.01	5857.34		
	कुल			24493.26		21929.92		

[अनुवाद]

भारतीयों का सर कलम किया जाना

2616. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 9 सितम्बर, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' से प्रकाशित समाचार के अनुसार गत तीन वर्षों में सऊदी अरब में नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में 34 भारतीयों का सर कलम किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मुद्दा इस वर्ष जनवरी में सऊदी अरब की उनकी यात्रा के दौरान अथवा द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय स्तर पर उठाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान सामान्य रूप से नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के आरोपों पर भारतीय राष्ट्रिकों को फांसी दिए जाने संबंधी मामले पर चर्चा हुई थी। बाद में इस मामले को सक्रिय रूप से राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया गया था। ऐसे सभी मामलों में हमारा राजदूतावास कौंसली पहुंच का प्रयास करता है और सऊदी सरकार के अधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर संबंधित अलग-अलग व्यक्तियों की दया याचनाएं भी देता है।

(घ) भारत और सऊदी अरब नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का सामना करने के लिए सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दे रहे हैं जिस पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर होने की संभावना है।

डाकघरों की संख्या

2617. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) अपने स्वयं के भवनों और किराये के भवनों में चल रहे डाकघरों और तारघरों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों, उप-डाकघरों और तारघरों की संख्या कितनी है;

(घ) गत 2 वर्षों के दौरान डाक भवनों के रखरखाव हेतु संस्वीकृत की गई और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित किए जाने वाले डाक भवनों की संख्या कितनी है;

(च) किराये पर लिए गए डाक भवनों के रखरखाव और देख-भाल हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों में डाकघर स्थापित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) डाक एवं तारघर के कर्मचारियों की आवासीय कालोनियों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (झ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी.एस.एन.एल. हेतु वित्तीय सहायता

2618. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने ग्रामीण टेलीफोन विस्तार योजनाओं हेतु तीन हजार करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोनी नेटवर्क का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सभी गांवों को कब तक टेलीफोन से जोड़े जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने वर्ष 2001-02 के लिए 2526 करोड़ रु. की मांग की है।

(ख) सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए 1500 करोड़ रु. आबंटित किए हैं बशर्ते कि बीएसएनएल द्वारा वास्तविक व्यय किया गया हो।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड को सी-डॉट, वायरलैस मल्टीपल एक्सेस सिस्टम्स और वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सिस्टम जैसी नई प्रौद्योगिकियां शुरू करने का कार्य सौंपा है।

(घ) वर्ष 2002 तक सभी गांवों को टेलीफोन लिंक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

एमटीएनएल में भ्रष्टाचार

2619. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या संचार मंत्री के बारे में 13.8.2001, के अतारांकित प्रश्न सं. 3205 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्रम सं. 5, 9, 12 में उल्लिखित मदों के संबंध में किन-किन विषयों की जांच की गई थी और यदि जांच पूरी हो गई है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्संबंधी निर्णय को रोके रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्रम सं. 8, 13, 14, 15 और 16 में सूचीबद्ध मामलों के बारे में जांच पूरी होने के बाद अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी मामलों में कार्यवाही करने के पश्चात् दोषी नेताओं और अधिकारियों को कब तक दंडित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्रम सं. 5, 9, 12 में उल्लिखित मदों के संबंध में जांच शुदा मुद्दों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्संबंधी निर्णय रोकने के कारणों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया हैं।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रम सं. 8, 13, 14, 15 तथा 16 में उल्लिखित सूची-बद्ध मामलों के संबंध में निर्णय रोकने के कारणों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, जांच पूरी होने के पश्चात् दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विवरण-I

क्र.सं.	शिकायत संबंधी ब्यौरा	मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच के मुद्दे	सक्षम प्राधिकारी का निर्णय
1	2	3	4
5	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्टाफ यूनियन के महासचिव की, सरकारी वाहन का प्रयोग करते हुए दुर्घटना के संबंध में भारतीय महानगर टेलीफोन कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक शून्य की शिकायत।	(1) क्या श्री सरूप सिंह दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकारी वाहन को दिल्ली से बाहर ले गए थे? (2) दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत में किए गए खर्च का औचित्य। (3) दुर्घटना के बाद श्री सरूप सिंह को मंजूर किए गए चिकित्सा खर्चे का औचित्य।	मान्यता प्राप्त यूनियन के महासचिव को इस अनुबंध पर स्टाफ के कल्याण के लिए सरकारी वाहन दिया गया था कि वाहन का प्रयोग 3,000 कि.मी. तक प्रतिबंधित होगा और इसका प्रयोग दिल्ली तक ही सीमित होगा। सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि श्री सरूप सिंह द्वारा वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाना, दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। तथापि, प्रबंधन और स्टाफ यूनियन के संबंधों में मैत्रीभाव रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने श्री सरूप सिंह को यह चेतावनी देना उपयुक्त समझा कि वे भविष्य में सतर्क रहें। जहां तक वाहन की मरम्मत पर किए गए व्यय का संबंध है, एमटीएनएल बीमा कम्पनी के साथ कार्रवाई कर रहा है। जहां तक चिकित्सा खर्चे की पूर्ति का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है

1	2	3	4
			कि आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में किसी भी स्टाफ के लिए ऐसे खर्चों की मंजूरी दी जा सकती है।
9	डा. बलिराम संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा दिनांक 5.12.2000 को की गई शिकायत, जिसमें एमटीएनएल, मुम्बई में टेलीफोन डायरेक्टरियों के वितरण और केबल बिछाने हेतु खाइयां खोदने में हुई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।	एमटीएनएल मुम्बई में बहाली संबंधी कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई द्वारा की गई है। सीबीआई ने जून/जुलाई, 2000 में 11 अधिकारियों के विरुद्ध बहाली कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया था। 7-11-2000 को सीबीआई ने पुन: 50 अधिकारियों और 10 ठेकेदारों के विरुद्ध 10 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें बहाली कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की आगे जांच की जा रही है। निर्देशिकाओं के वितरण में अनियमितताओं के संबंध में 3 संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।	
12	महानगर टेलीफोन निगम लि. कर्मचारी संघ से एमटीएनएल दिल्ली द्वारा डायरी की खरीद में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में भारतीय महानगर टेलीफोन कर्मचारी संघ की दिनांक रहित शिकायत।	(1) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. कर्मचारी संघ से समूह ग तथा घ कर्मचारियों के लि 50/- रु. प्रति डायरी के दर पर टेबल डायरियों की खरीद में अनियमितताएं की गई थी?	एमटीएनएल में समूह क तथा ख अधिकारियों को प्रति वर्ष डायरियां प्रदान की जाती है और इन डायरियों की खरीद कनिष्ठ अभियन्ता दूरसंचार संघ (जेईटीए) तथा दूरसंचार अभियांत्रिकी सेवा संघ (टीईएसए) से की जाती है। महानगर टेलीफोन निगम लि. कर्मचारी संघ (एमटीएनएल, दिल्ली का मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ) के महासचिव ने यह मांग की कि समूह ग तथा घ कर्मचारियों के लिए डायरियां उक्त संघ से खरीदी जानी चाहिए। महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ से समूह ग तथा घ कर्मचारियों के लिए डायरियों के प्रापण हेतु एमटीएनएल, दिल्ली में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। बाजार सर्वेक्षण के बाद सामग्री प्रबंधन शाखा ने 50/- रु. प्रति डायरी के दर को मंजूरी दी। अधिकारी संघ से वर्ष 2000-2001 के लिए डायरी की खरीद हेतु अनुमोदित दर 100/- रुपए प्रति डायरी था। डायरियों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं की गई थी। दूरसंचार विभाग के सतर्कता अनुभाग में इस मामले की और जांच की जा रही है।

विवरण-II

क्र.सं.	शिकायत संबंधी ब्यौरे	की गई कार्रवाई
8	एमटीएनएल, दिल्ली यूनिट के विधायी कक्ष में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, मनमानी और अनधीनता के संबंध में भारतीय टेलीफोन कर्मचारी संघ श्रेणी-III से दिनांक शून्य की शिकायत।	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली के सतर्कता विंग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
13	मुख्य प्रबंध निदेशक के अपर निजी सचिव के रूप में तैनात वरिष्ठ टेलीफोन ऑपरेटर श्रीमती रश्मि कक्कड़ की विदेश यात्रा के संबंध में डा. बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 29.6.2001 की शिकायत।	दूरसंचार विभाग के सतर्कता विंग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
14	''सेल्फ ड्राइविंग स्कीम'' के अंतर्गत एमटीएनएल में 30 मारूति-800 कारों की खरीद में तथा कथित अनियमितताओं के संबंध में डा. बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 29.6.2001 की शिकायत।	अनुबंध-I के अनुसार
15	प्रबंधकों द्वारा, गैर-उत्पादक और व्यर्थ के व्यय पर, एमटीएनएल फंड के दुरूपयोग के संबंध में डा. बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 29.6.2001 की शिकायत।	अनुबंध-II के अनुसार
16.	एमटीएनएल के निगमित कार्यालय के उप महाप्रबंधक (वित्त), महाप्रबंधक (वित्त) और निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय शक्तियों के दुरूपयोग के संबंध में डा. बलिराम, संसद सदस्य (लोक सभा) की दिनांक 3.7.2001 की शिकायत।	अनुबंध-III के अनुसार

अनुबंध-I

विषय : ''सेल्फ-ड्राइविंग स्कीम'' के अंतर्गत 30 मारूति-800 कारों की खरीद पर कई लाख रुपए धनराशि के अनावश्यक दुरूपयोग संबंधी आरोप

क्र.सं.	लगाया गया आरोप	एनटीएनएल का उत्तर
1	2	3
1.	30 कारों के क्रय पर 75 लाख रुपए का व्यय एकदम बेकार है और एमटीएनएल पर निष्फल व्यय है। इसके अतिरिक्त एमटीएनएल को बीमा और पंजीकरण प्रभारों पर लगभग 1 लाख रुपए वहन करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप एमटीएनएल पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।	यह बेकार और निष्फल व्यय नहीं है। किराए पर लिए गए वाहन की औसत लागत 24-25 हजार रुपए प्रति माह है। सेल्फ-ड्राईविंग स्कीम के तुलनात्मक ब्योरें निम्नलिखित हैं:- (क) पेट्रोल प्रभाग (100 लीटर) (30 रु. प्र.लि. की दर से) प्रतिमाह 3000 रु. (ख) बीमा प्रभार प्रतिमाह 1000 रु. (ग) अनुरक्षण प्रभार प्रतिमाह 3000 रु.

1	2	3
		(घ) मूल्यह्रास प्रतिमाह 2000 रु. (ङ) चालक के वेतन की प्रति पूर्ति प्रतिमाह 4000 रु. कुल लागत प्रतिमाह 13000 रु. इस प्रकार, इस कार्यवाही से प्रतिमाह लगभग 10,000 रुपए प्रति वाहन की बचत अपेक्षित है 30 कारों के लिए यह 3 लाख रुपए प्रतिमाह होती है।
	(क) प्रत्येक अधिकारी को चालक रखने के लिए प्रति माह 4000 रुपए दिए जाएंगे।	एमटीएनएल अधिकारी को 4000 रुपए प्रतिमाह एक चालक के वेतन की प्रतिपूर्ति भी करेगा और एमटीएनएल पर कोई देयता नहीं रहेगी। शिकायतों के मद्देनजर अब इस खर्च को वापस लिया जा रहा है।
	(ख) एमटीएनएल पर 1,20,000 रुपए प्रतिमाह और 14,40,000 प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।	यह कोई अतिरिक्त भार नहीं है। इस व्यय को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त (क) में उत्तर दिया गया है।
	(ग) इन कारों का अनुरक्षण एमटीएनएल को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिकारी के 2500/- की धनराशि दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल को 1 लाख रुपए प्रतिमाह और 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करना होगा।	ये कारें एमटीएनएल की सम्पत्ति हैं और इस प्रकार इनका अनुरक्षण एमटीएनएल को वहन करना होगा। जहां तक व्यय का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
	(घ) प्रत्येक अधिकारी को पेट्रोल की खरीद के लिए 4500/- रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगें जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल को 1,35,000/- रुपए प्रतिमाह और लगभग 16,20,000/- रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय करना होगा।	यह सही नहीं है। वाहन चलाने वाले अधिकारी को दिया गया मासिक ईंधन का कोटा निम्नवत है: कार्यालय से निवास की दूरी — ईंधन का मासिक कोटा 5 कि.मी. तक — 75 लीटर 6-10 कि.मी. — 100 लीटर 11-15 कि.मी. — 125 लीटर 15 कि.मी. से अधिक — 150 लीटर उपरोक्त (क) के उत्तर के अनुसार, इस प्रस्ताव के लागत कुशलता की गणना करते समय, इससे सम्बन्धित व्यय को भी शामिल किया जाता है।
	(ङ) कार की खरीद के 4 वर्ष बाद, खरीद मूल्य के 1/5 हिस्से के बराबर के न्यूनतम मूल्य पर इन कारों की खरीद के लिए प्रत्येक अधिकारी को विकल्प दिए जाएंगे, जिससे भविष्य में 60 लाख रु. का अत्यधिक घाटा होगा।	जिस अधिकारी को कार आबंटित की जाती है उसे चार वर्ष के बाद, उसकी बिक्री की तारीख को खाता मूल्य (बुक वेल्यू) अथवा पुराने वाहन के बतौर मौजूदा बाजार मूल्य, इसमें से जो भी कम हो, पर उस कार को खरीद का विकल्प दिया जाएगा। कार को ठीक ढंग से अनुरक्षित रखने के लिए अधिकारी को दिया जाने वाला यह एक तरह का प्रोत्साहन है।

1	2	3
(च)	अत: कुल व्यय 1,18,60,000 के बराबर है जिस पर ब्याज 16,60,400/- रु. होगा।	जैसा कि ऊपर (क) में उत्तर दिया गया है, एमटीएनएल के लिए एक तरह से यह घाटे के बजाए बचत का सौदा है, जो तीन लाख रु. प्रतिमाह (एक कार की लागत से अधिक) है।
(छ)	चार वर्षों में कुल अनुमानित घाटा - 60 लाख रु.	उपर्युक्त (च) में उत्तर दिया गया है।
(ज)	उपर्युक्त कार्रवाई सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के जरिए अनावश्यक व्यय में कटौती सुनिश्चित करने संबंधी भारत सरकार के अनुदेशों के विपरीत है जिसमें 24.9.2000 के आदेश के तहत नए वाहनों की खरीद पर लगाया गया एक वर्ष का प्रतिबंध शामिल है।	किराएशुदा वाहनों पर व्यय पहले ही किया जा रहा है। उपर्युक्त (क) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार इस व्यय पर मितव्ययता बरतने के लिए वाहनों की खरीद का निर्णय लिया गया है।
(झ)	उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप बचत कितनी होगी	इस उपाय से प्रत्याशित बचत प्रतिवाहन प्रतिमाह लगभग 10,000/- रु. होगी। इस प्रकार 30 वाहनों के लिए प्रतिमाह 3 लाख रु. की बचत होगी।
(ञ)	ड्राइवरों और मौजूदा कारों का क्या होगा	किराए वाली कारों की संख्या में कटौती करने का प्रस्ताव है। अत: मौजूदा कारों और ड्राइवरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

अनुबंध II

पुनरुद्धार और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और मुख्य महाप्रबंधक, दिल्ली के सरकारी आवास के पुनरुद्धार पर व्यय के लिए 50 लाख रुपये से अधिक का व्यय

भारतीय एमटीएनएल कर्मचारी संघ की शिकायत में वर्णित पुनरुद्धार के लिए 50 लाख रुपये से अधिक का व्यय सही नहीं है। वस्तुत: पिछले दो वर्षों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के आवास, 8 रायसीना रोड, नई दिल्ली में बांस की घेराबंदी बदलने और खिड़कियों तथा रोशनदानों में जाली शटर लगाने के लिए केवल 49,500/- रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

मुख्य महाप्रबंधक की सी-II/65, बापा नगर, नई दिल्ली आबंटित किया गया है और पिछले दो वर्षों में कोई खर्च नहीं किया गया है। एस्टीमेट पूल क्वार्टर होने के कारण, सीपीडब्ल्यूडी ने बापा नगर के सी-II क्वार्टर का सी-I के रूप में स्तरोन्नयन किया और तदनुसार मुख्य महाप्रबंधक के इस क्वार्टर का भी स्तरोन्नयन किया जाना था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा स्तरोन्नयन संबंधी कार्य प्रगति पर है और इसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 8,09,300/- रुपये के अनुमानित व्यय पर ''डिपॉजिट वर्क'' के रूप में किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक सी-I आवास के हकदार हैं।

निदेशक (वित्त) के आवास सं. टी-41, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली को निदेशालय द्वारा दिनांक 30.12.96 के पत्र सं. 13-3/96-डब्ल्यू (टी) के तहत असुरक्षित घोषित किया गया था। चूंकि इस आवास में कोई रह रहा था और बाद में यह खाली रहा, इसलिए इस क्वार्टर की छत को अब 1,90,300/- रुपये की लागत से आरसीसी छत से बदल दिया गया है। कोई चारदीवारी नहीं थी तथा रसोई, स्नानागार और परिसर की सड़क की दशा अत्यधिक खराब थी। इसके अलावा, कुछ दरवाजे/खिड़कियों/अल्मारियों को भी दीमक आदि ने नष्ट कर दिया था और इसीलिए 6,10,500/- रुपये की अनुमानित राशि की मंजूरी दी गई तथा इसी राशि में यह कार्य किया गया।

निगमित कार्यालय में व्यय

निगमित कार्यालय के पास इस समय टावर-I में दो तल और टावर-II में एक तल है। टावर-II में आवास लगभग एक वर्ष पहले किराए पर लिया गया था। टावर-II के आवास में एक हाल था और उपयुक्त तरीके से इसका उपयोग केवल कैबिनों और बैठने के स्थान का निर्माण करने के पश्चात किया जा सका। इसलिए अनुमानित राशि की मंजूरी करवाई गई तथा महाप्रबंधकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित कैबिनों का निर्माण करवाया गया।

टावर-I के 12वें तल पर कुछ अन्य महाप्रबंधकों के कार्यालयों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) के कार्यालय थे। कम्पनी ने निदेशक (कार्मिक) के पद को मंजूरी दी है तथा निदेशक (विकास) के पद का सृजन किया जा रहा है। इस कारण दो बोर्ड निदेशकों के लिए अतिरिक्त कैबिनों के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। इस प्रक्रिया में कतिपय अन्य समायोजन करना अनिवार्य हो गया है।

12वें तल पर भी एक सम्मेलन कक्ष है। इस सम्मेलन कक्ष को, कॉफी कक्ष के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा फोटोकोपियर कक्ष और सामान्य भंडारण कक्ष के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड की बैठकों के दौरान अनेक अवसरों पर एकान्त का अभाव होने पर अफसोस व्यक्त किया गया, क्योंकि जब बोर्ड की बैठकें चल रही होती थीं तो लोगों का अन्य कार्यों को करने हेतु अन्दर-बाहर आना-जाना लगा रहता था। बोर्ड की बैठकों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, एक विशेष बोर्ड कक्ष तथा अलग पैन्ट्री और परिचर्या कक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया था।

यह आवश्यक हो गया था कि एमटीएनएल की हैसियत रखने वाली कम्पनी के निगमित कार्यालय के पास एक बोर्ड कक्ष हो जहां बोर्ड की बैठकों के लिए जाने वाले निर्णयों के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। बोर्ड कक्ष के पुनरूद्धार और उसकी पुनर्संरचना पर संभावित कुल व्यय 7,35,000/- रुपये है जोकि पूर्णत: अनिवार्य है।

अनुबंध-III

रिपोर्ट

डा. बलिराम, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) के दिनांक 3.7.2001 के पत्र में लगाए गए आरोपों पर रिपोर्ट निम्नवत है:

आरोप संख्या 1

वर्ष 1997 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) ने दिनांक 4.11.97 के 4,72,458 रु. और दिनांक 17.11.97 के 330,95,578 रु. तथा 25,50,550 रु. की राशि के चेकों के द्वारा दो बार जी डी आर इश्यू जारी किए। 61,18,586 रु. की उपर्युक्त राशियों से एम टी एन एल को 20 प्रतिशत कटौती की राशि प्राप्त करनी है जो 12,23,717 रु. है और जो एम टी एन एल के खाते में जमा की जानी है। किंतु आज तक उक्त राशि एम टी एन एल के खाते में जमा नहीं की गई है जिसके कारण भारी वित्तीय हानि और साथ ही उस राशि पर ब्याज की हानि भी हुई है।

टिप्पणियां

वर्ष 1997 में एम टी एन एल का केवल एक जी डी आर ईश्यू था। डा. बलिराम द्वारा भेजे गए भारतीय महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ के महासचिव श्री गिरि राज शर्मा के पत्र में उल्लिखित चेक एम टी एन एल में सरकार के शेयरों के विनिवेश और एम टी एन एल के नए शेयर जारी करने के उद्देश्य से देश के बाहर अनेक देशों में आयोजित "रोड शो" में भाग लेने के लिए गए अधिकारियों की एक अंतर्मंत्रालयिक दल के लिए हवाई जहाज के टिकटों की बुकिंग के लिए एक ट्रैवल एजेंट को दिए गए भुगतान के संदर्भ में जारी किए गए थे। एम.टी.एन.एल. को 20 प्रतिशत की कटौती, जो 12,23,717 रु. की राशि है, को प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए वित्तीय हानि का आरोप सही नहीं है।

आरोप संख्या 2

"निगमित कार्यालय ने मनोरंजन शीर्ष पर 17 लाख रु. का व्यय किया है। कुछ ब्यौरे आपके विचारार्थ नीचे दिए गए हैं:

1.	श्रीमती उदित सी. कुमार, उपमहाप्रबंधक (वित्त)	-	1.31 लाख रु.
2.	महाप्रबंधक (वित्त)	-	1.77 लाख रु.
3.	निदेशक (वित्त)	-	1.30 लाख रु.
4.	निदेशक (वित्त) के निजी सचिव	-	0.45 लाख रु.

टिप्पणियां

निगमित कार्यालय के वित्त स्कंध ने जनता से संबंधित प्रमुख मुद्दों सांविधिक लेखा परीक्षकों और सरकारी लेखा परीक्षकों से संबंधित मामलों को निपटाया। 1999-2000 के दौरान, जी डी आर-2 इश्यू भी चल रहा था। सभी व्यय लेखा परीक्षा दल के अधिकारियों और सदस्यों को शाम को देर तक बैठने, अवकाशों और बैठकों में भोजन और अल्पाहार पर खर्च हुए हैं। लेखाओं और लेखा परीक्षा का निपटान करने के दौरान, वित्त स्कंध के अधिकारियों को बैठकों के लिए बहुधा बुलाया गया। सभी व्ययों का संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापन कर लिया गया है और अनुमोदित कर दिया गया है। निगमित कार्यालय में जहां तक शिष्टाचार पर व्यय का संबंध है, महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक पूर्ण शक्तियों को प्रयोग कर रहे थे। व्यय को निर्धारित सीमा तक रखने हेतु, दिनांक 21.7.2001 का एक संशोधित आदेश सं. एन.टी.एन.एल./सीओ/सतर्कता/61/2000-01 हाल में जारी किया गया। 1999-2000 में हुए शिष्टाचार संबंधी व्यय में कोई अनियमितता नहीं है।

आरोप सं. 3

"निगमित कार्यालय द्वारा 30 मारूति कारों की खरीद पर किया गया भारी व्यय और कार्यालय द्वारा आवासीय परिसरों आदि के पुनरोद्धार पर किया गया व्यय"

टिप्पणियां

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों के लिए स्व-चालक आधार पर 30 मारूति 800 कारों की खरीद का एक प्रस्ताव महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की निदेशक-मंडल की 146वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। जहां तक कार्यालय के पुनरोद्धार आदि पर हुए व्यय का संबंध है, यह आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है। इस तरह इसमें कोई अनियमितता नहीं है। इसलिए यह आरोप सत्य नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में एसटीडी सुविधा

2620. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर खेड़ी लखीमपुर जिले से काफी संख्या में एसटीडी सुविधा मुहैया कराने के लिए मांगें सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्य में एसटीडी सुविधा मुहैया कराने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए/उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2084 एक्सचेंज हैं जिसमें से 152 एक्सचेजों को अभी एसटीडी सुविधा प्रदान की जानी है।

लखीमपुर खीरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 82 एक्सचेंज हैं जिसमें से 20 एक्सचेंजों को विश्वसनीय मीडिया पर अभी एसटीडी सुविधा प्रदान की जानी है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी एक्सचेंजों को 31 मार्च, 2002 तक विश्वसनीय मीडिया पर एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

लखीमपुर खीरी जिले में उन एक्सचेंजों की सूची, जिन्हें अभी विश्वसनीय मीडिया पर एसटीडी सुविधा प्रदान की जानी है

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1.	अजबापुर
2.	झांदिराव
3.	सलीमाबाद
4.	शबंकरपुर रोजा
5.	सिन्धोना
6.	अन्देस नगर
7.	बदरगांव
8.	दाऊदपुर
9.	जहांखेरा
10.	कलाम
11.	पडरियातुला
12.	संसारपुर
13.	सरायबिका
14.	बेला परसवा
15.	भानपुर
16.	गजियापुर
17.	लगूचा
18.	मदनपुर
19.	ममरी
20.	रकायतपुर

[हिन्दी]

चालक दल के सदस्यों को रिहा किया जाना

2621. श्री महेश्वर सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 सदस्यीय चालक दल वाला भारतीय माल वाहक पोत 'एम.एस.वी.' राजलक्ष्मी दुबई से मुन्दड़ा (गुजरात) आते समय समुद्र में डूब गया था और पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इसके चालक दल के सदस्यों को हिरासत में ले लिया था और वे सभी पसनी जेल में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां। सूचना है कि चालक दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गयी और 14 सदस्य तैर कर पाकिस्तान तट पर पहुंच गये जहां उन्हें पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

(ख) और (ग) समाचार मिलते ही सरकार ने राजनयिको माध्यमों के जरिए तत्काल पाकिस्तान सरकार के साथ चालक दल के 14 सदस्यों की रिहाई और देश-प्रत्यावर्तन का मामला उठाया। सरकार द्वारा किये गये निरंतर प्रयासों के पश्चात् पाकिस्तान सरकार ने 21.11.2001 को एम.एस.वी. राज लक्ष्मी के 14 चालक सदस्यों के कैद होने की बात स्वीकार की और उन्हें कौंसली पहुंच उपलब्ध कराने पर सहमत हुई। सामान्य प्रथा के अनुरूप कौंसली पहुंच उपलब्ध हो जाने तथा अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाने के बाद उनके देश-प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

टाटा सैल्यूलर लिमिटेड

2622. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा सैल्यूलर लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को तिरूपति से जोड़ने वाला कृष्णा कॉरीडोर नामक तीसरा कॉरीडोर शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 384 किलोमीटर लम्बा कृष्णा कॉरीडोर टाटा सैल्यूलर लिमिटेड के अन्य दो कॉरीडोरों, कोस्टा और डेक्कन कॉरीडोर को भी जोड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो इसमें कुल कितना निवेश किया जाएगा;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सैल्यूलर टेलीफोन उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) मै. टाटा सेल्युलर लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विजयवाड़ा तथा तिरूपति को जोड़ने वाला कृष्णा कॉरीडोर प्रचालन में हैं और यह कोस्टा तथा डेक्कन कॉरीडोरों को भी जोड़ता है; इन कॉरीडोरों पर किया गया निवेश लगभग 20 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) दिनांक 11.12.1996 और 20.12.1996 से दो निजी कम्पनियों अर्थात मै. टाटा सेल्युलर लि. तथा भारती मोबाइल लि. (पूर्व नाम मै. जेटी मोबाइल लि.) द्वारा पहले से ही प्रचालन में है तथा सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.10.2001 को उपभोक्ताओं की संख्या क्रमश) 2,00,624 तथा 1,85,756 है। हाल ही में, मै. भारत संचार निगम लि. और मै. बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसिज लि. को आन्ध्र प्रदेश में सीएमटीएस प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; आशा है कि ये दोनों कम्पनियां अगले वित्तीय वर्ष में अपनी-अपनी सेवा शुरू कर देंगी।

खाद्य अपमिश्रण तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन

2623. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री ए. बहादुर सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 51 और 52 में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के संचालन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सा.का.नि. संख्या 700 (अ.) दिनांक 28.9.2001 के तहत राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की है जिसमें औषध निरीक्षकों के कर्त्तव्यों के संबंध में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अधीन बने नियमों के अधीन नियम 51 और 52 संशोधित किए गए हैं। इस संशोधन के माध्यम से एक औषध निरीक्षक द्वारा औषध अथवा प्रसाधन सामग्री की बिक्री/विनिर्माण के लिए दिए

गए लाइसेंस वाले परिसर का निरीक्षण एक वर्ष में कम से कम दो बार करने की बजाए वर्ष में एक बार से कम नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

विदेशी दौरे

2624. डा. बलिराम : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान उन्होंने और उनके मंत्रालय के अन्य मंत्रियों ने कौन-कौन से देशों का दौरा किया और उनके साथ जाने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च आया?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) महोदय, सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गयी है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

मंत्री का नाम : श्री जसवंत सिंह, विदेश मंत्री

क्र.सं.	यात्रा के देश का नाम	यात्रा की तिथियां	साथ गये प्रतिनिधियों का ब्यौरा	संपन्न करार	प्रत्येक यात्रा पर हुए व्यय का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1.	फ्रांस	28 सित., 2001	1. सुश्री भास्वती मुखर्जी, संयुक्त सचिव (प.यू.) विदेश मंत्रालय	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं
			2. सुश्री निरूपमा राव, संयुक्त सचिव (वि.प्र.) विदेश मंत्रालय		
			3. श्री पी.आर. बगई, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय		
			4. श्री रमण पुरी, वाईस एडमिरल, रक्षा मंत्रालय		
			5. श्री एस. अशोक, अति. निजी सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय		
2.	अमरीका	20 सितम्बर-3 अक्तूबर, 2001	1. सुश्री निरूपमा राव, संयुक्त सचिव (वि.प्र.) विदेश मंत्रालय	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं
			2. जयंत प्रसाद, संयुक्त सचिव (अमरीका), विदेश मंत्रालय		
			3. श्री' एस. अशोक, अति. निजी सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय		
			4. श्री आर.पी. बगई, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय		

1	2	3	4	5	6
			5. वाईस एडमिरल, श्री रमण पुरी, उप-नौसेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय		
3.	यू.के.	3-4 अक्तूबर, 2001	1. सुश्री भास्वती मुखर्जी, संयुक्त सचिव (प.यू.) विदेश मंत्रालय 2. श्री पी.आर. बगई, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय 3. श्री रमण पुरी, वाईस एडमिरल, रक्षा मंत्रालय 4. श्री एस. अशोक, अति. निजी सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं
4.	जर्मनी	4-5 अक्तूबर, 2001	1. सुश्री भास्वती मुखर्जी, संयुक्त सचिव (प.यू.) विदेश मंत्रालय 2. सुश्री निरूपमा राव, संयुक्त सचिव (वि.प्र.) विदेश मंत्रालय 3. श्री पी.आर. बगई, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय 4. वाई एडमिरल रमण पुरी, उप-नौसेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय 5. श्री एस. अशोक, अति. निजी सचिव, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं

टिप्पणी-विदेश मंत्री, प्रधान मंत्री की रूसी परिसंघ (4-7 नवंबर, 2001) और अमरीका (7-11 नवम्बर, 2001) की यात्रा के दौरान उनके साथ गये थे।

विवरण-II

मंत्री का नाम : श्री उमर अब्दुल्ला, विदेश राज्य मंत्री

क्र.सं.	यात्रा के देश का नाम	यात्रा की तिथियां	साथ गये प्रतिनिधियों का ब्यौरा	संपन्न करार	प्रत्येक यात्रा पर हुए व्यय का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1.	दक्षिण अफ्रीका	31 अगस्त-8 सितंबर, 2001	1. श्री सुशील कुमार शिंदे, संसद सदस्य 2. श्री डेंजील अटकिंसन, संसद सदस्य 3. श्री अशोक प्रधान, संसद सदस्य 4. श्री संघ प्रिय गौतम, संसद सदस्य 5. श्री बंगारू लक्ष्मण, संसद सदस्य 6. श्री अनिल कुमार, संसद सदस्य	शून्य (प्रजातिवाद, जातिभेद, विदेशी द्वेष और संबद्ध असहिष्णुता के विरुद्ध तीसरे विश्व सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल ने	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं

1	2	3	4	5	6
			7. श्रीमती चोकिला अय्यर, विदेश सचिव 8. सुश्री सावित्री कुनादी, संयुक्त राष्ट्र, जेनेवा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि 9. श्री टी.सी.ए. रंगाचारी, अपर सचिव (यू.एन.) विदेश मंत्रालय	वार्ताओं और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया जिससे डरबन घोषणा और कार्ययोजना पारित हो सकी)	
			10. श्री शरत सभरवाल, भारत के स्थायी मिशन, जनेवा में स्थायी उप प्रतिनिधि		
			11. श्री ए. गोपीनाथन, संयुक्त सचिव मिशन, जेनेवा		
			12. श्री आर.एन. प्रसाद, कौंसल, भारत का स्थायी मिशन, जनेवा		
			13. श्री सुधांशु पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव		
2.	ताजिकिस्तान	12-14 सितम्बर, 2001	1. श्री राजीव डोगरा, संयुक्त सचिव (सी ए) 2. श्री ए.जी. शर्मा, निदेशक (सी ए)	शून्य	व्यय ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
			3. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के पी.एस.		
3.	उजबेकिस्तान	14-18 सितम्बर, 2001	1. श्री राजीव डोगरा, संयुक्त सचिव (सी ए) 2. श्री ए.जी. शर्मा, निदेशक (सी ए) 3. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
4.	मालदीव	3-6 अक्तूबर, 2001	1. श्रीमती बनश्री बी. हैरिसन, निदेशक (बी.एस.एम.)	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
			2. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव		
5.	ब्रसल्स	15-16 सितम्बर, 2001	1. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
6.	जाम्बिया	22-24 अक्तूबर, 2001	1. श्री गुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव (अफ्रीका)	भारत-जाम्बिया संयुक्त आयोग के सहमत कार्यवृत्त	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
			2. श्री शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव (लघु उद्योग मंत्रालय)		
			3. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव		
			4. टी.सी.आई.एल. का एक प्रतिनिधि		
			5. बी.एच.ई.एल. का एक प्रतिनिधि		
7.	केन्या	25-26 अक्तूबर, 2001	1. श्री गुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव (अफ्रीका)	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
			2. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव		

1	2	3	4	5	6
8.	बेलारूस गणराज्य	15-17 नवम्बर, 2001	1. श्री अनिल बधवा, संयुक्त सचिव (ईई) 2. श्री एस. पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव	2001-04 की अवधि के लिए भारत और बेलारूस के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
9.	दक्षिण अफ्रीका	27-28 नवम्बर, 2001	1. श्री आर.एस. काल्हा, सचिव (पश्चिम) 2. श्री गुरजीत सिंह संयुक्त सचिव (अफ्रीका) 3. श्री एस.एन. रे उप-सचिव (अफ्रीका) 4. श्री सुधांशु पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव	शून्य	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।
10.	यूक्रेन	30 नवम्बर-दिसम्बर, 2001	1. श्री अनिल वाधवा, संयुक्त सचिव (ईई) 2. श्री सुधांशु पाण्डेय, विदेश राज्य मंत्री के निजी सचिव	भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार	व्यय के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं।

एम.टी.एन.एल. में भ्रष्टाचार

2625. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जून, 2001 से लेकर 31 अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान भारतीय महानगर टेलीफोन कर्मचारी संघ और संसद सदस्यों की ओर से एमटीएनएल (केन्द्रीय), नयी दिल्ली में कार्यरत कितने कर्मचारियों के विरुद्ध उन्हें, मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय महाप्रबंधक को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें की गयी हैं उन कर्मचारियों की समस्याएं काफी समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रशासन उनका इसलिए स्थानांतरण नहीं कर रहा है क्योंकि स्थानीय अधिकारियों की उनके साथ सांठ-गांठ है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के अन्तर्गत कब तक स्थानांतरित कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दो।

(ख) से (घ) मामले की जांच केन्द्रीय क्षेत्र की सतर्कता यूनिट द्वारा की जा रही है।

(ङ) अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

डरबन सम्मेलन

2626. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डरबन सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीरियों के आत्म निर्णय के तथाकथित संघर्ष को आतंकवाद बताकर बदनाम करने का आरोप लगाया था और कश्मीर में आतंकवाद को आत्म-निर्णय के अधिकार के लिए होने वाला जेहाद बताया था; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि के वक्तव्यों और उन पर भारतीय प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) डरबन में सम्पन्न जातीय भेदभाव, विदेशी द्वेष तथा सम्बद्ध असहिष्णुता के विरुद्ध विश्व सम्मेलन (31 अगस्त से 8 सितम्बर, 2001) के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू तथा कश्मीर और भारत के अन्य भागों

में जम्मू तथा कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि के परिणामस्वरूप पाकिस्तान आधारित आतंकवादी गुटों द्वारा भोले भाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं करके जम्मू तथा कश्मीर में सीमापार से आतंकवाद के अपने प्रायोजन को उचित ठहराने के लिए अपने निरर्थक प्रयास जारी रखे। तथापि, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान द्वारा प्रत्यक्ष रूप सीमापार से आतंकवाद के प्रायोजन के फलस्वरूप जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात पर व्यापक सर्वसम्मति है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है, जिसे जड़ से उखाड़ना चाहिए चाहे वह कहीं भी मौजूद हो। भारत तब तक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कृत संकल्प है जब तक वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2627. श्री रामदास आठवले : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां 8.41% और अनुसूचित जनजातियां 2.27%) है और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां 9.68% और अनुसूचित जनजातियां 3.52%) जबकि इनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत (1) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों (2) सांविधिक संगठनों/ निगमों, (3) स्वायत्तशासी संगठनों संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों (3) अनुसूचित जनजातियों और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, जो लघु उद्योग मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, में ग्रुप "ए" तथा ग्रुप "बी" के भरे हुए पदों की संख्या तथा उसमें कार्यरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

संगठन का नाम	श्रेणी	भरे पदों की सं.	सामान्य	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	ग्रुप "ए"	357	269 (79.35%)	59 (16.53%)	09 (2.52%)	20 (5.60%)
लिमिटेड	ग्रुप "बी"	210	138 (65.71%)	41 (19.52%)	06 (2.86%)	25 (11.91%)
विकास आयुक्त (लघु उद्योग)	ग्रुप "ए"	541	412 (79.16%)	79 (14.60%)	20 (3.70%)	30 (5.54%)
का कार्यालय	ग्रुप "बी"	727	516 (70.98%)	125 (17.19%)	27 (3.71%)	59 (8.12%)

टिप्पण : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल व्यक्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

अतिरिक्त प्रभार की उगाही

2628. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेसिक सर्विस आपरेटर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और निजी-डाटा नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन के लिए अतिरिक्त प्रभार की उगाही कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ऐसे प्रभार की उगाही के विरुद्ध आईएसपी को हाल ही में दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईएसपी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को ऐसे प्रभारों की उगाही के विरुद्ध कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, ट्राई ने ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 13 के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और अन्य बुनियादी सेवा प्रचालकों को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) नेटवर्क सहित निजी डाटा नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन के लिए लीज्ड लाइन प्रभारों के अतिरिक्त कोई शुल्क वसूल न करने के निर्देश जारी किए हैं।

पार्सल डिलिवरी सिस्टम

2629. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने विभिन्न पार्सलों के आकार और वजन की सीमा निर्धारित की है;

(ख) क्या डाक विभाग ने पार्सल और भारी डाक संबंधी अपने पुराने नियमों और नीतियों में बदलाव नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) डाक विभाग की पार्सल डिलिवरी-सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां, आकार और वजन की निम्नलिखित सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

अपंजीकृत पार्सल - यह चार किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

पंजीकृत पार्सल-

1. यदि यह किसी शाखा डाकघर से डाक में भेजा गया है अथवा किसी शाखा डाकघर को संबोधित है तो यह 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। अन्य मामलों में यह 20 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।
2. पार्सल की लंबाई एक मीटर से अधिक नहीं होगी तथा लंबाई और घेरे की माप मिलाकर 1.80 मीटर से अधिक नहीं होगी।
3. पार्सल की न्यूनतम परिमाप निम्नानुसार होगा:
   1. बेलनाकार रूप में - एकल परिणाम - 10 सेन्टीमीटर
   2. लंबाई और दुगुने व्यास का जोड़ - 17 सेन्टीमीटर
   3. बेलनाकार रूप से अन्य - 10 × 7 सेन्टीमीटर।

कोई भी पार्सल ऐसा नहीं होगा कि आकार, पैक करने के तरीके अथवा अन्य किसी विशेषता की वजह से उसे बिना किसी गंभीर असुविधा अथवा जोखिम के बिना डाक द्वारा न ले जाया जा सके।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट किसी एक परिमाप में 1.50 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा लंबाई और घेरे के माप को मिलाकर 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। पार्सल का भार 2 किलोग्राम से 35 किलोग्राम के बीच होगा।

(ख) और (ग) विकासशील व्यापारिक वस्तु उद्योग के लिए एक व्यावसायिक स्कीम के रूप में विभाग ने किसी एक परिमाप के लिए 1.50 मीटर के आकार तथा लंबाई और घेरे के माप को मिलाकर 3 मीटर के आकार के समनुरूप 2 किलोग्राम से 35 किलोग्राम भार वाले पार्सलों के लिए एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट शुरू करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया है।

(घ) एक्सप्रेस पार्सलों के वितरण के लिए विशेष परिवहन और वितरण व्यवस्था निर्धारित की गई है।

अपव्यय

2630. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां अपव्यय कम किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना अपव्यय कम किया गया?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किसी अपव्यय का पता नहीं लगाया गया है। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय में किफायती, वित्तीय विवेक तथा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना भिन्न, वेतन बाह्य व्यय के बजटीय आबंटन में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीका को रक्त देने का प्रस्ताव

2631. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संकट प्रबंधन में सहायता देने हेतु न्यूयार्क को 100 डाक्टर और 1,000 लीटर रक्त भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या अमरीका ने भारत से रक्त भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी ने न्यूयार्क में 11 सितम्बर, के संकट के दौरान अपने प्रतिस्थानी अमेरिकन रेडक्रॉस को अन्य सहायता के बीच रक्त की 1000 यूनिटें प्रदान करने की पेशकश की थी। अमेरिकन रेडक्रॉस ने पूरे विश्व की विभिन्न रेडक्रॉस सोसायटियों की ऐसी पेशकशों की सराहना करते हुए सहायता लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपनी स्वयं की मांगों को पूरा कर रहे थे।

प्रति व्यक्ति आय/व्यय

2632. श्री राजो सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रति व्यक्ति आय और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां प्रति व्यक्ति आय और व्यय राष्ट्रीय औसत से कम है विशेषकर बिहार एवं आंध्र प्रदेश में और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिव्यक्ति आय और प्रतिव्यक्ति व्यय बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, वर्ष 1999-2000 के लिए प्रचलित मूल्यों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में मापित) विवरण के रूप में संलग्न है। व्यय के राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जिन राज्यों की सूचना उपलब्ध है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे है। देश के कुछ क्षेत्र समग्र विकास प्रक्रिया के अनुरुप नहीं है। संतुलित क्षेत्रीय विकास भारतीय विकास कार्यनीति का हमेशा से ही एक आवश्यक घटक रहा है। देश के सभी भाग विकास अवसरों का लाभ उठाने में समान रुप से सम्पन्न नहीं है तथा ऐतिहासिक असमानताएं दूर नहीं की गई हैं जिससे योजना हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

(ग) देश की पंचवर्षीय योजनाएं प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का ब्यौरा देती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह प्रस्ताव किया गया है कि दसवीं योजना को 2002-07 की अवधि के लिए जीडीपी वृद्धि का प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत का निश्चयार्थ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे प्रति व्यक्ति आय में प्रतिवर्ष कम से कम 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस वृद्धि दर को बचत एवं निवेश दर में वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा वृहद स्तर एवं क्षेत्रक स्तर पर

कार्यकुशलता बढ़ाने वाली नीतियों का अनुसरण करते हुए लक्षित किया गया है जिससे समग्र प्रति व्यक्ति आय स्तर में वृद्धि हुई है।

विवरण

प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद
(वर्ष 1993-94 के प्रचलित मूल्यों पर)
(13.11.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 (रु.)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	14715
2.	अरूणाचल प्रदेश	14338
3.	असम	9612
4.	बिहार	6328
5.	गोवा	एन.ए.
6.	गुजरात	18625
7.	हरियाणा	21114
8.	हिमाचल प्रदेश	15012
9.	जम्मू और कश्मीर	12338
10.	कर्नाटक	16343
11.	केरल	18262
12	मध्य प्रदेश	एन.ए.
13.	महाराष्ट्र	23398
14.	मणिपुर	10614
15.	मेघालय	11678
16.	मिजोरम	एन.ए.
17.	नागालैंड	एन.ए.
18.	उड़ीसा	9162
19.	पंजाब	23040
20.	राजस्थान	12533
21.	सिक्किम	एन.ए.
22.	तमिलनाडु	19141
23.	त्रिपुरा	10213
24.	उत्तर प्रदेश	9765
25.	पश्चिम बंगाल	15569
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.
27.	चंडीगढ़	46347
28.	दिल्ली	35705
29.	पांडिचेरी	30768

टिप्पणी : एन.ए. : उपलब्ध नहीं क्यू : त्वरित अनुमान

वन क्षेत्र में वृद्धि

2633. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु कार्यक्रम बनाने के लिए दो वर्ष पहले योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2012 तक वन क्षेत्र बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने हेतु महत्वाकांक्षी हरित भारत कार्यक्रम को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह दर्शाया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए अगले 10 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या योजना आयोग कृतक बल द्वारा 4,800 करोड़ वार्षिक आबंटन का सुझाव दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो कार्यक्रम को लागू करने हेतु सरकार द्वारा किस सीमा तक धनराशि उपलब्ध कराई गयी है; और

(च) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा अगले दस

वर्षों में देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत तक हरित क्षेत्र बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए वर्ष 1999 में एक कृतक बल का गठन किया गया था।

(ख) से (घ) अगले दस वर्षों में हरित भारत कार्यक्रम हेतु 48000 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। बजटीय साधनों के माध्यम से निधियों की उपलब्धता संबंधी सीमा को ध्यान में रखते हुए संस्थागत निधीयन से वित्त प्राप्त करने और गैर-नकदी घटक हेतु ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम से जोड़ने का आश्रय लिया जा रहा है। यह परिकल्पना की गई है कि ''काम के बदले अनाज'' स्कीम के कार्यान्वयन से अनाज घटक के रूप में 1125 करोड़ रु. प्रति वर्ष सृजित होंगे। इससे 10 करोड़ लोगों तक अनाज की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा उन्हें रोजगार के अधिक अवसर और जीवनयापन के सतत् साधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। अगले दस वर्षों की अवधि में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियों की वार्षिक आवश्यकता 4800 करोड़ रु. आंकी गई है। अगले दस वर्षों में कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, प्रभावी समन्वय, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु हरित भारत प्राधिकरण तथा हरित भारत निधि की स्थापना करने की अनुशंसा की गई है।

(ङ) यह परिकल्पना की गई है कि 4800 करोड़ रु. की वार्षिक आवश्यकता में से 1125 करोड़ रु. ''काम के बदले अनाज'' स्कीम के कार्यान्वयन से अनाज घटक के रूप में प्राप्त कर लिए जाएंगे। शेष धनराशि विभिन्न साधनों जैसे केन्द्र और राज्य सरकारों के योजना तथा गैर-योजना बजट, ग्रामीण विकास के वानिकीकरण, वृक्षारोपण कार्यक्रमों एवं बंजरभूमि विकास स्कीमों, जलसंभर प्रबन्धन कार्यक्रम, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, वित्तीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्रक साधनों से एकत्र की जाएगी। इन संसाधनों के जुटाव के लिए उपयुक्त परियोजनाएं तैयार की जाएंगी।

(च) कृतक बल ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई शुरू की जानी है।

दिल्ली में एफ.बी.आई. का कार्यक्रम

2634. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन आफ यू.एस.ए.' को दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह अनुमति किस तिथि को दी गई

(ग) क्या उक्त एजेंसी ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कारण उत्पन्न सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार किया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को एफ.बी.आई. कार्यालय को बंद करने के संबंध में कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपाय किये गये है/किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) आपसी परामर्श से नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य दूतावास को विधिक अताशे का कार्यालय खोलने के लिए कर्मियों की संख्या में वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे कार्यालय सामान्यत: दो एफ.बी.आई. अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते है।

(ख) सरकार के अनुमोदन की सूचना संयुक्त राज्य दूतावास को फरवरी 2000 में दी गई थी।

यह निर्णय आतंकवाद के विरुद्ध बढ़ते हुए भारत-संयुक्त राज्य द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में लिया गया था। जबकि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई पर संयुक्त कार्य दल और प्रत्यर्पण संधि के साथ आतंकविरोधी कार्रवाई के लिए आवश्यक तंत्र पहले से मौजूद है, तथापि विधि अताशे कार्यालय का प्रावधान भारत और संयुक्त राज्य की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। इसके द्वारा यह संकेत मिलने कीं अपेक्षा की जाती है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में हितों की अधिक समानता है, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी दलों पर दबाव पड़ेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। यह कार्यालय सितम्बर, 2000 से कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका के दो विधि प्रवर्तन अधिकारी कार्यरत हैं।

(ङ) और (च) यह कार्यालय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य करता है; यह भारतीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरूप कार्य करता है और स्वतंत्र जांच नहीं करता। अत: इससे किसी सुरक्षा समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। भारतीय दूतावास, वाशिंगटन में कार्यरत भारतीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी भी समान दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा किए जा रहे उत्पादन में कटौती

2635. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा किए जा रहे उत्पादन लक्ष्य में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे किस हद तक निर्यात के प्रभावित होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन के लक्ष्य तथा संभावित उपलब्धियां नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	योजनागत लक्ष्य	संभावित उपलब्धियां
हार्डवेयर	82,050	34,400
सॉफ्टवेयर	1,38,350	56,900

यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के देशीय दृष्टिकोण के कारण तथा संरक्षित परिवेश, मूल संरचनात्मक सुविधा संबंधी बाधाओं, वित्त की उच्च लागत, कठोर श्रम कानून, उत्पादन की कम मात्रा, व्यवसाय की धीमी गति, उच्च शुल्क तथा प्रतिलोम शुल्क ढांचा, स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता, विश्वस्तरीय ख्याति का अभाव, नए पूंजीनिवेश का अभाव आदि के कारण है।

(ग) हालांकि विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण सॉफ्टवेयर निर्यात के विकास की दर में कमी आई है किन्तु, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास दर शेष भारतीय उद्योग की तुलना में काफी ज्यादा है। पिछले वर्ष की 55% की वार्षिक विकास दर की तुलना में चालू वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात दर में 33% वृद्धि हुई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4532/2001]

(2) (एक) सोसायटी फार इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फार इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट इंजनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4533/2001]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1999-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4534/2001]

(3) (एक) आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कटक के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र कटक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4535/2001]

(4) (एक) कैंसर संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4536/2001]

(5) (एक) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4537/2001]

(6) (एक) कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, ग्वालियर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, ग्वालियर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4538/2001]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4539/2001]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4540/2001]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4541/2001]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4542/2001]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4543/2001]

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4544/2001]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4545/2001]

(14) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4546/2001]

(15) (एक) जनसंख्या अुसंधान केन्द्र, सागर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4547/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 719(अ) जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लोक प्रयोजन से भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 720(अ) जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लोक प्रयोजन से भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 721(अ) जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर टॉल प्लाजा का निर्माण करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 722(अ) जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लोक प्रयोजन से भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 723(अ) जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड)

को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 724(अ) जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लोक प्रयोजन से भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 738(अ) जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 602(अ) में कतिपय संशोधन किये गये थे।

(आठ) का.आ. 739(अ) जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के चेन्नई-विजयवाड़ा खंड के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(नौ) का.आ. 740(अ) जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 741(अ) जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लोक प्रयोजन से भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 761(अ) जो 7 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 762(अ) जो 7 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 782(अ) जो 14 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (उदयपुर-रतनपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1150(अ) जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर नवसारी जिले में टालवे रोड प्रोजेक्ट के लिए सूरत-मनोड़ में भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1151(अ) जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (टुमकुर और हरिहर) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1152(अ) जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (भुवनेश्वर-कलकत्ता) पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1153(अ) जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के उदयपुर-रतनपुर खंड पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1154(अ) जो 23 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (हरिहर और महाराष्ट्र सीमा) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 33(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(बीस) का.आ. 34(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर पुणे-सतारा रोड पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 35(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो गुजरात राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के सूरत-मनोड़ टॉलवे रोड प्रोजेक्ट पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 36(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में टॉलवे रोड प्रोजेक्ट के लिए सूरत-मनोड़ पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 37(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर और विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 38(अ) जो 11 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के मद्रास-विजयवाड़ा खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 238(अ) जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 239(अ) जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 240(अ) जो 17 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 23 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 1152(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठाईस) का.आ. 294(अ) जो 29 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 295(अ) जो 29 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (जयपुर से किशनगढ़) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 303(अ) जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (आगरा से सिकंदरा, कानपुर देहात) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 58(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 59(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 60(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 61(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 62(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 63(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 64(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 65(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 66(अ) जो 20 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 104(अ) जो 1 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो उत्तर प्रदेश राज्य में सिकंदरा और खागा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 105(अ) जो 1 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 219(अ) जो 13 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(तैतालीस) का.आ. 220(अ) जो 13 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बार में है।

(चवालीस) का.आ. 221(अ) जो 13 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कर्नाटक राज्य में हरिहर और महाराष्ट्र सीमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 को चार लेन वाला बनाने के लिए जिला हवेरी में भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 339(अ) जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में होसुर और कृष्णागिरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 365(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 366(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 367(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 368(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(पचास) का.आ. 789(अ) जो 16 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर विकास और रखरखाव से संबंधित कार्य का निष्पादन सौंपे जाने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 851(अ) जो 31 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के एक भाग को सौंपे जाने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 1101(अ) जो 6 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो उत्तरांचल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-108 और 109 के विकास और रखरखाव से संबंधित कार्य के निष्पादन के बारे में है।

(तिरेपन) का.आ. 1102(अ) जो 6 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4548/2001]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4549/2001]

(2) (एक) सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4550/2001]

(3) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4551/201]

(4) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4552/2001]

(5) (एक) सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4553/2001]

(6) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4554/2001]

(7) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, मेरठ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, मेरठ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4555/2001]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (लोड लाईन) संशोधन नियम 2001 जो 11 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4556/2001]

(दो) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 596(अ) जो 21 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 597(अ) जो 22 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी हल्दिया गोदी परिसर (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 761(अ) जो 5 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 798(अ) जो 23 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (विभागाध्यक्षों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 800(अ) जो 25 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4557/2001]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4558/2001]

(4) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4559/2001]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं श्री ए. राजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4560/2001]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4561/2001]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4562/2001]

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4563/2001]

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4564/2001]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4565/2001]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4566/2001]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4567/2001]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4568/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 4 दिसंबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 नवम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2001 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

(2) ''राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 4 दिसंबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 4 दिसम्बर, 2001 को पारित राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन), विधेयक, 2001 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति के एक सौ ग्यारहवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न $12.03^1/_2$ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन), विधेयक, 2001 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं

अपराह्न $12.03^3/_4$ बजे

मणिपुर बजट, 2001-2002

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की ओर से मणिपुर राज्य की वर्ष 2001-2002 की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4569/2001]

अपराह्न 12.04 बजे

इजराइल द्वारा फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के मुख्यालय पर बमबारी के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा में 'शून्य काल' में चर्चा प्रारंभ होगी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: रोज-रोज ऐसा करना ठीक नहीं है। आज सबको चांस मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी से बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा और सरकार का विशेषकर माननीय विदेश मंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पिछले तीन वर्षों से पश्चिमी एशिया खासकर फिलीस्तीन में जो कुछ भी घटित हो रहा है और परिस्थितियां जिस तीव्र गति से बदल रही हैं वह चिन्ता का विषय है।

भारत स्वतंत्रता के समय से ही विश्व शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। अपने प्रथम प्रधानमंत्री के समय से ही, भारत फिलीस्तीनियों द्वारा किये जा रहे संघर्ष एवं उनके हितों का समर्थन करता रहा है। हमारी यह हमेशा से ही नीति रही है कि फिलीस्तीनियों को न्याय मिले।

वर्तमान में, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में विश्व के सभी देशों ने अपनी भूमिका निभायी है और तत्संबंधी अपनी चिन्ताएं जाहिर की हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज सत्ता पक्ष की ओर से अत्यधिक व्यवधान डाला जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: किन्तु ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध जंग फिलीस्तीन जैसे देश की संप्रभुता, न्याय, हित और संघर्ष के विरुद्ध जंग का रूप लेता जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि एक सम्प्रभुता सम्पन्न देश के नेता, यासर अराफात पर तब हमला किया गया जब वे अपने कार्यालय में थे। यहां तक कि उनके आवास और महल को भी नष्ट करने की कोशिश की गयी। कल यासर अराफात के सरकारी मुख्यालय, रामाल्लाह के मोहम्मद आसदी ने वेस्ट बैंक से रिपोर्ट दी है कि गठबंधन सरकार के विदेश मंत्री, श्री पेरेस ने इस मुद्दे पर केबिनेट का बहिष्कार कर दिया है।

चूंकि हम वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी की समस्याओं सहित पश्चिमी एशिया शान्ति प्रक्रिया के स्थायित्व एवं उसकी अंतिम सफलता के लिए समान रूप से चिन्तित हैं, क्या भारत सरकार ने फिलीस्तीन एवं इसके नेता के विरुद्ध जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं उसके प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है? क्या भारत सरकार ने इन घटनाओं पर ध्यान दिया है। पिछले चार दिनों से, हम पश्चिमी एशिया के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर भारत सरकार के विदेश मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहे हैं। यह किसी देश अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया हेतु हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं जबकि अब इसे पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार से इस परिस्थिति का विश्लेषण तथा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने जा रही है। क्या सरकार इसे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना मानती है। क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए पहल करेगी कि यह शांति प्रक्रिया पुन: बहाल हो तथा इजरायल सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित हिंसा का दौर रुके। क्या सरकार फिलीस्तीन की संप्रभुता को सुनिश्चित करेगी?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): जैसा कि श्री दासमुंशी ने कहा है कि यह हमारे देश के लिए एक अत्यंत ही गंभीर मामला है तथा यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। युगों से हम स्वतंत्रता संघर्ष के हिमायती रहे हैं। फिलीस्तीनियों का संघर्ष संसार में चल रहे महान मुक्ति संघर्षों में से एक है।

वर्तमान में, साम्राज्यवादी शक्तियां आतंकवाद के विरुद्ध जंग के नाम पर मुक्ति आंदोलन को कुचल देना चाहती हैं। हमें पता है कि यह आक्रमण कितना बर्बरतापूर्ण था जिसमें मुक्ति आन्दोलन के नेता, जो कि हमारे देश के बहुत नजदीकी मित्र हैं, को मारने की कोशिश की गयी। हम अनेकों साल से उनके संघर्ष का समर्थन करते आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अमरीका ने यह कहकर कि यह उनके आत्मरक्षा का अधिकार है, इजरायल के इस जघन्य कृत्य का भी समर्थन किया है। यह क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध जंग के नाम पर वे उनके मुक्ति संघर्ष को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वसम्मति से इस सभा द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए और सरकार को भी इसकी निंदा करनी चाहिए। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए तथा अपने नए मित्र राष्ट्र से यह स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि वे इस प्रकार के जघन्य आक्रमणों का सहारा क्यों ले रहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मेरा इश्यू भी इसी से जुड़ा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अल्वी, आपने इस विषय पर कोई सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: समस्या यह है कि प्रतिदिन वरिष्ठ सदस्य अन्य कनिष्ठ सदस्यों को कोई मौका नहीं देते हैं। श्री बनातवाला ने इस मुद्दे पर सूचना दी है। इसी मुद्दे पर श्री बनातवाला ने सूचना दी है। इसलिए, श्री बनातवाला।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): स्पीकर साहब, वैस्ट एशिया के अंदर हालात संगीन, सीरियस और धमाकाखेज हैं और यह जरूरी है कि हिन्दुस्तान शुरू से, अपनी आजादी से पहले से हम पैलिस्टीनियन कॉज की हिमाकत करते रहे हैं और आज हालात ये हैं कि इज़रायल वहां बमबारी कर रहा है, पैलिस्तीनियन ऑथोरिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।

वहां बम गिरे हैं। गाजा में हैडक्वार्टर पर यासिर अराफात को निशाना बनाया गया है। यहां तक कि उनके आफिस से चन्द किलोमीटर के फासले पर भी बम गिरे हैं। उनका मामला भी तहफुज में नहीं है। आम शहरियों को परेशानी है, लोग हलाक किये जा रहे हैं। जख्मी हो रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आज तो एक अलग बात हो गई, टैरेरिज्म के नाम पर मुल्कों की सोवरैनिटी के ऊपर हमले किये जा रहे हैं। यह एक बहुत ही नाजुक और गम्भीर सवाल है। हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हुकूमत बताये कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: हुकूमत बताये कि फिलीस्तीनियों के लिए क्या करने जा रही है। वहां पर अमन-अमान कायम होना चाहिए। यह जरूरी है कि फिलस्तीनियों के मामलात को समझकर और उनके हकूक को बरकरार रखा जाए। *...(व्यवधान)*

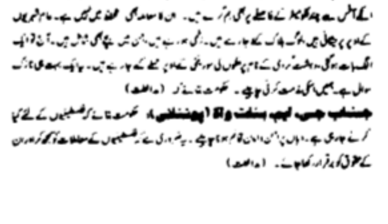
جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پونانی): [illegible] (مداخلت)
جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پونانی): [illegible] (مداخلت)

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा): महोदय, यह तात्कालिक महत्व का विषय है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे 35 नोटिस प्राप्त हुए हैं। मुझे दूसरे लोगों को भी बोलने का अवसर देना है। इस प्रकार से इसे जारी रखना कैसे संभव होगा? यह दूसरों के प्रति अन्याय होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, एक नए मैम्बर खड़े हैं, आप उधर देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सिर्फ मुद्दा उठाना चाहते हैं, परन्तु मंत्री महोदय को जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे बताएं कि मैं इन नोटिसों का क्या करूं।

..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: यह आपकी प्रापर्टी है। ...*(व्यवधान)*

श्री राज बब्बर: महोदय, यह गम्भीर विषय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर, आपको बोलने से पहले अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ताओं से पूर्णतया सहमत हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: आप सही जवाब दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह: संसद में बोल रहा हूं, गलत कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

शायद माननीय सदस्य ने सरकार की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया है। मैं इसे पुनः दोहराना चाहता हूं। हम इस क्षेत्र में हाल में हिंसा में हो रही वृद्धि से बहुत चिन्तित हैं। आतंकवादियों के हमले में अनेक लोग हताहत हुए हैं और अनेक निर्दोष लोग घायल हुए हैं। हम इस प्रकार के कार्यों की निन्दा करते हैं। ये कार्य किसी प्रकार से भी औचित्यपूर्ण नहीं हैं। समय की मांग है कि हिंसा और घृणा के दौर को खत्म करने के लिए संयम से काम लिया जाए। हमने आतंकवादियों के इस प्रकार के हिंसात्मक कार्यों की निन्दा और फिलस्तीन नेशनल ऑथरिटी द्वारा आतंकवादी हिंसा में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में उठाए गए कदमों पर ध्यान दिया है। हमें पूरी आशा है कि राष्ट्रपति अराफात और फिलस्तीन नेशनल ऑथरिटी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी क्योंकि सभी प्रकार के विकल्पों से इस कार्य से क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर और घातक परिणाम होंगे।

महोदय, हाल ही में प्रधान मंत्री ने 27 नवम्बर को अन्तरराष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर फिलीस्तीन के लोगों को समर्थन का संदेश भेजा है, मैं इसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक समझता हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है। मैं प्रधान मंत्री के कथन का एक संक्षिप्त मूलपाठ पढ़ता हूं इससे सिद्धान्त और दृढ़ स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी:

> "भारत हिंसा के दौर को खत्म करने, युद्धविराम लागू करने तथा मिटचेल रिपोर्ट और टीनैन्ट प्लान में उल्लिखित उपायों के अनुसार परस्पर आशा और विश्वास कायम करने के लिए सभी प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है।"

"फिलस्तीन-इजराइल विवाद के निश्चित संकल्प से इजराइल के साथ-साथ सुरक्षित और मान्यताप्राप्त सीमाओं में एक सक्षम राज्य फिलस्तीन का निर्माण होना चाहिए। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 242 और 338 के कार्यान्वयन और विश्व शान्ति, के जिसमें पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है सिद्धान्त के अनुसरण में हों। हम दोनों पक्षों से आग्रह करते हैं कि भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए और आपसी विश्वास कायम करने के लिए अविलम्ब बातचीत शुरू करें।"

मैं सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार आज फिलीस्तीन के लोगों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय एकता दिवस मना रही है। आज शाम आईसीडब्ल्यूए में हमारा एक समारोह होने जा रहा है।

जहां तक फिलीस्तीन के ऊपर हवाई आक्रमण का संबंध है, चाहे यह रामाल्लाह पर हो या राष्ट्रपति अराफात के मुख्यालय पर, हम इस प्रकार के हवाई आक्रमण की पुरजोर निन्दा करते हैं। ये किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं है। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के आक्रमण से पूरी शांति प्रक्रिया विफल हो जाएगी। एक उग्र आक्रमण के बाद दूसरा उग्र आक्रमण होता है जिसके परिणामस्वरूप हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए हमने हमेशा अनुरोध किया है कि शान्ति प्रक्रिया की बहाली के लिए हिंसा का दौर समाप्त होना चाहिए। सरकार को इस बात की जानकारी है और उसे जो कहना है उसने सदैव कहा है। सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी ने जो कहा है, वह सही कहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, एक बात और कहनी चाहिए, जब हमला हुआ तो अमेरिका बोला नहीं। इजराइल के मामले पर उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। दो बातों को नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जब जर्मनी पर हमला हुआ तो वे चुपचाप रहे और जब इजराइल हमला करे तो अमेरिका कहता है कि उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। विदेश मंत्री जी, इसे गंभीरता से लीजिए और इस पर प्रोटेस्ट कीजिए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मिरयालगुडा): श्री मुलायम सिंह यादव ने जो कहा मैं उसमें एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं। भारत को दोहरे मापदण्ड के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अमरीका ने जहां विश्व व्यापार संगठन पर हुए हवाई हमले की निन्दा करने के लिए पूरे संसार को एकजुट होने के लिए कहा है लेकिन इजराइल द्वारा फिलीस्तीन और उसके नेता राष्ट्रपति यासर अराफात के ऊपर किए गए हवाई हमले के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई है।

श्री जसवन्त सिंह: सरकार ने इसे पूर्णत: स्पष्ट कर दिया है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है संप्रभुता, आत्मरक्षा के संबंध में उसका दोहरा दृष्टिकोण नहीं है। अमरीका के दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उसके लिए संप्रभुता, संप्रभुता है और संप्रभुता पर किया गया आक्रमण संप्रभुता पर किया गया आक्रमण है। हमने फिलीस्तीन की सत्ता को मान्यता दी है, हमने राष्ट्रपति अराफात को भी मान्यता दी है। इसके बारे में सरकार की स्थिति में कोई संदेह नहीं है।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, कुड्डालोर से संबंधित अत्यन्त गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कुड्डालोर के लगभग दस गांव मेथॉनाल युक्त अवैध शराब की बिक्री से ग्रस्त हैं। कुड्डालोर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वक्तव्य के अनुसार लगभग 57 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 150 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है।

अपराह्न 12.18 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, यह राज्य का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनको उत्तर देने के लिए यहां राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री आदि शंकर: तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने भी कहा है कि अवैध शराब पांडिचेरी से कुड्डालोर आती थी। कुड्डालोर पांडिचेरी और विल्लुपुरम जिले के काफी निकट है। अवैध मेथानॉल युक्त शराब पांडिचेरी से जाती थी। लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रकार शराब आने पर रोक लगाने या मानव जीवन को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप यहां राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री आदि शंकर: महोदय, तमिलनाडु सरकार वहां के लोगों के जीवन की रक्षा करने में असफल रही है। एक जैसी पांच घटनायें हुई हैं, एक कांचीपुरम में, एक तिरुवल्लुर में और एक चेन्नई के नजदीक *...(व्यवधान)*। महोदय, तमिलनाडु में मंत्रियों के कुछ एजेन्ट अवैध मेथानॉल युक्त शराब बेच रहे हैं *...(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और इसकी सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने की मांग करता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.20 बजे

कोयला कर्मकारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं कोयला मंत्री का ध्यान कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के पांच लाख से अधिक श्रमिकों द्वारा 3 दिसम्बर से की जा रही पूर्ण हड़ताल की तरफ दिलाना चाहता हूं। ईसीएल, सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल और एचसीसीएल में पूरी तरह से हड़ताल है।

महोदय, कोयला श्रमिकों ने हड़ताल में अपनी सभी मांगें रखी हैं। सभी प्रमुख व्यापार संघ, भारत मजदूर संघ से लेकर सैन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन तक इस हड़ताल में सम्मिलित हो गये हैं। उनकी मांग है कि कोयला उद्योग में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए पुरःस्थापित विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियां देश में विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित कोयला का उत्पादन करने में सक्षम हैं। निजी भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी मांग है कि सभी सहायक कंपनियों को मिलाकर एक बनाया जाए जिससे कोल इंडिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाया जा सके। तीन सहायक कंपनियां, ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल घाटे में चल रही हैं, इन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान मंजूर किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इस मामले का जिक्र पहले ही कर चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उनकी मांग देय बकाया राशि के भुगतान की भी है। एक वर्ष पहले कोयला श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन मंजूर किया गया है लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कोयला मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं मांग करता हूं कि वह पांच लाख कोयला श्रमिकों की मांग पर ध्यान दें ताकि उनकी शिकायतें दूर की जा सकें।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, 3 दिसम्बर से कोल इंडिया के कोयला श्रमिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। पांच लाख श्रमिक पहले से ही हड़ताल में सम्मिलित हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप भी उनकी बात से सहमत हो सकते हैं क्योंकि आपने भी इसी मुद्दे पर सूचना दी है।

श्री सुनील खां: उनकी मांग है कि कोयला राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक वापस लिया जाए और सभी सहायक कंपनियों को मिलाकर एक धारिता कम्पनी बनाई जाए। कर्मचारियों को देय बकाया धनराशि अभी नहीं मिली है। महोदय, मैं माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह कोयला राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक को वापस लेने का स्पष्ट निर्णय लें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विकास चौधरी, आप भी इस बात से सहमत हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। दो नम्बर पर मेरा नोटिस है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं जिन्होंने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): कोल खदानों के मजदूर पिछली तीन तारीख से निजीकरण के खिलाप स्ट्राइक कर रहे हैं।

वे निजीकरण के खिलाफ हैं। उनका वेज बोर्ड के साथ पिछले साल एक एग्रीमैंट हुआ था। उसके हिसाब से उनके एरियर्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* बहुत मीटिंग्स करने के बाद भी इसे नहीं किया गया। ऐसे में मजदूरों ने मजबूर होकर हड़ताल की। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मजदूर लोग लम्बी हड़ताल करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया एवं उसकी आनुषंगिक कम्पनियां सोमवार से हड़ताल पर हैं। तीन दिन की हड़ताल से सरकार को 60 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। कर्मचारियों को दो प्रमुख मांगें हैं—एक तो उनके देय का भुगतान किया जाए और दूसरा कोल इंडिया का निजीकरण न हो। कोयला मंत्री बराबर यह कहते हैं कि उसका निजीकरण नहीं होगा लेकिन उनका "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो बयान आया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बयान बताने की जरूरत नहीं है। आपको केन्द्र सरकार से क्या चाहिए?

श्री रामजीलाल सुमन: इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कोयला खदानों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि इसका निजीकरण नहीं होगा लेकिन दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इससे यह मामला कंट्रोवर्शियल हो गया है। सरकार स्पष्ट करें कि इसका निजीकरण नहीं होगा। कोयला कर्मचारियों का जो भुगतान शेष है, वह अविलम्ब किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपको भी हड़ताल और निजीकरण के बारे में ही बोलना है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख से कोल इंडिया एवं उनकी आनुषंगिक कम्पनियों के 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस पर हम भी चिंता व्यक्त करते हैं। मंत्री महोदय का अखबारों में जो बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की छंटनी भी नहीं होगी और निजीकरण भी नहीं होगा लेकिन मंत्री जी का बयान आने के बाद भी हड़ताल जारी है। मंत्री जी ने निजीकरण नहीं करने की जो बात कही है और मल्टीनैशनल को खनन के क्षेत्र में आमंत्रित करने की जो बात कही है, उस बारे में वह सदन में स्पष्ट करे। दोनों के साथ कैसे चल सकते हैं? बकाया राशि भुगतान करने के बारे में सरकार का क्या रुख है? *...(व्यवधान)* मल्टीनैशनल को खनन के क्षेत्र में आमंत्रण देने की बजाय विदेशी तकनीक को यहां लाया जाए जिससे कम लागत पर उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। इसके साथ ही मैनेजमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रबोध पण्डा के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं उसी मुद्दे को उठा रहा हूं। पूरे देश में कोयला खदान के श्रमिक हड़ताल पर हैं। यह 3 दिसम्बर को शुरू हुई थी और यह आज 5 दिसम्बर, 2001 को भी जारी है। सभी ट्रेड यूनियनें यथा एआईटीयूसी, सीआईटीयू, बीएमएस और एचएमएस इस हड़ताल का समर्थन कर रही हैं।

उनकी पहली मांग कोयला खदान क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता साफ करने वाले विधेयक को वापस लेने की है। उनकी दूसरी मांग देय बकाया राशि के पूर्ण भुगतान और कोल इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन की है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार आगे आयेगी और इस संबंध में कुछ और कदम उठायेगी ताकि कोयला खदान के लाखों श्रमिकों को बचाया जा सके। मैं यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जिस सवाल को उठाया, यह सही है कि तीन दिसम्बर से कोल इंडिया के अधिकांश कर्मचारी *...(व्यवधान)* यह सही नहीं है हन्ड्रेड परसैंट *...(व्यवधान)* प्राप्त जानकारी के मुताबिक 50 परसैंट *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप क्यों बहस कर रहे हैं? यह 50 प्रतिशत है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, कृपया उनकी बात सुनिये। मैंने उनको उत्तर देने की अनुमति दे दी है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मंत्री मैं हूं और जवाब मैं ही दे रहा हूं। मेरे पास सूचना है। इनको कहां से इनफौर्मेशन मिल जाती है। उपाध्यक्ष जी, सिंगरौली में बिल्कुल नार्मल काम हो रहा है लेकिन मैं उसके बारे में यह न कहकर कि कितने मजदूर हड़ताल पर हैं, मैं यही कहूंगा कि वे हड़ताल पर नहीं हैं। आप मेन डिमांड के बारे में सोचिये। बिलासपुर में 65 प्रतिशत लोग काम पर हैं। जहां तक मजदूरों का सवाल है, यह जग जाहिर है कि मैं मजदूरों के हित के लिए बदनाम हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): बदनाम नहीं, आपका सम्मान होगा।

श्री राम विलास पासवान: जो भी हो, कुछ लोग सम्मान भी करते हैं और कुछ लोग बधाई भी देते हैं। इसलिए जहां तक मजदूरों का सवाल है, कोयला खदान में काम करने वाले 60-70 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। जितनी सहानुभूति आपको है, उतनी सहानुभूति मुझे भी है। मैंने जिस दिन से कोल मिनिस्टर का पदभार संभाला है, उस दिन घोषणा की थी कि कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप इसे वापस लीजिए।

श्री राम विलास पासवान: दूसरी बात थी कि रिट्रेंचमेंट नहीं होगी। यहां पर माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी की बनी हुई है जिसमें यह बिल आया था और श्री बसुदेव आचार्य मैम्बर हैं...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हमने डिसैंटिंग नोट दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उनको उत्तर देने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: श्री संतोष मोहन देव उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। कमेटी ने ही सारी सिफारिशें भेजी हैं। जब यहां बिल रखा गया तो कहा गया कि मैं समर्थन करता हूं। इसलिए यहां बिल 2000 में पेश हुआ। सरकार ने उस अमेंडमेंट पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस बिल को इस सैशन में नहीं ला रहे हैं। श्री बसुदेव आचार्य ने कहा कि एश्योर कीजिए कि यह बिल इस सैशन में नहीं आयेगा, हड़ताल नहीं होगी। सबसे पहले हड़ताल कोल इंडिया में हुई है। मैंने अपील जारी की है कि यह बिल पार्लियामेंट में नहीं ला रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, निरंतर टिप्पणियां मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हमारे यहां कुल मिलाकर 89 बिलियन टन प्रूव्ड कोल रिजर्व है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऐस्टीमेटेड 400 बिलियन टन कोल का स्टॉक है जो 250 वर्षों तक कम होने वाला नहीं है। यह देश के लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे पास 400 बिलियन टन कोयला होने के बावजूद हम 21 बिलियन टन कोयले का आयात कर रहे हैं। बिल में प्रावधान है कि प्राइवेट सैक्टर में कोयले का भंडार है। उनमें से उन्हें खनिज करने का अधिकार दिया जाये जिसका ट्रेड यूनियन्स विरोध कर रही हैं। सरकार की यह मान्यता है कि जब हमारे पास एक तरफ कोयले का इतना बड़ा भंडार है, दूसरी तरफ कोल इंडिया इस पोजीशन में नहीं कि वह खदान कर सके। उस प्रोडक्शन को उस लैवल तक ला सके जिसकी पॉवर सैक्टर को जरूरत है या भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोल इंडिया के बाहर का जो एरिया है, उसमें खदान करने की अनुमति दी जाये जबकि इस बात के लिए ट्रेड यूनियन्स विरोध कर रही हैं। मेरे पास पिछली बार हुई बैठक के मिनट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया है।

[अनुवाद]

> ''माननीय मंत्री महोदय ने यह और आश्वासन दिया था कि संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक पर चर्चा नहीं की जाएगी।''

[हिन्दी]

ट्रेड यूनियन्स के साथ बातचीत करने के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी।

अभी मैं मिनिस्टर बना। उसके बाद नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठाया गया। 22 तारीख को उनके सामने ट्रेड यूनियन के सारे लीडर्स को बुलाया गया। उनसे बातचीत हुई और वहां सारी की सारी चीजें डिसकस हुईं। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एश्योर नहीं किया था कि वे संसद के सत्र में लायेंगे या नहीं लायेंगे।

लेकिन जब 25 तारीख को हमने ट्रेड यूनियन के लीडर्स के साथ बातचीत की तो मैंने कहा कि आपसे बातचीत हो रही है, जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी, यह बिल संसद में नहीं लाया जायेगा।

आपने एरियर्स के संबंध में कहा, एरियर आज का बकाया नहीं है, यह काफी दिनों से बकाया चल रहा है। एरियर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अभी आपने कहा कि ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. में दो-तिहाई वर्क फोर्स है, दो-तिहाई खदानें हैं और एक-तिहाई प्रोडक्शन होता है। जहां एक-तिहाई माइन्स हैं। दूसरे डब्ल्यू.सी.एल. में एक-तिहाई खदान हैं और एक-तिहाई वर्क फोर्स है। वहां बहुमत है और हमें प्रोफिट है। हमारे पास 3100 करोड़ रुपये का एरियर था, उसमें से 350 करोड़ रुपये दे दिये गये, करीब 2700-2800 करोड़ रुपये हमारे पास बकाया है। हमारा पैसा पावर सैक्टर के ऊपर है, जो ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा है। प्राइवेट सैक्टर से बातचीत हो गई है। प्राइवेट सैक्टर के लोगों ने हमें पैसा देने का वायदा किया है कि हम मार्च तक पैसा दे देंगे। उस परिस्थिति में हमारे पास नौ सौ करोड़ रुपये हैं। नौ सौ करोड़ में हम चाहें तो जो हमारे पास मुनाफा कमाने वाली कम्पनीज हैं, हम उन्हें सौ परसेन्ट आज भी देने को तैयार हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा कि आप सबके बीच में बंटवारा करो। हमने कहा ठीक है, सबके बीच में बंटवारे का मतलब है कि एक-तिहाई के हिसाब से बंटवारा हो।

मैं कहना चाहता हूं कि जो आज प्रोफिट कमाने वाली कम्पनीज हैं, ट्रेड यूनियन के लोग तैयार हो जाएं, हम उन्हें सौ परसेन्ट देने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि इसे तीन भाग में बांट दो। हमने कहा, ठीक है, हम एक-तिहाई करके देते हैं। उसके बाद हमने कहा कि स्क्रूटिनाइजेशन का पैसा मेरे पास मार्च तक आयेगा, उसके बाद हम बाकी पैसे का भुगतान कर देंगे। फिर कहा कि चलो एक-तिहाई नहीं, हम 40 परसेन्ट दिसम्बर तक करने को तैयार हैं। 40 परसेन्ट पैसा मार्च तक पे कर देंगे, जो पैसा बचेगा, उसे हम बाद में कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मुद्दा यूनीफिकेशन का था। हमने कहा कि यूनीफिकेशन का मतलब क्या है। जब तीन कम्पनियां घाटे में चल रही हैं, इनका कहना है कि जो चार कम्पनीज मुनाफे में चल रही हैं, वे एक हजार करोड़ टैक्स के रूप में फाइनेन्स मिनिस्ट्री के पास जमा करते हैं, यदि यूनीफिकेशन हो जायेगा तो वह पैसा बच जायेगा। फाइनेन्स मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप पैसा लेने के ज्यादा इच्छुक हैं या रिवाइवल के ज्यादा इच्छुक हैं। हमने कहा कि हम रिवाइवल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप रिवाइवल पैकेज बनाकर दीजिए। हमने ट्रेड यूनियन के नेताओं से कहा कि आप रिवाइवल पैकेज बनाकर दीजिए। जब हमने कहा कि अभी बैठो तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग एरियावाइज बैठेंगे, उसके बाद सी.एम.डी. के साथ बैठेंगे, उसके बाद सैक्रेटरी के साथ बैठेंगे और फिर आपके साथ बैठेंगे। 15 जनवरी तक का पूरा खाका बन गया कि रिवाइवल पैकेज दे दीजिये, उसके मुताबिक हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि तीन कम्पनियां घाटे में चल रही हैं, चार कम्पनियां मुनाफे में चल रही हैं तो सबका पांव जोड़ दीजिए, फिर मुनाफे वाली कम्पनी है वह भी घाटे में चलनी शुरू हो जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य: यह स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस थीं।

श्री राम विलास पासवान: एक तरफ कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में नोट ऑफ डिसैन्ट है।

[अनुवाद]

दूसरी ओर वे कह रहे हैं कि यह स्थायी समिति की सिफारिश है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं? सभा को गुमराह मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: यदि मैं सभा को गुमराह कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* मुझे दोष मत दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं निजी भागीदारी से असहमत हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, अनेक सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। आप लगातार टिप्पणी मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: मैं कहना चाहता हूं कि इनकी तीन डिमान्ड्स हैं। उसमें एक यूनीफिकेशन का मामला है। हमने

[श्री रामविलास पासवान]

कहा रिवाइवल पैकेज दे दीजिए। आजकल हमें इस बात का दुख है कि सी.सी.एल. में प्रति दिन एक करोड़ रुपये का घाटा चल रहा था। जब से मैं मंत्री बना हूं, मैं मजदूरों के बीच में गया हूं। जितने कोयला मंत्री बने हैं उन्होंने इतनी कोयला खाने में विजिट नहीं की होगी। तीन महीनों के अंदर अंडरग्राउन्ड खानों से लेकर अन्य खदानों में मैंने विजिट करने का काम किया है। हम मजदूरों की पीठ ठोंकने का काम कर रहे हैं। मजदूर काम करने को तैयार हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब यूनियन होता है, ट्रेड नहीं होता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि सारी बातचीत हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लोग तैयार नहीं हैं। इस बीच में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटक के लोग तैयार नहीं थे।

उन्होंने कहा कि मजदूरों के हित के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जब इनसे हमारी बातचीत हो गई, एक तरफ घाटे में चल रहा है, सरकार की पॉलिसी आप जानते हैं कि सरकार कितना घाटा उठाएगी? एक साल 400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, दूसरे साल 900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और तीसरे साल 2600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कल यदि आप लोग मंत्री बनेंगे, हम तो उधर भी रहे हैं और इधर भी रहे हैं, यदि कल 3200 करोड़ रुपये का घाटा होगा तो कौन इसको सहन करेगा? आपको कोशिश करनी चाहिए। आखिर ट्रेड यूनियन्स के लोग सिंगरौली में भी तो हैं, ट्रेड यूनियन एन.सी.एल. में भी है, डब्ल्यू.सी.एल. में भी है। वहाँ ट्रेड यूनियन के लोग जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और जब हम बार-बार कह रहे हैं कि आप पहले रिवाइवल कीजिए और हमें इस बात की खुशी हुई कि वहां जो एक करोड़ रुपये का घाटा प्रतिदिन चल रहा था, वह घटकर 50 लाख रुपये पर पहुंच गया। सी.सी.एल. में हम मार्च तक मुनाफा कमाने की स्थिति में आने वाले हैं। लेकिन जहां हम मुनाफा कमाने की स्थिति में आने वाले हैं, वहां वे लोग मिलकर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को तहस-नहस करना चाहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)* हम अपील करना चाहते हैं कि कोई भी सेन्सिबल आदमी इस तरह की बात का समर्थन नहीं कर सकता और इसलिए हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवनन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): महोदय, मैं अत्यधिक आक्रोश और दु:ख के साथ केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ लापरवाहीपूर्ण व्यवहार कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के खाद्य मंत्रियों तथा सचिवों ने बैठक की है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जा रहा चावल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से इस मामले में बार-बार अपील की है। लेकिन केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को सड़े-गले खाद्यान्न के लिए उपयुक्त स्थान मानती है। इसके बारे में त्रिपुरा तथा असम के आपूर्ति मंत्रियों ने भी केन्द्र सरकार से विरोध किया है।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस सड़े-गले खाद्यान्न के संबंध में जांच कराए। यह मानव उपभोग के लायक नहीं है ...*(व्यवधान)* उन्होंने यह चावल प्रयोगशाला में भेजा है जहां से यह रिपोर्ट मिली है कि यह मानव उपभोग के योग्य नहीं है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि जैसाकि आप जानते हैं कि वहां विद्रोही बहुत सक्रिय हैं। वे कहते हैं कि दिल्ली में बैठी केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को जानवर समझती है और इसलिए वह सड़ा-गला खाद्यान्न भेज रही है। वे गांव-गांव जाकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं। यह त्रिपुरा तथा असम की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके सामने यह समस्या है।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस बारे में वक्तव्य दे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति किए गए इस गलत कार्य को ठीक करे तथा अविलंब इस स्थिति में सुधार करे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसके बाद आपको बोलने का अवसर दूंगा। अब, श्री भौरा। उन्होंने सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा तथा केन्द्र सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर 2001 के समाचार पत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार 'इंफीरियर राइस डम्पड ऑन नार्थ-ईस्ट' की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं श्री पवन सिंह घाटोवार की बात से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर उपयुक्त उत्तर दे और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता करे।

अपराह्न 12.44 बजे

देश में आयुध कारखानों में विस्फोट की बढ़ती घटनाओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पर आपके माध्यम से सरकार

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में इटारसी में ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री है जिसमें 1 तारीख को बड़ा भयानक विस्फोटक हुआ। यह मामला सदन में पहली बार नहीं उठ रहा है। मैं इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक 1988 से लेकर अब तक 18 बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं और जो दुर्घटनाएं होती हैं वे अप्रैल मई या मार्च के दौरान होती हैं। पर जिन दुर्घटनाओं का उल्लेख मैं कर रहा हूं जबलपुर और इटारसी में चार जगहों पर जो घटनाएं घटी हैं, वे गर्मी के मौसम से हटकर घटी हैं। इसका मतलब यह है कि या तो वे मानवीय भूलों से घटी हैं या किसी ऐसी कार्रवाई का परिणाम हैं जो देश की सुरक्षा के लिए घातक हैं।

उपाध्यक्ष जी, सदन के भीतर और बाहर, रक्षा मंत्रालय को अस्थिर करने की जो कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो घटनाएं इटारसी में घटी हैं और जैसा विस्फोट हुआ है उससे लगभग पांच किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्ष उखड़ गए और मकान भी प्रभावित हुए।

महोदय, इस प्रकार से निरन्तर घटने वाली घटनाएं चिन्ता का विषय है। सिर्फ दो वर्ष में ऐसी नौ घटनाएं हो चुकी हैं। मैं संपूर्ण सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि विस्फोट की घटनाएं केवल गरमी के कारण नहीं घट रही हैं क्योंकि जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह गरमी के समय नहीं बल्कि ठंड के समय में घटी है। इसलिए इसका कारण मानवीय भूल या कोई तकनीकी कारण हो सकता है। इन घटनाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अनेक आयुध डिपुओं में आग लग रही है और वे जलकर नष्ट हो रहे हैं। हमारे यहां ऐसी स्थिति है कि हमारे रक्षा बलों के लिए गोला-बारूद उपलब्ध नहीं है।

इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। इस पर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और सरकार को सभा में बताना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं। इससे बिना किसी युद्ध के अथवा एक भी गोली चलाए बिना ही देश की सुरक्षा करने की शक्ति कम हो रही है। यह बात स्वीकार्य नहीं है। मेरे विचार से यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस सभा को बताए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और वह इस संबंध में क्या कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले बताया, जिन घटनाओं का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वे मार्च, अप्रैल और मई की हैं, लेकिन मैंने जिन घटनाओं का उल्लेख किया वे गरमी के कारण नहीं घटी हैं, वे ठंडे मौसम में हुई हैं। इसलिए इनका कारण मानवीय भूल या कोई तकनीकी कारण हो सकता है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, सभी रक्षा मामलों में गड़बड़ हो रही है। प्रत्येक सौदे में घोटाले हो रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो कह रहा है कि फाइलें गुम हैं। माल घटिया स्तर का है। इन सभी बातों के बारे में सभा में बताया जाना चाहिए। हर बार, सरकार रक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं सभा की भावनाओं को संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (विक्रमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बिहार के अपने संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र विक्रमगंज के अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे के देहरी ओन-सोन में एक रेलवे का हेल्थ यूनिट है जहां रेलवे कर्मचारियों को आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वर्तमान में यह रेलवे का अस्पताल दुर्गावती स्टेशन से जोखिम स्टेशन तक एवं पलामू से सिंगसीजी स्टेशन तक के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन यहां इनडोर बैड की व्यवस्था नहीं है। देहरी-ओन-सोन में तथा आस-पास के स्टेशनों में कार्यरत करीब 3000 रेलवे कर्मचारियों के परिवार सहित 15000 लोगों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा यहां नगण्य है। मुगलसराय मंडल में तीन जंक्शन स्टेशन हैं जिनमें मुगलसराय, देहरी एवं गया है। इनमें से मुगलसराय एवं गया में इनडोर अस्पताल उपलब्ध है किन्तु देहरी और ओन-सोन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। कार्य करते वक्त गंभीर रूप से घायल हो जाने पर कर्मचारी सिंगसीजी स्टेशन, जो यहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर है एवं मुगलसराय अस्पताल जो सिंगसीजी से 20 किलोमीटर है, वहां जाते-जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। देहरी ओन-सोन के रेलवे अस्पताल में वर्तमान में एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक नर्स तथा एक ड्रैसर की सुविधा उपलब्ध है एवं यहां रोगियों की भर्ती की व्यवस्था नहीं है।

[श्रीमती कान्ति सिंह]

अत: रेलवे मंत्रालय से अपील है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए देहरी ओन-सोन के इस हेल्थ यूनिट को कम से कम 20 बेड के इनडोर अस्पताल में परिवर्तन कराने का कष्ट करें ताकि वहां के रेलवे कर्मचारियों का समुचित इलाज हो सके।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर जाफरान पैदा करने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है और जाफ़रान के एक्सपोर्ट से मुल्क को करोड़ों का फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, लेकिन इस साल यह जाफरान कश्मीर में नहीं हुई। इसका कारण इसमें कोई ऐसी बीमारी का लगाना है जिसका अभी तक कोई अता-पता नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो हमारे जाफरान पैदा करने वाले किसान हैं वे फांके के शिकार हो गए हैं। मैं हुकूमते हिन्दुस्तान से गुजारिश करूंगा कि वह मुल्क के एक्सपर्ट या दुनिया के अन्य मुल्कों में जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनकी खिदमात हासिल करके इस बीमारी की वजुहात मालूम करे, उसका इलाज करे और यह पता लगाए कि जो यह एक नायाब चीज कश्मीर में थी उसके खत्म होने के क्या वजुहात हैं, क्या कारण हैं।

स्पेन दुनिया का एक और मुल्क है जहां जाफरान पैदा होता है। वहां भी इसके एक्सपर्ट्स हैं। भारत सरकार को बाहर से भी मंगाने चाहिए। इसकी तहकीकात हो। ...*(व्यवधान)* इसके पैदा न होने से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी आब-बसाई के लिए भारत सरकार इंतजाम करे।

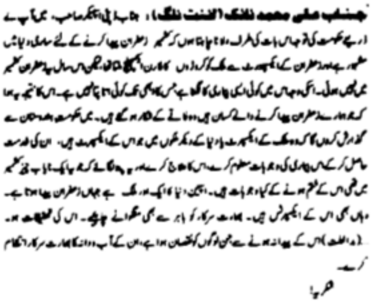

अपराह्न 12.51 बजे

उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने प्रत्येक गांव को जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज तक एक इंच सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उत्तर प्रदेश में उनका खुला-खुला उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों से प्रस्ताव स्वीकृत होने चाहिए और माननीय संसद सदस्यों और विधायकों से भी प्रस्ताव पास होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री अपने दबाव में मनमाने तरीके से योजनाओं को बना रहे हैं। जो गांव पिच मार्गों से जुड़े हुए हैं, उन मार्गों को भी दूसरे मार्गों से जोड़ने के लिए गलत योजना प्रस्तुत की जा रही है। हम लोगों ने बार-बार आग्रह किया कि भारत सरकार ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उनके अनुरूप ही उन सड़कों और गांवों का चयन होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, जिनका वक्त समाप्त होने वाला है, वे रिश्वतखोरी और मनमानेपन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में जो धन दिया है, सरकार ने उसे अन्य कार्यों में खर्च कर दिया है, वेतन देने में खर्च करने का काम किया है। ...*(व्यवधान)* महाराजगंज जनपद और गोरखपुर जनपद में दिशा-निर्देशों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं नक्सलवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* पिछले दिनों हमारे देश के कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में नक्सलवादियों की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: लूटमार, डकैती, हत्या, बम विस्फोट, जनप्रतिनिधियों के घर पर आक्रमण करना, समानान्तर कर वसूली आदि गतिविधियां तेजी से हो रही हैं। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, हम संबंधित मंत्री को सभा की भावनाओं से अवगत कर देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): यहां तक कि नेपाल के अंदर जो माओवादी विद्रोह हुए और हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, उनमें भी पी.डब्ल्यू.जी., एम.सी.सी. और नक्सलवादियों से सम्पर्क बताए जाते हैं। ऐसे मामलों के अंदर आंध्र प्रदेश से नेपाल तक के हिस्से जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि, में गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पीपल्स वार ग्रुप और एम.सी.सी. आदि जो संगठन हैं, उन पर केवल प्रतिबंध लगाने से ही नहीं होगा अपितु वहां की पुलिस को सुदृढ़ करके और सक्षम बना कर राज्य सरकारों को विशेष सैन्य बलों की सहायता प्रदान करके इन नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाये, ताकि राजकीय भवनों को और जघन्य हत्याओं को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं भी इस बात से सहमत हो सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): जी नहीं, यह बिल्कुल अलग मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: जी, हां, यह एक अलग मामला है।

श्री खारबेल स्वाइं: ठीक चार दिन पहले नक्सलवादियों ने उड़ीसा के सहकारिता मंत्री का घर डइनामाइट से उड़ा दिया था। नेपाल माओवादी, बंगलादेश में सर्वहारा दल, तथा भारत में आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में सक्रिय पीपुल्स वार ग्रुप और झारखंड में एम.सी.सी. ग्रुप के बीच सांठगांठ है। वे सरकार का ध्यान सीमावर्ती जिलों से हटाना चाहते हैं ताकि वे भारत में शरण ले सकें अथवा ट्रकों से हथियार और गोलाबारूद नेपाल ले जा सकें। इस तरह वे भारत, बंगलादेश और नेपाल में अपनी गतिविधियां जारी रखना चाहते हैं। आई.एस.आई. भी इनकी बहुत मदद कर रही है। इसलिए, भारत सरकार से मेरी अपील है कि केन्द्र सरकार को नक्सलवादी विरोधी गतिविधियों और तीनों देशों में माओवादी आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के मामले में भरपूर सहयोग करना चाहिए तथा भारत में नक्सलवादी हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष बल का गठन करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात से सहमत हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बुला रहा हूं जिन्होंने इसकी सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह भी उसी मुद्दे के बारे में है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन सभी को बुला रहा हूं जिन्होंने इस बारे में सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल वर्मा, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उन्हें बोलने दीजिए। आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): मेरा भी नोटिस है, मैंने कई दिन से नोटिस दे रखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): जिनका नोटिस है, उनको पहले बोलने का चांस देना चाहिए। हमारा भी नोटिस है, लेकिन बगैर नोटिस वाले बोल रहे हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। हाउस का कोई डैकोरम ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जिन्होंने नोटिस दिया है, सबको बोलने का चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

इस तरह आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल वर्मा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, उर्वरक मंत्रालय द्वारा यूरिया की नीति की घोषणा होनी है, लेकिन उस घोषणा के पहले ही नई नीति के शीघ्र घोषित होने के बावजूद भी एक अन्तरिम आदेश जारी करके यूरिया के उपयोग, नीति और नियम में जल्दबाजी में संशोधन कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप देश के कई उर्वरक कारखाने, विशेष तौर से यूरिया बनाने वाले कारखाने बन्द होने के कगार पर हैं। कानपुर में भी एक डंकन इंडस्ट्री है, जिसमें करीब 15 हजार एम्पलाइज कार्य करते हैं। वह भी बन्द होने के कगार पर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारत सरकार को निर्देशित करें कि जिस कम्पनी पर जितना भी बकाया हो, उसको किस तरीके से वसूला जाये, इसकी कोई नीति बनाकर उनसे वसूल करें। मैं यह नहीं चाहता कि भारत सरकार का कोई भी धन किसी कम्पनी पर बकाया रहे, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में 15-15, 20-20 हजार एम्पलाइज काम कर रहे हैं, उन इण्डस्ट्रीज को अगर इस तरीके से बन्द कर दिया जायेगा, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों ने क्लोजर की नोटिस दे दी है। सबसे बड़ा नुकसान कानपुर में यह है कि यह कम्पनी वहां 30-35 करोड़ रुपये प्रतिमाह कैस्को को बिजली के बिल का भुगतान करती है। अगर उसने बिजली के भुगतान को बन्द कर दिया तो कानपुर पूरा अंधेरे में डूब जायेगा और 15 हजार एम्पलाइज बेकार होंगे।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उर्वरक मंत्रालय को यह निर्देशित करें कि किसी भी हालत में इन यूनिटों को बन्द न होने दिया जाये, जिससे कि मजदूर बेरोजगार न होने पायें।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, हमें पूरे देश में विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद तथा आतंकवादी गतिविधियों के बारे में अत्यधिक चिंता है। त्रिपुरा राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के कारण के.रि.पु. बल, सी.सु.ब. तथा राज्य पुलिस कर्मियों सहित लगभग 15,000 लोग मारे गए हैं, लगभग 18,000 लोगों का अपहरण हुआ है, 5000 से अधिक निर्दोष लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है 90,000 परिवारों के लगभग 4.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं, 45,000 घरों को जला दिया गया है और लगभग 100 करोड़ रुपये की फिरौती ली गई।

अपराह्न 1.00 बजे

मौजूदा सरकार के अंतर्गत इस छोटे से राज्य में हत्या, लूट और आगजनी की घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गई है। इसलिए, हम गृहमंत्री से त्रिपुरा में उग्रवादी गतिविधियों के बारे में तत्काल वक्तव्य की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने 2001 में फरवरी के दौरान कांग्रेस विधायक श्री मधुसूदन साह के घर के नजदीक उनकी हत्या कर दी लेकिन अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 5 फरवरी, 2001 को सादर श्री सुखराम देबारमा की उनके कार्यालय परिसर में निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

हालात नाजुक हैं। गृह मंत्री को सभा में आना चाहिए और उग्रवादियों की सभी गतिविधियों का ब्यौरा सभा को देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): केन्द्र सरकार को पर्याप्त अर्द्ध सैनिक बल प्रदान करने चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर भारत सरकार ने पम्प सलेक्शन बोर्ड द्वारा पेट्रोल पम्प आबंटन करने की नीति अपनाई है। उस चयन बोर्ड में भूतपूर्व जज और ऑयल कम्पनी के अधिकारी होते हैं। लेकिन जिनका चयन के दौरान नाम आता है, उन्हें पम्प आबंटित नहीं किये जाते। इसके लिए गुजरात में दो नम्बर के पम्प चलाने वाले माफिया ग्रुप हैं। उनके साथ कुछ वकील और अधिकारी भी मिले हुए हैं। ये लोग मिलकर कानून को बीच में लाकर वास्तविक आबंटियों को रोक रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जो केयरटेकर कहलाते हैं, पम्प चला रहे हैं, वे पेट्रोल में सोलवेंट इत्यादि की मिलावट करके बेच रहे हैं। इससे जनता को भी नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और सामाजिक नुकसान भी हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सी.बी.आई. के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और जो माफिया गिरोह कोर्ट में जाकर कोर्ट का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और जनरल केटेगरी के पात्र लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, उन्हें ढूंढ़कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए तथा चयनित लोगों को उचित न्याय दिलाया जाए।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं कि नागपुर का ऐतिहासिक महत्व है। नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। अगले वर्ष जनवरी में नागपुर अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरा करने जा रहा है। वर्ष 1702 में आदिवासी गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने 12 गांवों को इकट्ठा करके राजापुर बरसा नाम दिया था। उस राज्य की राजधानी नागपुर को बनाया था। नागपुर की जनता इस त्रिशताब्दी के अवसर को

उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर मनाना चाहती है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए कई योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई है। इस अवसर को चार चांद लगाने के लिए नागपुर के लोग चाहते हैं कि केन्द्र सरकार भी कुछ पहल करे। वे चाहते हैं कि इस अवसर पर तीन रुपए का एक विशेष डाक टिकट और एक रुपये का विशेष सिक्का जारी किया जाए। इसके अलावा नागपुर-मुम्बई-कुर्ला एक्सप्रेस गाड़ी का नाम बदलकर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस रखा जाए और टेरिटोरियल आर्मी के कार्यक्रमों को पुनर्स्थापित करके सीताबर्डी फोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया जाए। इसलिए नागपुर की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए और इस अवसर की गरिमा को देखते हुए केन्द्र सरकार को इन सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। नागपुर की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम बनाएगी, ताकि नागपुर के त्रिशताब्दी समारोह में चार चांद लग सकें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस है, बड़ा गम्भीर सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने इसी तरह बीच-बीच में बोलकर तीन-चार बार अपना मौका गंवा दिया है। जब मैं आपको अवसर दूंगा, तब आप अपनी बात कहें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: मैं रोज नोटिस दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको मैं चांस नहीं दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय सदस्य द्वारा तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में उठाए गए मुद्दे का उत्तर देने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है।

जैसे ही यह घटना हुई तमिलनाडु सरकार ने पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। दर्जन भर अधिकारियों को निलंबित किया गया है ...*(व्यवधान)* सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं हुईं तो वह सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर देगी।

सरकार ऐसी शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु एहतियाती तौर पर सभी प्रकार के उपाय कर रही है। इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। उस व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है, उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें कहा है कि उसने केवल यह शराब बेची है और यह शराब पांडिचेरी से मंगाई गई थी। डीलर हमारी पार्टी का नहीं है।

महोदय, पूर्व डी.एम.के. शासन के दौरान पूरे तमिलनाडु में शराब सिंडीकेट था। हमने केवल सार्वजनिक नीलामी की अनुमति दी है। डी.एम.के. शासन के दौरान शराब सिंडीकेट के कारण राजकोष को घाटा हुआ था। हम राजकोष के लिए और अधिक राशि प्राप्त करने हेतु इस सिंडीकेट को तोड़ना चाहते थे ...*(व्यवधान)*

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम शासन के दौरान उनके लोग ही अवैध शराब के व्यापार में लिप्त रहे हैं। अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम के सत्ता में आने के छह माह के भीतर ऐसी चार घटनाएं हुईं जिनमें 170 लोग मारे गए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन जी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मेरी नेता, डा. पुरात्ची थालावी की कल जीत हुई है। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह अपने खिलाफ दायर मुकदमों को वापस नहीं लेंगी और न्यायालय में अपनी निर्दोषता साबित करेंगी। इसलिए उनकी जीत हुई है। ...*(व्यवधान)* उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और उन्होंने अपनी निर्दोषता साबित कर दी है।

महोदय, उन्होंने कल कहा है कि वह सही समय पर ही मुख्य मंत्री का पदभार ग्रहण करेंगी। वह तमिलनाडु राज्य प्रशासन का संचालन प्रभावी ढंग से करेंगी। महोदय, द्रमुक दल उनकी विजय को हजम नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया है।

महोदय, मैं जानता हूं कि यह राज्य का विषय है। हालांकि, राज्य का पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए, महोदय, आपने मुझे सभा में यह मामला उठाने का जो यह अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं समूचे विश्व में प्रचलित दो पेय पदार्थों, चाय और कॉफी से संबंधित मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

महोदय, चाय उद्योग काफी गंभीर संकट का सामना कर रहा है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चाय कम्पनियां प्रायः बंद होती जा रही हैं। उनमें से कुछ तो काफी लंबे अर्से से बंद पड़ी हैं।

महोदय, उत्पाद शुल्क लगाने के कारण गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे संपदा शुल्क वापस लें और चाय उद्योग को बर्बाद होने से बचायें।

महोदय, दक्षिण भारत में, खासतौर पर केरल में लगभग 600 चाय उत्पादक हैं। चाय उत्पादन में लगभग ढाई लाख कामगार लगे हुए हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार, विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी से और वाणिज्य मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस उद्योग को विनाश से बचायें।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह उत्पाद शुल्क तत्काल वापस ले, अन्यथा इन सभी कर्मचारियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा और चाय कम्पनियां बंद हो जायेंगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है। हमने भी कई दिन से नोटिस दिया है। हमें भी मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नोटिस दिया है तो आपको भी मौका मिलेगा।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, हम सभी को यह देखकर अत्यधिक निराशा हो रही है कि हमारा पड़ोसी देश, नेपाल तेजी से गृह युद्ध और अराजकता की ओर बढ़ रहा है।

महोदय, चारों ओर से घिरे हिमालयी राज्य की सामरिक स्थिति और माओवादी विद्रोहियों द्वारा प्रचारित वृहत नेपाल अवधारणा को देखते हुए नेपाल की नाजुक स्थिति निश्चित रूप से, भारत के लिए अनुकूल नहीं होगी।

महोदय, यह भी सच है कि हमारे सभी निकटतम पड़ोसी देशों में भारत विरोधी ताकतें पनप रही हैं जिनसे हमारे देश की भीतरी सुरक्षा को खतरा है।

महोदय, वहां पहले ही आपात स्थिति लगा दी गई है और इसलिए बड़ी संख्या में माओवादी विद्रोही भारत में आ रहे हैं।

महोदय, कम से कम पांच भारतीय राज्य नेपाल के समीप हैं जो हथियारों, जाली मुद्रा की तस्करी तथा अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का रास्ता बन गये हैं। इसलिए, महोदय, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को तत्काल उपाय करने चाहिए। यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। एक ओर तो माओवादी विद्रोही भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह साम्राज्यवादी देश है और दूसरी ओर नेपाल के कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत उन माओवादी विद्रोहियों को सुरक्षित शरण दे रहा है। इसलिए हम पर ये आरोप लगाये जा रहे हैं। तथापि, सरकार ने इस संबंध में पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।

महोदय, इस सरकार को इस मामले में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि यह हमारा पड़ोसी देश है और वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, महान संत गुरु घासीदास जी की जयन्ती 18 दिसम्बर, 2001 को पूरे देश भर में सार्वजनिक अवकाश एवं उनके जीवनी पर बने वृत्तचित्र के प्रसारण हेतु दूरदर्शन पर स्वीकृति बाबत मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ के संत बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 18 दिसम्बर को पूरे देश में छुट्टी करने के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि संत बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसम्बर, 1756 को गांव गिरौदपुरी में हुआ था, जो तत्कालीन जिला बिलासपुर, जो बाद में रायपुर जिला में चला गया है। बाल्यकाल से ही घासीदास जी नए-नए चमत्कार तथा आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और प्रेम के रास्ते आम नागरिकों को दिखाते एवं बताते थे, जिसे देखकर और सुनकर लोग उन्हें चमत्कारी पुरुष मानने लगे थे। इनके जीवन काल में एक ऐसी घटना और घटी जिसने इनके जीवन को झकझोर दिया। बाबा जी की पत्नी श्रीमती सफुरा जी की अचानक मृत्यु ने इनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। पत्नी के प्रेम में व्याकुल होकर बाबाजी आत्महत्या करने के लिए आतुर होकर जंगल में जाकर लगभग 200 फुट ऊंचे पहाड़ पर जा पहुंचे, जिसका नाम छत्ता पहाड़ था। वहां से नीचे कूदे, लेकिन भगवान के चमत्कार से वे पृथ्वी पर सीधे आकर खड़े हो गए। वहां उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। अदृश्य शक्ति ने बोला—हे मानव, तुम साधारण नहीं हो, तुम लाखों दुखियों के दुख तथा संदेह का निवारण करने वाले हो। वापिस आकर उन्होंने अपनी पत्नी, जो छः महीने पहले मर गई थी, उनको मरघट से निकालकर उसे सत्य उपदेश तथा अमृतमान देकर जिला दिया, जिससे समाज आश्चर्यचकित होकर उनकी जय-जयकार करने लगा। उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की और लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए।

उपाध्यक्ष महोदयः आप सरकार से क्या चाहते हैं, यह बताइये।

श्री पुन्नू लाल मोहले: महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने 18 दिसम्बर को पिछले बीस वर्षों से छुट्टी घोषित कर रखी है। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि संत गुरु घासीदास जी की जयन्ती पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनी आधे घन्टे की फिल्म 17 और 18 दिसम्बर को दिखाई जाए और पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री चन्द्रनाथ सिंह जी, आंवला के विषय में पिछले हफ्ते आपने बात उठाई गई है। आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दीजिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंहः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद, उत्तर प्रदेश में आंवला सड़ रहा है। किसान भुखमरी के कगार पर है और आत्म-हत्या करना चाहते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में या यूं कहिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आंवला प्रतापगढ़ में पैदा होता है। प्रतापगढ़ में किसानों के पास गेहूं या धान पैदा करने के लिए खेती नहीं है। सभी किसान आंवला की खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन सरकार उनको सहयोग नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि वह प्रतापगढ़ में आंवले की फूड-प्रोसैसिंग के लिए फैक्ट्री लगाए क्योंकि बाजार में आंवला नहीं बिक रहा है या रेल सुविधा प्रदान करे, जिससे आंवले के उत्पादन को बेचा जा सके। किसानों को उनके उत्पादन आंवले के दाम नहीं मिल रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं, क्या सरकार किसानों के आंवले का सपोर्ट-प्राइस देगी?

उपाध्यक्ष महोदयः आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंहः मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं या यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री पी.डी. एलानगोवन के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.डी. एलानगोवन (धर्मपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु के धर्मपुरी तथा अन्य जिलों में बालिका शिशु-हत्या तथा भ्रूण हत्या से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री पी.डी. एलानगोवन के कथन को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः यही परेशानी है, जब फ्लोर मिलता है, तो बोलने के बाद भी नहीं बैठते हैं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंहः महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या आपको दस मिनट चाहिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंहः आप नाराज मत होइए। *...(व्यवधान)* मैं सबसे ज्यादा अनुशासन का पालन करता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप नाराज करने के लिए ही खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री एलानगोवन जी के कथन को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.डी. एलानगोवनः महोदय, मैं तमिलनाडु के अनेक जिलों में बालिका शिशु हत्या की भयावह समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं। बालिका शिशु हत्या को रोकने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम इस समय सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार को इस बुराई को रोकने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता के साथ एक व्यापक परियोजना क्रियान्वित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस महिला सशक्तिकरण वर्ष में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बालिका शिशुहत्या की भयावह समस्या को रोकने के लिए चरणबद्ध तथा कारगर परियोजनाओं के साथ आवश्यक कदम उठाये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे छोटा सा निवेदन करना है, राजस्थान की सारी नदियां, तालाब और कुएं भी सूख गए हैं। मनुष्य तथा जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है। जयपुर शहर में रामगढ़ झील सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जहां से जयपुर शहर को पीने के लिए पानी मिलता था, वह भी सूख गई है। मावठा, जलमहल और तालकटोरा भी सूख गये हैं। राजस्थान को केवल एक प्रतिशत हिन्दुस्तान की नदियों का जल मिलता है, इसलिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान को अधिक पैसा मिले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

महोदय, राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह बहुत महत्वपूर्ण नहर है। भारत सरकार राजस्थान सरकार को इस नहर को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान देती थी, वह देना भी बंद कर दिया। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पानी को महत्ता देंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपये की सहायता पुनः चालू करें। राजस्थान के पेयजल की समस्या को पूरा करने के लिए प्रथम किश्त के रूप में सौ करोड़ रुपए दिए जाएं और इंदिरा गांधी नहर के लिए 60 करोड़ रुपये देने, जो बंद कर दिए गए हैं, उसे पुनः चालू करें तथा इंदिरा गांधी नहर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्व में जो 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता था, उसे चालू करें।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 जिसे 61 महिला सशक्तिकरण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। अब समाप्त होने को है। महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है— भारत का सशक्तिकरण। मुझे स्वर्गीय श्रीमती गीता मुखर्जी की अंत्येष्टि पर माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन याद है। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि महिलाओं की राजनैतिक अधिकारिता महिला आरक्षण विधेयक को पारित करके सुनिश्चित की जायेगी जिसमें संसद तथा राज्य विधान सभाओं में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह आगे आए और अपनी समस्त राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ इस क्रांतिकारी विधेयक के अधिनियम के प्रारंभिक चरण में सभी विवादास्पद मुद्दों को दूर रखते हुए कोई आम सहमति बनाए।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं उनकी बातों से सहमत हूं।

***श्री टी. गोविन्दन** (कासरगौड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान 27 नवंबर को बीड़ी कर्मकारों द्वारा आयोजित संसद मार्च की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सभी मजदूर संघों ने इसमें भाग लिया और उनमें से अधिकांशतः महिलाएं थीं। इस मार्च का उद्देश्य धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के बारे में अपनी चिंता और व्याकुलता अभिव्यक्त करना था। हमारे देश में 70 लाख से भी अधिक बीड़ी कर्मकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप लिखित भाषण नहीं पढ़ सकते। क्या आपको यह मालूम नहीं है? आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लिखित रूप में नहीं।

***श्री टी. गोविन्दन:** महोदय, हमारे ग्रामीण उद्योगों में 70 लाख बीड़ी कर्मकार हैं। लगभग दो करोड़ लोग तंबाकू की खेती और उससे संबंधित व्यापारों में लगे हुए हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना केन्द्र सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशों को मान रही है। यद्यपि राज्य और केन्द्र, दोनों सरकारों को तंबाकू और उससे संबंधित व्यापारों पर लगाये गये करों से करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है, तथापि सरकार इस तथ्य को समझने में असफल रही है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पहलुओं पर विचार करे और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्तावित विधेयक को स्थगित करे। इसके अलावा, सरकार को इन बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपाय, न्यूनतम मजदूरी तथा मातृत्व संबंधी लाभ देने चाहिए। इन्हीं अनुरोधों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में किसान दो मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पहली यह है कि किसानों का समर्थन मूल्य पर धान नहीं खरीदा जा रहा है।

दूसरा, किसानों को बिजली रबी-सीजन के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है और अगर कहीं तौल हो भी गयी तो उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है और केवल उन पर जो कर्ज होता है उसको पटाने के लिए ही धान खरीदा जा रहा है। बची हुई धान को किसान मजबूरी में व्यापारी को बेचता है। जो समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर धान

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

खरीदते हैं। किसान के खेत में प्रयोग में आने वाली खाद, बीज और दूसरी चीजों के भी उतने पैसे उसके उत्पादन से नहीं निकल रहे हैं। बिजली का यह हाल है कि मात्र तीन घंटे के लिए बिजली किसान को मिल रही है जबकि प्रदेश शासन ने घोषणा की थी कि 6 घंटे किसानों को बिजली मिलेगी। लेकिन उसमें भी कटौती होती है और बिजली, केवल तीन घंटे मिल रही है। इस तरह से सप्ताह में केवल 18 घंटे ही बिजली दी जा रही है। इतनी कम बिजली में कैसे कृषि संभव होगी, इसे आप समझ सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि स्थिति के बिगड़ने से पहले ही केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करे और मेरी इन दोनों मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित गुजरात की इन समस्याओं को उठाने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

गुजरात सरकार ने रेल मंत्रालय से ये अनुरोध किये थे कि (1) पन्द्रह छोटी लाइनों और संकरी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदला जाये; (2) राजकोट-बेरावाल लाइन का बरास्ता सोमनाथ कोईनार तक विस्तार किया जाये; (3) अहमदाबाद-मुम्बई के बीच अतिरिक्त रेल लाइन की व्यवस्था की जाए; (4) पांच नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाए; और (5) गांधी नगर को बड़ी रेल लाइन द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाये। ये कार्य केन्द्र सरकार के पास लंबे अर्से से लंबित हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करे।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, झारखंड राज्य के अलग बन जाने के बाद बिहार में जो अच्छे इंस्टीट्यूट थे, जैसे तिलैया सैनिक स्कूल और नेत्रहाट स्कूल, वे झारखंड राज्य में चले गये हैं। अब बिहार में कोई अच्छी शिक्षा देने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। इससे गरीब बच्चों का शोषण हो रहा है और उन्हें अच्छे स्कूलों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरा बहुत पुराना शहर है और वीर कुंवर सिंह इसी शहर से आजादी की लड़ाई लड़े थे। चाहे व्यापार हो या कृषि या फिर इंस्टीट्यूट्स, हर लिहाज से वह एक अच्छा सेंटर है। इसलिए आरा सब दृष्टि से सैनिक स्कूल खोलने के लिए एक उपयुक्त शहर है। इसलिए वहां पर जल्द से जल्द सैनिक स्कूल खोलने के लिए कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल में क्विलोन जिले में चावारा-करुनागापल्ली समुद्री तट क्षेत्र में उपलब्ध दुर्लभ भूमिगत संसाधनों का किसी निजी उद्यमी द्वारा खनन करने के लिए अनुमति मांगी थी। इन दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग इंडियन हेयर अर्थस लिमिटेड, केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड द्वारा प्रसंस्करण हेतु किया जाता है। आई.आर.ई.एफ. केन्द्र सरकार का उपक्रम है और के.एम.एल.एल. राज्य की इकाई है। इस घटक का प्रयोग, जिसे संबद्ध संस्था द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है, सुरक्षा कार्यों में किया जाता है। अतः, देश के लिए यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु कुछ निजी उद्यमों के आवेदन भेजे हैं। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। अतः, मैं केन्द्र सरकार से इन निजी उद्यमों को मंजूरी न देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन-विभाग के वन संरक्षण अधिनियम 1980 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई भी भूमि जो दूसरे विभाग को अलॉट की जाती है उसमें फॉरेस्ट-एक्टिविटी शुरू करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। भूमि आयुर्वेद विभाग को दी जाये और वह उस पर वनस्पति-वन लगाना चाहे तो भी उसमें प्रावधान है कि उसके लिए शुल्क जमा करवाया जाए। जहां वन लगाने की एक्टिविटी शुरू होनी है, मेरा निवेदन है कि वहां शुल्क न लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, हाल ही में बी.आई.एफ.आर. ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने का आदेश जारी किया था। मेरे विचार से इससे विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी।

महोदय, हमारे राज्य, पश्चिम बंगाल में दो उर्वरक कारखाने हैं। यदि इन कारखानों को बंद कर दिया जायेगा तो पश्चिम बंगाल में कोई उर्वरक उद्योग नहीं रहेगा और हमें भारी घाटा होगा। मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की हल्दिया और दुर्गापुर इकाइयों को आसानी से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने बंगलादेश और म्यांमार से गैस आयात करने

[श्री लक्ष्मण सेठ]

की कार्यवाही की थी। दीघा हाई में खनन कार्य शुरू हो चुका है। अत:. वहां से गैस प्राप्त होने की संभावना है।

यदि वहां गैस मिल जाती है तो कच्चा माल सस्ता हो जायेगा। अत:. उर्वरक उद्योग को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।

अत:. इस स्थिति में. मैं भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री से यथाशीघ्र हि.फ. लि. की हल्दिया और दुर्गापुर इकाइयों को पुनर्जीवित करने का अनुरोध करता हूं ताकि देश आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस, हालांकि आपका नोटिस दस बजे मिला था परंतु विशेष मामले के तौर पर मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया, अपनी बात एक मिनट में पूरी कर लें।

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं।

वास्तव में. हम यह मुद्दा अक्सर उठाते रहे हैं। महोदय. प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों के लिए 90 प्रतिशत बढ़ गया है और वे सभी गरीब हैं—32.09 रुपये निर्धारित किया गया है। परन्तु कृषक को केवल प्रति किलो 24-25 रुपये मिलते हैं। अत:, भारत सरकार को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न हो।

महोदय, एक अन्य पहलू भी है। कृषक इस रबड़ को स्मोक-शीट में बदल देते हैं और स्मोक शीट एक कृषि उत्पाद है। परन्तु स्मोक शीट पर 25 प्रतिशत शुल्क नियत है। यह बहुत अव्यावहारिक है। उसमें कुछ गलतियां हैं। अत:, यह मामला विश्व व्यापार संगठन के साथ उठाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अत:, आप चाहते हैं कि उस गलती को दूर किया जाए।

श्री पी.सी. थॉमस: जी हाँ, महोदय, इस गलती को सुधारा जाना चाहिए और इसे विश्व व्यापार संगठन में उठाना चाहिए।

मेरा मत यह है कि कुछ किसानों को भी वार्ता हेतु नौकरशाहों के साथ भेजा जा सकता है। यह मैं केवल रबड़ की वजह से ही नहीं कह रहा हूं। यदि सभी वार्ताओं के लिए सरकारी अधिकारी ही जा रहे हैं तो मुश्किल होगी। यहाँ तक कि गरी और इन सभी मामलों में वार्ता हेतु वास्तविक मुद्दा संबद्ध अधिकारियों के नोटिस में नहीं लाया जा रहा है। अन्यथा, फिर ऐसा कैसे होता कि एक शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद, रबड़ के लिए अनिवार्य शुल्क 25 प्रतिशत हो और अन्य सभी कृषि उत्पादों हेतु 300 प्रतिशत निर्धारित होता।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह भेदभाव खत्म किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.32 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

(एक) महर्षि दयानन्द सरस्वती के जन्म और मृत्यु स्थलों पर भव्य स्मारकों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, स्वराज्य के प्रथम मंत्रदृष्टा सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के काठियावाड़ में टंकारा नामक ग्राम में 1824 ई. को हुआ था। उनका सम्पूर्ण जीवन देश, समाज और मानवता के उपकार में व्यतीत हुआ। राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक जागृति पैदा करने और भारतीय अस्मिता को पुनर्जीवित करने में उनका बहुमूल्य योगदान था जिसे देश के सभी महापुरुषों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। आज देश के करोड़ों लोग उनके प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान

रखते हैं तथा उनके मंतव्यों और सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं। उनके नाम पर हजारों शिक्षण संस्थायें, गुरुकुल पाठशालायें देश में संचालित हैं। ऐसे महापुरुष का निधन 30 अक्तूबर, 1883 को भिणाय कोठी अजमेर (राजस्थान) में हुआ।

ऐसे महापुरुष की जन्म स्थली और निर्वाण स्थली का संरक्षण नहीं हो पाया और आज भी जन्म स्थली तथा निर्वाण स्थल के बहुत बड़े भाग का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में है अथवा व्यावसायिक उपयोग कर मूलस्थान की ऐतिहासिकता को नष्ट कर रहे हैं।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि महर्षि दयानन्द की जन्मस्थली तथा निर्वाणस्थली संबंधित स्थलों का अविलम्ब अधिग्रहण करने की कार्यवाही करावें, ताकि इन पवित्र स्थानों की ऐतिहासिकता, स्वाभाविकता तथा पुरातत्व एवं सांस्कृतिक महत्व अक्षुण्ण रह सके तथा वहां उनके गौरव के अनुरूप भव्य स्मारक विकसित किया जा सके।

(दो) मौर्य एक्सप्रेस को नरकटियागंज होकर सप्ताह में तीन बार चलाए जाने और चौरा चोरी एक्सप्रैस को बिहार में रक्सौल तक चलाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तरी बिहार में रेल सेवा को और बेहतर और जनता द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मौर्या एक्सप्रेस गोरखपुर से हटिया वाया नरकटियागंज को सप्ताह में तीन दिन चलाया जाये एवं चौरा चोरी एक्सप्रेस को रक्सौल तक बढ़ाया जाये। इन दोनों मार्ग पर रेल में सफर करने वाले यात्रियों की काफी मांग है एवं ब्राडगेज बनने के बाद इन मार्गों पर इन उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इन दोनों मार्गों पर रेल यातायात अधिक होने के कारण ब्रॉडगेज बनाया गया था। इसकी मांग बराबर होती रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसका अत्यंत खेद है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मौर्या एक्सप्रेस को वाया नरकटियागंज सप्ताह में तीन दिन चलाया जाये एवं चौरा चोरी एक्सप्रेस को रक्सौल तक बढ़ाया जाये।

(तीन) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए इस योजना में संसद सदस्यों को संबद्ध किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मध्य प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु 428 करोड़ रुपया एक वर्ष से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में रखा हुआ है। 52 पैकेज में से सिर्फ 25 पैकेज में एग्रीमेंट हुआ है पर वर्क ऑर्डर सिर्फ सात जिलों को दिया गया है। किसी भी मार्ग से अतिक्रमण अलग नहीं करवाया गया तथा अतिक्रमण ठेकेदारों से अलग करवाने को कहा जा रहा है। बिल नहीं देने पर ठेकेदार कार्य बन्द कर रहे हैं। काम सिर्फ सागर, ग्वालियर, शिवपुरी में शुरू हुआ है। दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना में छः-छः बार निविदाएं बुलाई गई पर आज तक किसी भी निविदा पर निर्णय नहीं लिया गया। तीसरी किस्त आने को है पर पहली किस्त में से एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि योजना के ठीक ढंग से कार्यान्वयन हेतु संसद सदस्यों को मॉनीटरिंग अधिकार देने का सहयोग करें।

(चार) रायपुर-दुर्ग-नागपुर होकर बिलासपुर और इन्दौर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): सभापति महोदय, नवसृजित छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर बनने के बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन इंदौर के लिए वाया रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर अति आवश्यक हो गई है। बिलासपुर-इंदौर वाया कटनी एक फास्ट पैसेंजर तो है लेकिन बिलासपुर-इंदौर वाया नागपुर के मध्य कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। वर्तमान में महानदी एक्सप्रैस 8225/8226 जो बिलासपुर से भोपाल वाया नागपुर सप्ताह में तीन दिन चल रही है। इसमें लगभग 80 प्रतिशत इंदौर के लोग होते हैं। यदि इसी ट्रेन को बिलासपुर से इंदौर वाया नागपुर प्रतिदिन चलाया जाए तो इससे समस्त छत्तीसगढ़ वासी लाभान्वित होंगे तथा इन्हें इंदौर के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध हो जायेगी। उक्त गाड़ी मात्र तीन अतिरिक्त बोगी लगाकर अथवा एक रैक जो दुर्ग में अनावश्यक रूप से खड़ा रहता है तथा जो कभी-कभी सारनाथ एक्सप्रैस को सही समय पर चलाने के लिए काम आता है, उक्त रैक से ही महानदी एक्सप्रैस बिलासपुर से इंदौर के लिए प्रतिदिन चलाई जा सकती है। बिलासपुर-इंदौर वाया नागपुर महानदी एक्सप्रैस को बिलासपुर से संध्या 4 बजे छूटकर दूसरे दिन सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचाया जा सकता है तथा इन्दौर से वही ट्रेन 3.00 बजे दोपहर छूटकर दूसरे दिन सुबह 10 बजे बिलासपुर पहुंच सकती है।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि नवसृजित राज्य छत्तीसगढ़ की जनता को इस सुविधा से लाभान्वित किया जाए।

(पांच) केरल में त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.एस. शिवकुमार : तिरुअनन्तपुरम। मैं आपका ध्यान दक्षिण केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में मामले दायर करने की शक्ति युक्त उत्पन्न न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की दक्षिण के केरल के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि भारत में केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ उच्च न्यायालय राजधानी में स्थित नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि केरल सरकार ने राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना हेतु 1995 में एक प्रस्ताव भेजा था। मामले दायर करने की शक्ति प्राप्त उच्च न्यायालय की ऐसी पीठ की स्थापना से राज्य सरकार के कार्यतंत्र और केरल के दक्षिण भाग के बहुत से अभियोजनों को मदद मिलेगी। अब, राज्य सरकार विकट वित्तीय संकट का सामना कर रही है और इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए अथक प्रयास कर रही है। त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालयपीठ की स्थापना से सरकार और केरल के दक्षिण भाग के लोगों को मदद मिलेगी। अत:, मैं त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु सरकार से शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(छह) देश में विशेष रूप से केरल के किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के उदारीकृत आयात की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): देश की अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोलने के उपरांत विभिन्न कृषि उत्पादों के उदार आयात से केरल की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। इन उत्पादों के निर्बाध आयात से रबड़, नारियल और नारियल उत्पाद, सुपारी और काली मिर्च इत्यादि के मूल्यों में गिरावट आने की वजह से यह संकट और गहरा गया है। केन्द्र सरकार के प्रयासों के उपरांत भी गरी की खरीद से बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केरल में खाद्य और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की फसलें उगाने वाले किसान जीविकोपार्जन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अधिकांश किसान बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को वापिस करने में असमर्थ हैं।

अत:, मैं किसानों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार से निम्नलिखित सुझावों के क्रियान्वयन का अनुरोध करता हूं:

1. रबड़, कॉफी, चाय, काली मिर्च, नारियल और इसके उत्पादों के आयात शुल्क बढ़ाये जायें।
2. किसान मंचों को राजसहायता देकर रबड़ के आयात को बढ़ावा दिया जाये।
3. किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आने तक राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं से लिए गए सभी प्रकार के ऋणों की किसानों से वसूली बंद की जाये।

(सात) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत-बंगलादेश सीमा पर स्थित है। यह अक्सर होने वाले भूमि के कटाव और लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से प्रभावित है। परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों, जिसमें अधिकांश छोटे किसान गरीब और असहाय लोग हैं, को अनकथ कष्ट भुगतने पड़ते हैं। वे अपना स्वास्थ्य, घरबार, भूमि, संपत्ति, जानवर और आजीविका गंवाते हैं और यहां तक कि बीमारी और मृत्यु का भी शिकार होते हैं।

स्थिति इतनी खराब है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इसे इसी स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से, इस मामले में अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में कदम उठायें और यह सुनिश्चित करे ताकि कष्ट पा रहे लोगों और व्यापक रूप से राष्ट्र के हितार्थ इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाये।

(आठ) खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र खीरी हिमालय की तराई में नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्षेत्र ने कृषि उत्पादन के माध्यम से भारत को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया है। बिजली की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्र का विकास तथा किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों से बिजली खरीदने की योजना शीघ्र बनाकर क्रियान्वित कराए तथा जनपद खीरी के सभी बसे हुए ग्रामों का विद्युतीकरण कराते हुए शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें।

(नौ) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजन्ता और एलौरा गुफाओं के संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजन्ता की गुफाओं के कई भित्ति चित्रों के आधे से अधिक भाग टूटे पड़े हैं और चित्रों का नक्शा बिगड़ता जा रहा है। जापान सरकार ने अजंता एवं एलोरा के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था। उससे गुफाओं के चित्रों की कोई रक्षा नहीं की गई बल्कि इस पैसे का उपयोग कई अन्य कार्यों में किया गया।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अजन्ता की गुफाओं के भित्ति चित्रों के रख-रखाव के लिए विस्तृत योजना बनाकर इस ऐतिहासिक धरोहर का समुचित संरक्षण किया जाए।

(दस) उड़ीसा में "रेंगाली राइट केनाल" परियोजना के अंतिम चरण के निर्माण के लिए निवेश करने हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं को आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तुहरि महताब (कटक): रेंगाली सिंचाई परियोजना से 250 मेगावाट ऊर्जा के उत्पाद और 2.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई करने की योजना है। इस योजना को योजना आयोग ने अनुमोदित किया था और वर्ष 1978 में इसे शुरू किया गया था। संभल स्थित बांध, विद्युत केन्द्र बराज और हेड रेग्युलेटरों का काम पूरा हो चुका है। परन्तु 76,641 हेक्टेयर की इस रेंगाली राइट कैनाल को अभी शुरू किया जाना है।

हालांकि रेंगाली राइट कनाल के 79 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है, तथापि 79 कि.मी. से 95 किलोमीटर तक का अंतिम चरण और इसके बाद के दर्पाणी और नरसिंहपुर शाखा नहर धन की कमी के कारण अभी नहीं बन पाये हैं।

30 किलोमीटर तक रेंगाली लेफ्ट कनाल और पारजेरा डिस्ट्रिब्यूटरी का वित्तपोषण डब्ल्यू.आर.सी.पी. परियोजना के अंतर्गत होता है बाकी 30 कि.मी. से 142 कि.मी. के लिए जापान के ओवरसीज इकानॉमिक कोआपरेशन फंड से सहायता प्राप्त होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एशिया विकास बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों पर इस परियोजना में धन लगाने के लिए जोर डाले जिससे उड़ीसा के तीन बड़े जिलों—ढेंकानाल, कटक और जाजपुर में रहने वाले किसानों के एक बड़े भाग को फायदा होगा।

(ग्यारह) नासिक जिले में सूखा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदया, महाराष्ट्र के नासिक जिले में 15 तहसील हैं। पिछले वर्ष सब तहसील सूखे की चपेट में थीं। इस वर्ष में सराणा, मालेगांव, नांदगांव, बांखड़, निफाड़, सिन्नार, खेला और येवड़ा, इस प्रकार से इस वर्ष ये आठ तहसील फिर सूखे की चपेट में हैं। लगातार दो वर्ष से यह क्षेत्र सूखे की चपेट में है। पीने के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि वह केन्द्र सरकार की एक कमेटी भेजे जो सूखे की स्थिति का जायजा ले और प्रदेश को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए।

(बारह) मध्य प्रदेश में तिलवाड़ा और जबलपुर-सिवनी क्षेत्र के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 का समुचित रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): सभापति महोदया, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 जबलपुर-सिवनी मार्ग पर तिलवारा पुल से राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-7 के किलोमीटर 510 तक सड़क बहुत खराब है। संपूर्ण सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है जिसके नवीनीकरण की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है। राजमार्ग का यह हिस्सा मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत है जहां कार्य अधिक है। जबलपुर संभाग की लापरवाही एवं उदामीनता के कारण यह महत्वपूर्ण मार्ग उपेक्षित है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि राजमार्ग क्रमांक-7 के इस हिस्से को तिलवारा पुल से किलोमीटर 510 तक के मार्ग को शीघ्र निर्माण कराने की पहल करे तथा सड़क के इस भाग को मध्य प्रदेश के ही सिवनी संभाग को स्टाफ सहित स्थानांतरित करने का भी आग्रह है जिसके पास अपेक्षाकृत कम कार्य है जिससे इस मार्ग का रख-रखाव ठीक ढंग से हो सके तथा जनता को वर्षों की परेशानी से निजात मिल सके।

(तेरह) बोध गया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति स्थल पर निर्मित बौद्ध गया मंदिर प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण

स्मारकों में से एक है। विश्वभर से बौद्ध तीर्थयात्री तथा भक्त इस पवित्र महाबोधि महाविहार के दर्शन करते हैं। बिहार सरकार द्वारा पारित अधिनियम नामत: बुद्ध गया मंदिर अधिनियम, 1949 के द्वारा महाबोधि महावीर के प्रबंधन की निगरानी की जाती है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बौद्ध अनुयायियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को प्रबंधन में नामित करने का भी प्रावधान है।

देशभर में बुद्ध अनुयायी बुद्ध गया मंदिर अधिनियम, 1949 में समुचित संशोधन करने के लिए लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं ताकि इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा किये जाने की व्यवस्था हो सके। बिहार सरकार ने भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई की अध्यक्षता में बुद्धगया महाबोधी महाविहार अखिल भारतीय कार्य समिति के परामर्श से अधिनियम का संशोधित प्रारूप अनुमोदनार्थ केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है। प्रारूप अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि प्रबंधन समिति जिसमें अध्यक्ष, सचिव और आठों नामित सदस्य बौद्ध समुदाय के होंगे जैसाकि अन्य धार्मिक निकायों के प्रबंधन में किया जाता है। केन्द्र सरकार की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि संशोधित प्रारूप को अपनी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें अन्यथा आंदोलन गंभीर रूप ले सकता है।

(चौदह) आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 25000 अतिरिक्त मकानों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगरकुरनूल): महोदय, 17 अक्तूबर, 2001 को आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा और तूफान के कारण 81,783 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। मकानों को हुआ कुल नुकसान 408.90 करोड़ रुपये आंका गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह चालू वर्ष में बाढ़पीड़ितों को स्थायी आश्रयस्थल देने के लिए विशेष मामले के रूप में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 25 हजार अतिरिक्त मकान स्वीकृत करे। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें और आंध्र प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करें।

अपराह्न 2.50 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2001-2002

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे। इस विषय के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ-2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए कार्यसूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें। मांग संख्या 3, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 27, 36, 50, 54, 58, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 76, 81, 83, 85, 87, 89 और 96 ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

क्र.सं.	संख्या और मांग का शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों को मांगों की राशि	
1	2	3	
		पूंजी	राजस्व
कृषि मंत्रालय			
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	100,000	-
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	-	330,600,000

1	2	3	
		पूंजी	राजस्व
6.	उर्वरक विभाग	-	1,332,400,000
कोयला मंत्रालय			
8.	कोयला मंत्रालय	620,900.000	100,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
9.	वाणिज्य विभाग	45,000,000	-
संचार मंत्रालय			
11.	डाक विभाग	-	100,000
विनिवेश विभाग			
20.	विनिवेश विभाग	-	500,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	100,000	-
विदेश मंत्रालय			
22.	विदेश मंत्रालय	100,000	-
वित्त मंत्रालय			
27.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	1,000,100,000	-
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
36.	उपभोक्ता मामले विभाग	200,000	120,100,000
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
50.	भारी उद्योग विभाग	1,545,500,000	2,500,000,000
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय			
54.	विधि और न्याय	28,500,000	-
खान मंत्रालय			
58.	खान मंत्रालय	1,022,200,000	850,000,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
59.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	-	100,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
62.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	-	4,488,400,000

1	2	3	
		पूंजी	राजस्व
विद्युत मंत्रालय			
64.	विद्युत मंत्रालय	220,100,000	100,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
65.	ग्रामीण विकास विभाग	13,500,100,000	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
68.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	100,000	105,900,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
72.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	855,200,000	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
74.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	100,000	
कपड़ा मंत्रालय			
76.	कपड़ा मंत्रालय	100,000	
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन			
81.	लोक निर्माण कार्य		298,100,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	100,000	70,000,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	100,000	...
परमाणु ऊर्जा विभाग			
87.	परमाणु ऊर्जा	100,000	
महासागर विकास विभाग			
89.	महासागर विकास विभाग	100,000	
गृह मंत्रालय			
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
96.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	100,000	...
	कुल जोड़	18,838,900,000	10,096,400,000

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): सभापति महोदया, तीन महीने के बाद वर्ष 2002-2003 का बजट पेश होने वाला है। माननीय मंत्री ने शायद राष्ट्र के गिरते हुए नोबल को बनाये रखने हेतु उल्लासपूर्ण और आशावादी मनःस्थिति बनाने की कोशिश की थी। तथापि, उनके आशावादी होने से शेष लोग आशावादी तो नहीं हो जाएंगे। माननीय वित्त मंत्री द्वारा समय-समय पर दिए गए भाषण, विशेषरूप से कुछ दिन पूर्व नई दिल्ली में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में, अनुमानित विकास दर सात प्रतिशत बतायी थी। उनका भाषण इस कड़वे सच को झुठला नहीं पाया है कि इस बार भारत को अपनी पांच प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एपलाइड एकनॉमिक रिसर्ज ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इससे भी कम विकास दर अर्थात् 4.8 प्रतिशत का पूर्वानुमान लगाया जो लोग इससे सहमत नहीं हैं उसका कहना है कि यह विकास दर भी कुछ ज्यादा ही आशावादी है और यदि हम 4.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर पाए तो हम भाग्यशाली होंगे।

महोदया, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश ने अंतिम दशक के मध्य में निरंतर तीन वर्षों में सात प्रतिशत विकास दर प्राप्त की थी। माननीय मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह जो 2000-2001 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत से कुछ ही वर्षों में बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगा। निःसंदेह यह प्रशंसनीय कदम है लेकिन इन सबके बाद सुधारों के इस युग में यह विनियम पहले की भांति ही उलझा हुआ है। निर्धारितियों को अपनी अपीलों की सुनवाई के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है इससे प्रशासनिक कुशलता में सुधार का कोई संकेत नहीं मिला है। कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कर संग्रहण की लागत लगातार बढ़ रही है। उदाहरणार्थ, कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात। वर्ष 1989-90 में 16.07 प्रतिशत तथा 1991-92 में 15.81 प्रतिशत, जिसे खराब वर्ष माना गया है, की तुलना में वर्ष 1999-2000 में कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 14.18 प्रतिशत रहा। इसके कारण स्पष्ट हैं। इस जटिल कर प्रणाली के अंतर्गत हमारे सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 70 प्रतिशत राशि पर कोई कर नहीं लगता है। इससे अनुपालन कठिन होता है तथा कर अपवंचन तथा परिहार सरल है। इससे असक्षम और भ्रष्ट कर प्रशासन को बल मिलता है।

महोदया, जाने-माने समाचार-पत्र 'दि इकानॉमिक टाइम्स' में हाल ही में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्ययन समूह के निष्कर्ष प्रकाशित हुए जिसमें उन 45 कम्पनियों की पहचान की गई है जिन्होंने न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात् मैट भी अदा नहीं किया।

स्पष्टतः 'मैट' के पीछे यह औचित्य था कि उन कम्पनियों को कर के दायरे मे लाया जाए जो विभिन्न प्रोत्साहनों और कटौतियों के कारण कर अदा नहीं करते थे लेकिन पर्याप्त लाभ कमाते थे और लाभांश वितरित करते थे लेकिन इससे कर राजस्व में कोई वृद्धि नहीं की जा सकी। यहां उपलब्ध अनेक छूटों के कारण अनेक कम्पनियों ने बिल्कुल भी कर नहीं दिया। वर्षों से कर प्रणाली को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने के लिए ही बातचीत होती रही है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया गया है। यदि वित्त मंत्री कर संग्रह में वृद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें दी जा रही विभिन्न करों में छूट समाप्त करनी चाहिए। कम्पनियों के लिए कर की कम तथा निश्चित दर तथा व्यक्तियों के लिए कमतर छूटों के साथ दो या तीन स्लैब दर जैसाकि इस समय है, कारगर होगा। इसलिए, ऐसा करने के लिए वित्त मंत्री की राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मुख्य क्षेत्रों में भारी गिरावट हो रही है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के संदर्भ में बिजली, कच्चे तेल के उत्पादन, उद्योग आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में स्पष्ट गिरावट आई है।

वर्ष 2001 में अप्रैल-अक्तूबर के दौरान बिजली उत्पादन दर कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गई जबकि वर्ष 2000 में इसी अवधि के दौरान उत्पादन दर 4.4 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में अप्रैल-अक्तूबर के दौरान ताप विद्युत उत्पादन की दर 6.1 प्रतिशत से कम होकर 4 प्रतिशत हो गई जबकि जल विद्युत उत्पादन दर कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गई हम किस तरह ग्रामीण भारत में विद्युतीकरण कर सकते हैं? हम ग्रामीण उद्योगों को किस तरह विद्युत की आपूर्ति कर सकते हैं? आखिरकार, यह हमारे देश को आधुनिक बनाने का अत्यधिक महत्वपूर्ण जरिया है।

वर्ष 2001 में अप्रैल-सितम्बर के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में तीन प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2001 में अप्रैल-सितम्बर के दौरान कच्चे तेल थ्रुपुट उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई और यह 3.7 प्रतिशत हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2001 में अप्रैल-अगस्त के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अधि के दौरान यह उत्पादन 5.7 प्रतिशत था। निःसंदेह, मैं यह स्वीकार करता हूं कि अगस्त के उत्पादन आंकड़े मूल धातु, परिवहन उपकरण, चमड़ा उत्पादों, मदिरा पेय तम्बाकू तथा प्लास्टिक जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन में सुधार दर्शाते हैं लेकिन सूती वस्त्र, जूट वस्त्र उत्पाद, कागज और धातु उत्पाद के क्षेत्र में भारी गिरावट जारी है। वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। अगस्त में पूंजीगत माल सूचकांक गिरकर 12.3 प्रतिशत हो गया और यह प्रवृत्ति लम्बे समय से चल रही है।

बाद के छह महीनों में ग्रामीण आय में वृद्धि के कारण घरेलू मांग में अपेक्षित वृद्धि से समग्र औद्योगिक विकास में भी वृद्धि

[श्री विजय हान्दिक]

होनी चाहिए लेकिन निरंतर औद्योगिक विकास आवश्यकताओं के लिए पूंजीगत माल में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक निवेश में कोई वृद्धि नहीं देखी गयी है। तथापि, मैं स्वीकार करता हूं कि उदाहरण के लिए कोयला क्षेत्र में अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। सितम्बर, 2001 में कोयला उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

पिछले 11 महीनों के दौरान यह सबसे अधिक विकास दर थी। कुल मिलाकर, विकास की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। मुझे डर है कि यदि इस तरह की गिरावट और मंदी को रोका नहीं गया तो शीघ्र ही पेश होने वाले अगले बजट में भी यही गिरावट और मंदी दर्ज होगी।

मैं इस सभा तथा आपका ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित दो महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सभा ने इस क्षेत्र में विकास और शांति के लिए सदैव चिंता व्यक्त की है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री को पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप से असम में बेरोजगार युवकों की दो महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में याद दिलाना चाहता हूं।

मुझे शिकायत है कि बजट सत्र के दौरान इस सभा में वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय इन दो मुद्दों को उठाया गया था। लेकिन इन मुद्दों का समाधान करने हेतु कुछ नहीं किया गया। इनमें से एक मुद्दा लघु औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के बारे में है। केन्द्र सरकार के अनुसार 10 वर्षों के दौरान 11,445 एकक बंद हुए। असम सरकार के अनुसार सही आंकड़ा लगभग 17,000 है। मैं आंकड़ों के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यदि फिर भी हम केन्द्र सरकार के अनुमान के हिसाब से देखें तो 5,500 एककों को छोड़कर आंकड़े विचलित करने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार 11,445 एककों में से 1383 एकक कार्यक्षम हैं।

यह स्थिति विस्फोटक है क्योंकि करीब एक लाख निम्न मध्यवर्गीय लोग संकटग्रस्त स्थिति में हैं। सरकार की अपनी विशेषज्ञ समितियां हैं जिसमें विशेषकर कपूर समिति है। इस समस्या का हल कपूर समिति के प्रतिवेदन में जो सिफारिश की गई है उसे कार्यान्वित करने में है। राज्य स्तरीय अंत:संस्थानिक समितियों के रूप में संस्थानिक तंत्र को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है और बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थाओं के विशेष पुनर्वास प्रकोष्ठों को त्वरित उपाय करने के लिए निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। छोटे उद्योगपति अब मांग कर रहे हैं कि अर्थक्षम इकाईयों को पुनरुज्जीवित करने के लिए 10 वर्ष का 'ब्याज अवकाश' (इंटरस्ट होलीडे) दिया जाए। पहले एक बार कर अवकाश दिया गया था। परंतु इन छोटे गरीब उद्योगपतियों को 10 वर्ष का ब्याज अवकाश चाहिए ताकि उनका अस्तित्व बना रहे और वे अपने लघु उद्योगों का पुनर्निर्माण कर सकें। हमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये उद्योगपति राजनैतिक उथलपुथल का शिकार हुए हैं जो राज्य में 10 वर्ष से भी अधिक समय तक रहा। इस कालावधि में उन्हें सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी।

इस क्षेत्र में जो रुग्ण इकाइयां बंद पड़ी है, मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार की उपेक्षा के कारण बंद पड़ी हैं जो लाखों बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों को रोजगार मुहैया करने का माध्यम था।

ये विशाल परियोजनाएं थी इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इस क्षेत्र में विकास और खुशहाली लाई परंतु नौजवानों के स्वयं के लिए छोटी इकाईयां ही उनको गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता है।

दूसरा मामला, छोटे चाय उत्पादकों की दु:खद स्थिति से संबंधित है। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम में, सदियों से मरूभूमि कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में की जाती है परन्तु अब इसमें चाय उगाई जा रही है। करीब 30,000 नौजवान युवक और युवती जुलाहे अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे-छोटे खेतों का जिनमें उनके गृह राज्यों की खाली जमीनों के टुकड़े शामिल हैं का उपयोग करते हैं। उनके घरों के पास भूमि का कोई भी हिस्सा बागवानी के अधीन नहीं है। उन्होंने स्वयं पहल और प्रयत्न करके अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान खोजा है। मैं इसे क्रांति का नाम दूंगा।

दुर्भाग्य से, एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, हरी चाय की पत्तियों की कीमतों में बहुत गिरावट आई है और अधिकतर विनाश के कगार पर पहुंच गये हैं। कीमतें लगातार तीसरे वर्ष गिरी हैं। कीमतें 10 रु. प्रति किलोग्राम से गिरकर 4 रु. प्रति किलोग्राम हो गई है। कुछ समय तक यह 5 रु. प्रति किलो थी अब यह 4 रु. है और यह पिछले तीन वर्षों से लगातार गिर रही हैं। उनकी दु:खद स्थिति का लाभ उठाते हुए चाय बागानों के बड़े उद्योगपति उन्हें अपने उत्पाद बहुत कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर करते हैं।

इसी के साथ, छोटे चाय उत्पादकों की समस्याएं बहुत हद तक सुलझ जाएंगी यदि चाय उद्योग को कुछ छूट प्रदान की जाती है। चाय उद्योग को इस समय इसके इतिहास के सबसे कठिन दौर

से गुजरना पड़ रहा है। लगातार दो सालों से चाय उद्योग को इसी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो तत्काल राहत दी जाती थी वह है उत्पाद शुल्क को वापस लिया जाना।

महोदया, आपको याद होगा और माननीय वित्त मंत्री को भी याद होगा कि डा. मनमोहन सिंह, जब वे वित्त मंत्री थे उस समय भी यह उत्पाद शुल्क लागू था। परंतु उन्होंने उत्पाद शुल्क हटाकर चाय उद्योग को राहत दी थी और उद्योग कुछ सालों तक अच्छी हालत में रहा। परंतु पुनः उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। विगत तीन सालों से, उत्पाद शुल्क फिर से लगाया गया है। यदि यह शुल्क नहीं हटाया गया तो चाय उद्योग तबाह हो जायेगा।

महोदया, आपको पता ही है कि असम की अर्थव्यवस्था चाय उद्योग पर निर्भर है। यदि चाय उद्योग असफल हो जाता है तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं ये दो मामले माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं जो इस क्षेत्र के राजनैतिक स्थिति से जुड़े हुए हैं और पहले ही सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और मुझे पहले से ही लग रहा है कि शीघ्र ही सामाजिक तनाव की स्थिति और बिगड़ने वाली है। इसलिए, जब तक माननीय वित्त मंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम छोटे चाय उत्पादकों की कोई मदद नहीं कर सकते। इसी के साथ स्वयं चाय उद्योग भी गहरे संकट में है।

मैं विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं या पाबंदियों को समझता हूँ इसीलिए सरकार आयात की अनुमति दे रही है। परंतु मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम ऊंचा उत्पाद शुल्क लगाएं ताकि भारतीय चाय उद्योग के निर्यात पर होने वाली आमदनी प्रभावित न हो। यही मेरे विचार हैं और यही मेरे सुझाव हैं जो मैंने माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ रखे हैं। मेरा विश्वास है कि कम से कम इस बार वे इन मामलों को देखेंगे और समस्या का कोई समाधान खोजेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्य ने कुछ आंकड़े देकर सप्लीमेंटरी डिमांड्स के संबंध में इकोनोमिक स्लो डाउन के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं सबसे पहले केन्द्रीय सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि अगर विश्व के अन्य देशों के साथ भारतवर्ष की तुलना की जाये तो न केवल इस वर्ष हमने प्रगति की है बल्कि सरकार के पाजिटिव दृष्टिकोण के कारण गये वर्ष में जो निगेटिव अप्रोच चल रही थीं, इस साल वह पाजिटिव ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5 से 7 परसेंट तक हो सकती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री ने की है, उसके लिए भी मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने इकोनोमिक ग्रोथ के आंकड़े देने का प्रयास किया जबकि मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जापान 20वीं शताब्दी का सबसे प्रगतिशील देश माना जाता है, उसका ग्रोथ रेट 2001 में -0.5 परसेंट होने जा रहा है। अमरीका विश्व का सबसे समृद्ध देश माना जाता है, उसका ग्रोथ रेट 1.5 परसेंट रहा जिसे रिवाइज करके 1.3 किया गया है। यूरोपीयन कंट्रीज का ग्रोथ रेट 2.4 परसेंट था जो 33 प्रतिशत कम होकर अब 1.8 परसेंट होने जा रहा है। आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते समय सरकार को उन त्रुटियों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, यह सदन देश का सबसे सर्वोच्च स्थान है। अगर हम यहां इस प्रकार की बातें करेंगे तो देश की इकौनमी को क्या दिशा देंगे। वास्तविक आवश्यकता क्राइसिस आफ कांफिडेंस की है, जिस पद्धति से सरकार ने काम किया और हम धीरे-धीरे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ते-बढ़ते इस वर्ष के प्रारम्भ में आये तो विश्व बैंक ने कहा कि हमारा 5 परसेंट ग्रोथ होगा। अब वह कहने लगा है कि निवल विकास 5.7 प्रतिशत होगी। जापान में यह -0.5 प्रतिशत है और हिन्दुस्तान में यह 5.7 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री का अभिनन्दन करते समय यह भी कहना चाहूंगा और यह बात सही है कि बीते वर्ष में, इस सदन में बार-बार चर्चा हुई है, गये दशक में हमारे मित्रों ने कहा कि वे जो क्रान्ति लाये, उसका क्या परिणाम निकला। कृषि, ग्रामीण अर्थ नीति, ग्रामीण विकास में इनका चमत्कार था कि उन्होंने 1991 से लेकर इस प्रकार की अर्थ नीति अवलम्बित की है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ 7 परसेंट से नीचे जाते-जाते वर्ष 1997-98 और वर्ष 1999 में यह 0.7 प्रतिशत था।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रामीण भारत की ओर लक्ष्य केन्द्रित किया। उन्होंने यह कहा कि हिन्दुस्तान की अर्थ नीति, हिन्दुस्तान की पॉपुलेशन, हिन्दुस्तान का इम्प्लॉयमेंट ये सब ग्रामीण भारत की खेती पर निर्भर करता है और उसके कारण ग्रोथ रेट यहां से वहां जाता है। इनफ्लेशन के बारे में अगर हम बात करें-

[अनुवाद]

हम पूरे दशक की बात करते हैं। पूरे दशक में इसकी स्थिति क्या थी? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत वर्ष 1990-91 में हुई। उस समय मुद्रास्फीति क्या थी? मुद्रास्फीति के आंकड़े दहाई में थी। यह 10 प्रतिशत से अधिक थी। इस समय इसकी दर क्या है? यह 2.56 प्रतिशत है।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

यह बात सही है कि इस प्रकार की अर्थ नीतियां जो हमने अपनाई हैं उनके कारण सरकार का डैब्ट आज 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। साल का एक करोड़ रुपया तो हमारा ब्याज में चला जाता है। क्या हम इसका विचार नहीं करेंगे। वह सत्य है कि हम जब ग्रोथ, टैक्स और इनके बारे में बात करते हैं तो हमें इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्व व्यय पर ब्याज की अदायगी 28 प्रतिशत बनती है। इसमें मैंने राज्य सरकारों के आंकड़े नहीं लिये हैं। अगर हम राज्य सरकारों के आंकड़े लेंगे तो कहां के कहां पहुंच जायेंगे।

[अनुवाद]

राशि भुगतान का बड़ा भाग कर्ज और ब्याज की पुन: अदायगी से संबंधित है। कुल वृद्धि भुगतान में से 6,01,000 रु. जो कि 51 प्रतिशत है और 3,05,000 रु. यानि 16 प्रतिशत की राशि कर्ज और ब्याज की पुन: अदायगी में चली जाती है।

[हिन्दी]

यानि 67 परसेन्ट जो हमने कर्जा लिया है, उसे रीपेमेन्ट और इन्टरेस्ट में देते हैं। क्या वह कर्जा वर्ष 1998-99 में लिया गया, क्या यह एन.डी.ए. की सरकार बनने के बाद लिया गया। यह कर्जा किसने लिया, उन्होंने इस कर्ज में किसे डुबो दिया। हमने 1967-1987 और 1991 में इस प्रकार की अर्थ नीति अपनाई कि गांवों से कर्जा लो, खुद आराम करो, लेकिन उस पैसे का बोझ हमने भविष्य की पीढ़ी पर लादा है। इस प्रकार की अर्थ नीति हम चाहते हैं। हमने हिन्दुस्तान की जनता में वर्ष 1967 से 1987 में क्या बदलाव किया, हमने कहा संघर्ष करो, लड़ो, आगे बढ़ो। उसके बदले में अर्थ नीति ने देश को क्या दिया, मांगो, हाथ आगे करो और बस कुछ मदद के लिए रोते रहो। हमने संघर्ष के बदले में रोने की नीति इस देश पर थोपने का 1967 से 1991-92 में प्रयत्न किया। हमने प्रयत्न किया कि संघर्ष करके, मेहनत करे, पैसा कमाओ। कैपिटल इनवैस्टमैन्ट करो, उसके बदले में आराम करो, आगे और पैसा लेकर अपने बच्चों को जाते-जाते इस देश में 12 लाख करोड़ का कर्जा देते जाओ। यह नीति हमारी सरकार ने अपनाई थी और इसके लिए मैं इस सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। जी हां यह आर्थिक मंदी ही है। विश्व की अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर से गुजर रही है।

[हिन्दी]

लेकिन इस स्लो डाउन से हमारी सरकार किस प्रकार बाहर निकली। बजट में उस समय चर्चा कर रहे थे कैपिटल मार्केट क्राइसेज, यू.टी.आई. में क्राइसेज और जिस प्रकार यू.एस.-64 में एक अवस्था निर्माण हो गई थी, मैं उस पर चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि इसके बारे में सबको पता है, 1991 से 1995 तक जिस प्रकार से पब्लिक सैक्टर का इनवैस्टमैन्ट, पी.एस.यू. का डिसइनवैस्टमेन्ट किया, दस हजार करोड़ रुपये फाइनैंशियल इनस्टीट्यूट पर मारे, यू.एस.-64 में पांच हजार करोड़ का डिसइनवैस्टमेन्ट कराया और उसके कारण तीन हजार करोड़ का घाटा हुआ। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने सफलता के साथ यू.एस.-64 के क्राइसेज को पीछे धकेल दिया और दस रुपये की गारन्टी दी। पिछले छ: महीने में सिर्फ चार सौ करोड़ रुपया वापिस लेने के लिए लोग आये। लेकिन वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करने के साथ-साथ मैं उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं कि आपने यू.एस.-64 के क्राइसेज को बहुत अच्छी तरह से टेकल किया और अभी आगे भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। यू.टी.आई. के बारे में जब भी सदन में या सदन के बाहर चर्चा हुई है तो वर्ष 1989, 1991, 1992, 1993 या 1999 हो, मैंने हिसाब लगाया है।

[अनुवाद]

सेबी ने विभिन्न सरकारों के वित्त मंत्रियों को 28 बार लिखा है, चाहे वह श्री चन्द्रशेखर की सरकार हो, चाहे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, श्री एच.डी. देवगौड़ा हों या श्री आई.के. गुजराल की सरकार हो।

[हिन्दी]

हर समय कहा गया कि यूटीआई में गड़बड़ हो सकती है, यूटीआई में ट्रांसपरेन्सी नहीं है, यूटीआई की इंडीपेन्डेन्ट और आटोनॉमस अकाउंटेबिलिटी निर्माण करें। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार का समर्थन और पैकेज यूटीआई को दे रहे हैं, उसी समय पर यूटीआई का रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडीपेन्डेन्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सभी स्कीम्स सेबी के अन्दर आनी चाहिए। वास्तव में आपने जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स दी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वित्त मंत्रालय ने यूएस-64 के घाटे के संबंध में कोई प्रावधान क्यों नहीं बनाया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने जो कमिटमेंट किया है स्माल इनवैस्टर्स से कि आपके पास 3000 यूनिट होंगे, भले एन.ए.वी. 7 रुपये 8.5 रुपये या 9 रुपये हो लेकिन सरकार आपको 10 रुपये देगी अगर उसमें डैफिसिट आता है तो दूरदर्शी लेखापरीक्षक और दूरदर्शी वित्तीय लेखाकार, यदि घाटा होता तो उसके लिए प्रावधान बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी हमें क्लियर करें कि इसमें भले ही उन्होंने प्रोविजन न किया हो लेकिन 1 जनवरी के बाद जब एन.ए.वी. घोषित होगा, उसमें अगर डैफिसिट आता है तो उसके

लिए सरकार यूटीआई का समर्थन करेगी। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा।

मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उसी के साथ जो एमआईपी है, सभी मासिक आय योजनाएं सुनिश्चित आय योजनाएं हैं और 78 यूटीआई की स्कीम्स में से आधे से ज्यादा एनएवी माइनस में हैं। आपको इसके बारे में भी सोचना है। सप्लीमेंटरी डिमांड्ज के साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइनवैस्टमेंट की सप्लीमेंटरी डिमांड्ज रखी हैं, डिसइनवैस्टमेंट की प्रक्रिया को आपने गति दी है, लेकिन छोटे निवेशकों की ओर से एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पुनः एक बार निजी लारियों और निजी निविदाकार प्रचार कर रहे हैं कि डिसइनवैस्टमेंट में जिसका भी डिसइनवैस्टमेंट होगा, उसमें 20 प्रतिशत ओपन ऑफर का क्लाज होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी दूसरी कंपनी को टेकओवर करती है तो उनको स्माल इनवैस्टर्स के 20 प्रतिशत शेयर खरीदने पड़ेंगे। अभी प्राइवेट बिडर इस प्रकार की लॉबिंग करते हैं कि यह खंड वहां नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि स्माल इनवैस्टर्स के हित में वह क्लाज रहनी चाहिए। यही नहीं, उसका जो मिनिमम फ्लोर प्राइस है, छः महीने की एवरेज की जो सेबी की गाइडलाइन है, वही इंप्लीमेंट होनी चाहिए।

साथ में एक और विषय की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें उन्होंने एक और विषय रखा है पावर सैक्टर के बारे में। मैं जानना चाहूंगा कि पावर सैक्टर के बारे में एनरॉन अभी डीफॉल्टर हो रहा है, बैंकरप्ट्सी केस फाइल कर रहा है। एनरॉन को आई.डी.बी.आई. ने बहुत बड़ा कर्जा दिया है, उस कर्जे की रिकवरी का बकाया होगा। सरकार की एनरॉन के बारे में और पर्टिकुलरली फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में क्या नीति रहेगी? मैं समझता हूं कि आपने उस संबंध में सोचा है लेकिन सदन के द्वारा अगर जनता को पता चलेगा तो ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं एक छोटा विषय और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति जी, पृष्ठ 22 में, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की अनुपूरक मांगों के अंतर्गत 'एमपीलैड्स' के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि, 'यदि आवश्यकता हुई तो 150 करोड़ रु. की अतिरिक्त आवश्यक राशि दी जाएगी। परंतु नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है, जिलाधीशों के पास विभिन्न बैंक खातों में 1,700 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

मैं जब उस रिपोर्ट के और अंदर गया तो मुझे पता चला कि 1700 करोड़ रुपये में से 1300 से ज्यादा करोड़ रुपये 1996 के पहले के अनयुटिलाइज्ड हैं। सरकार यहां से पैसे भेज देती है, कलैक्टर के अकाउंट में वे पैसे जमा रहते हैं, लेकिन उसमें जो वर्क रेकमंडेड है, वर्क इंप्लीमेंटेड है, वर्क सजैस्टेड है और एक्सपेन्डीचर एक्चुअली इनकर्ड है, उसमें से 1700 करोड़ रुपये ड्यू है। यह पैसा एम.पी. को कलैक्टर उपलब्ध करके नहीं देता है। वह पैसा वहीं का वहीं बैंक में जमा पड़ा है। 1700 करोड़ रुपये छोटा अमाउंट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सीएजी द्वारा प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय से चर्चा करके जो वर्तमान एम.पी. हैं उनको वह पैसा वर्तमान कानून और रेगुलेशन्स के हिसाब से उपलब्ध करा देना चाहिए।

लेकिन सभापति महोदय, कलैक्टर करता नहीं और प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन डिपार्टमेंट उनको इंसिस्ट नहीं करता। इस प्रकार 1700 करोड़ रुपए, जिनका उपयोग देश के छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, बैंक में जाम होकर पड़े हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: किरीट सोमैया जी, उस धन को तो हम युटिलाइज कर रहे हैं। आपको गलत सूचना मिली है। धनराशि हमें दी गई थी। इसका हमारे राज्यों के मुख्य खातों में समायोजन किया गया है।

श्री किरीट सोमैया: महोदया, मैं बहुत विस्तार में गया हूं। महाराष्ट्र में जिलाधीश ने राशि देने से इंकार किया है और सभी जगह इंकार किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश और शायद, केरल सहित चार राज्य हैं।

[हिन्दी]

खाली चार राज्य ऐसे हैं, इन्क्लूडिंग आंध्र प्रदेश, केरल भी हो सकता है, जहां ये 1700 करोड़ रुपए पिछले पांच साल से, वर्ष 1996 से अटके पड़े हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक-दो और विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक चर्चा चली है और मेरा विषय इसी से संबंधित है जिसे बैकडोर टेकओवर कहते हैं। पिछले साल गुजरात अम्बूजा ने ए.सी.सी. को सिर्फ 14.5 प्रतिशत शेयर देकर टेकओवर कर लिया और इस महीने

[श्री किरीट सोमैया]

हमने देखा कि बिरला ने सिर्फ 10 प्रतिशत शेयर लेकर एल.आई.सी. को टेकओवर करने का प्रयत्न किया है। इसलिए, खुले सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना उन्हें निदेशक मंडल की सदस्यता कैसे मिल सकती है? एक ओर वित्त मंत्रालय कहता है कि सेबी जो स्माल इनवेस्टर्स की रक्षा करती है, लेकिन फिर 5 प्रतिशत शेयर के साथ बिरला को बोर्ड में डायरैक्टशिप नहीं मिल सकती। जब एल एंड टी का भाव 164 रुपए है, तो क्यों बिरला ने रिलाएंस को 306 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से दिए, जब ए.सी.सी. का भाव 106 रुपए था, जो गुजरात अम्बूजा ने क्यों 371 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से दिए? एक साल हो गया, सेबी कुछ नहीं बोल रही है और फायनेंस मिनिस्ट्री भी शान्त है। हमारे जो स्माल इनवेस्टर हैं उनको 20 प्रतिशत ओपन आफर मिलती है हम देने के लिए तैयार हैं। बिरला को 306 रुपए में शेयर क्यों दिए, ये जो कार्पोरेट हाउसेस हैं—श्री बिरला सेबी की निगमित प्रशासन समिति के चेयरमैन हैं। इस प्रकार से बैकडोर मैनुपुलेशन करता है और वित्त मंत्रालय शान्त है, फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन चुप बैठी हैं? क्यों यू.टी.आई. में 7 परसेंट के एल एंड टी शेयर बिरला को गए। आप इनके 306 रुपए के भाव को कम करते, यू.टी.आई. के 64-के स्माल इन्वेस्टर्स का फायदा होता। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय और संस्थानों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वह बिरला की एंट्री रोक सकती थी।

1989-90 में इसी प्रकार एल एंड टी के टेकओवर का बैकडोर प्रयत्न हुआ था। वित्त मंत्री यहां हैं। आपने शायद फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन्स को कहा था और एल.आई.सी. ने एक्स्ट्रा आर्डिनरी जनरल बाडी की मीटिंग का नोटिस देकर, उस समय बैकडोर टेकओवर को विफल किया था, निष्फल किया था।

महोदया, मैं अन्त में एक ही बात कहकर समाप्त करूंगा। वह यह है कि सिर्फ 15 दिन में 300 प्रतिशत, यानी तीन गुना भाव बढ़ा है। मैं चाहूंगा कि उस समय जिस प्रकार से भाव बढ़ रहे थे और हम कह रहे थे कि क्या यह रिपीट तो नहीं होगा। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि भले ही वह तेजी वाला ब्रोकर हो, लेकिन जो प्रमोटर के साथ मैनीपुलेट करके भाव ऊपर ले जाता है वह न सिर्फ छोटे इन्वेस्टर का नुकसान करता है बल्कि पूरे देश की इकनौमी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए तेजी वाला ब्रोकर हो या मंदी वाला ब्रोकर, दोनों की जांच होनी चाहिए।

अन्त में सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने सप्लीमेंट्री डिमांड के द्वारा अपना जो संकल्प पुनः दोहराया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि नई सदी में हिन्दुस्तान एक नई शक्ति बनकर उभरेगा, वह अवश्य पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 3.29 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, सामान्य बजट पर अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

इस अवसर पर मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा कुछ दिनों पूर्व दिए गए उनके भाषण के कुछ अंशों को इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहती हूं जो उन्होंने राजधानी में विश्व अर्थव्यवस्था मंच को संबोधित करते हुए कहे थे। मैं उद्धृत करती हूं:

> "हम चमत्कारिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। मैं आप सभी को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

उपाध्यक्ष महोदयः प्रो. प्रेमाजम, आपके दल के पास 11 मिनट का समय है मैं आपको केवल सावधान कर रहा हूँ।

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः जी हाँ, महोदय, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं निर्धारित समय-सीमा में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूं।

वास्तव में 'भारत की चमत्कारिक प्रगति' यह बात कहना और प्रतिनिधियों को बुलाना जिनकी संख्या 4000 थी और वे 28 देशों से आए थे, मेरे विचार से यह भारत के लोगों पर, जो अत्यंत गरीबी में रह रहे हैं किया गया एक दुःखद मजाक है। उन्होंने इन प्रतिनिधियों को 'निवेश का स्वर्ग भारत' में भागीदारों के लिए आमंत्रित किया था। मेरे विचार से जो लोग महानगरों में रहते हैं और जो विशेषरूप से आर्थिक क्षेत्र में विश्व के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ऊंचे मंच पर बैठते हैं, वे भारत के छोटे गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की तकलीफों को नहीं जानते। मैं यहां गांधीजी ने जो कहना था उसे और जिसे यहां कई बार दोहराया गया है कि भारत गांवों में बसता है, को उद्धृत नहीं करूंगी।

निःसंदेह, आशावादी होना अच्छी बात है, विशेषकर आर्थिक विकास और अन्य विकास के संबंध में जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। हमारे माननीय वित्त मंत्री बहुत आशावादी हैं और उन्हें सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत वृद्धि की आशा है। परंतु, जैसा कि चर्चा में भाग लेने वाले पहले वक्ताओं ने कहा कि हम भाग्यशाली होंगे यदि हम कम से कम 4.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर पाएं।

परंतु वास्तविक आधारभूत सच्चाइयां क्या है? आधारभूत सच्चाइयां, देश के आर्थिक परिदृस्य में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं की स्थिति या स्थान के आधार पर देखी जाती है। मैं कृषि क्षेत्र की बात करूंगी।

महोदय, चालू सत्र के दौरान, संपूर्ण देश के छोटे और सीमान्त किसानों और साथ ही कृषि कामगारों की दु:खद स्थिति पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वैश्वीकरण के कार्यान्वयन से जो साम्राज्यवाद का नया रूप है, ने वास्तव में भारतीय कृषि क्षेत्र को तबाह कर दिया है। यह हमारा अनुभव है। मुझे नहीं पता कि हमारे माननीय मंत्री व अन्य लोग जो इस पर आधिकारिक रूप से कार्य कर रहे हैं उनका इस संबंध में वास्तविक अनुभव क्या है। परंतु हमारा अनुभव यह है कि हमारी सभी नकदी फसलों और साथ ही खाद्यान्नों की कीमतें पूरी तरह से नीचे गिरी हैं। अधिकतर छोटे और सीमान्त किसान अपने आदानों को विपत्ति में बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ऋण की समस्या से भी जूझना है। इसलिए उनको अपने आदानों या कृषि उत्पाद की जो भी कीमत मिल रही हैं उसी कीमत पर बेच रहे हैं। केरल के संबंध में तो कम से कम यही मामला है; परंतु केरल में ही नहीं हमें दूरदर्शन और समाचार-पत्रों से भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केरल में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं।

वे अपनी जीविका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं यही वास्तविक सच्चाई है। यही स्थिति आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की है। इसका अर्थ हुआ, केवल आशावादी होने और सकल घरेलू उत्पाद में सात प्रतिशत की वृद्धि की कामना करना व्यर्थ है। केरल के मामले में सभी नकदी फसलों जैसे रबड़, नारियल, मसाले इत्यादि का मूल्य गिर गया है और किसान कुछ भी बेच पाने में असमर्थ है। ऐसा वास्तव में वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण है। वास्तव में यह उपनिवेशवाद का नया बाह्य रूप है। कृषि की पद्धति में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। खाद्यान्नों के उत्पादन के बजाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बड़ी मात्रा में जमीन अर्जित कर रही हैं अथवा खरीद रही हैं तथा वास्तव में वे खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिनका परंपरागत रूप से उन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता था। बल्कि वे लाभदायक उत्पादों की खेती कर रहे हैं। उदाहरणार्थ मत्स्य पालन काफी प्रचलित हो गया है। इसका अभिप्राय यह है कि इससे न केवल कृषि संबंधी क्षेत्र प्रभावित होगा बल्कि पीने के पानी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां तक साधारण ग्रामीणों का प्रश्न है, उन्हें पीने का पानी प्राप्त करने में भी काफी कठिनाई होगी। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हम आगामी वर्षों में बड़े पैमाने पर सामना करेंगे।

अब मैं उद्योग पर चर्चा करूंगा। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक तरफ उद्योग के मामले में सरकार विनिवेश पर कायम है। बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। परंतु वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तविक सच्चाई यह है कि दिन प्रतिदिन रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। जहां तक सरकारी सेवा का प्रश्न है कटौती और अनुकूलतम आकार जैसी नई शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है। वास्तविक रूप में इसका सरल अर्थ यह है कि सेवा पक्ष में बेरोजगारी बढ़ेगी। औद्योगिक और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। दरअसल बेरोजगारी से जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। वस्तुत: बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं नहीं जानता कि पिछले दस वर्षों के दौरान वैश्वीकरण और नई आर्थिक नीति से किस प्रकार विकास दर में सुधार हुआ है। इसे पिछली स्थिति की तुलना में सुधार अथवा वृद्धि कैसे कहा जा सकता है?

विनिवेश के संबंध में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा परंतु वास्तविक रूप से बड़े मुनाफे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी विनिवेश किया जा रहा है। जब हम इसका उल्लेख करते हैं, वे कहेंगे कि हम लाभ अर्जित करने वाले तथा घाटे में चल रहे उपक्रमों के बीच अंतर नहीं कर रहे हैं; यह एक आम नीति है और इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। यही स्थिति है।

औषधि निर्मात्री कम्पनियों को वास्तव में अनुपूरक अनुदान दिया जाता है। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., बंगाल इम्यूनिटी, स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल लि. जैसी कमपनियों को गैर-योजनागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक अनुदान अपेक्षित है। फिर भी हमें यह जानकारी मिली है कि सरकार ने बीआईएफआर को सूचित किया है कि वह इन कम्पनियों को आगे कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। पश्चिम बंगाल में स्थित बंगाल इम्यूनिटी नामक सार्वजनिक क्षेत्र की दवानिर्मात्री उपक्रम के मामले में सरकार ने बीआईएफआर को सूचित किया कि वह इस कम्पनी को समर्थन जारी रखने की इच्छुक नहीं है तथा कम्पनी को बंद करने की बीआईएफआर का कोई भी निर्णय सरकार को स्वीकार्य होगा। साथ ही साथ इस कम्पनी के लिए भी अनुपूरक अनुदान का अनुरोध भी प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा उल्लिखित दूसरी कम्पनियों का मामला भी ऐसा ही है।

महोदय, मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहती हूँ।

महोदय, इस वर्ष को 'महिलाओं का सशक्तीकरण वर्ष' घोषित किया गया है। मेरे द्वारा पहले उल्लिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में महिलाओं का सशक्तीकरण कैसे किया जा सकता है? जब सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों के परिणामस्वरूप लोगों को

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

नौकरियों से निकाला जा रहा है तो यह होता है कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में सबसे पहले छंटनी के लिए महिलाओं को चुना जाता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्हें केवल भीख ही मांगनी पड़ेगी। अब इस तीव्र वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब यह वैध पेशा बन गया है। अब उन्हें 'सेक्स कामगार' कहा जा रहा है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार खोने वाली महिलाएं इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश के लिए विवश हैं। समग्र रूप से यह राष्ट्र के लिए कलंक है। ऐसे समय में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि भारत चमत्कार करने जा रहा है तथा उन्होंने इस चमत्कार में शामिल होने के लिए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।

महोदय, कुछ भी हो, समय की कमी के कारण मैं उन पहलुओं का उल्लेख नहीं करना चाहती हूं जिसे इस सर्वोच्च सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा इरादा था।

डा. बी.बी. रमैया (एलुरू): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने आज अनुपूरक अनुदानों की मांगें इस सदन में प्रस्तुत हैं। यह आम प्रथा है क्योंकि बजट बनाते समय पूरे वर्ष की वास्तविक आवश्यकताओं को आंकना असंभव है।

महोदय, आज माननीय वित्त मंत्री ने 3,396.50 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की है जबकि वास्तविक व्यय 2205.23 करोड़ रुपए है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री जी ने भारी उद्योग विभाग के लिए भी धनराशि आवंटित की है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए 150 करोड़ रुपए तथा सरकारी क्षेत्र के एककों को ऋण के लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है। उर्वरक विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के लिए भी पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है।

इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि एमपीलैड योजना के अंतर्गत आबंटन के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। यह प्राय: कहा जाता है कि एमपीलैड में काफी धन है और उनका उपयोग नहीं किया जाता है। परंतु पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान जबसे मैंने इस समिति के अध्यक्ष का कार्य भार संभाला है। 3,500 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। यह योजना काफी लोकप्रिय हो गयी है। इसके लोकप्रिय होने का कारण यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में काफी रुचि ली है। हमने अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं तथा इसके कार्यान्वयन के संबंध में जिलाधीशों के साथ बैठकें की हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को भी समुचित रूप से सरल और कारगर बनाया गया है। माननीय सदस्यगण भी अब इसमें गहरी रुचि ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसकी महत्ता बढ़ेगी। एक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 50 से 80 लाख रुपए मिलते हैं परंतु इसकी तुलना में संसद सदस्य को कुछ नहीं मिलता है। यह दयनीय स्थिति है। इसलिए दूसरे ही दिन हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले तथा हमने उनसे इस बारे में अनुरोध किया। उन्होंने हमें ध्यानपूर्वक सुना तथा वे हमारी चिंता के प्रति काफी सहानुभूति रखने वाले लगे। अब केवल वित्त मंत्री जी को इस पहलू पर पर्याप्त विचार करना है। मैं आशा करता हूं कि वह इस पहलू पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रमैया, मंत्री जी भी संसद सदस्य हैं।

डा. बी.बी. रमैया: महोदय, हर कोई धनराशि की मांग कर रहा है। कई सदस्य एमपीलैड स्कीम में और राशि के आबंटन के प्रयोजन से माननीय अध्यक्ष महोदय से संपर्क कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया है तथा कुछ प्रतिबंध हैं और इसके कार्यान्वयन को भी प्रभावी बनाना होगा। इस धनराशि का उपयोग केवल परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है, क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए नहीं तथा इसमें कोई आवर्ती खर्च भी सम्मिलित नहीं है। यह एक बहुत अच्छी योजना है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस योजना का समर्थन करेंगे।

महोदय, मैं इस अनुपूरक मांग में उनके द्वारा सम्मिलित दूसरे प्रस्तावों पर भी प्रसन्न हूं। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में कुछ बातें उल्लिखित करना चाहता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन भी जांचाधीन है। सार्वजनिक क्षेत्र की कई अच्छी इकाइयां हैं परंतु वे किन्हीं वैध कारणों से आशा के अनुरूप निष्पादन में सक्षम नहीं हैं। हाल ही में मैंने एक इकाई का दौरा किया जहाँ वे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहे थे। मेसर्स तुंगभद्रा स्टील और मेसर्स भेल ने इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मेसर्स तुंगभद्रा स्टील का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तथा मेसर्स भेल का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि यद्यपि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है फिर भी वे इन सामग्रियों का उत्पादन नहीं करते हैं। इसलिए इन बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्यों के बीच एक प्रकार से समन्वय की आवश्यकता है। या तो उनको मिलाने की आवश्यकता है अथवा उनके बीच कुछ प्रकार के गठजोड़ की आवश्यकता है अन्यथा यह संभव नहीं है।

पुलों और छतों के संबंध में भी यही होता है। उन्हें सड़क निर्माण का अनुभव है इसलिए उन्हें अर्हता प्राप्त है जबकि इंजीनियर्स इंडिया लि. भवन निर्माण में सम्मिलित नहीं है इसलिए वे इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। यदि हम उन दोनों को नहीं मिलाते, तो वे इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे। इन दिनों सड़क निर्माण कार्यकलाप में अत्यधिक प्रसार हुआ है तथा इसमें लगभग 30,000-40,000 करोड़ रुपए लगेंगे तथा इसमें 10-15 वर्ष लगेंगे। इसलिए

इनके बीच कुछ सहयोग की आवश्यकता है। हमें उन्हें मिलाकर एक करना होगा तथा इस प्रकार हम काफी प्रगति कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के संबंध में शुल्क संरचना का मुद्दा विचारणीय है। कच्ची सामग्री जिसका विनिर्माण नहीं किया जाता है बल्कि इसका उपयोग फोटो फिल्म के लिए किया जाता है, पर शुल्क संरचना को काफी कम किया जा सकता है तथा मध्यस्थ उत्पाद जिनका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आयात किया जाता है, पर शुल्क डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा कम से कम निर्धारित स्तर तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उन्हें कुछ संरक्षण प्राप्त हो सके तथा हजारों करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए अद्यतन उपस्कर बेकार भी न पड़े। मेरा विश्वास है कि वह इन बातों को समझेंगे।

ऑटोमोबाइल उद्योग के मामले में हम इस उद्योग का विकास करना चाहते हैं। यदि हम पुराने कारों के मामले में उदारता की अनुमति दे देंगे तो हम इसका विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इन वस्तुओं पर भी कुछ संरक्षण चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जब वह आगे और विकास और प्रसार के लिए योजना बनाएंगे तब इन कारकों पर ध्यान देंगे।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के संबंध में उन्हें 2500 करोड़ रुपए चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह बजटीय सहायता है अथवा सड़क चुंगी; तथा माननीय वित्त मंत्री जी कृपया यह स्पष्ट करें कि यदि यह सड़क चुंगी है तो यह बजटीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। यह एक उत्कृष्ट योजना है। यह दूसरी योजनाओं को प्रोत्साहन देगा तथा यह दूसरी योजनाओं की सहायता भी करेगा। हमारे पास चावल, गेहूं और कई दूसरी सामग्रियां आवश्यकता से अधिक मात्रा में हैं तथा इन सामग्रियों का समुचित भंडारण सुविधाओं के जरिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हम इस संबध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा में असफल रहे हैं तथा यह एक अच्छी योजना है जिसका प्रस्ताव आया है। मैं इसके बारे में बहुत प्रसन्न हूं तथा मुझे विश्वास है कि वह इन योजनाओं में से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो। ऐसे मामलों में वित्तीय बाध्यता है; यदि हम अतिरिक्त सहायता देने में सफल रहें तो काफी कुछ किया जा सकता है।

शिक्षा के मामलों में उन्होंने यह नीति बना दी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। इसमें भी सहायता की आवश्यकता है। यह बहुत अच्छा विचार है कि अब जिन चीजें को शुरू किया गया है उनके लिए कुछ और अधिक धन की आवश्यकता है।

अपारम्परिक ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परन्तु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग का कहना है कि उनके पास धन का अभाव है और वे और अधिक प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं और बड़ी परियोजनाएं भी प्रारंभ नहीं की जा सकती। अब, जनता ने इस दिशा में काफी प्रयास किए हैं। अपारम्परिक ऊर्जा के लिए कृषि अपशिष्ट और बायोमास आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि माननीय वित्त मंत्री यह प्रयास करेंगे कि उन्हें निधियां आसानी से उपलब्ध हो सकें। पूरे देश के लिए समान नीति होनी चाहिए, ताकि वे परियोजनाओं में सहायता कर सकें।

मैं अन्य ब्यौरों को उठाना नहीं चाहता। बैंकिंग क्षेत्र में उन्होंने जो किया है वह अति उत्तम है। ब्याज दरें कम हो रही हैं। केवल इसी तरीके से वे विकास को बल प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद दर में भी वृद्धि होनी चाहिए। इनमें से कुछ लोगों ने दूसरे देशों के सकल घरेलू उत्पाद दर की वृद्धि का उल्लेख किया है किंतु वे देश पहले ही से इतने विकसित हैं कि उनकी एक प्रतिशत वृद्धि हमारे यहां की वृद्धि से अधिक कारगर होगी। किंतु हमें 6-7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएं और हम दूसरे पहलू भी ला पाएं जिनसे हम अपनी परिसम्पत्तियों का निर्माण कर पाएं।

अब मैं दूसरे पहलुओं पर भी आऊंगा। मैं महसूस करता हूं कि राज्यों का भाग 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। जब भी संभव हो वे ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार संभवत: राज्य भी अपनी स्थिति में कुछ स्थिरता ला पाएंगे।

आपदाओं का बार-बार घटित होना भी हमारे समक्ष एक समस्या है। सूखे, भूचाल या चक्रवात की स्थिति में केन्द्र सरकार से सहायता समय पर नहीं मिलती और जो सहायता मिलती है तो वह पर्याप्त नहीं होती। हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे विचार से, इन सबके लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए हमें योजना बनानी होगी। इन्होंने पहले ही बहुत अच्छा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

लघु उद्योग को भी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है; और उद्योगों की रुग्णता का भी ध्यान रखना होगा।

मुझे यकीन है कि माननीय वित्त मंत्री आगामी बजट में कुछ नए प्रस्ताव लाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने गांव में रहने वाले किसानों और मजदूरों की दशा की ओर ध्यान दिया होता तो अच्छा होता क्योंकि यह बजट गांवों के विकास के लिए नहीं है। आज गांवों में जितनी बेरोजगारी और परेशानी है कि उससे किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार सभी दुखी है। गांव का नौजवान जितना परेशान इस बार हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। आज किसान अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता, खाद खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं, सिंचाई के लिए वह पैसा नहीं दे पाता और पम्पिंग सैट लगाने के लिए उनके पास धन नहीं। वह अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा है। इस देश का गेहूं, आलू, गन्ना पैदा करने वाला किसान हो या अन्य कोई अन्न पैदा करने वाला किसान हो, वह बरबादी के कगार पर हैं। मजदूर बेरोजगारी से परेशान है। आज किसान के पास काम नहीं, इसलिए मजदूर भी परेशान है। खेत में काम नहीं हो रहा है। उसका अन्न नहीं बिक रहा है। यदि गांठ में जाकर देखें तो पाएंगे कि किसान के बच्चे के पास एक ही कपड़ा है। उसे या उसके बच्चे को यदि सांप काट जाये या बीमार हो जाए तो इलाज के लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं है। इस सर्दी में उस किसान की क्या हालत होती होगी जो रात में जाकर काम करता है। उस तरफ ध्यान देने की कोशिश की जाये।

यह सब माननीय वित्त मंत्री जी के राज में हो रहा है। आज का मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग सभी दुखी है। छोटे उद्योग-धंधों से लेकर बड़े उद्योगपति तक सभी परेशान और दुखी हैं। सरकार कहती है कि विकास दर बढ़ रही है लेकिन तमाम देश में मंदी का बाजार है। पूरे देश में रोजगार के अवसर समाप्त हो गये हैं। कहीं कोई नौकरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे। आपने पिछले दो-तीन सालों में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वे सारी बातें इस सदन के सामने रखें। जो शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए आपने कौन सी नीति बनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शिक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश के कितने लोगों को आप शिक्षित कर पाए हैं। आज इस देश में 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जब उनके बच्चों के लिए पहनने को कपड़ा नहीं, कापी-किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं, स्कूल भेजने के लिए खाना नहीं तो वो कैसे अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए टाट व कुर्सी, मेंज नहीं, मास्टर के लिए कुर्सी मेज नहीं और गांव में रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों के उत्थान के लिए आपने कोई काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सप्लीमेंटरी बजट को देखिये। इसमें कहा गया कि देश के 80 हजार गांवों में विद्युतीकरण किया जायेगा। मैं पूरे देश की बात नहीं करता, केवल अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में कहीं एक खम्भा लगा है तो कहीं दो खम्भे लगे हैं और कह दिया गया कि पूरे गांव का विद्युतीकरण हो गया। गांवों में किसान गरीब मजदूर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी लोग रहते हैं लेकिन गांव में विद्युत नहीं और वे सब परेशान हैं। हमने एक प्रश्न पूछा था कि आप 80 हजार गांवों की बात करते हैं लेकिन देशभर में 50 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में विद्युतीकरण नहीं है। यहां फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि यदि हम विकास दर 7 प्रतिशत प्राप्त कर लेगे तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20 प्रतिशत लोगों को ऊपर उठाने का काम करंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने गरीबी रेखा के नीचे 36 परसेन्ट किया है। आपने एक टारगेट निश्चित्र कर दिया है कि गरीबी की रेखा के नीचे एक करोड़ लोगों को रहना है या दो करोड़ लोगों को रहना है। आपने यह नहीं किया कि जो गांवों में रहने वाले गरीब हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, उनका सर्वेक्षण कराया जाए और उन सबकी गिनती गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों में की जाए। आपने एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि कितने परसेन्ट लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है और उसमें भी आपने ए.पी.एल. और बी.पी.एल. करके एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। लेकिन आज भी लोग भूखों मर रहे हैं। मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जिले में लोग भूखों मर जाते हैं। उसी तरह से देश के अन्य भागों में लोग भूख से मरे हैं। जबकि देश में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन किसान जो अन्न पैदा कर रहा है, उसका अन्न बिक नहीं रहा है। मजदूर और गरीब लोग खाने के लिए तबाह हैं। यह आपका रामराज्य है।

मैं देश की संसद के सामने बताना चाहता हूं कि आज सारा का सारा मध्यम वर्ग, चाहे वह नौकरी पेशा आदमी हो या कुछ और काम करने वाला आदमी हो, सब तबाह है। चाहे वह कर्मचारी या नौजवान हों, सारे लोग तबाह हैं। चाहे उसे आप दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये महीना दे रहे हों, लेकिन अगर वह मकान किराये पर लेकर रहेगा तो वह अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पायेगा। इस तरह से मध्यम वर्ग भी आपकी नीतियों के कारण पीड़ित है। मैं कहना चाहता हूं कि जो निचले

तबके के, मध्यम वर्ग के, किसान, मजदूर और गरीब लोग हैं, वे सभी दुखी हैं। आपकी नीतियों के कारण करोड़पति, अरबपति आपके साथ चलने वाले लोग सुखी हैं, आपकी पार्टी के साथ चलने वाले लोग सुखी हैं, जो इस देश को लूट रहे हैं, देश के गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, वे उद्योगपति आपके राज में सुखी हैं। अभी तक जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, जिनमें राहुल बजाज, टाटा, बिरला, रिलायंस आदि थे, वे सब भी अब आपकी नीतियों से दुखी हैं और वे आपकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब आप सावधान हो जाइये। आपको समझना चाहिए कि आप जनता परिवार में रहे हैं। आप चन्द्रशेखर जी के राज में वित्त मंत्री रहे हैं। उस समय आपने सोना गिरवी रखा था। मुझे खुशी है कि इस बार आप सोना गिरवी नहीं रख रहे हैं। लेकिन आज आप गांवों में चीनी कम दाम पर नहीं दे रहे है, मिट्टी के तेल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, खेती पर सब्सिडी हटा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, कर्मचारी या छोटे आदमी को देखना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि वह घर में बैठकर भीख मांगने का काम करे। लेकिन वह भीख किससे मांगने जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे गांवों में रहने वाले गरीब लोग हों, बेरोजगार लोग हों और चाहे अन्य दूसरे लोग हों, जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वे अकस्मात किसी बीमारी या अन्य किसी कारण से मर जाते हैं। आपने जनश्रुति बीमा योजना गांवों में चलाई है, उसके बारे में बार-बार अखबारों में प्रचार हो रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, कर्मचारी हैं, छोटे तबके के लोग हैं, वे बीमे की किस्त जमा नहीं करा पाते हैं, किसान किस्त जमा नहीं करा पाते हैं। जो लोग खाने के लिए तबाह हैं, वे सौ रुपया महीना कहां से जमा करायेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, प्राइवेट सैक्टर का आदमी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, आप उन सबको बीमा सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। यदि कोई आदमी मरे तो उसके परिवार के लोगों को कम से कम पचास हजार या एक लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन इसकी किस्त आपको जमा करनी चाहिए।

इनके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसका आपने बड़ा प्रचार किया है। लेकिन इस योजना में आपने निश्चित कर दिया है कि गांव में केवल दो आदमियों को ही इसकी सुविधा मिलेगी। जब कि वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले गांव में कम से कम पचास लोग मौजूद हैं। जिनमें आपने दो आदमियों के लिए यह सुविधा निश्चित की है। जिसके कारण गांव का प्रधान अलग से मुसीबत में फंस गया है कि वह किसका नाम भेजे, उसके लिए भी अलग से एक आफत आ गई है। इसी तरीके से आपकी और योजनाएं चल रही हैं। आप गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन कार्ड से वंचित कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री शांता कुमार जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को अन्न उपलब्ध करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि छात्रों, नौजवानों के लिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पर इतना नहीं बोलते।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं नया मैम्बर हूं। मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। आपने योजनाएं चला रखी हैं जिनमें ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना आदि हैं, लेकिन वे सब बेकार हैं, उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इन योजनाओं के तहत पचास हजार रुपये या दस हजार रुपये मिलते हैं। वह सब अधिकारियों को खाने-पीने का माध्यम बन गई है, सारा पैसा उसी में चला जाता है, किसी को इनके बारे में पता नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण योजनाएं चल रही हैं, उनको संगठित करके एक कर दीजिए जिससे ग्रामीण लोगों को मालूम हो कि कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको पैसा मिले। 20 हजार रुपये आवास योजना के लिए मिलता है, उसे एक लाख रुपया करें लेकिन जो आवास गांवों में अनुसूचित जातियों को दिया जा रहा है, उनको आवास के लिए रकम बढ़ाई जानी चाहिए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो उन लोगों पर टैक्स लगाइए जो बड़े-बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं। पूरा सदन और हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में हम सप्लीमेंटरी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा का मतलब यह है कि आज के बाद कल का दिन कैसे निकलने वाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेशनल लैवल पर हमारी इकोनॉमी किस स्तर पर है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, अमीरी और गरीबी के बीच फासला बढ़ रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम गरीबों को फूड सिक्यूरिटी

[श्री सुबोध मोहिते]

दे रहे हैं या नहीं, हैल्थ सिक्यूरिटी दे रहे हैं या नहीं इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अमरीका का ग्रोथ रेट यह है, जापान का यह है और चाइना का यह है और उससे हमारा थोड़ा कम है इसलिए हम बैटर हैं। सवाल यह है कि गरीबों को हम प्रोटैक्शन दे रहे हैं या नहीं, इस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि इंग्लैंड में ऐसा है, वैसा है। मैं चाहता हूं कि हम अपने आप में झांककर देखें कि हमने इंप्रूवमेंट किया है या नहीं। सबसे पहले हमें अपनी बात करनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री हैं। इतने क्राइसेस में भी उन्होंने स्थिति को संभाला।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज की जो इकोनॉमी है, यह अच्छी, बहुत अच्छी, सर्वोत्तम पर बहुत बुरा, इसमें से क्या है। इसका ऐनालिसेस करने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। जो वेरियस क्लिपिंग्ज मैंने लार्डिस से कलैक्ट की है, उसमें वेरियस इंस्टीट्यूशन्स का अनैलिसेस दिया है। उसमें प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया में अर्थशास्त्रियों ने बताया कि पिछले दो सालों के दौरान अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है। मैं आपको क्लिपिंग्ज दिखा सकता हूं। उसमें साफ साफ लिखा है। जब मैं चाह रहा हूं कि इकोनॉमी के सिम्पटम्स क्या है, अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? मेरा जो अनैलिसेस है यह, तीन 'सी'-कॉनसीक्वेन्स, कॉजिज और कन्ट्रोल पर आधारित है। मैं तीन सी की बात करने के लिए यहां आया हूं अर्थव्यवस्था तीनों 'सी' पर निर्भर करती है। पहला सी है कनसीक्वैन्स, उसके पांच इंडीकेटर्स हैं। ये हैं-राजस्व, व्यय, निर्यात, औद्योगिक विकास और सकल घरेलू विकास दर। यह अर्थव्यवस्था का परिणाम है। मैं यहां बात कर रहा हूं सप्लीमेंटरी बजट की। इसका मतलब है अप्रैल से अगस्त और अप्रैल से दिसम्बर। मेरे पास जो फिगर्स हैं अप्रैल से अक्तूबर की, उसका पहला इंडीकेटर बता रहा हूं, रेवेन्यू। जो पिछले साल रेवेन्यू था अप्रैल से अगस्त तक का, पिछले वर्ष की तुलना में यह 6.2 प्रतिशत कम हो गई है। जबकि हमारी पापुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और हमारा रेवेन्यू 6.2 प्रतिशत से नीचे जा रहा है। जब रेवेन्यू नीचे जा रहा है तो एक्सपेन्डीचर भी कंपरेटिवली नीचे जाना चाहिए लेकिन हमारा एक्सपेन्डीचर 13 पाइंट से ज्यादा जा रहा है। पिछले साल का एक्सपेन्डीचर 10400 करोड़ रुपये था लेकिन इस साल का 11800 करोड़ रुपये है। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी हमारा निगेटिव है।

हमारी निर्यात विकास दर अधोगामी है। यह माईनिस 2.3 प्रतिशत है। सवाल यह है कि जब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो इंटरनैशनल क्रेडिबिलिटी में हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि उद्योग अर्थव्यवस्था का इंजिन होता है। कैपिटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, कजूमर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसमें भी 61 प्रतिशत की कमी आई है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जी.डी.पी. है। जब हम फायनेंश्यल रिलेशनशिप और जी.डी.पी. की बात करते हैं जो 4.28 परसेंट है, वह लास्ट ईयर दो महीने में पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू विकास दर 28 प्रतिशत कम हो गई है और इस वर्ष में अभी दो महीने बाकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे सी पर आता हूं। मेरे तीन सी ही हैं। दूसरा 'सी' है कॉजिज अर्थात कारण कुछ कारणों की जानकारी होती है और कुछ की नहीं। कुछ नियंत्रित हो सकते हैं व कुछ गुप्त होते हैं। इसके काजिज क्या हैं, मैं आपको बताता हूं सबसे पहला काज मिस प्लेसमेंट प्रायर्टीज का है, जिसे दिया जा रहा है क्योंकि 80+20 के फार्मूले को अपनाया जा रहा है और जहां से 80 परसेंट रैवेन्यू आती है वहां 20 परसेंट कंसीडरेशन दिया जाता है तथा जहां से 20 परसेंट रैवेन्यू आती है वहां 80 परसेंट कंसीडरेशन दिया जाता है। 80:20 के सूत्र को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

बैंकिंग के रैवेन्यू रिसीट सैक्टर में कई प्रकार की कमियां और खामियां हैं। उसके ऊपर हमारा इफैक्टिव कंट्रोल नहीं है। उसकी मानिटरिंग पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ई.आर.सी. ने कहा है कि इकनौमिक रिफार्म्स करिए, वी.आर.एस. करिए। इन बातों पर ध्यान देकर हम पैटी एक्सपेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं।

मुझे माफ करिए-राजस्व विभाग में कदाचार में वृद्धि हुई है। यह एक सच है। मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे किरीट सोमैया जी ने बताया, यू.टी.आई. के चेयरमैन का क्या हुआ और सी.बी.डी.टी. के सम्माननीय चेयरमैन का क्या हुआ। सम्माननीय शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि उनकी कुछ इज्जत तो है। जो यू.टी.आई. के सुब्रहमण्यम जी हैं सी.बी.डी.टी. के चेयरमैन है और वर्मा जी हैं, इन तीनों ने, जो देश के टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने देश के करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया। वर्मा जी का केस आप सबको मालूम ही होगा। उन्होंने सरकारी मशीनरी और तंत्र को अपना निजी तंत्र बना लिया। उसमें कुछ महिलाएं, हमारी बहनें भी काम करती थीं। जो सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर थे, उन्होंने सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया। उसमें हमारे कुछ नामी-गिरामी व्यक्ति भी शामिल थे। मेरा निवेदन यह है कि जब स्ट्रैटेजी मेकर लैवल पर इतना इन्वाल्वमेंट है, जो आपरेशन लैवल पर रोजाना कितना करप्शन होगा, यह सोचने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है इनका सिलैक्शन किस तरह होता है, किस बेस पर होता है, आफ्टर सिलैक्शन उनकी

क्या कमिटमेंट होती हैं, क्या अंदर की लाबी काम करती है या बाहर की लाबी काम करती है। एक रुपए के फायदे के लिए, देश के 100 करोड़ का घाटा कर रहे हैं, यह सवाल यहां पर आना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गैर योजना व्यय में वृद्धि एक सामान्य चीज है। एग्रीकल्चर सैक्टर को इम्पोर्टेंस देने की बात कही गई थी। देखिए यह बड़ी मजेदार बात है और हिन्दू की क्लीपिंग मेरे पास है जो 6 सितम्बर, 2001 है। इसमें लिखा है कि जो ओरिजनल बजट बनाया गया उसमें एग्रीकल्चर को बूस्ट-आप करने की बात कही गई, लेकिन कुछ समय के बाद उसे चेंज कर दिया गया कि नहीं, एग्रीकल्चर के साथ-साथ पब्लिक इनवैस्टमेंट को बूस्ट-अप करने की बात कही गई। सवाल यह है कि जो फायनेंस मिनिस्ट्री छः महीने बैठकर लगातार बजट बनाने का काम करती है और पूरी मशीनरी उसकी इसी काम में लगी रहती है, उसे एक बात पर एम्फैसिस देने की बजाय, थोड़े-थोड़े दिनों के बाद अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना नहीं चाहिए। सरकार को असमंजस में नहीं रहना चाहिए। एक सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्या इस प्रकार से हमारा तीन महीनें में ड्रीम पूरा हो जाएगा-कहने का मतलब यह है कि ऐसा न किया जाए, यह मेरी रिक्वेस्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट पाइंट यह है कि फायनेंशयल मैनेजमेंट विद टाइम, यह सबसे पहली बात होनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमारे पास कितना फायनेंस है, हमारे पास कितना समय है, इन सब पर विचार कर ठीक प्रकार से मैनेज करना चाहिए। हिन्दी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि "दुर्घटना से देर भली", लेकिन महोदय, यहां तो देर भी हो रही है और दुर्घटना भी हो रही है। स्कैम पर स्कैम होते जा रहे हैं। हम केवल सो रहे हैं। समय-प्रबंधन में सुधार होना चाहिए

श्री किरीट सोमैया ने बहुत अच्छा प्वाइंट बताया था कि मैं श्री यशवंत सिन्हा को बधाई देता हूं कि उन्होंने यू.टी.आई. को पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन मेरा वित्त मंत्री जी से सवाल है कि क्या पोस्ट स्कैम को संभालने के लिए पोस्ट बनाई गई है? क्या यह पद घोटालों के बाद के संचालनों के नियंत्रण के लिए है। अगर इस टाइप का काम किया जाए तो मेरी रिक्वैस्ट है कि अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री को समय पर उद्देश्यों को पुनः प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी से चार सवाल पूछना चाहता हूं:

1. इकोनौमी के जो मेजर इंडीकेटर्स नीचे जा रहे हैं, वे और कितने नीचे जाएंगे और यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा?

2. क्या इस फाइनैंशियल ईयर में ऐसा कोई बड़ा स्कैम हुआ जो रोक दिया गया, प्रिवैंशन किया गया?

3. क्या स्कैम को ध्यान में रखते हुए ए.बी.सी. ऐनालेसिस के बेसिस पर किन्हीं एरियाज को आईडैंटीफाई किया गया है?

4. स्कैम रिपीट न होने के लिए क्या मंत्रालय के पास कोई टैक्स एंड बैलैंसेज हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ष बजट के बावजूद अनुपूरक अनुदानों की मांगें एक रिवाज बन गई हैं। होता यह है कि ये मांगें हमारे समक्ष आती हैं और हम इसे स्वतः ही पारित कर देते हैं। हमें खुशी है कि इस वर्ष वित्त मंत्री जी ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धन दिया है क्योंकि मेरे विचार से अब सांसदों को, आपकी हर चीज बिना दोष देखे पारित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो गया है।

मेरे विचार से सभी मंत्रालयों के लिए, विशेषकर वित्त मंत्रालय के लिए मध्यवर्षीय मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं। मैं तो यह कहूँगी कि जो हो रहा हमें उसका पालन करना चाहिए। हम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। हम, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को देखते हैं। एक दिन मुद्रा स्फीति में गिरावट आती है तो दूसरे दिन इसमें वृद्धि हो जाती है। कभी शेयरों के मूल्य गिर जाते हैं तो दूसरे दिन इनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। हम, असहाय माताओं द्वारा भोजन के बदले अपने बच्चे बेचे जाना देखते हैं बल्कि हम इस बारे में पढ़ते हैं। हम आत्महत्या कर रहे किसानों के बारे में पढ़ते हैं। हम छंटनी किए जाने वाले सरकारी विभागों को देख रहे हैं किंतु इसके साथ-साथ नए मंत्रियों को शपथ दिलायी जा रही और विभागों का सृजन किया जा रहा है। एक ओर, हम यू.टी.आई. घोटाला देखते हैं तो दूसरी ओर हम शेयर बाजार घोटाला देखते है। मैं आज उनके बारे में बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य हूं और मैं समिति तक आने वाली सूचना के विस्तार में न जाने की आचार संहिता से बाध्य हूँ। इसलिए मैं इन दो घाटालों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदयः उसकी यहां अनुमति नहीं मिलेगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वाः जी हां, उसकी यहां अनुमति नहीं मिलेगी किंतु सदस्यों ने इस विषय पर मेरे समक्ष बोला है किंतु फिर भी मैं संहिता का पालन करूंगी।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

खैर, मुद्दे पर आते हुए, मेरा यह कहना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बेचे जा रहे है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनरॉन अचानक दीवालिया हो गया है। अब ऐसे वातावरण में माननीय वित्त मंत्री जी, अति आशावान व्यक्ति भी चिंता में हैं। मेरे ख्याल से देश को स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण को में उद्धृत करती हूं।

> "प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज अर्थव्यवस्था में आई मंदी को अस्थाई बताया और यह वादा किया कि इसमें सुधार के लिए सरकार जल्दी ही कदम उठाएगी। उन्होंने आर्थिक नीतियों के नए आयाम की घोषणा की ताकि उसे गरीबों, ग्रामों और रोजगार समर्थक बनाया जा सके और उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक उपायों की भी घोषणा करी।"

मैं दोहराती हूं कि उन्हें गरीबों का, ग्रामों का और रोजगारोन्मुख होना नहीं चाहिए था। निश्चय ही उन्होंने कई चीजों के बारे में बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों और दूसरी कई चीजों के बारे में कहा लेकिन उन्होंने वादा किया कि स्थिति में सुधार किया जाएगा।

इसमें से कोई भी यह नहीं कह सकता है कि अगस्त से नवम्बर तक हमने कोई सुधारात्मक उपाय देखे हैं।

उन्होंने हर स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में कहा किंतु मैं बड़े ही खेद के साथ कहती हूं कि आज मैंने फ्लैक्स के प्रख्यात् श्री मिश्रा और श्री चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा है। जो व्यक्ति जांच कर रहा था, जो व्यक्ति प्रभारी था उसे बड़ी ही रूखाई से हटाकर वित्त मंत्रालय के लेखापरीक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। संयुक्त सचिव को जांच में दूसरे महत्वपूर्ण संपर्कों की जांच करनी चाहिए थी। यह केवल एक ही मामला है। मैं यह कहना चाह रही हूं कि आप गंभीर नहीं हैं। मैंने यह बार-बार कहा है कि

[हिन्दी]

आपका स्लोगन सब स्वदेशी है, काम पूरा विदेशी है।

[अनुवाद]

हर रोज हम 'अर्थव्यवस्था को खोलने', 'विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना' इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। मैं ऐसे केवल कुछ ही उदाहरण दे रही हूं जिनमें हम विरोधाभास देख सकते हैं। उदाहरण के लिए-ग्रामीण लोक। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना निवेश हो रहा है? एक ओर, राजसहायता वापिस ली जा रही है। किसानों के लिए हमने क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जो वितरित भी किए गए और इसके साथ-साथ स्थानीय बाजार आयातित वस्तुओं से भर रहे हैं। खाद्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। कई मौकों पर हमने उनसे झगड़ा किया है। आप जो भी सोचें उसी का आयात हो रहा है। फल से लेकर दूध तक और दूध उत्पादों से लेकर सभी प्रकार के अनाज तक, आप जो सोचें उसका आयात हो रहा है। दक्षिण में-कोई मेरे समक्ष बोला भी था-वहां भी, भले ही नारियल हो, सुपारी हो, रबर हो, चाय हो या कॉफी या आप जिस भी चीज का नाम लें सभी की कीमतें गिर चुकी हैं। लोग लगभग दिवालिए हो रहे हैं। किसान ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों द्वारा उन्हें रिशेड्यूल्ड नहीं किया जा रहा है। वे आत्महत्या कर रहे हैं।

सरकार गरीब ग्रामीणों और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्या कर रही है? ग्रामीण-उन्मुख होने के आपके यही नारे थे। मैं आपको आज की मुख्य समस्या के बारे में बताऊंगी। आप अपनी सभी घटनाओं को दोबारा अलग करें, उन्हें नए नाम दें या उन्हें फिर से लागू करें। एक दिन स्वर्ण जयंती थी। आज यह कुछ और हो गई है। अब आवास के लिए नया कार्यक्रम है। आप कार्यक्रमों को नया नाम देंगे और उन्हें फिर से लागू करेंगे। आप कार्यक्रमों को पुन: उन्मुख कर रहे हैं और उनकी घोषणा कर रहे हैं। किंतु मूल मुद्दा ग्रामीण जनता को लेकर है। सरकार का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। मैं ऐसी जगहों पर जा चुकी हूं। मैं एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से आई हूं। मैंने इस बारे में कई दूसरे लोगों से भी चर्चा की है। अभी तक आपका, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की सूची नहीं है। ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है।

हाल ही में, मेरे अपने राज्य में, हमने प्रशासन के साथ कड़ा मुकाबला किया। मापदण्ड बदल दिए गए हैं। जो फार्म बांटें जा रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूं। आप शायद यह कहें कि यह विकेन्द्रीकृत है और हर राज्य के अपने मानदण्ड हैं। मुझे नहीं पता कि क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए कोई राष्ट्रीय मानदण्ड है या नहीं। क्या आप प्रश्नावली के कुछ प्रश्न जानते हैं? क्या आपके पास घर है? क्या आपके पास टाईलों वाली छत है? आप किस प्रकार का भोज़ लेते हैं? यह सब ठीक

है। खराब क्या है? क्या आपके पास साईकिल है? क्या आपके घर में बिजली है?

सरकार की कई योजनाएं हैं। मेरे राज्य में आश्रय नामक योजना है, जिसके अंतर्गत बेघर व्यक्तियों को निशुल्क घर प्रदान किये जाते हैं। अत्यधिक कमजोर वर्गों के लिए ये एक छोटे कमरे के घर हैं किंतु एक बार घर मिलने के पश्चात कोई व्यक्ति बीपीएल सूची में नहीं रह सकता क्योंकि वे 'हां' पर सही का निशान लगाते हैं।

सरकार की एक योजना है 'नेरालू भाग्य' जिसके अंतर्गत फूस की छत है। उन क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष 1 हजार टाइलें दी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर की छतें टाइलों वाली हैं तो वह बीपीएल सूची में नहीं रहता। निर्धनता के आज आपके पास क्या मानदण्ड हैं

अब मैं आयकर पर आती हूं। यह ठीक है। आयकर बाकी परिधि में आप अधिक व्यक्तियों को लाना चाहते हैं। यह देश चूकें करता रहा है। मुझे खुशी है कि आपने कदम उठाए हैं। किंतु आपने ऐसे व्यक्ति को भी आयकर की परिधि में ला खड़ा किया है जिसके पास टेलीफोन है। ऐसे व्यक्ति को फार्म 2-सी भरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन मूलभूत आवश्यकता है। मैं ऐसे क्षेत्र से आई हूं जहाँ निर्वाचन क्षेत्र का 70 प्रतिशत भाग संरक्षित वन है। जंगल से हट कर वहां छोटी-छोटी बस्तियां हैं वहां संचार का एकमात्र माध्यम टेलीफोन या एसटीडी बूथ हैं। हम ग्रामीण विकास के नाम पर टेलीफोन लाईनों बेचने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रत्येक गांव में फोन उपलब्ध कराना श्री राजीव गांधी का स्वप्न था। आज, यदि आपके घर में टेलीफोन है तो आपको आयकर के लिए फार्म 2-सी भरना होगा। लोग पूछते हैं, फार्म 2-सी क्या है? उन्हें यह भी नहीं समझ आता कि जाना किधर है। उन्हें इसे भरने पर ही काफी पैसा खर्च करना पड़ता है और इसे फाईल करने के लिए भी उन्हें कहीं और जाना पड़ता है।

21वीं सदी में क्या टेलीफोन एक प्राथमिक आवश्यकता नहीं है? मैं, टेलीफोन को इस सूची से हटाने के लिए माननीय मंत्री जी से अपील करती हूं। इस सूची में आप विदेश यात्रा, क्लब की सदस्यता, कार इत्यादि को रख सकते हैं किंतु मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज जंगल में अनिवार्य साधन टेलीफोन रखने वालों पर यह समस्या न डालें।

अब मैं आपसे राजसहायता पर बात करूंगी। मुझे पता है कि किस प्रकार आपने किसानों और ग्रामीणों से हर चीज ले ली है। अधिकतर विकसित देशों में इसके आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं-खाद्य उत्पाद पर राजसहायता अभी भी एक बहुत बड़ा खेल है किंतु यहां राजसहायता के कारण खाद्यान्न सस्ता पड़ता है। यह यहां लाभदायक नहीं है क्योंकि आपने राजसहायता हटा ली है। आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चौपट कर दी है। परसों मैंने पढ़ा था, सरकारी आंकड़ों से यह पता चलता है कि खाद्यान्न की अधिकता के कारण आप उसे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य से भी कम मूल्य में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार, हमारी खराब व्यवस्था और भूखे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा कमजोर तबके के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में हमारी अक्षमता का लाभ कुछ विदेशियों को मिल रहा है।

मैं समझती हूं कि देश के गरीब लोगों को उनके हक से वंचित रखने, तथा सड़े-गले खाद्यान्नों के स्टॉक को निपटाने के लिए क्योंकि इन्हें नए अनाजों के साथ नहीं रखा जा सकता है, जो कुछ कोशिश की जा रही है, उसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि कुव्यवस्था एवं कुप्रशासन का परिणाम है। आज आप उन खाद्यान्नों को उन दरों से कम कीमत पर निर्यात करने जा रहे हैं जिन दरों पर ये खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुहैया कराये जा रहे हैं।

मैं मुद्रास्फीति के बारे में भी बात कर रही हूं तथा इसका जिक्र श्री किरीट सोमैया ने भी किया था। आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए वे हमें दोषी ठहराते हैं। कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है। खैर जो भी हो, यह अच्छी बात है कि कांग्रेस का जिक्र किए वगैर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता।

[हिन्दी]

कांग्रेस के बिना कोई सोच भी नहीं सकता, प्लान भी नहीं कर सकता, शायद सो भी नहीं सकता, क्योंकि हरेक ने कांग्रेस का नाम लेना है। जो लोग यहां से वहां गए हैं, उनमें से ज्यादातर में कांग्रेस का कल्चर अभी भी है।

[अनुवाद]

किन्तु, मैं आपसे एक बात बता रही हूं। उन्होंने वर्ष 1991 में दस प्रतिशत मुद्रास्फीति का जिक्र किया। हम वर्ष 1991 में सत्ता में आए और उस समय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मैं भी उनकी सरकार में शामिल थी। हमें पता है कि उस समय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा उसे पटरी पर लाने में तीन वर्षों का समय लगा।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

आपको इसके बारे में पता है, आप वित्त मंत्री है तथा उस वक्त भी आप संसद सदस्य थे। डा. मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन प्रधान को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ा। अपने शासन के अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हमने सात प्रतिशत विकास दर दिखाया। पिछले तीन वर्षों के दौरान जो आर्थिक परिदृश्य रहा है उसके बारे में दो पंक्तियां पढ़ती हूं। यह "द हिन्दू बिजनेस लाइन" से है जिसमें कहा गया है:

> "यद्यपि सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आठ प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने की योजना बना रही है केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वर्ष 2000-2001 के लिए पूर्व अनुमानित 6 प्रतिशत की विकास दर के स्थान पर 5.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है।"

आप 6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। आपने इसे कम कर दिया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान विकास दर 6.4 प्रतिशत रही। किन्तु अब इसमें अधोगामी कमी आ रही है। चूंकि समय नहीं है, अतएव मैं और अधिक नहीं पढ़ूंगी।

मैं, सिर्फ उन विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) के बारे में कुछ कहूंगी जिनके बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, विनिर्माण, विद्युत, निर्माण, यातायात, होटल, वित्तपोषण, सामाजिक सेवाएं आदि में गिरावट देखी गयी है। आंकड़े गिरावट की प्रवृत्तियां दर्शाते हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहती; इनका "द इकॉनामिक टाइम्स" में जिक्र किया है। मेरे पास तत्संबंधी पूरा चार्ट है। यह वर्तमान आर्थिक परिदृश्य है।

मैं ईमानदारी से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि आखिर आज भारतीय उद्योग में मंदी आने के क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

आप दुनिया में जो भी होता है, उसका कारण 11 सितम्बर बताया जाता है। उसके बाद यहां ट्यूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री गई, यह हो गया, वह हो गया।

[अनुवाद]

जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण कई अन्य देश आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि भारत के पास दृष्टि और साहस होता तो यह विश्व के कई भागों में पैदा हुए शून्य को भर पाने में समर्थ होता क्योंकि हमारे पास जन-शक्ति और संसाधन दोनों है। आप अवसंरचनात्मक विकास, उद्योग तथा मुख्य क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने के बजाय विदेशी निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है?

महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे पास ऐसे अनुरोध है । खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में विभिन्न फेडरेशनों द्वारा आपके पास भेजे गए हैं। आश्वासन दिया गया है कि हम इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं देंगे। परन्तु मंत्रियों के समूह को भेजे गए एक कैबिनेट नोट में, खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने की बात कही गयी है। सैकड़ों वर्षों से देश में फुटकर व्यापारियों द्वारा किये जा रहे फुटकर व्यापार को आप बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। इन कम्पनियों में से कुछ ऐसी है जिनका बजट तथा कारोबार कुछ देशों की सकल राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। आप उन्हें इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करेंगे। आपके घरेलू उत्पादक तथा लघु उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे। आपका घरेलू व्यापार नष्ट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? काफी संख्या में आने वाली विदेशी कम्पनियां जो अपनी इच्छा के अनुसार सामान बेचेंगी तथा अपने सामानों के लिए मांग पैदा करेंगी जिससे विश्व के अन्य भागों की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। भारतीय लघु उद्योगों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप भारतीय कृषि को नहीं बचा सकते। आप सेवा क्षेत्र को भी संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। जहां तक मैं समझती हूं पिछले साल इसमें 11.7 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत की कमी आई। प्रत्येक क्षेत्र का यही हाल है क्योंकि हम हर तरह से इन्हें विदेशी निवेश के लिए खोल रहे हैं तथा हम इतिहास के इस सबक को भूल गए हैं कि पश्चिम से हमारे मित्र यहां व्यापार करने आए और हमारे शासक बन बैठे।

चूंकि विदेश मंत्री से इस संबंध में अपील नहीं की जा सकती अतएव वित्त मंत्री से क्षमा मांगते हुए मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे इन मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में देखें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस के निवासी आने वाली कई पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूर ही बनकर न रह जाएं क्योंकि प्रत्येक विकास कार्य के लिए ऋण के रूप में धनराशि वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. तथा अब ए.डी.बी. से ली गयी है। कोई भी व्यक्ति हमें प्यार में पैसा नहीं दे रहा है बल्कि इसलिए दे रहा है वह इससे भी अधिक वापस ले सके। इसकी अदायगी कौन करेगा? हमारे बजट का 50 प्रतिशत से भी अधिक मांग ऋण अदायगी, ब्याज तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यय होता है। यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी हम ऋण ले रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हम ऋण ले रहे हैं। हम इस देश की भावी पीढ़ियों को कर अदायगी के सम्पूर्ण बोझ और इसके प्रभार (सर्विसिंग) से जकड़ रहे हैं।

मैं एक बात पर और प्रकाश डालना चाहती हूं इसका कारण है कि यदि मैं इसका जिक्र नहीं करूंगी तो मैं अपने कर्त्तव्य से वंचित रह जाऊँगी। यह मुद्दा खादी और ग्रामीण उद्योग से जुड़ा

हुआ है। यह महात्मा गांधी का स्वप्न था। मैं सत्तापक्ष की अपनी युवा सहयोगी इसकी प्रभारी मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को बधाई देती हूँ जिन्होंने खादी और ग्रामीण उद्योग को पुनर्जीवित करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने हेतु अनेक अच्छे कार्य किए हैं। मुझे बताया गया है कि उन्हें इस विभाग से हटा दिया गया है तथा उनके स्थान पर किसी और की नियुक्ति की गई। मेरे विचार से इससे अहित ही होगा। खादी को लोकप्रिय बनाने के संबंध में उनका एक अपना दृष्टिकोण था। किन्तु मैं यह बताना चाहती हूं कि अधिसूचना के संबंध में एक समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित खादी ग्रामीण उद्योग को कर अदायगी में छूट प्राप्त है। आपको कर नहीं देना पड़ता। किन्तु किसी ऐसी एक इकाई की स्थापना होने के पश्चात, जबकि महिलाएं अपना संगठन बना लेती हैं, निर्धारित सीमा को पार करते ही इसके बंद होने की नौबत आ जाती है। होता यह है कि जनसंख्या बढ़ जाती है और क्षेत्रीय राजस्व विभाग इसे शहरी क्षेत्र घोषित कर देता है और इसके ठीक बाद आप उन पर कर लगा देते हैं। इन लोगों ने अपने बचाव के लिए काफी संघर्ष किया है, एक बार जब कोई कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया जाता है तो सिर्फ इसलिए कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वह क्षेत्र शहरी क्षेत्र घोषित हो चुका है परन्तु इन गरीब महिलाओं और ग्रामीण लोगों को प्राप्त होने वाले सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस पर भी पुनर्विचार करें। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे उद्योग के स्थापित होने के दस बारह वर्षों के बाद उस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद यदि ऐसे ग्रामीण खादी उद्योग बने रहने की स्थिति में हों। उन्हें पहले से दी जा रही सुविधाओं/लाभों को जारी रखना चाहिए। सरकार को यह कार्य अपवादस्वरूप करना चाहिए क्योंकि इस उद्योग में अधिकांश महिलाएं है जो अपने हाथों से ऐसे सामान तैयार कर रही हैं जिस पर भारत गर्व कर सकता है तथा जिसके सामने कोई भी डब्ल्यू.टी.ओ., अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उद्यम नहीं टिक सकता है। क्योंकि ये आपके पारंपरिक शिल्पकारों और उत्पादकों के हाथ हैं जिनके द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की नकल कोई मशीन नहीं कर सकती। मैं आपसे इन परम्परागत उद्योगों और इनमें कार्य कर रही संघर्षरत महिलाओं और गरीबों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुरोध करती हूँ।

मुझे पता है, मेरे पास समय की कमी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप 19 मिनट पहले ही ले चुकी हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आपने मुझे 20 मिनट का समय दिया है। इसलिए, अपनी बात समाप्त करने के लिए मेरे पास एक मिनट और है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको 18 मिनट का समय दिया गया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: वित्त मंत्री ने एक करोड़ नौकरियां प्रदान करने का वचन दिया है। लेकिन सभी कम्पनियां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से अपने-अपने उद्योगों को बंद कर रही हैं। इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। आज सभी लोग सरकार का आकार छोटा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार को अपने इस गठबंधन के सभी मंत्रियों को पद देने के लिए अनेक विभाग रखने ही होंगे। सभी के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। मैं आपकी समस्या को समझती हूँ। मैं कार्मिक मंत्री थी। मैंने इसके लिए प्रयास किया था। जितने पदों को मैंने घटाना चाहा मेरे पीछे परामर्शदाता, सेवाकाल में वृद्धि व अन्य किसी न किसी नाम पर उतने ही अधिक पद सृजित किए गए हैं। इसलिए मैं समस्या से वाकिफ हूँ। अलबत्ता, मैं आशा करती हूँ कि भगवान और सरकार में आपके सहयोगी सरकार को छोटा करने के इस निर्णायक सुधार को कार्यान्वित करने में सहायता करें। जिस काम को एक आदमी कर सकता है उसे आज चार व्यक्ति कर रहे हैं। यदि सरकार में अधिक से अधिक महिलाएं हों, तो सरकार के विभाग अधिक दक्ष होंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप सुधारों को वरीयता दें, इससे भारत का कोई अहित नहीं होगा।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी जबकि मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी किश्त के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ तो मुझे पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को लाल किला की प्राचीर से दिए गए दार्शनिक एवं प्रसिद्ध भाषण की याद आ रही है। उन्होंने राष्ट्र को बताया था कि हमारा भाग्य से साक्षात्कार हुआ है। निश्चित तौर पर भाग्य से साक्षात्कार ही था, एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा आत्म-संकल्प हमें अपने अनुभवहीन लोगों के साथ एक अनजाने और अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाने वाला था। इसके बावजूद हम खुश थे, किन्तु हमारी यह खुशी और उल्लासोन्माद क्षणिक था क्योंकि इससे निराशा ही हाथ लगी तथा इसके बारे में भ्रम टूटने के बाद भीषण गरीबी की स्थिति पैदा हुई। वर्षों बीतने के पश्चात् भी भीषण गरीबी के कारण करोड़ों भारतीयों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों से निजात पाने में हम सफल नहीं हो सके।

जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पिछले तीन सालों से की जा रही कोशिशों एवं सफलतापूर्वक उठाए जा रहे कदमों के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देता हूं। भारत के प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी ने

[श्री अनादि साहू]

15 अगस्त, 2001 को लाल किला के प्राचीर से यह घोषणा की कि भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक होगा। यह विश्व के दस तीव्रतम गति से विकास करने वाले राष्ट्रों, अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने गरीबी व ग्रामीणपरक आर्थिक नीति की घोषणा और इसी उद्देश्य से नए कदमों की घोषणा की गयी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, बाल्मीकि मलिन आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और कई अन्य योजनाओं के रूप में इस दिशा में की गई। इसके अलावा लाल किले की प्राचीर से घोषित की गई इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक त्वरित कार्यबल का गठन किया गया। इससे यह इंगित होता है कि भाग्य से साक्षात्कार के बाद अब भारत समृद्धि के दौर में जा रहा है। समृद्धि प्रचुरता का प्रतीक है। प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2001 को इसी ओर संकेत किया था। समृद्धि के प्रतीक प्रचुरता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह घोषित कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन से ही संभव है।

माननीय वित्त मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी मेहनत की है। इन द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया गया है कि हम गरीबी का उन्मूलन करें और पिछले अनेक वर्षों से व्याप्त सभी प्रकार के कुशासन को, जो देश के लिए चिंता का विषय रहा है, समाप्त करें।

मैं ऋण, इक्विटी, विश्वव्यापी मंदी और वित्तीय प्रबंधन की बात नहीं करूंगा। इन मामलों पर उस समय बहस की जा सकती है जब माननीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा वर्ष 2002 में अगला बजट प्रस्तुत करेंगे। इन मामलों पर उस समय बहस की जा सकती है। हम गरीब, दलित और वंचित लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के विषय में बहस करना चाहते हैं। हमने खाद्यान्नों के मामले में सफलता प्राप्त की है। लगभग 209 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। हमारे पास 65 लाख टन का सुरक्षित भण्डार (बफर स्टाक) है जो किसी भी समय आवश्यकता होने पर हमारे काम आ सकेगा।

अब, मैं अतिरिक्त अनुदान से संबंधित तथ्यों की बात करूंगा जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने पहले पृष्ठ पर ही उन सभी 31 मदों का उल्लेख किया है जिनके लिए 3,396 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इनके लिए मात्र 1371 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है जो बहुत अधिक नहीं है। यह सच है कि सितम्बर, 2001 तक 57,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है लेकिन इसके बावजूद यह प्रशंसनीय है कि उक्त अवधि में गैर-ऋण राजस्व 32 प्रतिशत से अधिक रहा है। इसका अर्थ है कि राजस्व में वृद्धि हो रही है। इस बात को ध्यान में रखकर और कुछ मदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके माननीय वित्त मंत्री ने 1371 करोड़ रुपये दिये हैं ताकि गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रमों को जारी रखा जा सके।

सबसे पहला कार्यक्रम 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम है। बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था और लगभग 5000 वर्ष पहले मुण्डक उपनिषद में कहा गया है? अन्नान, भूतानी जायन्ते, जातानी अन्नेन वर्धन्ते।'' इसका अर्थ है ''मानव को भ्रूणावस्था में भी भोजन की आवश्यकता होती है; जब बच्चा पैदा होता है उसे भोजन की आवश्यकता होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है।'' आपको गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त भोजन देना होगा। इसलिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोजगार आश्वासन योजना के अधीन 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी चलाई गई है जिसका उल्लेख लाल किले के प्राचीर से नयी पहल के रूप में किया गया और 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चलाया गया है।

यह सच है कि राज्यों को जो धन दिया जा रहा है उसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। कार्यान्वयनकारी एजेंसियां धन का समुचित उपयोग नहीं कर रही, जबकि केन्द्र सरकार धन मुहैया कराती रही है। चूंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार खोजने के लिए जाते हैं इसलिए अब पंचायतों को काम के बदले अनाज के अंतर्गत 20 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है ताकि लोगों को अपने घरों से दूर न जाना पड़े। माननीय मंत्री ने इसको दो वर्ष पहले ही लागू किया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लोग अपने निवास स्थानों से अन्य स्थानों को रोजगार की तलाश में न जायें। मेरे राज्य से लोग मुम्बई और अरुणाचल प्रदेश काम खोजने जाते हैं, लेकिन अब हमें किसी परेशानी से बचने के लिए अतिरिक्त निधि मिल रही है। इन चारो कार्यों के लिए 1,300 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। यह नई पहल है। मैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका संबंध योजना द्वितीय अनुपूरक अनुदान से नहीं है। इस कार्यक्रम से भारत का एकीकरण किया जा रहा है। एक तो शंकराचार्य थे जिन्होंने चार धाम बनाकर भारत को एक किया था। अब, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने सड़कों द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के बारे में सोचा है। जैसाकि मैंने कहा, कि मैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करने में ज्यादा रुचि है।

इसकी शुरुवात ग्रामीण सम्पर्क परियोजना के रूप में हुई थी और अब इसने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का रूप ले लिया है जिसमें एक हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए निधि दी जा रही है; इस समय 2,500 करोड़ रुपये दिये गये हैं। बाद में यह धनराशि बढ़ायी जायेगी लेकिन इस कार्यक्रम में एक दोष है। जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, उसकी यह समस्या है कि अनुसूचित क्षेत्र, जो अधिकांशतः दक्षिण उड़ीसा में है, मैं जनजातीय लोग हैं यही बात असम, मेघालय और अन्य किसी राज्य के बारे में भी है।

महोदय, जनजातीय क्षेत्र उबड़-खाबड़ हैं-और वहां जल संग्रह की व्यवस्था, वाटरहोल नहीं है, छोटी-छोटी बस्तियां हैं। किसी बस्ती में 200-300 से अधिक लोग नहीं हैं। यदि हम 1000 लोगों की बस्ती की सीमा रखेंगे तो इनका सड़क से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा।

महोदय, आपने कहा है कि 2003 तक 500 लोगों की आबादी वाली बस्तियां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन आ जायेंगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से, और आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसी गांव तथा किसी बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या में कमी की जाए ताकि सड़कों से सम्पर्क का कार्य तेजी से चल सके। मुझे विश्वास है कि सड़क से सम्पर्क हो जाने पर खाद्यान्न की आवाजाही शुरू हो जायेगी और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर, सफालगुडा के एक गांव का उदाहरण देता हूं जहां कुपोषण के कारण पांच व्यक्ति मर गये। मुझे उस स्थान तक जाने में 14 कि.मी. चलना पड़ा। उस गांव के सर्वाधिक नजदीक ग्राम पंचायत का मुख्यालय 14 कि.मी. दूर है। अतः मुझे नहीं मालूम आप अगले दस वर्षों में गांवों को सड़क से कैसे जोड़ पायेंगे क्योंकि किसी गांव में 150 लोग हैं, उसके पास वाले गांव में 100 लोग हैं और उससे बगल के गांव में 50 लोग हैं। अतः, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए संख्या के मानक को घटाया जाए और अधिक निधि दी जाए। लेकिन यह निधि उन्हें इस प्रकार दी जाए, जिससे कि सभी लोगों को लाभ मिल सके।

महोदय, मैं वित्त मंत्री और सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने गीता कृष्णन समिति के प्रतिवेदन को शीघ्रतापूर्वक लागू करने के लिए कदम उठाये हैं। यह सच है कि सरकार अधिक धनराशि व्यय करती रही है और इसलिए खर्च को घटाए जाने की आवश्यकता है। यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार के ऊपर बोझ हैं। इसलिए विनिवेश की शुरुवात हो गई है और विनिवेश के साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शुरुवात हो गई है।

महोदय, द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर सरसरी दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए मुख्य बजट में किए गये निधि प्रावधान के अतिरिक्त, इसके लिए 221.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजनार्थ और निधि दी जानी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को अविलम्ब सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए ताकि राजकोष पर व्यय का अनावश्यक भार न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री साहू, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के कई वक्ता बोलने के लिए हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं केवल दो-तीन मिनट और लूंगा।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने शहरी गरीबों, स्लम निवासियों के बारे में एकदम नहीं सोचा है। बाल्मीकि आवास योजना शुरू करके इस दिशा में एक उचित पहल की गई है। यह एक नई पहल है और जैसा कि मैंने कहा कि धन की कभी कमी नहीं आयेगी। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के बारे में पहले नहीं सोचा गया। अब इनके बारे में सोचा गया है और वित्त मंत्री ने इस अनुपूरक अनुदान में 100 करोड़ रुपये दिये हैं। लेकिन इस व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पृष्ठ 11 का अवलोकन करें जहां किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा बचत किये जाने की स्थिति में भी विदेशी यात्रा हेतु कुछ राशि मंजूरी किए जाने का उल्लेख किया गया है।

मुझे यह नहीं मालूम और मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जब एक विशेष विभाग स्वयं बचत करता है तो उसके लिए विदेशी यात्रा हेतु अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था क्यों की जाये। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) और फारवर्ड मारकेट्स कमीशन (एफएमसी) को विदेश यात्रा के लिए धन दिया गया है। मेरे विचार में यह इस व्यवस्था में दोष है। निस्संदेह इस मामला पर स्वयं वित्त मंत्री द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे पास समय नहीं है और चूंकि आपने घंटी बजा दी है। इसलिए मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आपकी पार्टी के लिए कुल मिलाकर 6 मिनट हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, हम देश के करोड़ों गरीबों का सवाल उठाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: गरीबों का सवाल जरूर उठाइए, लेकिन समय का ध्यान रखिए और 6 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो सप्लीमेंट्री डिमांड 3,396,88.5 करोड़ रुपए की प्रस्तुत की गई हैं मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने देखा है 127 नंबर डिमांड में बिहार का जिक्र नहीं है। बिहार का जब बंटवारा पिछले साल 15 नबंवर को हुआ और बंटवारे के समय इसी सदन में कहा गया था कि प्लानिंग कमीशन में एक विशेष सैल बनेगा जो इस बात को देखगा कि बंटवारे के कारण बिहार को कितना आर्थिक नुकसान हुआ और उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन महोदय देखा जा रहा है कि एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले बिहार को रैवेन्यू से दो-तिहाई आमदनी झारखंड से थी जो अब एक तिहाई रह गई है जब कि खर्च दो-तिहाई बिहार की तरफ आ गया है और झारखंड की तरफ एक-तिहाई चला गया है। इसके लिए हम सब लोगों ने, सभी पार्टियों के सांसदों ने प्रधान मंत्री जी को रिप्रजेंट किया और प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्या आपकी वित्त मंत्री जी से बाचतीत नहीं हुई? उन्हें वित्त मंत्री जी से बात करने की बहुत जिज्ञासा थी। आज वित्त मंत्री जी यहां विद्यमान हैं, साल भर से ज्यादा समय बीत गया, पिछली 15 नवम्बर से इस वर्ष की 15 नवंबर तक एक वर्ष और अब दिसंबर आरंभ हो चुका है। इस प्रकार से एक वर्ष से भी ज्यादा समय बीत गया, लेकिन एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला है।

महोदय, बिहार को आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई। बिहार विधान मंडल ने सर्वदलीय और सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था कि बिहार को बंटवारे के कारण जो घाटा हुआ है, उसके कारण उसे 1,79,800 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन एक पैसा भी नही दिया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। हिन्दुस्तान की आबादी का दसवां हिस्सा झारखंड और बिहार है और जब देश की तरक्की के लिए धन का बंटवारा हो रहा है, तो बिहार का हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो ज्ञापन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि बिहार के 22.5 हजार करोड़ रुपए के कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। वह इसलिए कि अन्य राज्यों के कर्जे माफ किए गए हैं। पंजाब का कर्जा माफ किया गया है। पंजाब को आर्थिक पैकेज दिया गया है, लेकिन बिहार का न कर्जा माफ हो रहा है और न आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। इस प्रकार से बिहार के साथ सरकार गैर-इंसाफी हो रही है।

महोदय, सातवीं, आठवीं और नौवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार राज्यों की जो छोटे आकार की योजना बनी, उसमें एग्रीकल्चर के हिस्से को देखा जाए, जिसके फार्मूले के आधार पर योजना का आकार छोटा बनाया गया, उसके अनुसार 8 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं देश की बनीं उसके चलते देश में 13 हजार करोड़ व्यय किया जाना निर्धारित हुआ, लेकिन उतना खर्च नहीं हुआ, कम खर्च हुआ। इसी प्रकार यदि हमारे देश की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का हिसाब लगाया जाए और सिर्फ नौवीं पंचवर्षीय योजना को ही देखें, तो बिहार के लिए दिए गए धन में किसी योजना में धन नगण्य है और ज्यादातर योजनाओं में तो धन आबंटन शून्य ही है। हमें नौवीं पंचवर्षीय योजना में नगण्य धनराशि मिली है। यदि हम पूरे देश की नौवीं पंचवर्षीय योजना में सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमों का हिसाब लगाएं और देश की कुल आबादी का बिहार और झारखंड 10वां हिस्सा है, उस हिसाब से देखें, तो कुल धनराशि 5 हजार करोड़ खर्च हुई। उसके अनुसार बिहार का हिस्सा 500 करोड़ का हिस्सा बनता है, लेकिन 500 करोड़ तो छोड़ दीजिए, बिहार को 300, 200 या 100 करोड़ भी आबंटित नहीं हुए। केबल 55 करोड़ आबंटित किए गए और उसमें से भी सिर्फ 25 करोड़ मिले। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कहां तो 500 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे और कहां केवल 25 करोड़ रुपए मिले। वहां भी वित्तीय संकट है, लेकिन बिहार को आर्थिक सहायता देने पर केन्द्रीय सरकार विचार नहीं कर रही है। हम मांग करते हैं कि बिहार के ऊपर जो केन्द्र सरकार का धन बकाया है, उसको माफ किया जाए और जो योजना का आकार छोटा हुआ है उसके हिसाब से देखना चाहिए। हम सेंटर से कोई भिक्षाटन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हिस्सा बनता है, केन्द्र सरकार जो अन्य राज्यों को देती है, उसकी प्रकार जो बिहार का हिस्सा है वह हमें दिया जाए, उससे हमें वंचित न किया जाए और बिहार सरकार के ऊपर केन्द्र के जो 22,500 करोड़ रुपए बकाया हैं वे माफ किए जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल राज्य को विशेष दर्जा दिया गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि विशेष राज्य का दर्जा देने की छानबीन कराई जाए, तो बिहार भी विशेष राज्य का

दर्जा पाने का अधिकारी है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए।

वहां की पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ, जी.डी.पी. आदि सारी चीजों को देखने से साबित होता है कि उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे ज्ञापन में यह भी था लेकिन उस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। एक ओर आर्थिक पैकेज और एक्सट्रा मदद की बात है लेकिन दशम वित्त आयोग ने पंचायती राज मद में कहा सवा सौ करोड़ रुपये सालाना, पांच वर्ष में सवा छः सौ करोड़ रुपये, शुरु में एक वर्ष मिला, चार वर्ष दशम वित्त आयोग का पंचायती मद का रुपया नहीं मिला। ग्यारहवें वित्त आयोग का भी प्रथम वर्ष का रुपया नहीं मिला, करीब सवा सौ करोड़ रुपये, सवा छः सौ करोड़ रुपया बिहार को नहीं मिल पाया। पंचायती राज मद का हिस्सा नहीं मिल रहा है तो अतिरिक्त कैसे मिलेगा। मैंने वित्त मंत्री जी से सवाल किया था। उन्होंने इसी सदन में वचन दिया था कि मैं विचार करूंगा और कोशिश करूंगा कि बिहार का पैसा लैप्स नहीं हो, किसी हालत में मिल जाए। लेकिन नहीं मिला। उसमें टैक्नीकल औब्जैक्शन लगा कर, अब पंचायती राज के चुनाव हो गए। वहां 1 लाख 35 हजार व्यक्ति चुने गए हैं, मुखिया से लेकर ऊपर तक पंचायती राज्य के चुनाव कम्प्लीट हो गए, नगर का चुनाव भी होने जा रहा है। टैक्नीकल आधार पर गरीब राज्य का पैसा मारा गया, यह उचित नहीं है। हम हर साल बाढ़, सुखाड़ से तबाह होते हैं। उड़ीसा को चार सौ करोड़ रुपया मिला लेकिन बिहार को बाढ़ ,सुखाड़ में एक पैसा नहीं मिला। यहां भी सवाल उठा। बिहार के साथ अन्याय और भेदभाव क्यों हो रहा है? प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अभी तक एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी। कार्य लंबित है, अभी तक मंजूर नहीं हुआ देश के सभी राज्यों का हो गया लेकिन बिहार का रुका हुआ है। हम नहीं जानते कि वह कब होगा। सड़कों की स्थिति खराब है। रुरल कनैक्टिविटी वाला भी है। वित्त मंत्री जी, आप नीति बनाएं। ...*(व्यवधान)* जैसे आंध्र में गांव का कनैक्शन नहीं हुआ है। उसमें कुल 1500 गांव बिना कनैक्शन के बचे हुए हैं। बिहार में 30-35 हजार गांव बिना कनैक्शन के बचे हुए हैं। आप प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में किस आधार पर पैसा बांटते हैं। मेरा सुझाव और मांग है कि जो राज्य ज्यादा पीछे छूट गए हैं, उन्हें कुछ अधिक राशि मिलनी चाहिए जिससे वह भी राज्य की मुख्य धारा में आ सकें।

ग्रामीण विद्युतीकरण में हम सबसे पीछे हैं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में देखा जाए कि जिस राज्य के गांव ज्यादा छूट गए हैं, उनको रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए अधिक पैसा मिलना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए।

भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती मनाई जा रही है। उस समय सप्लीमैंट्री बजट में 50 करोड़ रुपये लाए थे। हमने ढूंढ कर देखा इस बार उसका जिक्र नहीं है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम विकास की योजना को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए उस मद में हमारा जो 50 करोड़ रुपया बचा हुआ है, वह हमें मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर में बंद है। डिमांड में आई.डी.पी.एल. की भी चर्चा है लेकिन मुजफ्फरपुर में वह बंद है, बरौनी में हिन्दुस्तान फर्टीलाईजर कार्पोरेशन की यूनिट बंद है, सिन्दरी की एफ.सी.आई. बंद हैं। ये सब कब चालू होंगे, यह हम जानना चाहते हैं। वहां का फास्फेट का कारखाना बंद होने जा रहा है। रीजनल डीसपैरिटी न हो और जो राज्य या क्षेत्र पीछे छूट गए हैं, सौ सबसे पिछड़े जिले चुने गए थे, उसमें बिहार का ज्यादा था। सरकार का फैसला हुआ था कि सौ जिलों में विकास का काम होगा, कुछ अधिक जाएगा लेकिन चूंकि बिहार का ज्यादा था इसलिए रोक कर रखा गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: समाप्त कर रहा हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी बिहार की स्थिति हमसे कम नहीं जानते, इनको मालूम है। प्रधान मंत्री जी के यहां राज्य सरकार की ओर से स्मारक पत्र दिया गया है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। हम स्पैसीफिक माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वित्त मंत्री जी से बात करिये। इस माध्यम से बिहार के करोड़ों गरीब लोग कहते हैं कि सदियों का जो हिन्दुस्तान का इतिहास है, उसमें दो तिहाई इतिहास बिहार का इतिहास है, वह हिन्दुस्तान का इतिहास है। वहां पर गरीब किसान, मजदूर अपने भाग्य के भरोसे लड़ रहा है। केन्द्र से हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम सारे सवाल उठाकर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कैसे यह हल होंगे। नहीं तो लगता है कि संघर्ष और लड़ाई करनी पड़ेगी। जनता का जब लोक सभा में न्याय नहीं होगा तो जनसभा में हमको जाना पड़ेगा और जनसभा से जनता का न्याय करना होगा। रामजीवन बाबू, श्री रघुनाथ झा, प्रभुनाथ सिंह जी सब सुन रहे हैं, सब जो उधर एन.डी.ए. में हैं। एक दिन जैसे किसान के सवाल पर और प्रक्युरमेंट पर सारे लोग एकजुट हुए हैं, इस सवाल पर भी एकजुट

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

हो जाएंगे तो उसी दिन सरकार हरदी-गरदी बोल देगी। हमारे लोग अभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, यह सरकार दस लोगों की खुशामद कर रही है, हमारे तो 56 लोग हैं, जिस दिन चाहूंगा, ठंडा कर दूंगा, इसलिए बिहार और झारखण्ड, जो पीछे छूटे हुए हैं, उनका सारा हिसाब-किताब मिलना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी को सब मालूम है। उनको आगे से सप्लीमेंटरी डिमांड्स नहीं लानी चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हरिशंकर महाले जी, आपकी 17 पार्टियों का छः मिनट टाइम है, आप दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सड़क के बारे में सोचना बहुत जरूरी हैं। इसमें हमारा जिला और पूरा महाराष्ट्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसमें मंत्री महोदय ने केवल एक लाख रुपये की टोकन ग्राण्ट दी है, इससे क्या होगी? मेरी विनती है कि सड़क के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हृदय में जैसे रक्तवाहिनियां होती हैं, वैसे ही सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। धूले और नासिक जिले में सड़कों की बहुत मांग है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए इस राशि से काम कैसे पूरा हो पायेगा।

दूसरी बात, आदिम जाति और अनुसूचित जाति के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। जो सरकार आती है, वह आदिम जाति और पिछड़ी जाति का नाम लिए बगैर खाना भी नहीं खाती, लेकिन उसके लिए भी टोकन ग्राण्ट एक लाख रुपये रखी है। हमें मालूम है कि यह टोकन ग्राण्ट है, लेकिन यह बहुत कम राशि है। ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपका आदर करता हूं लेकिन आपके मन में और शरीर में ऊर्जा पैदा क्यों नहीं होती, पता नहीं, यह बात ठीक नही हैं। ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए इसमें एक लाख रुपये टोकन ग्राण्ट रखी है, यह उचित नहीं है।

दो महीने के बाद यहां बजट आने वाला है, इसलिए दो महीने के लिए इसमें इतनी रकम डाल दी है, यह ठीक नहीं हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कम्पनी के बारे में, इस बारे में, उस बारे में सब हो जाता है, लेकिन किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। इस सरकार ने कृषि नीति बनाई, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह केवल सदन में ही घूमती है और किसान के यहां इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। मेरी प्रार्थना है कि किसान के बारे में सोचना जरूरी है। किसानों ने देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है, फिर भी किसान के बारे में आप नहीं सोचते तो इस सरकार का राज कैसे चलेगा।

अपराह्न 5.00 बजे

आज किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे बहुत परेशान हैं। इसलिए सरकार को किसानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। सप्लीमेंट्री बजट में किसानों के लिए बहुत कम रकम का प्रावधान होने से मुझे काफी दुख है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 2001-2002 का समर्थन करता हूं। 31 अनुदानों के लिए कुल 3396.50 करोड़ रुपये की मांग की गयी हैं और होने वाला खर्च 2025.23 करोड़ रुपये है।

अपराह्न 5.01 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को उनकी हाल की ओटावा यात्रा के लिए बधाई देता हूं जहां उन्होंने जी-20 देशों को सम्बोधित किया और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों की परिसम्पत्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने के अभियान का नेतृत्व किया। हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद संगठनों के धन उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं।

मुझे जो समय मिला है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातों का उल्लेख करूंगा। मैं सर्वप्रथम कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 की चर्चा करूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए 62.08 करोड़ रुपये दिये गये हैं फिर भी लाखों कोयला कामगार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कोयला कामगारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अनुपूरक मांगों में कुछ वित्तीय सहायता दी जाए। जब हमने श्रम कल्याण संबंधी समिति में कोल इंडिया के श्रमिकों और उनके ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ मुलाकात की तो हमने देखा कि वे संरक्षा और सुरक्षा को लेकर बहुत चिन्तित थे।

दूसरे, मैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ समय पहले मंत्री महोदय, श्री शान्ता कुमार यहां उपस्थित थे। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने भी इस मामले का उल्लेख किया।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस आशय का एक आदेश जारी किया है कि एक जनवरी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूचियां तैयार कर ली जाए। इस मामले में हम पूरे देश में पिछड़े हुए हैं। इन अनुदेशों को लागू किया जाए और प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची उचित प्रकार से तैयार रखी जाए। अनेक लाभार्थियों को बीपीएल कार्ड जारी न किए जाने के कारण सहायता नहीं मिल पा रही है। तारांकित प्रश्न सं. 231 के उत्तर में आज सुबह यह कहा गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने एक गंभीर टिप्पणी की हैं कि राज्यों द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं और योजनाओं हेतु आवंटित निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। भारत सरकार राज्यों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक निधियां प्रदान करती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह आरोप लगाते हुए कठोर टिप्पणी की है कि इन निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है। प्रधान मंत्री कार्यालय ने इसका उत्तर दिया। इसलिए, हम इस से नि:संदेह चिंतित हैं। सरकार को इस संबंध में काफी ठोस कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का राज्य सरकार उचित रूप से क्रियान्वयन करे। हम सभी को समूचे देश में अनुप्रयोज्य आस्तियों की जानकारी है।

हम सामान्यत: यह आरोप लगाते हैं कि औद्योगिक घराने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने के बाद उसे चुकाते नहीं हैं। यह राशि इतनी अधिक हो चुकी है कि यह हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही है?

एक ओर तो वे विनिवेश कर रहे हैं और महत्वपूर्ण साझेदारों की खोज कर रहे हैं। यहां तक कि वे लाभ में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी बेच रहे हैं।

वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरु करने का भी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। यह सब ठीक है। लेकिन जहां तक अनुप्रयोज्य आस्तियों का संबंध है, उनकी राशि इतनी अधिक है कि वह हमारी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंचा रही है।

इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए कि ये ऋण वापस चुकाये जायें। अन्यथा, मंत्रालय द्वारा कठोर कदम उठाये जायें।

सभापति महोदय, मैं सरकार और माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे खाद्यान्नों को समुचित ढंग से रखने के लिए भण्डारण प्रणाली विकास के मुद्दे पर भी विचार करें। संसद की स्थायी समिति की पिछली बैठक में यह प्रस्ताव किया गया था कि फालतू खाद्यान्न समुद्र में भी फेंके जा सकते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि इन फालतू खाद्यान्नों का उपयोग 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में किया जा सकता है। यह काफी सकारात्मक कार्यक्रम है और इस स्थिति में इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि इसके लिए हमें अवसंरचनात्मक ढांचे की आवश्यकता है।

महोदय, कई बार किसानों को पर्याप्त संख्या में शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) न होने के कारण खाद्यान्न मजबूरन सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। एक बार हमारे राज्य में आलू की बड़ी मात्रा में पैदावार हुई। चूंकि उन्हें रखने के लिए वहां शीतागार नहीं थे, इसलिए किसानों को उन्हें मजबूरन सस्ते दामों पर बेचना पड़ा और आलू एक रुपये प्रतिकिलो की दर पर बेचे गये। हमारे ये अनुभव रहे हैं। जब किसान अधिक उत्पादन करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके उत्पादों का भंडारण करने के लिए शीतागारों तथा व्यवस्था का अभाव है, तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। इसलिए, अवसंरचनात्मक ढांचे को भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से कुछ इस प्रकार का संदेश दिया जाना चाहिए कि वे इस दिशा में कुछ ठोस काम कर रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विनिवेश किया जायेगा, छंटनी की जायेगी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद कर दिए जाएंगे। सभी ओर निराशा बढ़ रही है और कुंठा दिखाई दे रही है।

इसीलिए, इस बेरोजगारी की समस्या के बारे में उच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। देश के बेरोजगार युवाओं तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि माननीय वित्त मंत्री जी के अगले बजट में इस समस्या पर निश्चित रूप से उच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

महोदय, कई मामलों में, जितनी राशि मांगी गई है, वह अपर्याप्त नहीं है। हम अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) का पूर्णत: समर्थन करते हैं और माननीय मंत्री महोदय द्वारा अगले वर्ष पेश किए जाने वाले सामान्य बजट की सफलता के लिए उन्हें शुभ कामनाएं भी देते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): माननीय सभापति महोदय, इस सम्माननीय सभा में अब बजट (सामान्य) 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। मुझे अपनी पार्टी, अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से इस चर्चा, में भाग लेते हुए प्रसन्नता हो रही है। अध्यक्षपीठ ने मुझे इसमें भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभा के समक्ष सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त व्यय के बारे में जिक्र करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि कतिपय कार्यों और योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करना और कतिपय मंत्रालयों और विभागों को राजकोष से निधियां प्राप्त करने हेतु अनिवार्य अनुमति प्रदान करना इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मुख्य उद्देश्य है। मुझे इस सभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किए जाने के संबंध में तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही, हमें इस मांग के किसी न किसी पहलू के संबंध में अपनी शंकाएं व्यक्त करने का भी अधिकार है। मैं अनुपूरक मांगों के संबंध में पेश किए गए इस विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय संकट में है। यहां तक कि मजबूत मुद्रा वाले अमरीका और जापान जैसे समृद्ध राष्ट्रों की विकसित अर्थव्यवस्था भी मंदी और मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही है।

यहां तक कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पिछले वर्ष जो बड़ी-बड़ी आशाएं और उत्साह देखने को मिला था, वह भी धीरे-धीरे कम हो गया। पिछले एक दशक से हमारा लक्ष्य अपने सकल घरेलू उत्पाद में 6.2% की वृद्धि दर प्राप्त करने का रहा है। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि अगले दस वर्षों में हमारी वृद्धि दर 7% और इससे भी अधिक हो जाएगी। मैं उनकी आशावादिता की सराहना करता हूं। लेकिन मैं कुछ ऐसे कार्यों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए विवश हूं जिनका निष्पादन बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है।

वर्ष 2001-02 के लिए, रक्षा, कृषि, खाद्य, मानव संसाधन विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के अलावा अन्य मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सूचीबद्ध किया गया है जो कि कुल मिलाकर लगभग 3396.50 करोड़ रुपये है। जब हमें बढ़े हुए खर्च की बात करनी होती है तो हमें ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की बात करने की आवश्यकता पड़ती है जिनके लिए निधियां तो आवंटित की गयी थी लेकिन उन्हें जारी नहीं किया गया है।

सभा द्वारा अतिरिक्त अनुदानों के रूप में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपये, 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' के लिए 225 करोड़ रु., 'सुनिश्चित रोजगार योजना' के लिए 275 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। लेकिन मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें तमिलनाडु को बहुत कम अंश मिला है।

तमिलनाडु में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक लक्षित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली अनावश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति स्वयं करने की जिम्मेदारी ली है। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया है। हम मुख्य मंत्री जी की पोषक मध्याह्न भोजन योजना को भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं जो कि विश्व निकाय, संयुक्त राष्ट्र के लिए भी एक मॉडल है। इस योजना के लाभार्थी ग्रामीण लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र और बच्चे हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन किये जा रहे बोझ पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को तमिलनाडु को और अधिक निधियां आवंटित करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसे बदला जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, के लिए कतिपय खर्च पूरा करने के लिए इन अनुपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त अनुदानों के रूप में 2500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही तमिलनाडु को इसके लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं। तमिलनाडु में ग्रामीण सड़क निर्माण का कार्य लगभग ठप्प हो गया है। हमारे द्वारा बार-बार की गई मांगों का भी उपेक्षा की गई है। पिछले वर्ष जब विधान सभा के चुनावों के कारण चालू ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का कार्य लगभग 2-3 महीनों के लिए रुक गया था, तब केन्द्र सरकार ने भी निधियां देना बंद कर दी थीं। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस योजना के तहत न तो कोई आवंटन किया गया है और न ही निधियां जारी की गई हैं। इससे तमिलनाडु में ग्रामीण विकास अत्यधिक प्रभावित हुआ है। केन्द्र सरकार संसद की इस सभा के प्रति जवाबदेह है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारों के बीच परस्पर भेदभाव न बरता जाये।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथानुमोदित गाडगिल-मुखर्जी सूत्र (फार्मूला) में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता देने का प्रावधान है। विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

लिए केन्द्रीय सहायता, अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, कतिपय अन्य विशेष योजनाओं के लिए विशेष सहायता, ऐसी तीन श्रेणियां हैं जिनके तहत केन्द्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करती है। तमिलनाडु को वर्ष 1999-2000 में लगभग 1575 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2001-02 में इसे लगभग 1645 करोड़ रुपये दिए गए। चालू वर्ष के दौरान नौ माह बीत जाने के बाद भी, उसे उक्त निधियों की आधी निधियां भी जारी नहीं की गई हैं। हम कल्याणकारी राज्य में विश्वास करते हैं और कल्याणकारी योजनाएं तैयार करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ''क्या कोई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने के लिए कुछ भी कर सकता है?''

जब बजट घाटा हुआ था तो केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहारा लिया था। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों को अकेले छोड़ दिया गया है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें हमारे अनुकूल नहीं हैं। केन्द्रीय राजस्व में तमिलनाडु का अंश 6.637% से घटाकर 5.385% कर दिया गया है। वर्ष 2000 से 2005 तक के पूरे पांच वर्षों में लगभग 2946 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा होगा अथवा इतनी राशि से वंचित होना पड़ेगा। इस समस्या से निपटने के लिए तमिलनाडु को 500 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बाजार ऋण सीमा प्राप्त होनी चाहिए। इस संबंध में हमारी नेता तथा हमारी अन्नाद्रमुक दल की महासचिव डा. पुराची थालैवी जे. जयललिता जी द्वारा मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था जोकि अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हमारी मांग को पूरा करें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले की जांच करें और हमारी आवश्यकता पर ध्यान दें।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों संबंधी प्रस्ताव को मात्र एक परंपरागत तर्क के रूप में केवल पारित करने के लिए ही सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। लंबित परियोजनाओं की सूची तैयार करते समय इसमें विस्तार से यह भी बताया जाना चाहिए कि इनके निष्पादन में किन कारणों से विलंब हुआ और इसके मार्ग में रुकावटें आई, यदि कोई हों। इस विधेयक में सरकार के राजकोषीय तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन का विस्तृत मध्यावधि मूल्यांकन भी होना चाहिए। यह ज्ञानवर्द्धक तथा जागरुक बनाने वाला होना चाहिए और यह आयोजना बनाने वालों तथा क्रियान्वयन करने वालों, दोनों को सचेत करने वाला होना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के बीच परस्पर उचित समन्वय होना चाहिए। संसद प्रकोष्ठों की भांति प्रत्येक मंत्रालय में योजना क्रियान्वयन निगरानी प्रकोष्ठ होने चाहिए। मैं, केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये कि समूचे देश में जन प्रतिनिधि कल्याणकारी योजनाओं तथा परियोजनाओं को क्रियान्वित करें। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका अनुकूल प्रत्युत्तर देंगे।

इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं अध्यक्षपीठ को पुनः धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय सभापति जी, मैं अनुपूरक बजट की मांगों का समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि पिछले तीन सालों में देश में विकास की गति तेज गति से हुई है जबकि वह आज से पहले नहीं हुई थी। परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए तो मंत्री जी की कुशलता के कारण उसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा और निरन्तर गति से देश की तरक्की होती रही।

मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वह गन्ना इलाका है। वहां शुगर फैक्ट्रियां और कपड़ा मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी होती है लेकिन वहां शुगर फैक्टियां बंद हो गई हैं। खास तौर पर कारपोरेशन की शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई है और कुछ अगले साल बंद हो जाएंगी। केवल मेरे क्षेत्र में कठमुइंया और पडरौना में किसानों का 18 करोड़ रुपए बकाया है। गौरी बंद है, छितौनी बंद है और दूसरी फैक्ट्रियां भी बंद होने जा रही हैं। यदि आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो दूसरी शुगर मिलें भी बंद हो जाएंगी इससे किसानों की हालत दयनीय हो जाएगी, दिनोंदिन दयनीय हो जाएगी। आपको याद होगा कि वी.पी. सिंह जी ने एक नारा दिया था कि 10 हजार रुपए से ऊपर के कर्जे माफ कर दिए जाएगें। अरबों रुपया माफ भी किया गया लेकिन हमें आश्चर्य है कि हमारी अपनी सरकार के होते ऐसी कोई घोषणा क्यों नहीं हो रही है। गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया कई सालों के बकाया है जिस का भुगतान नहीं हो रहा है। यदि आप उसे दिलाने की व्यवस्था करेंगे तो उन्हें राहत मिलेगी। जो शुगर फैक्ट्रियां बंद हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा कर चलाने की बात कीजिए।

इन्दिरा आवास योजना अति उत्तम है। इससे गरीबों को घर मिल रहे हैं। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है लेकिन इसमें दोष हैं। मंत्री जी इसकी जांच करा लें तो अच्छा होगा। मैं पडरौना

[श्री राम नगीना मिश्र]

और कुशी नगर से आता है। उसके बगल में देवरिया है। मंत्री जी को सुनकर आश्चर्य होगा कि आए दिन पडरौना में बाढ़ आती है और देवरिया में हमारे जनपद से कम बाढ़ आती है लेकिन वहां तीन साल में 45000 रुपया इन्दिरा आवास योजना के लिए आवंटित किया गया। वहां मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। हमारे जनपद जहां अत्यधिक बाढ़ आती है उसका दसवां हिस्सा भी हमें नहीं मिला। यह विषमता क्यों है? कहा जाता है कि कम्प्यूटर की गलती हो गई। आप इसे देख लीजिए। मैं सीदे-सीदे कह रहा हूं कि एक ही जगह 45 हजार और दूसरी जगह उसका दसवां हिस्सा भी नहीं। स्कीम अच्छी है लेकिन इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए।

गांवों में पीने के पानी की जो 2-3 स्कीम्स हैं, अत्यंत सराहनीय हैं। हर गांव में इंडिया मार्क के पंप लग रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं किए यह भारत सरकौर की स्कीम हैं। एमपीज अपने क्षेत्रों में जाते हैं। तो वहां पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग इसकी मांग करते हैं। मुझे हर जगह की बात मालूम नहीं लेकिन हमारे यहां के एमपीज को एक भी इंडिया मार्क का पंप लगाने का अधिकार नहीं हैं। कम से कम एमपी लोगों को इसका अधिकार होना चाहिए। हम दौरे पर जाते हैं तो देखते हैं कि पानी की कमो रहती है। लोगों की मांग के अनुसार, एमपी की सिफारिश पर इंडिया मार्क के पंप लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की जितनी सराहना की जाए कम है। दो साल में शायद की कोई गांव ढूंढना पड़ेगा जहां सड़क नहीं होगी लेकिन इसमें भी दोष है। दोष क्या है? मैं जो बात कह रहा हूं वह किताब में लिखी बात नहीं है। मैं जो देख रहा हूं वह कह रहा हूं। देश में भ्रष्टाचार की बीमारी बहुत अधिक फैल गई है। विकास में हमारी सरकार आगे है, मंत्री जी भी आगे हैं लेकिन भ्रष्टाचार रोकने में असफलता हैं।

हम लोगों को एमपीलैड में प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपया मिलता है हमें मालूम नहीं और जगह पर क्या होता है। हम यहां लड़कर थम गये लेकिन 30 प्रतिशत पैसा अधिकारियों की पाकेट में चला जाता है, इसके बाद कुछ ठेकेदार की पाकेट में चला जाता है। मैं इस संबंध में मंत्री जी को 8-10 पत्र लिख चुका हूं कि इसकी गुणवत्ता की जांच की जाये लेकिन आज तक जांच नहीं की गई। अपार धन दिया जा रहा है। वह धन सचमुच में सही ढंग से खर्च हो रहा है या केवल अधिकारियों की जेब में जा रहा है, इस सब की जांच के लिए सैंट्रल की एक कमेटी होनी चाहिये जो इसकी गुणवत्ता की जांच करे।

श्री धर्म राज सिंह पटेल: सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दिये गये धन की भी होनी चाहिये।

श्री राम नगीना मिश्र: हमारे क्षेत्र में एक सड़क बन रही थी। उस पर थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ गई तो जांच हो गई लेकिन मैं चाहूंगा कि सिर से ऊपर पानी नहीं बहे, इसका सही उपयोग हो। इसकी जांच सैंट्रल की एक कमेटी करे कि विकास के कितने काम हो रहे हैं। इसकी गुणवत्ता की जांच हो।

सभापति महोदय, हमारे देश में स्नातक बेरोजगार हैं जिन्हें बैंक से ऋण देकर काम धंधा दिये जाने की योजना हैं। बैंक बिना रिश्वत लिये ऋण नहीं देते हैं। इस प्रकरण की भी जांच कराइये। मंत्री जी के पास बुद्धि है और मैं तो केवल शिकायत कर रहा हूं और सही बात को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस शिकायत का कैसे निराकरण करना है, यह इनके ऊपर हैं। ऐसी नीति बने कि स्नातकों को बैंक से ऋण सुविधापूर्वक मिल सके।

सभापति महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी लोग हैं। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत बमुश्किल 100 लोगों में से 10-15 को पेंशन मिलता होगा और वह भी भी 3-3 साल के बाद मिलता है। इतना ही नहीं, घर का कमाने वाले आदमी मर जाये तो सरकार 10 हजार रुपया देती लेकिन वह भी 3-3 साल बाद मिलता हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि उनके पास फंड्स हों तो दें और इस मामले की जांच कराइये। मजदूरों की सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए अनुदान मिलता है जो एक अच्छी योजना है। जो सरकार फैक्टरियां बंद हो जाती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान देती हैं लेकिन अगर प्राइवेट सैक्टर की फैक्टरी बंद हो गई तो मजदूरों को नियमानुसार अनुदान दिया जाये।

सभापति महोदय, मैंने जितनी बातें कहीं, वे धरातल की बात हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमेंटरी डिमांडस प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कांग्रेस दल को 38 मिनट का समय दिया गया था और वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं प्रत्येक कांग्रेस सदस्य को केवल पांच मिनट दूंगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): सभापति महोदय धन्यवाद। मैं केवल पांच मिनट ही बोलूंगा।

मैं, इस सभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 3396 करोड़ रुपये के अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त पर बोलूंगा। मुझे तीन बातें कहनी हैं। ये मेरी व्यक्तिगत भावनाएं तथा चिंताएं हैं और मुझे आशा है कि वे उन पर ध्यान देंगे।

मेरी पहली बात लोगों के कल्याण अथवा उन सभी योजनाओं के लिए जो वस्तुत: देश के अधिक लोगों के लाभ के लिए हैं, धनराशि की उपलब्धता के बारे में है जिसे या तो कम किया जा रहा है अथवा इसमें रुकावट बनी हुई है अथवा सामान्य सेवाओं पर व्यय जैसी गति से इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले बजट को देखे तो यह राशि 375,000 करोड़ रुपये थी जिसकी ब्याज भुगतान के रूप में हम 112,000 करोड़ रुपये अदा करेंगे। वर्ष 1998 से ब्याज भुगतान काफी बढ़ रहा है। पहले यह 77,000 करोड़ रुपये था। पहले यह बढ़कर 88,000 करोड़, उसके बाद 99,000 करोड़ रुपये, फिर 1001,000 रुपये हुआ और अब यह 112,000 करोड़ रुपये हो गया है।

यही स्थिति रक्षा व्यय के संबंध में है। एक समय यह 45,000 करोड़ रुपये था और हमने 57,000 करोड़ रुपये आबंटित किए किन्तु वे उसे खर्च नहीं कर पाए और अब यह राशि इस वर्ष के बजट का लगभग 16 प्रतिशत है। इसका ब्याज भुगतान 29.9 प्रतिशत है अर्थात् कुल बजट का लगभग 30 प्रतिशत। यदि आप सामान्य गैर-योजना व्यय को देखें तो पाएंगे कि यह लगभग 12.2 प्रतिशत आता है। वस्तुत: पूंजीगत व्यय या तो बढ़ रहा है अथवा कम हो रहा है। यह स्थिर नहीं रहा है अथवा उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए था। एक समय यह 25, 26 था और उसके बाद 23, 24 और 25 था। पुन: यह 26 प्रतिशत हो गया है। मैं इस चर्चा में इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक समय में हम ऋण लेकर सभी व्यय को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऋण लिया है इसलिए हमें अधिकाधिक ब्याज देना पड़ रहा है। हम राजस्व व्यय के द्वारा उसकी एक बड़ी राशि का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं, वर्ष 2000 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पढ़ रहा था। यह देखकर काफी निराशा हुई कि वर्ष 1999-2000 में 64 प्रतिशत से अधिक राशि प्रभारित व्यय के रूप में खर्च हुई है। हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। संसद का 2/3 व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हमें इस तरह की वचनबद्धताओं को पूरा करना है। मुझे भी आश्चर्य है कि एक के बाद दूसरी लोक लेखा समिति जैसी समितियों ने इसके बारे में सिफारिशें की हैं। संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत हमें ऋण लेने की सीमा निर्धारित करनी होगी। ऐसा करना सभा के लिए अनिवार्य है। इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करता है। यदि हम इसका अनुपालन नहीं कर सकते है तो बेहतर होगा कि हम ऋण लेने की सीमा निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 292 को हटा दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो भी ऋण हम लेते हैं उसका एक भाग पिछले ऋण, जिसे हम खर्च कर चुके होते हैं, का भुगतान करने में चला जाता है। इसके परिणामस्वरूप हमें बजट में प्रत्येक वर्ष उपलब्ध 1/3 धनराशि से ही काम चलाना पड़ता है। इसलिए निधि की उपलब्धता ही बहुत कम है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : क्या यह आपका पहला भाषण है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं नहीं जानता कि इसे पहला भाषण कहते हैं या नहीं। लेकिन मैं पहली बार बोल रहा हूं।

मैं आपके द्वारा अभी-अभी की गई मांग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुल 3396 करोड़ रुपये में से आपने मांग सं. 65 में 1350 करोड़ रुपये की मांग की है जिसमें से 1300 करोड़ रुपये मांग शीर्ष सं. 2505 (ग्रामीण रोजगार) के लिए, 40 करोड़ रुपये मांग शीर्ष सं. 2216 (आवास) के लिए है जिनमें इंदिरा आवास योजना अथवा ग्रामीण आवास शामिल हैं, और एक मांग शीर्ष सं. 2552 (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के संबंध में है।

मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष आप मार्च में बजट में आबंटन करते हैं और इन बातों का बजट में उल्लेख होता है। अगले दिन हमें सभी बड़ी योजनाओं के बारे में पता चलता है तथा यह भी पता चलता है कि सरकार इंदिरा आवास योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना आदि जैसी योजनाओं को किस तरह क्रियान्वित करेगी। प्रत्येक वर्ष संशोधित अनुमान में धनराशि में कटौती की जाती है और प्राक्कलन कम हो जाता है। एक स्तर पर आप जवाहर रोजगार योजना के लिए आबंटन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। पिछले वर्ष आपने जवाहर रोजगार योजना के लिए 144 करोड़ रुपये कम कर दिए तथा इंदिरा आवास योजना के लिए 49 करोड़ रुपये कम किए। मैंने 21 योजनाओं की सूची बनाई है। मार्च में आबंटित कुल धनराशि 9423 करोड़ रुपये थी।

इसके बाद वर्ष 2000-2001 में इसमें 1296 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई। वर्ष 1999-2000 में 1,782 करोड़ रुपये कम किए गए थे। मैंने हिसाब लगाया कि वर्ष 1998-99 में 1,248 करोड़ रुपये कम किए गए। वर्ष 1997-98 में 1,580 करोड़ रुपये

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

कम किए गए। इन सभी कार्यक्रमों, चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो अथवा इंदिरा आवास योजना हो अथवा मिलियन बैल्स स्कीम (लाखों कुएं योजना) हो अथवा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा गंगा कल्याण योजना अथवा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अथवा कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय अथवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना अथवा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अथवा बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम हो, जिससे लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है, धनराशि कम कर दी गई है। मैं नहीं जानता कि किसके निर्देशों से ऐसा किया गया। यदि व्यय को पूरा करने हेतु विभाग ने ऐसा किया है अथवा यदि वित्त मंत्री के ही निदेशों से ऐसा किया गया है तो इसे बंद किया जाना चाहिए। यह एक बात है:

संशोधित अनुमान के संबंध में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि धनराशि को तभी कम किया जाना चाहिए जब ऐसा करने के लिए वास्तविक कारण हों अन्यथा कृपया ऐसा मत कीजिए। तीसरी बात यह है कि कतिपय धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रहती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 1999-2000 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इंदिरा आवास योजना के लिए आबंटित 100 करोड़ रुपये अनुपयुक्त पड़े रहे और विभाग के अनुदेशों से संशोधित अनुमान में 24 करोड़ रुपये कम कर दिए गए। वर्ष 1999-2000 की टिप्पणियों में यह कहा गया है। मैं कोई खास नहीं बल्कि एक आम बात कह रहा हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन योजनाओं से लोगों को सीधे लाभ मिलता है उन योजनाओं के लिए आबंटन कम नहीं किया जाना चाहिए।

मेरी चौथी बात यह है कि मंत्री महोदय को कड़ा रवैया अपनाना चाहिए और कतिपय कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कदम उठाने चाहिए। चाहे वह जिला ग्रामीण विकास एजेंसी हैं अथवा जवाहर रोजगार योजना, धनराशि कम करके दी जा रही है। फर्जी हाजिरी उसके अंदर है तो कितनी बार डाली जाती है? हमें कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय समिति के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। समिति विशेष को वहां जाकर किए गए कार्य की गुणवत्ता को स्वयं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में संसद सदस्यों से परामर्श नहीं किया जाता है। जिला प्रशासन ने केवल इसलिए मुझसे परामर्श नहीं किया क्योंकि राज्य में किसी और दल की सरकार है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसे लोगों से निपटना जानता हूं। फिर भी यदि हम कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें प्रबल क्रियान्वयन तथा निगरानी समिति गठित करनी होगी जो इस सभा द्वारा अथवा किसी अन्य तंत्र द्वारा गठित की जाएगी। मुझे यही कहना है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान सरकार आर्थिक संकटों से गुजरते हुए जिन नयी योजनाओं को लागू कर रही है जिनके कारण न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, अपितु शहरी क्षेत्रों में भी एक विश्वास की भावना जगी है, लोगों में आत्मविश्वास जगा है कि वास्तव में हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं हमारी विकास दर अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं पर ठीक हैं। मैं कुछ मांगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चांहूगा।

अभी हाल में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए न केवल पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना के नाम से एक नयी योजना शुरू की हैं, उन बस्तियों में रहने वाले जो अत्यंत गरीब माने जाते हैं और वाल्मीकि के नाम से पुकारे जाते हैं, उनके लिए नयी योजना बाल्मीकि आवास योजना शुरू की है, उन लोगों में विश्वास जगा है कि वास्तव में सरकार हमारे लिए भी कुछ करने जा रही है और कर रही है। इस योजना के साथ-साथ जो कुछ नई योजनाएं सरकार ने और भी शुरू की हैं, विशेषकर कई क्षेत्रों में आयोजित की हैं और उस कारण भी लोगों में एक विश्वास की भावना जगी है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय पशु विकास आयोग हो, संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष अनुदान देना हो, जिस प्रकार का हाल ही में मिजोरम क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दृष्टि से शांति बोनस के नाम पर उन्हें दिया गया जिससे मिजोरम में भी एक भावना जगी है कि वास्तव में सरकार हमारे लिए भी कुछ करने जा रही है और सरकार हमारे लिए चिन्तित हैं।

सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभ्यारण्य के लिए भी सरकार ने नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। मैं, मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र इससे संबंधित हैं।

महोदय, गांधी सागर में अभयारण्य क्षेत्र है, वहां पुरानी बस्ती है। जब गांधी सागर का निर्माण हुआ था, आज से लगभग 36 वर्ष पहले, तो वहां के हजारों लोग विस्थापित हुए थे लेकिन अब फिर से उस अभ्यारण्य क्षेत्र के विस्तार के लिए जो वहां की सबसे पुरानी बस्ती है, उसे वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अभ्यारण्य क्षेत्र का विकास तो हो, लेकिन वहां जो पुरानी बस्तियां हैं, उन्हें वहां से विस्थापित नहीं किया जाए

अन्यथा फिर से वहां पर एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा और लोग इधर से उधर पलायन करेंगे, इस दृष्टि से ध्यान की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चहूंगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की दृष्टि से सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की हैं, लेकिन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में यहां कई माननीय सदस्यों ने अवगत कराया है कि यह योजना तो बहुत अच्छी है जिसमें प्रधान मंत्री जी ने अच्छी भावना से चाहा है कि सड़कों का विकास हो, एक गांव दूसरे गांव से सड़क के माध्यम से जुड़े लेकिन राज्य सरकारें अपने-अपने सड़क प्राधिकरण बनाकर, जैसा कि मध्यप्रदेश में भी बना है, इस पैसे को उस प्रधिकरण में लेकर अपने मनमाने ढंग से खर्च कर रही हैं। मैंने देखा है और अनेक राज्यों से पता किया है कि इस योजना में उस क्षेत्र के सांसदों की सीधे-सीधे कोई भागीदारी नहीं होती और विधायक जाकर सासंद से बिना पूछे सड़क का उद्घाटन कर आते हैं और उसका निर्माण इस योजना के अन्तर्गत हो जाता है, लेकिन सांसद को पूछना तो दूर रहा, उन्हें सूचित भी नहीं किया जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं हैं। इतना बड़ा फोरम और इतनी बड़ी योजना, इतना पैसा हम लगा रहे हैं, जिसमें सांसदों की कोई भागीदारी न हो, यह ठीक नहीं है। मेरा आग्रह है कि कम से कम इस फोरम को पता तो होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस फोरम को आखिर पता तो होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु छात्रावास की एक योजना भी आरंभ की है, लेकिन छात्रावास की वहां क्या स्थिति हैं। वहां पर ज़ो मिड डे मील देते हैं, उसकी स्थिति क्या है। आप यहां से पैसा दे रहे हैं, केन्द्र सरकार पैसा बराबर भेज रही है और केन्द्र सरकार उनको हर प्रकार से आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, जो छात्रावासों की स्थिति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है।

महोदय, मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं वैसे भी बहुत संक्षेप में बोलता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले भी मध्यप्रदेश में सूखा संकट था और इस बार भी कई जिलों के अंदर सूखा संकट हैं। मैं यह जानता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस बारे में पूरा प्रयत्न किया है कि राज्य सरकार हमारे यहां से अनाज लें और काम के बदले अनाज देने की योजना के अन्तर्गत विकास कार्य शुरू करे। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अनाज देने के लिए तैयार है। हजारों क्विंटल अनाज देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकारें उठा ही नहीं पा रही हैं।

महोदय, वहां पेयजल संकट से निपटने के लिए जिस प्रकार से स्थिति ठीक बनाई जानी चाहिए, जो कार्रवाई की जानी चाहिए, वह राज्य सरकार की ओर से नहीं हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी कोई ऐसी स्थिति या कोई वातावरण बनाया जाए या कोई ऐसा नियम लागू किए जाएं कि जो आप यहां से सहायता देते हैं, वह तत्काल मिले ताकि आने वाले समय में ग्रामीणजन पेयजल संकट से ऊबर सकें। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी से वहां पेयजल संकट शुरू हो गया है। मैं अभी अपने चुनाव क्षेत्र का तीन दिन पहले दौरा कर के आया हूं। एक स्थान पर 1000 फीट गहरे पर भी पानी नहीं मिला और जब हमने पता किया, तो हमें बताया गया कि हो सकता है कि पानी का स्तर और नीचे जाए। मैं अपने चुनाव क्षेत्र मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी से, दिसम्बर महीने से ही यदि जल स्तर इतना नीचे हैं, तो मई व जून के अंदर क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इसलिए भयंकर सूखे के संकट का आकलन करते हुए, पेयजल के संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चूंकि पेयजल के लिए भी आपने इन मांगों के अंदर पैसा रखा है इसलिए मैं चाहता हूं कि पेयजल संकट से निपटने के लिए ठीक से, समुचित प्रबन्ध किए जाने आवश्यक हैं और इस दृष्टि से अभी से प्रयास होना चाहिए। इससे पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के अवसर भी होंगे

अन्त में, मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ बड़े उद्योग हैं। सी.सी.आई. द्वारा संचालित कुछ उद्योग हैं। नीमच के निकट नया गांव में सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया का एक संयंत्र है, सीमेंट की एक इकाई है, वहां के लोगों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही हैं, लेकिन फैक्ट्री न बन्द और न चालू हैं। कभी चलती है, कभी बन्द होती है। वहां के लोगों को वी.आर.एस. देने की बात कहीं है। लोग वी.आर.एस. लेने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि वह फैक्ट्री चले। वह फैक्ट्री चलने के योग्य है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है और वे जानते है कि वह फैक्ट्री चल सकती है। उस फैक्ट्री को चलाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय की हमारे क्षेत्र के अफीम उत्पादकों से सीधे संबंधित जो योजनाएं हैं और अफीम उत्पादक किसानों के जो दुखदर्द हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भाव में वृद्धि करने की मांग की थी उस भाव वृद्धि के बारे में भी हमें मंत्री जी आश्वस्त करें। उसके साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि आज ही वित्त मंत्री

[श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

महोदय ने मुझे एक पत्र द्वारा आश्वस्त किया है कि अलकलाईन फैक्ट्री का विस्तार कर के, जो हमें फास्फेट आयात करनी पड़ती है, वह आयात कम होगा और हम फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेंगे, इस दृष्टि से वे विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उस फैक्ट्री का समुचित विस्तार हो ताकि हमारी आवश्कताओं की पूर्ति हो सके और हम विदेशी मुद्रा का संरक्षण कर सकें। वैसे हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में काफी वृद्धि हुई है।

केन्द्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं इनके बारे में कोई एक नीति निर्धारित करें या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं या कोई ऐसी एजेंसी बनाएं ताकि ये जो धनराशि उपलब्ध कराते हैं, उसका समुचित उपयोग हो सके और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की जनता को, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से जहां काम कर रहे हैं, इन दोनों का विकास हो सके और हम उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांटस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो डिमांड्स रखी गई हैं, उनका हम समर्थन करेंगे लेकिन उसके साथ हमारे कुछ औब्जर्वेशन्स हैं जिनको मैं वित्त मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं।

आप जो अर्थ नीति अपनाना चाहते हैं, केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति में विषमता है जिससे गरीब और अमीर के बीच की गहराई को कम करने की जो कोशिश होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। गरीब तबके के लोगों की बराबरी तक लाने का प्रयास नहीं हो रहा है। आपकी आर्थिक नीति से ऐसा लगता है कि आप धनी, पूंजीपति लोगों की सहायता करना चाहते हैं। आप गरीब किसानों की समस्याओं को इम्लीमैंट करने का प्रयास बहुत कम हैं। इसलिए आज किसानों जो अनाज पैदा करते हैं, जो हमारे देश में ग्रीन रैवोल्यूशन लाए, उनके पास खाने का समान नहीं है। उन्हें अपने अनाज को बाजार में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज किसान गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम श्रेणी के किसानों की हालत भी वही है लेकिन बड़े किसानों की हालत में जरुर उन्नति हुई हैं।

हर किसान के मन में यह सवाल उठता है कि डीजल, किरोसीन, फर्टीलाइजर आदि, जो किसान की आवश्यकता की चीजें हैं, उनके दाम में वृद्धि क्यों की गई है, सबसिडी को क्यों उठाया गया है। उन लोगों की चिन्ता को दूर करने के लिए आपका क्या प्रयास है, क्या सोच हैं। आप किसान को क्रैडिट कार्ड देने के बारे में सोच रहे हैं, आपने सोचा है कि बैंकों के माध्यम से उनको ऋण देने का प्रावधान करेंगे लेकिन क्या ऋण देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्हें अपना सामान बेचने की जगह नहीं है, उन्हें लागत से ज्यादा दाम मिलना चाहिए और यदि वह नहीं मिलता तो उनकी स्थिति मैं कैसे परिवर्तन होगा, कैसे उनकी उन्नति होगी, वे अपने परिवार को कैसे पालेंगे, क्रैडिट कार्ड का भुगतान कैसे करेंगे, क्या आपने इस बारे में सोचा है? मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर गंभीरता से विचार करें। यदि वे वाकई में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनकी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

साथ ही गांवों में यातायात के साधन, पीने के पानी की व्यवस्था आदि जो बुनियादी आवश्कताएं हैं, उनकी पूर्ति किए बिना कैसे सोच सकते हैं कि आप बजट में जो प्रावधान करते हैं, विभिन्न योजनाओं की घोषणा करते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, वह संभव है। क्या सिर्फ घोषणा करने से ही समस्याओं का समाधान हो सकेगा? मैं कहना चाहता हूं कि जब औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नति करनी है, विशेषकर चाय के उद्योग पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती।

चाय उद्योग से हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, लेकिन चाय उद्योग की प्राकृतिक आपदा की वजह से हालत खराब है। इंडो भूटान जोइंट रीवर कमीशन की बात हमने बार-बार कही है, हम लोगों ने केन्द्र सरकार से मांग की है, हमने यह बात कही कि भूटान के साथ आप बात कीजिए और इंडो भूटान जोइंट रीवर कमीशन का गठन होना चाहिए ताकि चाय उद्योग बचे, विशेषकर जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल में। साथ ही साथ किसानों की हालत पर विचार हो, लेकिन इस पर आप लोगों ने क्या किया? मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और इसके समाधान के लिए कुछ रास्ता ढूंढ निकालें।

मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह। आप अपना भाषण संक्षेप में दीजिए। समय बहुत सीमित हैं

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हम 12 मैम्बर हैं और अपनी पार्टी से मैं अकेला मैम्बर बोलने वाला हूं। हम

15 मिनट बोल रहे हैं। आप एक मैम्बर और दो मैम्बर वाली पार्टी की बात बताते हैं, हम 12 मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके दल का समय बहुत सीमित है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो अनुपूरक मांग पेश की गई है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन मुफ्त में नहीं कर रहे हैं। हमें यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो इस देश में सरकार चल रही है, इस सरकार ने समय समय पर देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। जहां हमारी विदेश नीति सफल रही है, वहीं कूटनीति भी सफल रही है। देश की आर्थिक प्रगति भी तेजी से हो रही है। ...*(व्यवधान)* हम आपको समझा देते हैं कि कब-कब हुई। कांग्रेस वालों को हमारी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हम बता देते हैं कि जिन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था तो देश के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। देश और दुनिया को हमने बता दिया था कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन जब हम पर खतरा पैदा होने की स्थिति होगी तो हम किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने कराया। इतना ही नहीं, कारगिल का युद्ध हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं उसी की भूमिका बना रहा हूं।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, अनुपूरक मांग में तो हर विषय पर चर्चा की जा सकती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कारगिल का भी जो युद्ध हुआ, वहां पर भारत का तिरंगा फहराया गया और दुश्मन को उसकी सीमा के भीतर धकेला गया। आप लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या-क्या किया। अभी तालिबान का युद्ध हो रहा है, आप यह नहीं मानते कि इसमें हमारी कूटनीति कितनी सफल हुई, आपको मानना चाहिए।...*(व्यवधान)* हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस देख का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाना जहां बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं देश के आन्तरिक मामलों पर भी बहुत मजबूती से ध्यान देने की जरूरत है। हम यह महसूस करते हैं कि जहां आन्तरिक सुरक्षा का सवाल है, मामला संतोषप्रद नहीं चल रहा है, इसलिए कि देश का कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं है, जहा नक्सलवाद, आतंकवाद या एम.सी.सी. से राज्य प्रभावित न हो। जब भी लोक सभा में जवाब आते हैं तो यह आता है, कि यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि इस उत्तर से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता में अगर अमन चैन नहीं होगा तो चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसे आपस में समन्वय स्थापित करके उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उसे अपने पुलिस प्रशासन को मजबूत करना चाहिए ताकि देश के लोग अमन-चैन महसूस कर सकें।

इस सदन में आए-दिन किसानों पर चर्चा होती है। लेकिन उसके साथ ही हमारे देश में बेकार नौजवानों की भी समस्या है, जो बहुत मजबूती से जड़े जमा रही है। एक तरफ जहां जनसंख्या की वृद्धि, एक समस्या बन रही है, यह देश में अहम् सवाल बनता जा रहा है। अगर देश के किसान और बेकार नौजवान सरकार के प्रति विश्वास खो देंगे तो यह कहीं से भी उचित नहीं होगा। इसलिए देश के किसानों और बेरोजगारों के मन में विश्वास जमाने के लिए मैं वित्त मंत्री जी निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बारे में अपनी तरफ से कोई पहल करनी चाहिए।

रघुवंश बाबू पता नहीं कहां चले गए। वे बिहार की चर्चा कर रहे हैं। मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ से असहमत हूं। ठीक है कि आज की तारीख में बिहार पिछड़े राज्य की सूची में शामिल हो गया है। अगर वहां आंतरिक संसाधनों का इंतजाम कर दिया जाए, बिहार की मिट्टी में इतनी उर्वरा शक्ति है कि केवल उत्तर बिहार ही पुरे हिन्दुस्तान को छः महीने तक भोजन खिला सकता है। हमें समझ में नहीं आता कि यहां से कभी-कभी केन्द्रीय मंत्रियों के बयान आते हैं कि बिहार सरकार को जो पैसा दिया जाता है, वह खर्च नहीं कर पाती। कभी-कभी यह भी बयान आता है कि उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। दूसरी ओर राज्य सरकार कहती है कि हमें पैसा नहीं मिलता। सच्चाई क्या है, यह वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे, ऐसी में उम्मीद करता हूं। इस मसले पर अपनी नीति और नीयत से स्पष्ट करें कि: हकीकत क्या है। बिहार दिन-ब-दिन पीछे होता जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पूरे भारत की है। वह केवल बिहार अथवा झारखण्ड के ही नहीं है। आप बिहार के हैं और वे भी बिहार के हैं। वित्त मंत्री का वित्तीय दायित्व तमिलनाडु और समूचे भारत का है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): उनकी स्थिति ऐसी ही है। इसलिए वे मुस्कुरा रहे हैं। वह नहीं कहते कि वे झारखण्ड अथवा किसी अन्य राज्य के हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी (रायगंज): वे भारत के हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री का वित्तीय दायित्व तमिलनाडु सहित समूचे भारत का है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इससे वहा के लोग पीड़ित थे। उस समय बिहार सरकार कह रही थी कि केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिल रही है, जबकि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के बयान आ रहे थे कि हम जो दे रहे हैं, राज्य सरकार वह नहीं उठा रही है। आखिर स्थिति क्या है, यह वित्त मंत्री जी बताने का कष्ट करें, क्योंकि दोनों सरकारों की गलतबयानी से और टकराहट से बिहार की जनता काफी परेशान हो रही है।

रघुवंश बाबू पैकेज की बात कर रहे थे। यह बात सत्य हैं कि जिस बिहार का बंटवारा हुआ था, उसके पहले जार्ज फर्नांडीज जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री जी से मिला था और उसने पैकेज की मांग की थी। जहां तक हमें याद है झारखंड के बिल के पेज नम्बर 47 में पैराग्राफ नम्बर तीन में यह बताया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। जो बिहार के मामलों की समीक्षा करके बिहार के बारे में उचित कार्यवाही करेगी। गृह मंत्री जी ने भी यह कहा था। लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीत गया है, बिहार में कोई योजना नहीं दी जा रही है, कोई पैकेज का जिक्र नहीं किया जा रहा है। हम दासमुंशी जी को बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं वहां दी गई है, जो आजादी के बाद आपकी सरकार के समय में नहीं दी गई, जैसे नेशनल हाईवे की योजना में सड़क बनाने का मामला है। उसके लिए हमारी सरकार ने योजना दी है ताकि जो नकारा सड़कें थीं, उन्हें दुरुस्त किया जा सके।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, निश्चित तौर पर बिहार में जो-जो पथ आवश्यक था, उसकी समीक्षा करके उसे एनएचएआई में लेने का काम किया है। नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वहां पहले से ही रोड की स्थिति काफी बदतर थी लेकिन राज्य सरकार कहती है कि भारत सरकार ने इसे ले लिया है तो इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और केन्द्र सरकार से निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसीलिए केन्द्र सरकार उन योजनाओं पर अधिसूचना निर्गत...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप 10 मिनट ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया दो मिनट बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया पूरे भारत के लिए बोलिए।

उन माननीय सदस्य को तीन मिनट का समय मिला है। तीन मिनट आपके समय में जोड़ दिए गए थे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: केन्द्र से योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन निश्चित तौर पर जो एक पैकेज के नाम पर चर्चा चली थी, मुझे पता नहीं कि रघुवंश बाबू पैकेज के नाम पर कहीं यह न समझते हों कि नगद रुपया मिलेगा। अगर नगद रुपया मिलेगा तो फिर बिहार में घपला हो जाएगा। इसीलिए योजना यहां से स्वीकृत होगी लेकिन हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार बिहार के नाम पर हिसाब करके कुछ इस तरह की योजना दे कि यहां से योजना स्वीकृत करे जो बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। केन्द्र की प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। रघुंवश बाबू कह रहे हैं कि हमारे राज्यों का पैसा प्रधान मंत्री सड़क योजना से रिलीज हो रहा है लेकिन बिहार का नहीं हो रहा है। हम आपकों बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री पटना गये हुए थे और यहां उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हम भी शामिल थे और रघुवंश बाबू भी शामिल थे। उसमें उन दिनों मुख्य मंत्री से भी ग्रामीण विकास मंत्री की वार्ता हुई थी जिसमें तय हुआ था कि उन्होने गाइडलाइन्स दी हैं कि सांसदों से अनुशंसा ली जाएगी। लेकिन बिहार सरकार ने उन अनुशंसाओं को काटकर योजना भेजी है। आखिर किस आधार पर रघुवंश बाबू चाहते हैं कि योजनाओं का पैसा दिल्ली से रिलीज हो जाए? इसलिए रघुवंश बाबू जी, जो मीटिंग में तय हुआ था, राज्य सरकार से बात करनी चाहिए, मुख्य मंत्री से बात करनी चाहिए। सांसद तो उनके ही दल के नहीं हैं, हर दल के हैं। उनकी अनुशंसा लेकर उन योजनाओं को यहां भेजना चाहिए ताकि बिहार का भी पैसा रिलीज हो जाए और बिहार में सड़क के विकास का काम हो जाए।...*(व्यवधान)*

शांता कुमार जी यहां बैठे हुए हैं। अनुदान में सुपर बाजार के लिए पैसा मांगा गया है और कई बार यहां सवाल उठ चुका है और स्वयं आपने स्वीकार किया है कि उसमें घोटाला हुआ है।

आपने लोक सभा में भी स्वीकार किया है और जो सवाल उठाए गए थे, आपने कहा था कि उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सारी बातें सत्य होने के बाद भी पैसा क्यों दे रहे हैं। क्या लुटवाने के लिए पैसा दे रहे हैं? ऐसा मत करिए। इस अनुदान पर पैसा नहीं जाना चाहिए नहीं तो वित्त मंत्री जी, मैं बता हूं कि घपला हो जाएगा। वित्त मंत्री जी से मिलकर कई बार सांसदों ने कहा और संसद में भी बातें चली हैं। सांसद मद के बारे में हम कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आपके लाभ की बात करके हम बैठ जाएंगे। सांसद मद में क्षेत्र के विकास के लिए दो करोड़ रुपया मिलता है और कई राज्यों में जैसे बिहार में एक एमएलए को एक करोड़ रुपया मिलता है और वहां मध्य प्रदेश में एक एमएलए को अपने क्षेत्र के विकास के लिए चालीस लाख रुपया मिलता है और सांसदों का हिसाब जोड़ा जाता है तो कहीं 6 निवार्चन क्षेत्र हैं तो कहीं 8 हैं तो कहीं 9 निर्वाचन क्षेत्र है तो एक-एक में 25 लाख रुपये से लेकर 24 लाख या 20 लाख रुपया पड़ता है तथा सांसदों को तो कम्पीटिशन करके जीतना पड़ता है, एक-एक वर्कर से कहना पड़ता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको सांसदों की नीयत पर शंका है और अगर नीयत पर शंका नहीं है तो पैसा क्यों नहीं बढ़ाते हैं। जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसके अनुसार एक करोड़ के हिसाब से ...*(व्यवधान)* यह 72 नं. में है। हम आपको जिन्दाबाद कह रहे हैं और हम आपका समर्थन करते हैं। हम लोगों का भी इसी के साथ पास कर दीजिए। सब लोग ताली बजा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम आपकी मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा करीब-करीब 30 डिमान्ड्स रखी गई हैं। समयभाव के कारण मैं दो-तीन डिमान्ड्स पर ही अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री तजुर्बेकार आदमी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की है। संसद द्वारा पैसा पास किया जाता हैं, लोक सभा द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन क्या वह ग्रामीण जनता तक पहुंच रहा है, इसकी व्यवस्था को देखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या सभा की अनुमति से हम समय बढ़ा सकते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में हमने यह निर्णय लिया था कि चर्चा के लिए अंतिम रूप से तीन घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। कल रेलवे की अनुपूरक मांगों के लिए दो घटें का समय दिया गया था लेकिन 6 बजे हमने निर्णय लिया कि बोलने के लिए इच्छुक अन्य माननीय सदस्यों को भी मौका दिया जाए। आज भी मैं आपसे कहता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं। जिनका नाम सूची में नहीं हैं उन्हें भी बोलने के लिए अध्यक्षपीठ के विवेकाधिकार से दो, तीन अथवा पांच मिनट का समय दिया जाए और जब वाद-विवाद समाप्त हो जाए तो माननीय मंत्री उनका उत्तर दें।

सभापति महोदय: लेकिन सूची में विभिन्न दलों के अनेक सदस्यों के नाम हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं वाद-विवाद का समय कम किए जाने पर जोरदार आपत्ति करता हूं। हमें सभा को हल्के-फुल्के ढंग से नहीं समझना चाहिए। कल रेलवे अनुपूरक मांगों पर आठ बजे तक चर्चा हुई थी। आज हम अनुपूरक मांगों (सामान्य) के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, यदि सभा का समय एक-डेढ़ घंटा बढ़ा भी दिया जाता है। तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा।

सभापति महोदय: ठीक हैं, हम माननीय मंत्री के उत्तर देने तक सभा का समय बढ़ा देंगे लेकिन आपको अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण रखना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह : महोदय, मैं व्यवस्था के बारे में कह रहा था। जितना पैसा यहां से पारित किया जाता है, वह सहीं ढंग से प्रखण्ड तक पहुंचता है, उसका कितना उपयोग हो पाता है, इसकी जांच की व्यवस्था होनी चहिए। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक बड़ी अच्छी योजना हैं। दो वर्ष हो गए हैं। सन् 2003 तक देश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। मैं आपको झारखण्ड की बात बता रहा हूं। वहां आरईओ एजेंसी काम करती है। झारखण्ड की सरकार ने भी अपने साधनों से बहुत सी स्कीमें शुरू की है। प्रधान मंत्री सड़क योजना को भी शुरू करने वाले हैं। इन एजेंसी से काम कराने में गुणवत्ता की समस्या आएगी और निश्चित रूप से काम सही रूप में नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता एजेंसी के बारे में सोचने की है।

[श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह]

महोदय, डिमांड में इंदिरा आवास योजना के बारे में चर्चा है। हर बार इस विषय में चर्चा की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो आवास बने हैं, वे अधूरे हैं, किसी में छत बनी हुई हैं, किसी में खिड़की नहीं हैं, किसी में दरवाजे नहीं हैं और इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि सरकार इसकी एक लिस्ट बनाए, जो पैंडिंग काम हैं, उनको समयबद्ध पूरा कराने की व्यवस्था करें।

सायं 6.04 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना है। इस योजना के आधार पर गांवों में चयन किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण स्तर पर सारे काम सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन इस योजना में गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं हो रहा है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं के बारे गम्भीरता से सोचें। बजट में कुंएं स्थापित करने के लिए पहले से ही प्रावधान है।

मैं अभी झारखंड की चर्चा करना चाहता हूं। वहां बड़ी-बड़ी स्कीम्स जैसे कोयलकारों, पेचखैरो और केसो बनी हैं लेकिन वे बरसों से पैडिंग हैं। इस पर सरकार के करोड़ों रुपए लग चुके हैं लेकिन किसानों को उनका कोई लाभ नहीं मिला यदि कुंओं का निर्माण किया जाता तो किसानों को लाभ होता। आप इसे रिव्यू करें और कोई व्यवस्था करें जिससे किसानों के लिए कुंओं का निर्माण हो सकें।

एक व्यवस्था है कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं उन्हें दो रुपए किलो की दर से गेहूं और तीन रुपए किलो की दर से चावल मिलेगा लेकिन इसका चयन ठीक से नहीं किया गया और उचित लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका दुरुपयोग हो रहा है। आपकी सारी उम्मीदें फेल हो रही है। आप इस योजना को रिव्यू करें तो पाएंगे कि आपने जो उम्मीद की थी, उसके मुताबिक उसका कुछ भी लाभ गरीब लोगों को नहीं हुआ। माननीय खाद्य मंत्री जी बैठे हैं। वह इस तरफ ध्यान दें और व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करें।

ग्रामीण जल आपूर्ति योजना लागू की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की समस्या का निदान हो सके। घंटी बज गई हैं। मुझे इतना ही कहना था।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि इतनी कठिन स्थिति में भी उन्होंने सर्वोत्तम विकल्प अपनाये। मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में विश्वव्यापी मंदी का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि थोक बिक्री मुद्रास्फीति 2.3 तक रहे। साफ्टवेयर निर्यात में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा विदेशी मुद्रा के भण्डार में 45.1 बिलियन डालर की बढ़ोत्तरी हुई। माननीय वित्त मंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक, 'सेबी', यू.टी.आई. आदि द्वारा शुरू किए उपायों का शेयर बाजार पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़े। इस प्रकार, अनेक उपाय पहले ही किए जा चुके है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई घोटाला न हो।

महोद, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए उपायों में से एक उपाय पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अनुपूरक अनुदान की मांगों के माध्यम से धनराशि दी है। एक व्यय है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना पर। स्वाभाविक रूप से यह गरीब लोगों के लिए है और इससे हमारे देश में बुनियादी ढांचा बनेगा। लेकिन यह बात जानकर मुझे उतनी ही निराशा हुई है कि उन्होंने हिन्दुस्तान जिंक लि. पर बकाया राशि से ब्याज माफ करने के लिए 102.22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हम सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को, जिन्हें पुनः चालू नहीं किया जा सकता है, कितनी धनराशि प्रदान करेंगे? मैं पूर्णतः इसके विरुद्ध हूं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि उन्हें इस तरह के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जो पुनः चालू किए जाने योग्य नहीं है, का शीघ्र निजीकरण करके सुधार करना चाहिए।

माननीय सदस्या, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने राजसहायता के बारे में मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारत से कहीं अधिक राजसहायता प्रदान की जा रही है। मैं उनकी बात से सहमत हूं।

लेकिन आप देखिए कि अमरीका में केवल 3.8 प्रतिशत लोग खेती का काम करते हैं और भारत में 70 प्रतिशत किसान है। इसलिए 3.8 प्रतिशत लोगों को दी जाने वाली राजसहायता तथा 70 प्रतिशत लोगों को दी जाने वाली राजसहायता की तुलना नहीं की जा सकती है। 70 प्रतिशत लोगों को राजसहायता देने का तात्पर्य है सभी को राजसहायता देना। लेकिन यह राजसहायता देना नहीं है। यह तो गरीबी को बनाए रखना है और यह कुत्तों को रोटी डालने जैसा है ताकि गरीब हमेशा गरीब बना रहे। आप उन देशों के उदाहरण देखिए जिन्हें बाद में स्वतंत्रता प्राप्त हुई जैसे चीन, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तथा कोरिया और उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में कितनी तेजी से प्रगति की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बुनियादी ढांचे पर धन लगाया न कि राजसहायता देने में। इसलिए इस संबंध में मेरा यह कहना है। अब माननीय वित्त मंत्री एक

बहुत लोकप्रिय मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं। निवेश द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार करना (पंप प्राइमिंग)। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में ऐसा करना शुरू किया। निःसंदेह मैं इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इससे इस्पात और सीमेंट का उत्पादन बढ़ेगा और प्रति कि.मी. पर 40 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे अगले पांच वर्षों के भीतर 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आवासीय क्षेत्र को उचित प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें ताकि इससे भी सीमेंट और इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे भी बुनियादी ढांचा बनेगा।

तीसरा, मैं शिक्षा के क्षेत्र पर आता हूं। शिक्षा अति महत्त्वपूर्ण बातों में से एक है जो देश की तस्वीर बदल देंगे। आप देखें कि प्रत्येक देश जिसने इस क्षेत्र में प्रगति की है उसने किस तरह से इसे प्राप्त किया है। उन्होंने पहले लोगों को शिक्षित किया। मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि स्वतंत्रता के 54 वर्षों के पश्चात् उन्होंने संविधान में ऐसा संशोधन किया है जिसके अंतर्गत इस देश में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको धनराशि कहां से मिलेगी? क्या 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने के लिए आपके पास धनराशि है?

हम प्रत्येक वर्ष शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.8 प्रतिशत खर्च करते हैं। हमें यह 6 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। लेकिन ऐसा किस तरह किया जा सकता है? मेरा सुझाव है कि आप शिक्षा कर लगाइए। इस बात से भयभीत न होएं। इस देश के लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करना होता है। यदि इस देश के लोग किसी कान्वेंट स्कूल में पहली कक्षा में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रतिमाह हजारों रुपये खर्च कर सकते हैं तो वे सरकार को इसके लिए कुछ राशि क्यों नहीं देते। उन्हें सरकार को कुछ राशि देनी चाहिए। आपको शिक्षा पर कर लगाना चाहिए। मैं प्रबल रुप से इस पक्ष में हूं कि लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको शिक्षा कर लगाना होगा।

महोदय, मैं केवल दो बातों का उल्लेख करुंगा और इसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरी बात कृषि के संबंध में है। इस वर्ष कृषि में अभूतपूर्व 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन 11 मिलियन टन से अधिक होगा। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यहां उपस्थित हैं। पिछले वर्ष वे किसानों द्वारा प्रस्तावित खाद्यान्नों की खरीद नहीं कर पाए। अब उन्हें और 11 मिलियन टन खाद्यान्नों के प्रबंधन का दायित्व मिलेगा। क्या वे प्रति टन 500 रुपये देकर उसे खरीदेंगे? क्या यह संभव हैं? आपको इस बारे में विचार करना होगा।

मेरा सुझाव है कि भारत को देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खोज करनी होगी ताकि यदि हम इसकी देश के भीतर खपत न कर पाएं, देश में बिक्री न कर पाएं तो कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए जहां हम खाद्यान्नों को बेच सकें और जहां से हमारे किसानों को धनराशि मिल सके।

दूसरी बात ब्याज दर को कम करने के संबंध में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर कम कर दी है। इसलिए हमारा मानना है कि यदि हम ब्याज दर कम करते हैं तो शायद हमारा निगमित क्षेत्र बढ़े। लेकिन माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है कि ब्याज दर में कमी के बावजूद किसी कम्पनियों के कार्यचालन में सुधार हुआ है। माननीय मंत्री वाद-विवाद के दौरान इसका उत्तर दे सकते है।

मेरे विचार से वे इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। देश में दो प्रमुख उद्योग हैं एक सीमेंट तथा दूसरा कागज उद्योग है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कागज का उद्योग है जो तीन वर्ष पूर्व बंद हो गया था। यह अकुशलता के कारण बंद नहीं हुआ वरन् भारत में विदेशों से कागज आयात करने के कारण हुआ। अतः, कागज की कीमत कम हो गई। अब कागज की कीमतें बढ़ी है और इस उद्योग के अर्थक्षम होने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र में नौकरियां नहीं है लेकिन हम जो थोड़ी बहुत रोजगार निजी क्षेत्र में दे सकते है और यदि ये भी बंद हो जाती है तो हम लोगों को रोजगार किस तरह प्रदान करेंगे। बैंक सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उनके पास अत्यधिक धनराशि है लेकिन वे इस डर से किसी को ऋण नहीं दे रहे हैं कि इससे अनुप्रयोज्य आस्तियों में वृद्धि होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं, मैं उनसे पहले ही कह चुका हूं कि वे सुनिश्चित करें कि वे कम से कम विश्वव्यापी मंदी के इस दौर में बैंकों, वित्तीय, संस्थानों को सहायता के लिए आगे आने दें तथा कुछ जोखिम उठाने दें। उनके पास काफी धनराशि है। उन्हें कम से कम लघु क्षेत्र तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने दीजिए ताकि लाखों लोगों के रोजगार को बचाया जा सके।

अधिकांश राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण क्यों नहीं किया गया है?

[श्री खारबेल स्वाइं]

आप धनराशि प्रदान कर रहे हैं और यह धनराशि राज्य सरकारों के पास पहुंच रही है लेकिन उन्होंने एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनायी। इसका क्या कारण है। राज्यों की दयनीय स्थिति के कारण इसकी पूरी संभावना है कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आपसे धनराशि लें और उससे अपने कर्मचारियों को वेतन दें। इसकी संभावना है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि कम से कम इस धनराशि का दुरूपयोग न हो।

मेरा आखिरी मुद्दा वित्तीय जिम्मेदारी अधिनियम के बारे में है। श्री मिस्त्री बात करते हुए पूछ रहे थे कि आपने कोई सीमा निर्धारित क्यों नहीं की है। मैं वित्त समिति का सदस्य हूं और मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस समिति में क्या हुआ है। आप अपने हाथ बांधना चाहते थे। आप सरकार के हाथ बांधना चाहते हो, आप सीमा निर्धारित करना चाहते थे तथा आप चाहते थे कि सरकार रिजर्व बैंक से ऋण न ले। इस विधेयक को लाने से ये सभी बातें समाप्त हो जाएंगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि चाहे विधेयक पारित हो अथवा नहीं, आप अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करे, कृपया उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। इस तरह से वित्तीय अनुशासन बनाया रखा जा सकता है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को पता चले कि इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने उद्योग क्षेत्र में विश्वास बना लिया है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी पूर्ण विश्वास के साथ हमारा मामला प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही गरीब लोगों, गरीब किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, जो कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत हैं, पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

माननीय मंत्री अपने बजट भाषण में वायदा कर चुके हैं कि ढांचागत परिवर्तन किए जाएंगे तथा विभागों का आकार कम किया जाएगा। संविधान में संशोधन करके प्रशासन का तीसरा स्तर बनाए जाने के बाद भी यहां अनेक विभाग है। प्रशासन का तीसरा स्तर ग्रामीण विकास का कार्य देख रहा है। इससे पहले, कृषि ग्रामीण विकास तथा अन्य मंत्रालय पूरे देश के लिए योजनाएं बना रहे थे। तथापि, राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को कभी क्रियान्वित नहीं किया। यद्यपि आपने अनुसरण हेतु मानदण्ड बनाए हैं। जब आप निधि देते हैं तो वे उन मादण्डों का पालन नहीं करते, वे अपने मानदण्डों का पालन करते है। अत:, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को सांविधिक निकाय बनाया जाना चाहिए। यहां पहले ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है जो पंजीकृत सांविधिक निकाय है।

केन्द्र सरकार द्वारा यह धनराशि जिला स्तर पर प्रदान की जा रही है लेकिन राज्य सरकारों ने अपना तंत्र बना लिया है और वे अपनी योजना बनाते हैं तथा धनराशि का अन्यत्र उपयोग करते हैं। अत:, धनराशि जिला स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। यदि इसके साथ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को जोड़ दिया जाता है तो बेहतर ढंग से जिला स्तर तक धनराशि पहुंच जाएगी। उदाहरण के लिए पशुपालन, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शहरी और गरीबी उपशमन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों के विभागों के लिए इस अनुपूरक मांग में 5000 करोड़ रुपये मांगें गए हैं।

इन सभी मंत्रियों और विभागों को आवंटित निधियों का उपयोग उचित रूप से हो सकता है यदि इसे संविधान की ओर कानूनी आदेश प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उपयोग किया जाए। इसका उपयोग जिला योजना आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका गठन प्रत्येक जिले में वैधानिक रूप से किया जाना चाहिए। परंतु यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो संपूर्ण धनराशि लोगों के पास सीधी पहुंच जाएगी। यह बड़ी धनराशि निचले स्तर तक के लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री समुचित कार्रवाई करें जिससे कि संसद सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये गये धन के बारे में निर्णय करने वाली जिला स्तरीय समितियों की बैठकों की अध्यक्षता कर सकें। अन्यथा, हम उन लोगों को क्या उत्तर देंगे जिनसे हम चुनावों में समर्थन मांगने जाते हैं? हमसे पूछते हैं कि हमने इन वर्षों में उनके लिए क्या किया। हमारे पास केवल 2 करोड़ रु. की ही राशि होती है। तमिलनाडु में एक विधान सभा सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक खंड के विकास के लिए 82 लाख रु. मिलते है जबकि हमें हमारे एक निर्वाचन क्षेत्र के एक खंड के विकास के लिए केवल 33.33 लाख रु. मिल रहे हैं। इसलिए यह राशि बहुत कम है। परंतु लोगों और प्रशासन को लगता है कि हमें बहुत धनराशि मिल रही है। जिलाधीश अकसर पूछते हैं कि संसद सदस्य निधि आवंटित क्यों नहीं करते। परंतु हम 2 करोड़ रुपयों से 13 लाख लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। राज्य के प्रत्येक जिले को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिमाह औसतन 400 से 500 करोड़ रु. मिलते हैं। संसद सदस्य उन समिथियों की बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं कर सकते जो केन्द्र सरकार से प्राप्त इतनी बड़ी राशि का आबंटन करती हैं? हम कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार ने अमुक-अमुक परियोजना के लिए निधि आवंटित की है और प्रधानमंत्री ने अमुक-अमुक कार्यक्रम के लिए निधि आबंटित की है। हम यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। परंतु आज परिस्थितियां ऐसी बन

गई हैं कि हमारे कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल दर्शक मात्र बनकर रह गए हैं और राज्य सरकार निधियों को अन्यत्र दे रही हैं। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री को इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

महोदय, इसी तरह मैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक की परिकल्पना है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास 20 एकड़ जमीन हैं लेकिन फिर भी वे गरीबी में रह रहे हैं। इन लोगों की कोई आमदनी भी नहीं है। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। उनके पास बिजली नहीं है और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। परंतु इन सभी अति पीड़ित लोगों को इस वर्ग में शामिल नहीं किया गया हैं और उन्हें घरों और जमीनों का मालिक दर्शाया जाता है। ऐसे लोगों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। कृषि के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों को छोड़ दिया गया है और इसी कारण बैंक सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए ऋण देने के इच्छुक नहीं है। सरकार ने अपनी अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कृषकों के लिए सिंचाई और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए कोई धनराशि की मांग नहीं की है। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग पूर्णत दिवालिया हो गये हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे उद्योग बंद हो रहे है। परंतु ऐसी लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में अनेक कुशल उद्योगपति हैं। इंजीनियरिंग डिग्री और एम.बी.ए. शैक्षणिक योग्यता के साथ लोग इन क्षेत्रों में आ रहे हैं परंतु उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है।

कृपया एक संघ बनाइए ताकि इस निधि की मदद से वे विकास कर सके। अन्यथा कम से कम उस राशि को तय करें जो वित्तीय संस्थानों को देय है ताकि वे कोई अन्य कार्य कर सके। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि बैंक व्यवसायिक अध्ययन करने वालों को ऋण नहीं दे रहे हैं। वे छोटे दुकानदारों को भी ऋण नहीं देते। वे सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए कतिपय आंकड़े दे रहे हैं परंतु कोई भी बैंक ये ऋण नहीं दे रहे हैं। मुझे पता लगा है कि सिर्फ अकेले भारत कपास निगम में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वस्त्र मंत्रालय ने 3 करोड़ रु. की मांग की है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों के बारे में सरकार की क्या नीति है? अब तक लगभग 100 मिलें बंद हो चुकी है। लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर रहे हैं। उन लोगों को कोई निधि नहीं दी गई है परंतु उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते है। एन.टी.सी. को इस बाबत कोई आवंटन नहीं किया गया है। यह आवंटन किया जाना चाहिए।

समुद्र विज्ञान अनुसंधान के संबंध में भी बहुत कम आवंटन किया जाता है। सेतु समुद्रम परियोजना के लिए भी बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है। सेतु-समुद्रम परियोजना एक बहुत अच्छी परियोजना है। यह परियोजना विशेष रूप से दक्षिण के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस परियोजना के कारण इस क्षेत्र की पूरो अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। मन्नार की खाड़ी के लिए भी कुछ राशि का आवंटन किया जाना चाहिए। यह खाड़ी वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, आने वाले बजट में इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समुद्र विज्ञान के लिए और अधिक धन आवंटन की आवश्यकता है क्योंकि हमने समुद्र की सम्पदा का उचित रूप से उपयोग नहीं किया है। समुद्र का हम कुछ भी दोहन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ही इसका लाभ हथिया रहे हैं और इस क्षेत्र में उचित योजना का भी अभाव है और इस क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

पर्यटन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में विश्व आय का करीब 63 प्रतिशत भाग पर्यटन के माध्यम से आता है। परंतु हम पर्यटन पर केवल 0.02 प्रतिशत का आवंटन कर रहे हैं। हमने पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया हैं। हमारे देश में पर्यटन एक उपेक्षित क्षेत्र है। इसी के साथ यह ऐसा क्षेत्र हैं जिसमें असीम संभावनाएं हैं। 11 सितम्बर के बाद भी अनेक लोग भारत आए क्योंकि भारत में ऐसी कई चीजें हैं जो वे विश्व के किसी अन्य देश में नहीं देख सकते। इसलिए, हमें पर्यटन की संभावनाओं को समझना होगा। हमें सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में हमें विवेकशील होना होगा ताकि वे यहां आने वाले पर्यटकों को आतंकित करने के बजाय उनका स्वागत कर सकें। हवाई अड्डों का भली प्रकार से रख-रखाव करना चाहिए। स्मारकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। आधारभूत ढांचे का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

दूरसंचार के संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी भी अनेक ग्राम पंचायतों के पास टेलीफोन सुविधाएं नहीं है। गांवों के लोग दूरसंचार सुविधाएं पाने के लिए उत्सुक हैं। विनिवेश के बाद, विदेश संचार निगम लि. और भारत संचार निगम लि. ने हमारे गांवों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया है। इसलिए उनकी क्षतिपूर्ति के लिए इन दोनों को अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे कि सभी पंचायतों को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

उर्वरकों की राजसहायता के संबंध में तो कृषकों को तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। 5 नवम्बर, 2001 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके आधार पर दी जाने वाली राजसहायता में संशोधन किया गया था और अतिरिक्त भुगतान

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

अप्रैल, 2000 से वापस लिया जाना हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस धनराशि का उपयोग कृषकों की भलाई के लिए किस प्रकार किया जाएगा।

हाल की नीतियों के कारण, बैंकों के पास काफी निधि है परंतु कंपनियां इसे लेना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि बाजार का स्थिति ठीक नहीं है और उनके माल को उठाने वाला कोई नहीं है। उसी के साथ कृषकों को परेशानी हो रही है। हम उस धनराशि को लेने के लिए तैयार है और इसका सही उपयोग करेंगे और अधिक नकदी फसलें उगाएंगे। इस उद्देश्य के लिए बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए निश्चित धनराशि अलग से रखने के लिए कहा जाना चाहिए।

सायं 6.25 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी से अवगत हूं इसलिए सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

प्रथमतः, जब सरकार ने सुधार और उदारीकरण की नीति अपनाई थी तो यह धारणा बनाई गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

परंतु वर्तमान आर्थिक परिदृश्य कुछ और ही है। समय की कमी के कारण मैं अधिक विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

कृषि के संबंध में अनेक बातें कही गई है। कुछ माननीय मंत्री ने इस सम्माननीय सभा में यह भी दावा किया है कि कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है और हम कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं।

परंतु मैं यहां माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा हाल ही में दिए गये एक वक्तव्य का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने यह बात कही थी कि पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में कम विकास होने और ग्रामीण उपभोक्ता की क्रयशक्ति का अभाव ही मांग की गिरावट का मुख्य कारण है। हमारे वित्त मंत्री ने इस संबंध में आशा व्यक्त की कि इस वर्ष अच्छी मानसून होने पर, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि वे स्वयं ही आर्थिक नीतियों के बारे में आशावादी नहीं हैं। वे अच्छे मानसून पर निर्भर हैं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या करोड़ों मेहनतकशों की पीड़ा उनके मन को द्रवित करती है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे इस बारे में विचार करते हैं या नहीं। तथापि अनुपूरक अनुदानों की मांगें 2001-2002 को पारित किया जाना है। इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे यदि संभव हो तो गरीब लोगों की भलाई हेतु कतिपय क्षेत्रों पर ध्यान दें।

जहां तक शीर्ष मांग संख्या 8 का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि 3 दिसम्बर, 2001 से कई लाख कोयला मजदूर हड़ताल पर हैं। वे अपनी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसलिए यदि संभव हो तो माननीय मंत्री उनकी मांगें मान कर उनकी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें।

अब, मैं अधिप्राप्ति के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। देश भर के किसान जिनमें अधिकतर गरीब और सीमान्त किसान हैं उन्हें अपने उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह बात हम सब जानते हैं। इसलिए उनकी फसलों को खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है। उन्होंने पहले ही किसानों से उनकी उपज को सीधे खरीदने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। परंतु मुख्य समस्या यह है कि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मेरे विचार से यदि संभव हो तो माननीय मंत्री को गरीब किसानों से सीधे उनकी पैदावार खरीदने के लिए अधिक धनराशि और सहायता दी जानी चाहिए ताकि किसानों को अपने उपज की बिक्री मजबूरी में न करनी पड़े।

महोदय अब मैं कुछ बातें भारत पटसन निगम (जे.सी.आई.) के बारे में कहना चाहता हूं। जे.सी.आई. के पास कच्चा पटसन खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि संभव हो तो जे.सी.आई. को अधिक धनराशि का आवंटन करें ताकि वे किसानों से पर्याप्त मात्रा में पटसन खरीद सके।

इसी प्रकार, सिंचाई और बैराज के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं? वे आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दे रहे है। यह सब ठीक है। परंतु वे सिंचाई को बढ़ाने के संबंध में क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस दिशा में भी विचार करें।

महोदय, इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में भी अनेक बातें कही गईं हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण के लिए कोई

धनराशि नहीं दी जाएगी। यदि हम पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे तो, सड़कों का विस्तार किस प्रकार होगा।

यह कहा गया है कि किसी पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसलिए कृपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अधिक धनराशि दें। लघु क्षेत्र और कुटीर उद्योगों के मामले में क्या हुआ? बेरोजगारी की समस्या के संबंध में क्या हुआ? पहले यह कहा गया था कि एक मिलियन बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाएगा उस घोषणा का क्या हुआ? उनके गरीब-हितैषी, ग्रामोन्मुखी और रोजगारन्मुखी कार्यक्रम का क्या हुआ? मैं नहीं जानता कि वे किस हद तक इन बातों पर विचार कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि यदि संभव हो तो इन सभी बातों के लिए कुछ करने और इन पर ध्यान देने को कोशिश की जानी चाहिए ताकि हमारे देश के अधिकांश मेहनतकश लोगों को लाभ पहुंच सके।

यही मेरे विचार है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। वह भी भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों के समर्थक हैं। तथापि यह देख रहे हैं कि यह सरकार न तो वृहत अर्थव्यवस्था का पालन कर रही है और न ही सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का बल्कि हम विनाशकारी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं क्योंकि हम हर मोर्चे पर असफल हो रहे हैं।

लेकिन फिर भी मैं अपने भाषण में इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार 42 बिलियन डालर से भी अधिक है। मुद्रास्फीति पर हमारा काबू है। एफ.डी.आई. में वृद्धि हुई है। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे निराशाजनक पहलू की सूची इतनी लंबी है कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते। माननीय वित्त मंत्री विवादास्पद चर्चा या बनावटी आंकड़ों से उसे दबा सकते हैं जैसा कि उन्होंने हाल ही में वस्तुनिष्ट मानदण्डों के बजाए विषयनिष्ट भावनाओं द्वारा प्रेरित होने वाले रुझान को विकसित किया है। तथापि अर्थव्यवस्था राष्ट्र का दर्पण है। यह एक ऐसा पैरामीटर जिससे देश की प्रगति का पता लगाया जा सकता है।

क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि कितना कर एकत्रित किया गया है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे इस मामले में अपने कदम के समीप हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे विदेशी ऋण से संतुष्ट है? 31 मार्च को हमारा विदेशी ऋण 100.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। मुझे नहीं पता अब इसकी स्थिति क्या है?

मैं यह स्पष्ट करने के लिए कुछ आंकड़ें देना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है। औद्योगिक विकास धीमा हो रहा है और इसकी स्थिति जस की तस है। राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत है। सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है। सकल कर संग्रहण में 6 प्रतिशत की कमी आई है। आय कर संग्रह में चार प्रतिशत की कमी आई है। निगमित कर में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सीमा-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। गैर-योजना व्यय में 13.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान केन्द्र सरकार व्यय में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई; योजना व्यय 10.6 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट दर्ज की है। उन्होंने 6.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया था किंतु उन्होंने इसमें संशोधन करके 5.2 प्रतिशत कर दिया था। निर्यात में भी कमी देखी जा रही है। हमारे निर्यात में गिरावट आ रही है।

हमारे आयात में बढ़ोत्तरी दिखाई दे रही है। इसलिए हम करीब 5 बिलियन डालर का व्यापार घाटा उठा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन संगत साल की उसी अवधि के दौरान 5.7 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अगस्त के दौरान कम होकर 2.2 हो गया। औद्योगिक विकास का यह कोई संकेत नहीं है। सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे - सूत, वस्त्र, खाद्य तेल, कोयला इत्यादि नकारात्मक वृद्धि हो रही है। इसलिए हमारी दशा ऐसी है कि अब हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तथापि, अभी हमें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। सबसे अधिक खेदजनक बात यह है कि भौगोलिकरण और उदारीकरण के शोर-गुल में हमारा कृषि क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित रहा है। आगामी बजट तैयार करने के लिए हमारे वित्त मंत्री पहले ही एक टीम का गठन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे हमारे देश के गरीब किसानों में आशा की नई किरण दिखाई देगी। राजकोषीय बजट में, आई.डी.बी.आई. के साथ उद्यम पूंजी वित्तपोषण के लिए धन जुटाने हेतु तकनीकी आयात के बदले में आठ प्रतिशत अनुसंधान और विकास उपकर लगाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे कितनी धनराशि जुटाई गई है जिससे कि देश में उद्यम पूंजी वित्तपोषण उपलब्ध किया जा सके।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान भारत में पिछड़े जिलों की पहचान के लिए 1997 में गठित शर्मा समिति की ओर दिलाना चाहूंगा।

[श्री अधीर चौधरी]

भारत के 100 अति पिछड़े जिलों में मेरे जिले मुर्शिदाबाद की भी पहचान की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन जिलों के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है ताकि इन पिछड़े जिलों को भारत के मुख्य जिलों से आगे बढ़ाया जा सके।

मैं, सभा के उन माननीय सदस्यों से असहमत हूं जो राजसहायता समाप्त करने के तर्क देते हैं और जो समृद्धि की अवधारणा के प्रवचन देते हैं। एक रोगी को जीवित रहने के लिए 'एड्रीनलिन' की आवश्यकता होती है। जो लोग समृद्धि की बात करते हैं मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भारत उन लोभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को समृद्धि का भाग्य बन चुका है जो हमारे देश की ओर भागी चली आ रही हैं क्योंकि इस सरकार ने इन कंपनियों के मालिकों के समक्ष बड़ी ही कायरतापूर्वक समर्पण कर दिया है और उन्हें हमारे देश की जनता के समक्ष आ रही कठिनाईयों की कोई परवाह नहीं है। इसलिए, महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन अकुशलतापूर्वक नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके लिए गहन सोच और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी 22 सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और बहुत ही बहुमूल्य सुझाव भी दिए। मैं अपने निर्धारित समय में अपने उत्तर में सभा में व्यक्त की गई कुछ समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करूंगा।

पहली समस्या विकास दरों को लेकर उठाई गई है। देश के आंकड़ों का हिसाब रखने वाले केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने जब यह घोषणा की कि वर्ष 2000-2001 में विकास दर घट कर 5.2 प्रतिशत हो गई है तो एक राष्ट्र के रूप में हमें बड़ी निराशा हुई।

आज भी जब हम विकास के आंकड़ों को देखते हैं, चाहे ये चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के हों या उद्योग की विकास दर के हों, आधारभूत संरचना की विकास दर के हों, यह सेवा-क्षेत्र की विकास दर से संबंधित हों, अर्थव्यवस्था की विकास दर में आ रही कमी से हम सभी को निराशा होती हैं। यह मान्य है। कभी-कभी मैं एक अलग तरीके से इसी असंतोष में से संतोष की भावना ढूंढ लेता हूं क्योंकि इससे यह पता चलता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम परिपक्व हो चुके हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत पांच प्रतिशत जितनी कम विकास दर के साथ अब रह नहीं पाएगा। एक राष्ट्र के रूप में हम उच्च विकास दर के प्रति वचनबद्ध हैं। इसलिए, हमें तभी निराशा होती है जब हम वांछित उच्च विकास दर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

प्रारंभ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाल ही में जब मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सात प्रतिशत विकास दर के बारे में बातचीत की थी तो मैं चालू वित्त वर्ष की बात नहीं कर रहा था। तब मैं आने वाली दशक की विकास दर की बात कर रहा था और मैंने यह मुद्दा उठाया था कि यदि हमारा देश सात प्रतिशत की औसत विकास दर को पा लेता है तो इससे न केवल हमारी राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद दुगना होगा बल्कि यह मिलियन डालर के करीब हो जाएगा और इससे देश में गरीबी की समस्या भी काफी हद तक हल हो जाएगी। यदि हमारी जनसंख्या का चौथाई भाग गरीबी-रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है तो भी हमें उसमें 20 प्रतिशत की कमी और कर सकते हैं और हो सकता है कि इन दस वर्षों के अंत में भारत की जनसंख्या का मात्र पांच प्रतिशत या उससे भी कम जनसंख्या गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन करेगी - इसके अतिरिक्त हमें अपने लिए एक दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारित करना होगा ताकि हम उतनी गरीबी को भी मिटा सकें।

एक दशक के लिए सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है क्योंकि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि 1990 के दशक के मध्य हमने लगातार त्रीन वर्षों तक सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की थी। इन तीन वर्षों में से पहले दो वर्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के थे और तीसरा संयुक्त मोर्चे के कार्यकाल का था। मैं सभा को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 1996-97 में 7.8 प्रतिशत की विकास दर रिकार्ड करने के पश्चात् विकास दर में हमने 1997-98 में मात्र 4.8 प्रतिशत की गिरावट भी देखी है। मुझे याद है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली सरकार में, जब मैं वित्त मंत्री बना तो, मार्च, 1998 में मुझसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए मैं क्या करूंगा। आज भी, मुझसे वही सवाल फिर किया जा रहा है।

महोदय, 1998 का वर्ष चालू वर्ष की तरह निराशाजनक था। इसके अलावा, 1998-99 में या वर्ष 1998 के आरंभ के हमारे नजदीक पूर्वी एशिया संकट पैदा हो गया, जिसने इस क्षेत्र के सभी देशों में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई इससे यहां भी आंतरिक अस्थिरता भी पैदा हुई। पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण से हम पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए। मैंने अपने स्टाफ से तत्कालीन स्थिति का पता करने के लिए 1998 के समाचार पत्रों की कतरने एकत्रित करने के लिए भी कहा था। हाल ही में एक ऐसे विदेशी आगंतुक ने कुछ टिप्पणी की है जो भारत कभी नहीं आए।

भारतीय समाचारपत्रों के प्रमुख समाचारों में हमने पढ़ा था कि "भारत में 1991 जैसा वित्तीय संकट पैदा होने वाला है।" इन सभी कतरनों में ऐसी ही निराशाजनक टिप्पणियां की गई हैं।

औद्योगिक उत्पादन कम था। कृषि उत्पादन में वृद्धि की किसी को भी आशा नहीं थी। जब मैंने कहा कि हम आर्थिक प्रतिबंध झेल लेंगे और जब मैंने यह कहा कि हम अर्थव्यवस्था में बदलाव लायेंगे तो यह सब व्यर्थ की बातें थीं। हम 3.5 प्रतिशत की विकास दर के संदर्भ में सोच रहे थे। हमने उठाए गये सिद्धांतों का विरोध भी किया। तब विकास दर 4 प्रतिशत थी। यह वर्ष कैसे बीता था? उस वर्ष विकास दर 6.6 प्रतिशत थी। विकास दर 7 प्रतिशत नहीं थी लेकिन यह 6.6 प्रतिशत थी जो किसी के लिए शर्म की बात नहीं थी। मेरा काम विकास दर का आकलन करना नहीं है। इसलिए आज भी, इस सम्माननीय सभा में भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि इस सभा में इस राष्ट्र के भविष्य के नाते हमें यह सोचना होगा कि इस सभा से हम कैसा संदेश देना चाहते हैं। क्या हम इस निराशाजनक स्थिति में साथ देना चाहते हैं? जैसा कि मैंने कहा है कि मैं यहां चालू वर्ष की विकास दर का अनुमान नहीं लगाऊंगा। किंतु यह निश्चित है कि यह विकास दर सात प्रतिशत नहीं होगी। इसलिए, नई सहस्त्राब्दि और नई शताब्दी का आरंभ कुछ हद तक निराशाजनक ही रहेगा। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें आगामी वर्षों में उच्च विकास दर को प्राप्त करना होगा। किंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्थिति की उपेक्षा नहीं करना चाहता। हम अपने देश को आज बाहरी संपर्कों से एकदम अलग नहीं कर सकते।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में पेट्रोलियम मूल्यों में करीब 300 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। मैं माननीय सदस्यों को 1973-74 में देश के समक्ष उत्पन्न स्थिति की याद दिलाना चाहता हूं जब पहली बार तेल का संकट पैदा हुआ था। दूसरी बार यह तेल संकट 1980 में और तीसरी बार तेल संकट 1990-91 में पैदा हुआ था। अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्य दशकीय संकट की कुछ अजीब प्रणाली है। इस प्रकार हमने 1970, 1980 और 1990 के दशकों के प्रारंभ में तेल संकट का सामना किया। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 1991 में, जब मैं वित्त मंत्री था तो देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा था कि हमें विदेशी मुद्रा और देश चलाने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी। क्या इस वर्ष हमारी हालत ऐसी है जब अंतरराष्ट्रीय मूल्य 300 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं? यह सही है कि हमें पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतें बढ़ानी पड़ी थी। इससे मांग भी प्रभावित हुई क्योंकि जब मूल्य बढ़ते हैं तो तेल पूल के घाटे को कम करने के लिए और राजस्व प्राप्त करने के लिए ही मूल्य बढ़ाए जाते हैं। आप मांग में कमी लाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि आयात घटाया जा सके। हमने वर्ष 2000-2001 के दौरान तेल आयात पर करीब 72,000 करोड़ रुपये खर्च किए। उस कीमत वृद्धि के माध्यम से हम देश में मांग में कमी लाना चाहते थे और इसमें हम सफल रहे। संभवत: हमारे इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में कमी आयी। इस देश में डीजल के उपभोग में 5 से 6 प्रतिशत ही कमी आयी। यह एकाध महीने से बढ़ना शुरू हुआ है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। उम्मीद भी ऐसी ही की गयी थी। यह अप्रत्याशित नहीं था।

श्री अधीर चौधरी : आज हम पर कितना बाहरी ऋण है?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं श्री चौधरी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने यह मुद्दा उठाया था।

वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार की ओर से मैंने भारत के विदेशी ऋण की स्थिति के बारे में एक पूरी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। यह रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। यदि माननीय सदस्य ग्रंथालय में जाकर इस रिपोर्ट को देखें तो उन्हें भारत के विदेशी ऋण से संबंधित आंकड़े मिल जायेंगे। यह काफी संतोषजनक है। इसके लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई परेशान करने वाली चीज है तो वह हमारा आंतरिक ऋण है जिसके बारे में मैं इस सभा में बार-बार कह चुका हूं। मैं इस सभा का समय अन्य बाहरी बातों का जिक्र करने में नहीं गुजारना चाहता।

अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र चरमरा जाने से सारे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मंदी आयी है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि पिछले दो वर्षों से कृषि में कमी आयी है। वर्ष 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 0.7 प्रतिशत था तथा वर्ष 2000-2001 में इसमें गिरावट आई और यह 0.2 प्रतिशत तक ही रह गया। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बस इतना ही था। मैं अपने को अर्थशास्त्री होने का दावा नहीं करता परंतु मैंने विगत दो दशकों के आंकड़ों को देखा है। मैंने यह देखा है कि जब कभी भी कृषि उत्पादन में कमी आयी है तो इसने सिर्फ उसी साल के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर ही प्रभाव नहीं डाला बल्कि इसने मांग को भी प्रभावित किया है तथा इससे आने वाले वर्षों में भी आर्थिक विकास में कमी आयी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है तथा अधिकांशत: कृषि पर निर्भर है। कृषि में गिरावट सिर्फ उत्पादन की दृष्टि से ही नहीं आई है? सदस्यों ने आज तथा पहले और विगत सत्रों में बार-बार देश में तथा पूरे

[श्री यशवंत सिन्हा]

विश्व में कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट का जिक्र किया है। यदि किसान को उसके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, यदि वह अपने उत्पाद, रबर, कोपरा, नारियल गेहूं, चावल और जूट को बाजार में नहीं बेच पाएगा तो उसकी आय कम हो जाएगी। जब उसकी आय कम हो जाती है तो उसके उपभोग और खर्च करने को क्षमता भी घट जाएगी। मेरा अभिप्राय यही था जब मैंने कहा था कि यह हमारे लोगों की क्रय-शक्ति को प्रभावित करता है। ...*(व्यवधान)*

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के बीच कृषि उत्पादन में एक करोड़ तीस लाख टन की कमी आयी है। इस प्रकार की कमी हमारे सामने आई है। करीब 209 मिलियन टन से घटकर यह करीब 195 मिलियन टन हो गया। कृषि उत्पादन में इस कमी तथा इस कमी के बावजूद मूल्यों में गिरावट ने ये सारी समस्याएं पैदा की हैं। इसी संदर्भ में मैंने कहा कि इस वर्ष स्थिति बेहतर है। हममें से सभी को यह महसूस करना चाहिए कि यह कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र है न कि औद्योगिक क्षेत्र अथवा निर्यात क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति हो रही है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मैं महसूस करता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कीमतों में कुछ सुधार हुआ है। अपने प्रयासों के माध्यम से, यहां खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी उपस्थित हैं, हम किसानों तक पैसा पहुंचाने में सफल होंगे।

अभी, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में 50,000 करोड़ रुपये खाद्य भण्डारों के रूप में दिए गये हैं। ये 50,000 करोड़ रुपये भारत के किसानों के पास गए हैं। इस वर्ष खरीद पर हमने जो अतिरिक्त राशि खर्च की है वह भी भारत के किसानों के पास ही जायेगी। इससे उनकी क्रय-शक्ति बढ़ेगी जिसका अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1998 में मैंने यही आशा की थी। वर्ष 2001 में भी मैंने यही आशा की है। जैसा कि मैंने कहा है कि वर्ष 1998 में हमने इसके विपरीत विचारों के हिमायती लोगों को गलत साबित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर हम उन्हें गलत साबित करेंगे।

सायं 7.00 बजे

एक देश के रूप में भारत के पास गुप्त ऊर्जा व गुप्त शक्ति का विशाल भण्डार हैं जिसे हम कभी-कभी महसूस नहीं करते। अन्य देशों के विपरीत, यही छिपी हुई शक्ति हमारा बचाव करती है।

जहां तक विकास दर का सवाल है, यह चिंता का विषय है। विकास दर को बढ़ाने के लिए हमने - मैं सिर्फ बजट की ही नहीं बल्कि बजट के बाद की भी बात कर रहा हूं - हाल ही के महीनों में बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें कुछ सामान्य तथा कुछ क्षेत्र विषयक कदम शामिल हैं। सरकार इन पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है। हम आर्थिक क्षेत्र की घटनाओं पर लगातार ध्यान देते रहेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में आयी कमी पर व्यक्त की गयी चिन्ता बिल्कुल जायज है। कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 1988-89 की तुलना में कमी आयी है। हमने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सिर्फ इस आरोप से मैं अपने को निर्दोष साबित करने में असमर्थ हूं कि हमने कर दरों को आसान बनाने की कोशिश नहीं की है। वस्तुतः यह एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां मैं यथार्थतः कुछ संतोष के साथ कह सकता हूं कि कर प्रक्रिया तथा कर दरों को पर्याप्त रूप से आसान बनाया गया है। उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में अनेक दरें मुझे विरासत के रूप में मिले थे। सीमा शुल्क की अनेक दरें भी मुझे विरासत में मिली हैं। हम बहुत हद तक उन्हें तर्कसंगत बनाने में सफल हुए हैं। हमने प्रक्रिया को सरल बनाने और कर प्रणाली को करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कई परिवर्तन किए हैं। यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी।

इसके बाद, मैं अब यह कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं हैं। कुछ मजबूत पक्ष हैं, कुछ कमजोरियां हैं। मजबूत पक्ष क्या है? मजबूत पक्ष यह है कि हमारे सामने आ रही आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बावजूद, जैसा कि किसी ने बताया है कि आज हमारे पास करीब 47 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो वर्ष 1999 में एक स्वप्न भर था। यदि 1991 में किसी ने मुझसे यह कहा होता कि भारत के पास एक दिन 47 बिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भण्डार होगा तो मैं यही समझता कि वह स्वप्न देख रहा है। किन्तु यह स्वप्न आज हकीकत बन गया है। हमारे सामने आ रही समस्याओं के बावजूद हमने अपने भण्डार में वृद्धि की है। सप्ताह-दर-सप्ताह, महीना-दर-महीना भण्डार में वृद्धि होती गयी है। मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा। वस्तुतः यह बात मैं सुबह में किसी दूसरे मंच से कह रहा था कि भारत अपनी चारदीवारी के अंदर रह रहे लोगों से बना है। अप्रवासी भारतीय भी भारत के अंग हैं जिन्होंने प्रशंसनीय व विश्वसनीय ढंग से हमारी मदद की है। जब भी हम अप्रवासी भारतीयों के पास गए हैं, चाहे यह रिसर्जेण्ट इंडिया बॉण्ड का मामला हो अथवा इंडिया मिलेनियम डिपोजिट का मामला हो, उन सभी ने सुनिश्चित किया है कि विपत्ति को दूर किया जाए।

सभा में मेरे मित्रों द्वारा कई मामले उठाए गए हैं। किन्तु उन पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ आम मुद्दों का जिक्र करना

चाहता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। मैंने पहले भी इसकी वकालत की है। मैं समझता हूं कि इस सभा का सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस मुद्दे पर विचार करें। और मुद्दा यह है कि हम प्रशासन प्रणाली को किस प्रकार से संचालित करें ताकि वह जनता के लिए प्रभावी साबित हो सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे उस समय आश्चर्य और निराशा हुई जब मैंने माननीय सदस्यों से यह सुना कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में उनसे परामर्श नहीं लिया जा रहा है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछली बार जब मैं अनुपूरक मांगों की पहली किस्त प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए निर्धारित इस राशि को राज्य योजना से केन्द्रीय योजना को अंतरित करने का कारण संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा : वस्तुस्थिति यह है कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान में इस राशि को खर्च किया गया है। समस्या यह है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस समस्या से वाकिफ हैं। वे इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : हमने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है।

मैंने इस सभा में यह बताया है कि करीब दो वर्ष पूर्व वर्षा ऋतु के दौरान, जब हम सभी चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे वाहन कच्ची सड़कों के कीचड़ में फंस गए। लोग हम पर हंस रहे थे। वे हमसे कह रहे थे: "क्या अब, आपको पता चला कि हम दिन-प्रतिदिन किन-किन समस्याओं से जूझते हैं?" जब हम जीतकर आए और सरकार गठित हुई तो हमने कहा : हमें यथाशीघ्र रूप एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण सड़क परियोजना शुरू करनी चाहिए।" फिर उसके बाद हमने इस पर कार्यवाही की। हमने पेट्रोल और डीजल में मूल्य में हुई वृद्धि को उत्पाद शुल्क पर उपकर में बदल दिया है। इससे प्राप्त निधि का प्रयोग ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों और रेल उपरिपुल के विकास में किया गया है। यह उन निधियों का अनुमानित व्यय है। इस वर्ष इसमें हमें कुछ समय लग गया। आपकी तरह हम भी इस बात से चिंतित थे कि यदि हम राज्यों को मुक्त रूप से धन मुहैया करते रहे तो उनके द्वारा इसका दुरुपयोग होगा, जैसा कि श्री वर्मा ने बताया है कि इसका दुरुपयोग वेतन भुगतान और संस्थाओं पर खर्च के रूप में हो रहा है। हम इस संबंध में भारत सरकार से बात करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्यों से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में पूरी तरह परामर्श किया जाये और भारत सरकार की उस व्यवस्था के अंतर्गत इस योजना को क्रियान्वित किया जाये।

मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मेरे सहयोगी, ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सरकारों को निदेश जारी किये हैं संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य से इसके बारे में परामर्श किया जाए। राज्य सरकारों की सिफारिशों में यह वाक्य जरूर रहना चाहिए कि इस संबंध में संसद सदस्यों से परामर्श अवश्य किया जाए। मैं इस तथ्य से भी व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हूं कि - जहां कहीं भी इस शर्त का जिक्र नहीं किया जाता वहां ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वे इस स्तर पर तत्संबंधी परामर्श करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं नेक इरादों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ग्रामीण विकास मंत्री वास्तव में यह महसूस करते हैं कि संसद सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं कि किसी भी राज्य सरकार तथा जिला प्राधिकारियों ने संसद सदस्यों से परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा ...*(व्यवधान)* यह सच है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी प्रश्न पूछेंगे तो माननीय मंत्री किस तरह उत्तर दे सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरी): यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप परिपाटी से अवगत हैं। जब आप कुछ स्पष्टीकरण मांगते हैं तो माननीय मंत्री को उसका उत्तर देना होता है। उनके उत्तर देने से पहले आप बोलते जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : स्पष्टतः, इस सभा में हुई चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में संसद सदस्यों से परामर्श किया जा रहा है। अनेक अन्य राज्यों में उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि संसद सदस्यों के क्षेत्रों में शुरू की गई ग्रामीण सड़क परियोजना के संबंध में उनसे

[श्री यशवन्त सिन्हा]

पूर्ण परामर्श किया जाना चाहिए। यदि इस प्रणाली में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। मैं यह कुछ बातें कहना चाहता हूं।

श्री प्रबोध पण्डा : सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि का क्या हुआ?

श्री यशवंत सिन्हा : अधिकांश सड़कें गांवों के क्षेत्राधिकार में आती है। मुझे पता है क्योंकि आखिरकार मैं भी इस सभा का सदस्य हूं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं में मेरी बहुत रुचि है। होता यह है कि यदि भूमि का कुछ भाग अधिगृहित किया जाना होता है तो हम ग्रामवासियों को खेत देने के लिए राजी करते हैं। आखिरकार सड़क वहां से गुजरेगी और ग्रामवासी अपने खेत दे रहे हैं। मैं अभी-अभी की गई इस टिप्पणी से सहमत हूं कि यदि भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामीण सड़क परियोजना में एक अलग उपबंध करना पड़े तो यह बहुत महंगा पड़ेगा और इसका मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह निश्चित करने हेतु हमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए कि ग्रामीण सड़कों के लिए भूमि के छोटे-मोटे टुकड़े अधिगृहीत किए जाए और यह हमें निःशुल्क मिलें। लेकिन दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि माननीय सदस्यों ने भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित की जा रहीं विकास संबंधी परियोजनाओं की निगरानी का प्रश्न इस सभा में उठाया हो। हम ऐसा किस तरह करते हैं। मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं आज भी उठाना चाहता हूं कि एक संघीय शासन-व्यवस्था में जहां राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, राज्यों का अपना विधानमंडल है, अपनी लोक लेखा समिति है तथा इसके साथ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वहा हम भारत सरकार की कैसी भूमिका चाहते हैं? यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और मेरे विचार से एक राष्ट्र के रूप में हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, इस समस्या का समाधान करना चाहिए क्योंकि आपकी तरह मैं भी अधीर हो रहा हूं। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं और वहां जाकर यह पता चलता है कि हमने बहुत अच्छी योजनाओं के बारे में विचार किया है तथा उन्हें बनाया है लेकिन जिला कलेक्टर को इस बारे में अभी तक अनुदेश भी नहीं मिले है तो मैं अधीर हो जाता हूं। हम सभी को इसी तरह की बेचैनी महसूस होनी चाहिए और इससे यह मांग उठेगी कि हमारे 2 करोड़ रुपये 5 करोड़ अथवा 6 करोड़ अथवा 10 करोड़ रुपये हो जाने चाहिए और माननीय संसद सदस्य को ग्रामीण जिला विकास एजेंसी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए अथवा निर्वाचन क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यक्रमों में हमारी सुस्पष्ट अभिव्यक्ति तथा प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*। जहां तक जिला प्रशासन का संबंध है हमें संसद सदस्य के रूप में राजनैतिक विचारों तथा राजनैतिक गठबंधनों से ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, जहां तक विकास कार्य का संबंध है, हम अपने लिए तथा राज्य सरकारों के लिए किस तरह की भूमिका तथा उत्तरदायित्व चाहते हैं तथा किस तरह से केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में तालमेल स्थापित किया जा सकता है? यह एक चुनौती है। हम इसका समाधान ढूंढ नहीं पाए हैं। मेरे विचार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय को किसी एक दिन इस मुद्दों पर चर्चा करवानी चाहिए और इस पर सर्वसम्मति बनानी चाहिए क्योंकि हमारे पास केवल भूमिका का ही मुद्दा नहीं है वरन् ऐसा करने से प्रशासन को भी फायदा होगा। अब हमारे पास 73वां और 74वां संशोधन है। स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि है। राज्य विधानमण्डलों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व का विभाजन होना चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए। हमें लोगों के पास जाकर उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं और निःसंदेह हम सबका यह अनुभव रहा है कि वे प्रत्येक मामले पर हमारे साथ चर्चा करते हैं। यदि नगरपालिका का बिजली का बल्ब नहीं जलता तो वे पूछेंगे कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? हमारे प्रतिनिधि होकर आप क्या कर रहे हैं? यदि नाली और गटर साफ नहीं है तो हमें दोष दिया जाता है क्योंकि नगरपालिका अपना काम नहीं कर रही है। इसलिए, मेरे विचार से हमारे लोकतंत्र के लिए समय आ गया है कि हमें विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के दायित्वों का स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए और संसद सदस्य के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु हमें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए न कि पंचायती राज संस्थान अथवा नगरपालिका आयुक्त को। यदि हम राष्ट्र के रूप में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसद सदस्य के रूप में हमारी भूमिका समग्र निरीक्षण की होनी चाहिए तो हमें इस तरह से संस्थानों का गठन करना चाहिए कि हम उस भूमिका को निभा सके और केवल चुनाव समय आने पर अथवा एक सरकार के कार्यकाल के समाप्तावधि और दूसरी सरकार के कार्यकाल की आरंभ का अवधि के दौरान जनता के पास नहीं जाना चाहिए और हमें जिम्मेदार ठहराया जाए क्योंकि यह एक तरह से अपमानजनक है कि जिन बातों पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है उनके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि यह सभा इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

मैं एक अन्य सामान्य मुद्दा रोजगार के बारे में उठाना चाहता हूं। रोजगार अथवा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यह सच है कि एन.एस.एस.ओ. द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण के

अनुसार रोजगार सृजन की दर कम हुई है। एन.एस.एस.ओ. ने वर्ष 1993 और 1999 में सर्वेक्षण किया था और उन्होंने पाया कि पिछले छह वर्षों की तुलना में रोजगार सृजन की दर वास्तव में कम हुई है।

ऐसा क्यों हुआ? वृद्धि दर किसी असंगठित क्षेत्र में कम नहीं हुई है। वस्तुत: असंगठित क्षेत्र ने जो वृद्धि दर दर्ज की है। उसकी पिछले वर्ष से तुलना की जा सकती है। ऐसा निजी संगठित क्षेत्र में भी नहीं है। ऐसा केवल सरकारी क्षेत्र में है कि हम सकारात्मक वृद्धि दर से नकारात्मक वृद्धि दर में आ गए हैं। इसका कारण पता करना मुश्किल नहीं है क्योंकि दसवें दशक के दौरान उदारीकरण के दौर में सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई थी। अब यहां पुनर्गठन हुआ है। वस्तुत: हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अन्य क्षेत्र की तरह भारतीय उद्योग का पुनर्गठन हो रहा है। सरकारी क्षेत्र का भी पुनर्गठन हो रहा है। अत: हमारे इतिहास में ऐसी स्थिति आ गई है कि इन क्षेत्रों में लोगों की भर्ती की बजाय वास्तव में छंटनी की जा रही है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में भी मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए धनराशि हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं जिसका तात्पर्य है कि सरकारी क्षेत्र में कम लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम प्रतिस्पर्धी बनना चाहते हैं तो हम इतने कर्मचारियों का भार नहीं उठा सकते है। हमें हमारे उद्योगों, एककों, फैक्टरियों में कर्मचारियों की संख्या कम करनी होगी तथा और कुशल बनाना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते है तो हम पाएंगे कि हर वर्ष अधिकाधिक उद्योग बंद होते जाएंगे।

मैं श्री खारबेल स्वाइं की इस बात से सहमत हूं कि निजी क्षेत्र के एकक बंद हो रहे हैं। मुझे इस सभा में यह बात स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जब मैं 1998 में अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के लिए प्रचार कर रहा था तो उस समय एक निजी क्षेत्र के एकक को बंद कर दिया गया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप इस एकक को पुन: चालू कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं अपनी ओर से भरसक कोशिश करूंगा। इसके बाद दुर्भाग्यवश मैं वित्त मंत्री बन गया। इसलिए उनकी आशा बढ़ गई। मैं मानता हूं कि पिछले चार वर्षों से उस एकक को पुन: चालू करवाने की मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं। उसे पुन: चालू नहीं किया गया। निजी क्षेत्र के नियोजक ने अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा भी मुआवजा नहीं दिया है। उसने भुगतान नहीं किया है।

हम यहां इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि श्रम कानूनों का संशोधन किया जाए अथवा नहीं। इन श्रम कानूनों को कौन क्रियान्वित कर रहा है? महोदय, उस एकक में 2,200 लोग काम करते थे। क्या हमारे देश में सभी श्रम कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन लोगों को इन एककों से अलग किया गया, जो बेरोजगार हुए, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सभी मजबूर हैं। मैं मानता हूं कि मैं मजबूर हूं। उस क्षेत्र के संसद सदस्य के रूप में मैं उस एकक को पुन: चालू नहीं करवा पाया और हम उन कामगारों को उनका वेतन और मुआवजा भी नहीं दिला पाए। इसलिए यह एक मुख्य मुद्दा है।

बजट में उल्लेख किए गए श्रम बाजार सुधार को गलत समझा गया है। अपेक्षा की गई है कि ये सुधार ऐसी ही स्थितियों में सहायता करेंगे। मैंने यह सुझाव क्यों दिया कि 15 दिन बढ़ाकर 45 दिन कर दिए जाने चाहिए? ऐसा इसलिए किया गया कि निजी क्षेत्र में लोगों को भी पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे कहीं और आजीविका कमा सकें। सरकारी क्षेत्र में हम ऐसा कर रहे हैं।

महोदय, इसके अलावा हमने सड़क परियोजनाएं शुरू की हैं। केवल दो तरह से रोजगार का सृजन किया जा सकता है। पहला, अधिक वृद्धि दर प्राप्त करके। जैसाकि मोनटेक सिंह अहलुवालिया समिति ने कहा है कि यदि वृद्धि दर सात प्रतिशत होगी तो कुछ समय के बाद हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है कि बेरोजगारी की समस्या पर सीधा हमला करना जैसाकि प्रधानमंत्री द्वारा लालकिले की प्राचीर से घोषित सम्पूर्ण रोजगार योजना के माध्यम से हमने ऐसा किया है। उन्होंने इस योजना की घोषणा 15 अगस्त को की थी। 25 सितम्बर से इसका क्रियान्वयन शुरू किया गया। एक माह और 10 दिन में हमने यह सुनिश्चित किया कि हम तैयार हैं। हमने मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया। हमने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे परामर्श किया क्योंकि आखिरकार वे ही इस परियोजना को क्रियान्वित करेंगे। यह काम के बदले अनाज की सर्वोत्तम परियोजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का सृजन होगा।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सम्पूर्ण रोजगार योजना को यथासंभव गंभीरतापूर्वक लें और इसका लाभ उठाने हेतु राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन पर यथासंभव दबाव डालें। चाहे हम चेक डैम तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर विचार करें अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाहर ग्रामीण सड़कों पर विचार करे अथवा अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों पर, इन सभी को प्रधानमंत्री सम्पूर्ण रोजगार योजना के माध्यम से प्राप्त

[श्री यशवन्त सिन्हा]

किया जा सकता है क्योंकि हम इसके लिए राज्य सरकार को 50 लाख टन खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध करा रहे हैं।

हमने कहा है ''गोदाम खुले हुए हैं, यदि आपको और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है, हम आपको और देंगे?'' हमने पुन: मुख्य मंत्रियों से सलाह मशवरा करके यह निर्णय लिया है कि इस देश के सभी इलाकों में अनाज बैंकों की स्थापना करके इस कार्य की शुरूआत करेंगे ताकि हम अनाज को वह जहां भी हो वहां से गांवों तक पहुंचा सके। इन अन्यत्र बैंकों का संचालन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा और वह इसे एक बैंक की तरह ही चलाएंगे। अंत्योदय और अन्नपूर्णा आदि अन्य सभी योजनाओं के अलावा जिनकी शुरुआत मेरे सहयोगी श्री शांता कुमार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए की गई है, इस योजना के बारे में भी सभी राज्यों को अवगत करा दिया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राज्यों में प्रशासन की गुणवत्ता और स्तर का मामला भी महत्वपूर्ण मामला बन गया है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम डिजिटल असमानता की बात करते हैं। पहले, हम अगड़े और पिछड़े क्षेत्रों की बात करते थे। सच तो यह है कि यहां पिछड़े जिलों के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। प्रश्न अब औद्योगिक रूप से उन्नत और पिछड़े जिलों का नहीं रह गया है। अब चूंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, यदि हम इसकी रफ्तार के साथ नहीं चल पाए तो हम इतना पिछड़ जाएंगे कि हमारी अपनी अस्मिता तक विलीन हो जाएगी, हम अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन की गुणवत्ता कायम करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यह एक नये प्रकार का विभाजन आज नजर आ रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने बिहार पैकेज की बात कही थी। मुझे मेरे सहयोगी श्री शांता कुमार ने यहां यह जानकारी दी कि, पिछले वर्ष जब कई राज्यों में सूखा पड़ा था तो बिहार को 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के तहत एक लाख टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया था परंतु बिहार ने अभी तक एक किलोग्राम अनाज भी नहीं उठाया है। यह अनाज मुफ्त दिया गया था। सच्चाई तो यह है कि 2.5 मिलीयन टन खाद्यान्न राज्य को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था ताकि वे अपना 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को आरंभ कर सकें। मैं अब यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालांकि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह बाहर गये है परंतु बिहार के अन्य सदस्य यहां उपस्थित हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार पैकेज की बात कही है। यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। सच तो यह है कि जब माननीय गृह मंत्री तीन पुनर्गठन विधेयकों को तैयार कर रहे थे, बिहार पुनर्गठन विधेयक ही एकमात्र ऐसा विधेयक था जिसमें मूल राज्य बिहार के लिए एक पैकेज का प्रावधान था। योजना आयोग का एक प्रकोष्ठ इस पर कार्य कर रहा है। यदि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह यहां होते तो मैं बिहार सरकार को यह सुझाव देता कि वे गंभीरता से बिहार के लिए एक पैकेज तैयार करें। यह पैकेज उस तरह का काल्पनिक पैकेज नहीं होना चाहिए जिसको दो वर्ष पूर्व 2,00,000 करोड़ रुपये के पैकेज के रूप में बनाया गया था, इस प्रकार का पैकेज यथार्थ पर खरा नहीं उतर सकता। हम सभी को बैठकर बिहार के विकास और प्रगति के लिए एक यथार्थवादी पैकेज तैयार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक रवैया अख्तियार करेगी।

मैंने सभा का बहुत समय लिया है परंतु कुछ मामलों पर प्रकाश डालना अभी बाकी है। मेरे विचार से श्री विजय हान्दिक ने छोटे चाय उत्पादकों का मामला उठाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इसका प्रावधान पहले से ही है और उन छोटे किसानों पर चाय पर 2 रु. प्रति कि.ग्रा. उत्पाद शुल्क लागू नहीं होता जिनके पास 10 हैक्टेयर से कम भूमि या बागान है। इसलिए यदि इस संबंध में कोई भ्रांति हैं तो यह अनावश्यक है। इस तथ्य के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों को करो में दी गई छूट में चाय को भी शामिल किया गया है *...(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक : क्या करो पर प्राप्त छूट सभी चाय उत्पादकों पर लागू है?

श्री यशवंत सिन्हा : यह करों में छूट पूरे चाय उद्योग पर लागू है। यह उत्पाद शुल्क बड़े बागानों और बड़े चाय उत्पादकों पर लागू होती है।

श्री विजय हान्दिक : बड़े चाय उत्पादकों से संबंधित एक अन्य समस्या भी है। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : हम छोटे चाय उत्पादकों की बात कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक छोटे चाय उत्पादकों का सवाल है, उन पर उत्पाद शुल्क लगाने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने करो में यह छूट पहले ही दी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी यह करों में राहत के रूप में उपलब्ध है।

चूंकि आपने पूर्वोत्तर का यह मामला उठाया है, मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं। अब हमारे पास पूर्वोत्तर के विकास के लिए

एक अलग से निष्ठावान समर्पित कैबिनेट मंत्री है। यह बात इस देश में पहली बार हो रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सहयोगी श्री अरुण शौरी के साथ - जैसाकि मैंने इस सभा को वचन दिया था - सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मिलने कुछ हफ्ते पहले शिलांग गया था।

श्री विजय हान्दिक : हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : हमने समस्याओं पर चर्चा की।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या यह करो में छूट तमिलनाडु की नीलगिरी चाय पर भी लागू है?

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि): दक्षिण भारत के उद्योग जगत को भी पहले इस कर से छूट दी गई थी, परंतु दुर्भाग्य से इस बजट में उसे पुन: लगा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के चाय उत्पादकों के लिए कठिन स्थिति पैदा हो गई है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, दार्जिलिंग चाय को भी ऐसी छूट मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के नजदीक है।

श्री यशवंत सिन्हा : चाय उत्पादकों का मामला माननीय सदस्य श्री मथान द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था। मैं केवल छोटे चाय उत्पादकों के मामले को ही, जो पहले उठाए गये हैं संबोधित कर रहा था। आपको याद होगा कि आपने इस बाबत मुझसे चर्चा की थी और हमने इस तरह की छूट देने का निर्णय लिया था।

पुन: एक बार आपने बड़े उद्योगों और चाय उत्पादकों का मामला उठाया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पूर्वोत्तर के विकास की संकल्पना को पश्चिम बंगाल पर भी लागू किया जा सकता है। दार्जिलिंग की भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर के समान ही है। महोदय, यदि आप चाहे तो आप इस पर विचार कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक : लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : जहां तक छोटे पैमाने के विशेष क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उद्योग का सवाल है, पूर्वोत्तर के लिए उत्पाद शुल्क में छूट पहले से ही उपलब्ध है ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक : कपूर समिति की सिफारिशों का क्या हुआ?

श्री यशवन्त सिन्हा : कपूर समिति की बात पुरानी हो गई है। हम कपूर समिति की सिफारिशों से आगे बढ़ गये हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 30 अगस्त को लघु उद्योगों के लिए जो पैकेज की घोषणा की थी वह कपूर समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर हैं। हमें केवल कपूर समिति पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना है। हम इससे भी आगे बढ़ गये हैं।

महोदय, श्री किरीट सोमैया ने यू.टी.आई. और यू.एस. 64 का मामला उठाया था। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि जब यू.टी.आई. ने नई योजना आरंभ की तो यू.टी.आई. ने यह भी घोषणा की है कि वे 1 जनवरी से एन.ए.वी. आधार को अपनाएगी। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यू.टी.आई. इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर रही है और वह 1 जनवरी से संशोधित योजना को लेकर आएगी। इस बात का अंदाजा लगाए बगैर कि यू.टी.आई. क्या करने की योजना बना रही है मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं और वह हैं हम यूएस-64 के निवेशकों की हितों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हम यह कार्य जारी रखेंगे।

दूसरा, हमने पहले ही कहा है कि लघु निवेशकों की पूंजी सुरक्षित रहे - यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूर्णत: यू.टी.आई. का साथ देगी। हम अपनी यह प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे।

महोदय, एनरॉन की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में एनरॉन का प्रतिनिधित्व दाभोल विद्युत निगम (डी.पी.सी.) के माध्यम से हुआ है। इस समस्या का समाधान की चर्चा ऐसी भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा रही है जो एनरान और डी.पी.सी. से जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम कोई समाधान खोज लेंगे। जहां तक एल एंड टी के एक समूह द्वारा दूसरे समूह के शेयरों के अधिग्रहण का प्रश्न है, मैंने इस मामले की जांच की है और मुझे आश्वस्त किया गया कि ऐसा नियमों और विनियमों के ढांचे के तहत ही किया गया है। इसलिए, मंत्रालय या विनियामक तंत्र का जानबूझकर खामोश रहने का प्रश्न ही नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक वित्तीय संस्थाओं का प्रश्न है, जहां तक मैं जानता हूं, इस समय वे अपने शेयरों को अलग-थलग नहीं करना चाहते इसलिए, एल. एंड टी. का एक समूह या अन्य किसी

[श्री यशवन्त सिन्हा]

दूसरे समूह द्वारा अधिग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और, यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो अधिग्रहण संहिता लागू होगी और हम संबंधित कानून के अन्तर्गत इस समस्या का समाधान कर लेंगे। एल. एंड टी. एक अच्छी कंपनी है और इसका संचालन कुशल व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है। यह कंपनी एक ऐसी आदर्श कंपनी है कि इस तरह की कंपनी को हम देश में बढ़ावा देना चाहेंगे। इसलिए, इस प्रकार की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

महोदय हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में नीति एकदम स्पष्ट है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता।

महोदय कुछ माननीय सदस्यों ने आपारम्परिक ऊर्जा के संबंध में मामला उठाया था। हम इसके बारे में सजग है और इस क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। और हम इस पर काम जारी रखेंगे।

महोदय, अनेक सदस्यों ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह भ्रष्टाचार से लड़े और हम यह काम कर रहे हैं। इसलिए सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क विभाग में भी आप कम से कम इसका श्रेय सरकार को दें कि हमने किसी भी अधिकारी के ओहदे और अधिकारों की परवाह नहीं की। हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की चाहे उनकी पहुंच कितनी भी ऊंची थी या वे कितने भी शक्तिशाली रहे हो।

हमारी प्रणाली में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल गया है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। परंतु सरकार के रूप में यह हमारा उत्तरदायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भ्रष्ट है तो चाहे वह कितना भी उच्च पदस्थ या सामर्थ्यशाली क्यों न हो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी उसे सजा मिलेगी और हम यही काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों (बी.पी.एल.) की सूची का प्रश्न है, तो उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि बीपीएल सूची राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाए। उन्हें निदेश दे दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि तथ्यों पर आधारित ऐसी सूची राज्य सरकारों द्वारा जल्दी ही तैयार कर ली जाएगी। सच तो यह है कि मेरे सहयोगी श्री शांता कुमार ने मुझे सूचना दी है कि उन्होंने एन.एस.एस.ओ. द्वारा किए सर्वेक्षण के 26 प्रतिशत गरीबी के आंकड़ों को अभी तक नहीं अपनाया है और वे अभी भी इसे 36 प्रतिशत मान कर उस पर कार्य कर रहे हैं। फिर भी 36 प्रतिशत के आंकड़े भी बढ़ा-चढ़ा कर बताए गए हैं क्योंकि अब सभी राज्य केन्द्र से अधिकाधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा कर बताते हैं।

महोदय, कोयला क्षेत्र में हड़ताल का मुद्दा भी उठाया गया था। यह बहुत ही खेद की बात है। माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया है। मैं भी उस ग्रुप का सदस्य हूं। हमने मजदूर संघों को भी बुलाया। हमने उनसे बातचीत की और हमने हड़ताल न करने का आग्रह किया क्योंकि इससे राष्ट्र को क्षति होगी। हमने उन्हें आश्वासन दिया है। हमारे सहयोगी श्री राम विलास पासवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक को इस सत्र में नहीं लाएंगे बशर्ते वे हड़ताल पर न जाएं। किंतु दुर्भाग्यवश मजदूर संघों ने हमारी बात नहीं सुनी और वे हड़ताल पर चले गए जिससे यह नुकसान हो गया।

हम कोयले का कारोबार करते रहेंगे। मैं स्वयं एक ऐसे क्षेत्र से हूं जहां कोयला पाया जाता है। इसलिए मैं कामगारों की समस्याओं से परिचित हूं और इसलिए मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। यह सहानुभूति मात्र कोयला उद्योग के लिए ही नहीं है बल्कि कोयला उद्योग से जुड़े सभी लोगों के प्रति है। इस ग्रुप के हम सभी मंत्री विभिन्न पहलूओं पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन सभी समस्याओं का उचित समाधान खोज ही लेंगे।

माननीय सदस्य डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा मध्य प्रदेश के सूखे की स्थिति का हवाला दिया। सूखे से निपटने के लिए हम उदारतापूर्वक खाद्यान्न उपलबध करा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार इस व्यवस्था का लाभ उठाएगी।

जहां तक राजसहायता का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि धारणा यह है कि सरकार राजसहायता कम कर रही है किंतु हमारे प्रयास मात्र राजसहायता की वृद्धि पर अंकुश लगाना है। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध है। यदि वर्ष 1992-93 में खाद्यान्न राजसहायता 2,800 करोड़ थी तो इस वर्ष के बजट में इसका प्रावधान क्या होगा? यह 13,675 करोड़ रुपये है। इस प्रकार 2,800 करोड़ से लेकर 13,675 करोड़ रुपये तक राजसहायता में लगातार बढ़ोत्तरी ही हो रही है। हमारा पूरा प्रयास, हमारा संघर्ष इस राजसहायता को सीमित करने का है। किंतु इस वर्ष इन सभी योजनाओं के

कारण जो हमने जानबूझकर प्रारंभ की है, खाद्य राजसहायता में काफी वृद्धि होने की संभावना है और जब मैं आपके समक्ष संशोधित अनुमान लेकर आऊंगा तो मैं आपको इस बारे में सूचित करूंगा।

मैं एक और गलतफहमी दूर करना चाहूंगा और वह है मात्रात्मक प्रतिबंधों के चलते बेरोकटोक आयात। मेरे पास कृषि उत्पाद के आंकड़े मौजूद हैं। 1998-99 में यह कुल आयात का 6.9 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 में यह गिरकर 5.7 प्रतिशत तक आ गया और वर्ष 2000-2001 में इसमें भारी गिरावट आई और यह 3.7 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्ष में अप्रैल से जून की अवधि में उक्त आयात के आंकड़े 3.6 प्रतिशत थे और चालू वर्ष में इसी अवधि के ये आंकड़े 3.3 प्रतिशत हैं। इस तरह जब आप दिल्ली के खान मार्किट में न्यूजीलैंड के सेब देखें तो उनसे अभिभूत न हों। खाद्य व कृषि आयात नियंत्रण में हैं और माननीय वाणिज्य मंत्री आपको पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि हम इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। हम विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत उपलब्ध अपने सभी साधनों का लाभ उठाएंगें ताकि हमारे किसानों को असुविधा न हो।

महोदय, मैं इस सभा का बहुत अधिक समय ले चुका हूं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही सकारात्मक सुझाव देने के लिए मैं उनका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इससे पहले कि आप अपना भाषण समाप्त करें, 'एम.पी. लैड्स' समिति के अध्यक्ष द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था। यह आपसे और मुझसे संबंधित है।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं केवल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं *...(व्यवधान)* महोदय, मुझे यकीन है कि इस मुद्दे पर आवास समिति का शिष्टमंडल माननीय प्रधान मंत्री से भेंट कर चुका है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं पिछले सत्र में हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ कुछ चर्चाएं की थीं। आखिरकार मैं भी इस सभा का सदस्य हूं और इससे मुझे भी लाभ होगा। तथापि, मेरे विचार से यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि मैं इस पर सीधे ही कोई घोषणा कर डालूं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जब समिति की बैठक होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। कई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में राज्यों के अनुसार भिन्नता होती है। तो क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इसमें मापदण्ड होना चाहिए?

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री यशवंत सिन्हा : वरना, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घाटे में रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बता सकता हूं कि 'एम पी लैड्स' के कारण, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में कुछ अच्छे कार्य हो रहे है।

श्री बी. वेत्रिसेलवन : मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। जहां तक छात्रों को व्यावसायिक ऋण देने के मुद्दे का संबंध है, बैंक प्रबंधक जानबूझकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऋण देने से इंकार कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर श्री तिलकधारी बाबू और कुछ अन्य माननीय सदस्य यह मुद्दा उठा चुके हैं। जहां तक बैंकों की कार्यप्रणाली का संबंध है -- न केवल इस मुद्दे पर बल्कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना या किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामले पर भी चर्चा करेंगे। मेरा यह विश्वास है कि शुक्रवार को प्रश्न काल के दौरान हमें इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इस पर स्वयं मैं भी चिंतित हूं। बैंकों के अध्यक्षों (चेयरमैन) से मैं पांच बार मिल चुका हूं। हर छः महीने में मैं उनसे मिल रहा हूं। हर बैठक में एक मुद्दा जो मैं हर बार उठाता हूं, वह है शाखा स्तर पर बैंक कर्मचारियों का व्यवहार। अब मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं। मैं यह प्रयास कर रहा हूं, इस बात पर बल दे रहा हूं कि बैंकों के उच्च अधिकारियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में जाना चाहिए। जनता की शिकायतों का पता लगाने के लिए वे गुप्त रूप से इन शाखाओं में जाएं। वहां जाकर वे जन प्रतिनिधियों, जनता के सदस्यों को अपने पास बुलाएं, उनके साथ बैठकें करें ताकि यह पता चल सके कि बैंक की कार्यप्रणाली समुचित ढंग से चल रही है या नहीं। पहले भी मैं आपसे इस समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका हूं। मैं भारत का वित्त मंत्री हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुझे बताया गया कि बैंक से अपनी जमा राशि निकालने वाले लोगों को पैसा नहीं मिल पाता। उन्हें अगले दिन या उससे भी अगले दिन आने को कहा जाता है। अतः ऐसी स्थिति में ऋण देने का प्रश्न ही

[श्री यशवन्त सिन्हा]

कहां उठता है? हमने बैंकों को यह सुझाव दिया है कि स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर की ऋण समिति के स्तर पर सांसदों, विधायकों और जिला स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को पूरी तरह सम्बद्ध किया जाए। हमने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेटों को भी पत्र लिखे हैं कि वे ऐसा करना सुनिश्चित करें। यह प्रयास निश्चित ही पूरा होगा।

जैसा कि ये उल्लेख कर रहे थे, दी जाने वाली कुल राशि लगभग 2,000 करोड़ रुपये है और अनुपूरक के प्रथम बैच में यह 1,414 करोड़ रुपये थी। इसमें से अधिकतर राशि का उपयोग ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन योजनाओं में किया जाएगा।

माननीय सदस्यों का चर्चा में उनके सर्जनात्मक योगदान के लिए धन्यवाद देने के साथ-साथ मैं यह सुझाव दूंगा कि अनुपूरक मांगों को पारित किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने बड़ी ही स्पष्टता से कृषि परिदृश्य सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति को स्वीकार किया और उसका खुलासा किया। जल्द ही हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे।

21 दिसंबर को सभा की बैठक समाप्त होने से पहले क्या माननीय मंत्री और सरकार सभा को उन अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय उपायों के बारे में सूचित करेंगे। जिन्हें वह आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने और विनाश की भविष्यवाणी करने वालों को गलत साबित करने हेतु अपनाने पर विचार कर रही है। हम सभी समस्याओं में आपके साथ हैं। खास तौर पर कृषि को लेकर मंत्री जी ने सभा के सदस्यों के समक्ष उतनी ही चिंता प्रकट की। क्या मंत्री जी के लिए सभा को यह सूचित करना संभव होगा कि वे अल्पकालीन व दीर्घकालीन नीतियां कौन सी हैं जिसके माध्यम से सरकार निवेशकों, के संरक्षण, उनमें व्याप्त भय और कुंठाओं को दूर करने और वातावरण को सुधार लाने पर विचार कर रही है?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हमने कई उपाय किए हैं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा किंतु यदि सभा यह निर्णय करेगी और यदि कुछ अनुवर्ती दिनों में मुझे अवसर प्राप्त होगा तो मैं सभा को अवश्य सूचना प्रदान करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची को स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के. लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं : मांग सख्या 3, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 27, 36, 50, 54, 58, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 74, 76, 81, 83, 85, 87, 89 और 96"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.41 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक 2001*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 5.12.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 6 दिसम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 6 दिसम्बर, 2001/15 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.21.12/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।